VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

नवंबर 2024

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

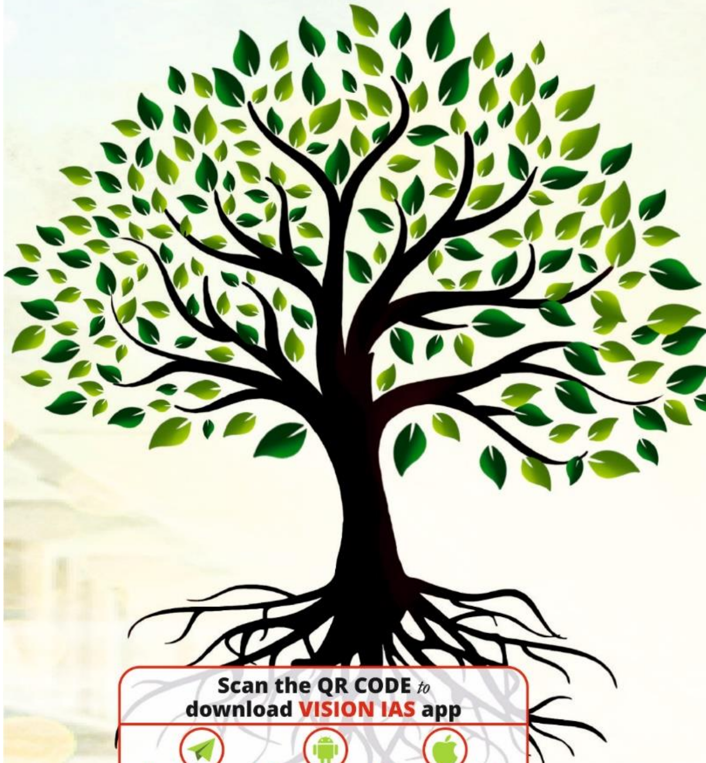

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE *to* download VISION IAS app

DELHI: 13 दिसंबर, **8 AM** | **6** जनवरी, **11 AM**

JAIPUR: 16 दिसंबर

JODHPUR: 3 दिसंबर

प्रवेश प्रारम्भ | **BHOPAL | LUCKNOW**

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम

सिविल सेवा परीक्षा 2024

हिंदी और अंग्रेजी माध्यम

प्रवेश प्रारंभ

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेषताएं

प्री–DAF सेशन: यह DAF में भरे जाने वाले एक–एक पॉइंट की सूक्ष्म समझ और व्यक्तित्व के वांछित गुणों को प्रतिबिंबित करने के लिए सावधानीपूर्वक DAF एंट्री में सहायक है।

DAF एनालिसिस सेशन: अपेक्षित प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के बारे में सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स के साथ DAF को लेकर गहन विश्लेषण और चर्चा।

एलोक्यूशन सेशन: इसमें डिस्कशन और पीयर लर्निंग की सहायता से कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने तथा उसे बेहतर बनाने एवं व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।

मॉक इंटरव्यू सेशन: व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी को और बेहतर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स, भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट्स एवं शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन।

व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन: हमारे डेडिकेटेड सीनियर एक्सपर्ट के सहयोग से व्यक्तित्व परीक्षण की समग्र तैयारी व बेहतर प्रबंधन तथा अपने प्रदर्शन को अधिकतम करना।

करेंट अफेयर्स की कक्षाएं: करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए।

टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरैक्शन: प्रश्नों के ठोस समाधान, इंटरैक्टिव लर्निंग एवं टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के अनुभव से प्रेरणा लेने के लिए इंटरैक्टिव सेशन।

प्रदर्शन का मूल्यांकन और फीडबैक: अपने मजबूत एवं सुधार करने वाले पक्षों की पहचान करने के साथ–साथ उनमें आगे और सुधार करने एवं उन्हें बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक।

मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग: स्व–मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी दिया जाएगा।

Scan QR CODE to watch How to Prepare for UPSC Personality Test

DAF एनालिसिस और मॉक इन्टरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें

7042413505, 9354559299

interview@visionias.in

अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए QR dksM स्कैन करें

AHMEDABAD | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI | SIKAR

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) ____ 4
1.1. प्रस्तावना में 'समाजवादी' एवं 'पंथनिरपेक्ष' शब्द ______ 4
1.2. भारत में संपत्ति का अधिकार ______ 7
1.3. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र ______ 9
1.4. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव ______ 10
1.5. भारत में नगर निगम ______ 11
1.6. गैर-सरकारी संगठन ______ 14
1.7. गवर्नेंस और AI ______ 17
1.8. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण ______ 20
1.9. दिव्यांग व्यक्ति ______ 22
1.10. संक्षिप्त सुर्खियां ______ 25
1.10.1. शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक ______ 25
1.10.2. नागरिक पंजीकरण प्रणाली ______ 25
1.10.3. लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य ______ 26
1.10.4. भारत में जेलों पर रिपोर्ट ______ 26
1.10.5. 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया ______ 27
1.10.6. अंतर्राज्यीय परिषद ______ 28
1.10.7. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा ______ 28
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ______ 30
2.1. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा ______ 30
2.2. ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G-20) शिखर सम्मेलन ______ 32
2.3. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध ______ 36
2.4. भारत-जर्मनी संबंध ______ 38
2.5. भारत-इटली संबंध ______ 40
2.6. भारत-स्पेन संबंध ______ 43
2.7. संक्षिप्त सुर्खियां ______ 44
2.7.1. प्रथम "त्रिपक्षीय विद्युत लेन-देन" ______ 44
2.7.2. चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे का परिचालन शुरू ______ 44
2.7.3. USA, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए डिजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए ______ 45
2.7.4. दूसरा 'भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन' गुयाना में संपन्न हुआ ______ 46
2.7.5. आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस ______ 47
2.7.6. भारतीय रासायनिक परिषद को OPCW-द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया ______ 47
2.7.7. काहिरा कॉल टू एक्शन ______ 48
2.7.8. अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ______ 48
2.7.9. ट्राइटन द्वीप ______ 49
3. अर्थव्यवस्था (Economy) ______ 50
3.1. बड़े व्यापार समझौतों का महत्त्व ______ 50
3.2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ______ 53
3.3. ग्रामीण गैर-कृषि अर्थव्यवस्था ______ 55
3.4. भारतीय खाद्य निगम ______ 58
3.5. संक्षिप्त सुर्खियां ______ 60
3.5.1. RBI ने FPI का FDI के रूप में रीक्लासिफिकेशन करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया ______ 60
3.5.2. घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक ______ 60
3.5.3. अंतरिक्ष क्षेत्रक के लिए वेंचर कैपिटल फंड ______ 61
3.5.4. चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए योजना ______ 62
3.5.5. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने 'द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, 2024' रिपोर्ट जारी की ______ 63
3.5.6. 21वीं पशुधन गणना ______ 63
3.5.7. विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ______ 64
3.5.8. नैनो उर्वरक ______ 64
3.5.9. मरमुगाओ पत्तन प्राधिकरण ______ 64
3.5.10. बिहटा शुष्क पत्तन ______ 65
3.5.11. विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक, 2024 रिपोर्ट ______ 65
3.5.12. पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) 2.0 ______ 66
3.5.13. समान सुरक्षा प्रोटोकॉल ______ 66
4. सुरक्षा (Security) ______ 68
4.1. भारतीय तट रक्षक बल ______ 68
4.2. संक्षिप्त सुर्खियां ______ 69
4.2.1. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) 69
4.2.2. 'अडैप्टिव डिफेंस' रणनीति ______ 70
4.2.3. डिजिटल अरेस्ट ______ 71
4.2.4. एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक 71
4.2.5. भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी ______ 72
4.2.6. भारत की पहली "लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल" ______ 72

4.2.7. जमीन पर हमला करने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल ___ 73
4.2.8. पैंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम ___ 74
4.2.9. अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ___ 74
4.2.10. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास ___ 75
4.2.11. ऑपरेशन सागर-मंथन ___ 76
5. पर्यावरण (Environment) ___ 77
5.1. UNFCCC के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन ___ 77
5.1.1. COP29 में शुरू की गई प्रमुख पहलें/ घोषणा-पत्र 79
5.1.2. COP29 और भारत ___ 83
5.2. कार्बन ट्रेडिंग और बाजार ___ 84
5.3. जलवायु वित्त ___ 87
5.4. जस्ट ट्रांजिशन ___ 90
5.5. UNCBD का COP16 ___ 93
5.5.1. राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना ___ 96
5.5.2. प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए वैश्विक गठबंधन ___ 99
5.6. वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली ___ 99
5.7. प्राकृतिक खेती ___ 100
5.8. हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ ___ 103
5.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ___ 106
5.9.1. ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट ___ 106
5.9.2. अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट, 2024 ___ 106
5.9.3. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने एमिशन गैप रिपोर्ट, 2024 जारी की ___ 108
5.9.4. प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, 2024 ___ 108
5.9.5. 'ऐन आई ऑन मीथेन: इनविजिबल बट नॉट अनसीन' रिपोर्ट ___ 109
5.9.6. विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट, 2024 ___ 110
5.9.7. CO_2 से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र ___ 110
5.9.8. EV-एज़-ए-सर्विस कार्यक्रम ___ 110
5.9.9. गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व ___ 111
5.9.10. कोरल ट्रायंगल ___ 111
5.9.11. 'सुनामी रेडी' गांव ___ 112
5.9.12. डिप्रेशन ऐस्लाडा एन निवेल्स अल्टोस (DANA/ डाना) ___ 113
5.9.13. बम साइक्लोन ___ 113
5.9.14. करीबा झील ___ 113
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ___ 115
6.1. वर्क फ्रॉम होम ___ 115
6.2. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना ___ 117
6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ___ 120
6.3.1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पी.एम.-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी ___ 120
6.3.2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो/ POCSO) अधिनियम, 2012 ___ 121
6.3.3. भारत में पोलियो उन्मूलन के 10 वर्ष पूरे हुए ___ 122
6.3.4. बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की कमी ___ 123
6.3.5. यूनेस्को ने 'ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, 2024' जारी की ___ 123
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) ___ 125
7.1. वन डे वन जीनोम ___ 125
7.1.1. हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग ___ 126
7.2. सत्येंद्र नाथ बोस ___ 127
7.3. ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ___ 129
7.4. RNA एडिटिंग ___ 131
7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ___ 132
7.5.1. अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी ___ 132
7.5.2. एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ___ 133
7.5.3. GSAT-N2 ___ 133
7.5.4. लिग्नोसैट ___ 134
7.5.5. ऑपरेशन द्रोणागिरी ___ 134
7.5.6. डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी ___ 135
7.5.7. ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज ___ 136
7.5.8. ब्रिक- राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव-विनिर्माण संस्थान 136
7.5.9. पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक ___ 136
7.5.10. जेद्दाह प्रतिबद्धताएं अपनाई ___ 137
7.5.11. महामारी निधि परियोजना शुरू ___ 138
7.5.12. ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स ___ 138
8. संस्कृति (Culture) ___ 140
8.1. बिरसा मुंडा ___ 140
8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ___ 143
8.2.1. सोहराई पेंटिंग ___ 143
9. नीतिशास्त्र (Ethics) ___ 144
9.1. तुरंत न्याय ___ 144

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) _____ 149

10.1 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ____________________ 149

10.2. अटल नवाचार मिशन 2.0 __________________ 150

10.3. प्रधान मंत्री वनबंधु कल्याण योजना ____________ 151

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News) ___________ 153

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News) ___ 154

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

- विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
- पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
- विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

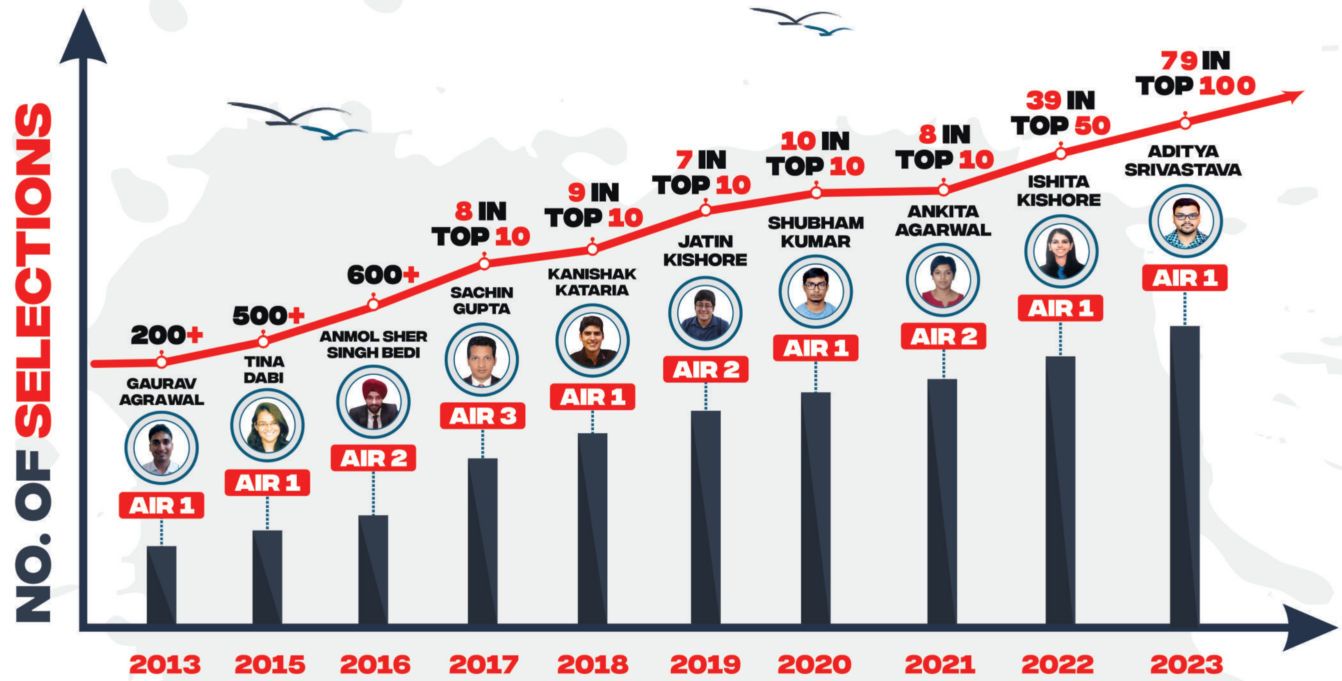

LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: 17 DEC, 9 AM | 10 JAN, 9 AM | 21 JAN, 1 PM | 31 JAN, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 27 DEC, 6 PM | 6 JAN, 8 AM

हिन्दी माध्यम | DELHI: 6 जनवरी, 11 AM | 13 दिसंबर, 8 AM

AHMEDABAD: 4 JAN | BENGALURU: 5 DEC | BHOPAL: 5 DEC | HYDERABAD: 9 DEC | JAIPUR: 16 DEC

JODHPUR: 3 DEC | LUCKNOW: 5 DEC | PUNE: 20 JAN | ADMISSION OPEN | CHANDIGARH

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 13 दिसंबर, 8 AM | 6 जनवरी, 11 AM | JAIPUR: 16 दिसंबर | JODHPUR: 3 दिसंबर | प्रवेश प्रारम्भ | BHOPAL | LUCKNOW

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. प्रस्तावना में 'समाजवादी' एवं 'पंथनिरपेक्ष' शब्द ('Socialist', 'Secular' in The Preamble)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2024)** मामले में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में **'समाजवादी'** और **'पंथनिरपेक्ष'** शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन शब्दों को शामिल करने के खिलाफ याचिकाएं इस आधार पर दायर की गई थी कि इन शब्दों को **आपातकाल (1975-1977) के दौरान शामिल** किया गया था और ये लोगों की आकांक्षाओं का **प्रतिनिधित्व नहीं** करते हैं।
- याचिकाओं में यह तर्क भी दिया गया था कि **संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना अपनाने की तारीख (26 नवंबर, 1949) के समय ये शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं** थे। बाद में इसमें कोई अतिरिक्त शब्द जोड़ना **संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है।**

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के बारे में

- **42वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था:** इसे **"लघु-संविधान"** के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसके तहत संविधान की **प्रस्तावना, 40 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में संशोधन** किया गया था। साथ ही, संविधान में **14 नए अनुच्छेद और दो नए भाग** भी जोड़े गए थे।
- **किए गए प्रमुख परिवर्तन थे:**
  - **प्रस्तावना:** इसमें **'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष'** और **'अखंडता'** शब्द जोड़े गए थे।
    - **'राष्ट्र की एकता'** की जगह **'राष्ट्र की एकता एवं अखंडता'** शब्द का प्रयोग किया गया।
  - **7वीं अनुसूची में परिवर्तन:** निम्नलिखित श्रेणियों को **राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया:**
    - शिक्षा; वन; वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण; भार एवं माप; न्याय का प्रशासन; सभी न्यायालयों का गठन व संगठन (सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर)।
  - **आपातकाल:** राष्ट्रपति को न केवल पूरे देश में, बल्कि देश के किसी विशेष भाग में आपातकाल घोषित करने के लिए अधिकृत करने हेतु **अनुच्छेद 352 में संशोधन** किया गया।
  - **नए राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) को शामिल किया गया:**
    - **अनुच्छेद 39:** बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना।
    - **अनुच्छेद 39A:** समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
    - **अनुच्छेद 43A:** उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों/ कर्मकारों की भूमिका।
    - **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों का संरक्षण।
  - **दो नए भाग जोड़े गए:** भाग **IV-A (मौलिक कर्तव्य),** भाग **XIV-A (प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना)।**

सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियां

- **पूर्वव्यापीता (Retrospectivity) को ख़ारिज किया:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान को अपनाए जाने की तारीख, संविधान के **अनुच्छेद 368** के तहत इसमें संशोधन करने की **संसद की शक्ति को कम नहीं करती** है।
  - संसद **अनुच्छेद 368** के तहत अपनी **संविधायी शक्ति (Constituent power)** का प्रयोग करते हुए, इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **किसी प्रावधान को जोड़, परिवर्तन या निरस्त करके संविधान में संशोधन** कर सकती है।
  - न्यायालय ने माना कि **संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का विस्तार प्रस्तावना** तक भी है। हालांकि, संसद की इस शक्ति को **मूल ढांचे** के उल्लंघन सहित अलग-अलग आधारों पर चुनौती भी दी जा सकती है।
- **समाजवाद और पंथनिरपेक्षता की परिभाषा:** अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने दोनों शब्दों को भी परिभाषित किया:

○ **पंथनिरपेक्षता:** भारत के संदर्भ में इसका अर्थ है कि **राज्य न तो किसी धर्म विशेष का समर्थन करेगा और न ही अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा न ही नागरिकों द्वारा किसी धर्म विशेष को मानने, आचरण करने और प्रचार करने को दंडित करेगा। इसके अलावा, राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म भी नहीं** होगा।
  - **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **पंथनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा** है।

○ **समाजवाद:** यह **कल्याणकारी राज्य** और **अवसर की समानता** सुनिश्चित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है:** समय के साथ, भारत ने संविधान को एक जीवंत चरित्र प्रदान करते हुए इन शब्दों की अपनी व्याख्या विकसित की है।

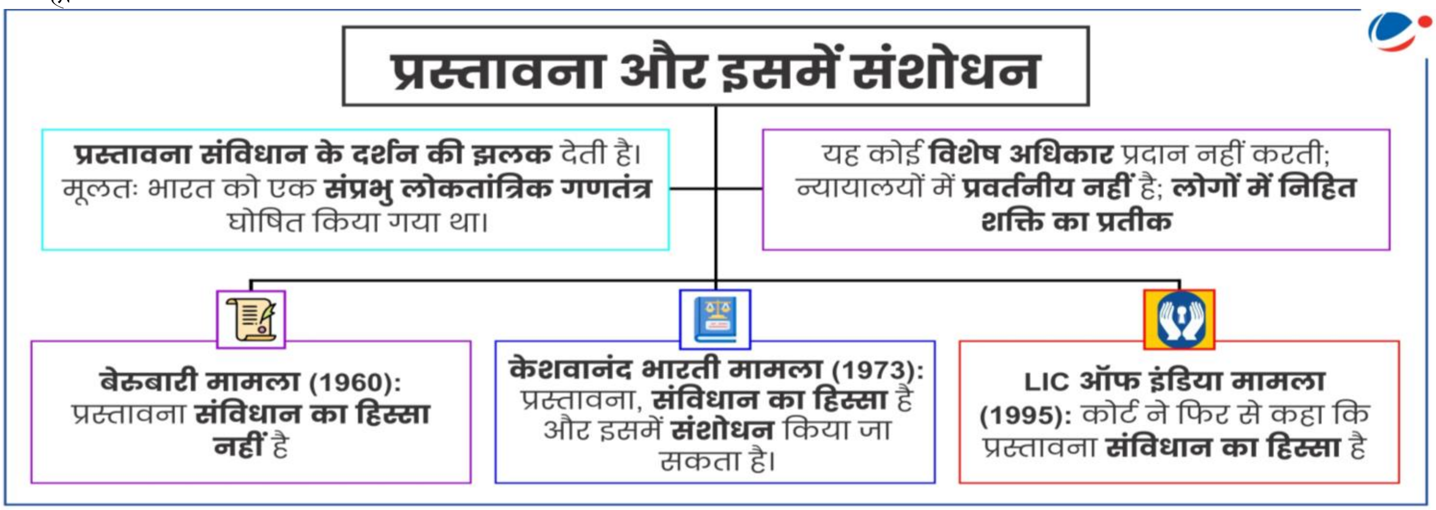

पंथनिरपेक्षता और समाजवाद के बारे में

पंथनिरपेक्षता	• पंथनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा के अनुसार, राज्य धर्म के प्रति **तटस्थता एवं सकारात्मक भूमिका** की अवधारणा का पालन करता है। ○ **इस अवधारणा में-** ▪ राज्य को धार्मिक आचरण से जुड़े **आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और पंथनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित** करने की शक्ति प्राप्त है। ▪ यह **व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता** से संबंधित है। • पंथनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा **धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा से अलग** है। पश्चिमी अवधारणा में **धर्म के मामले में अहस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन** किया गया है। पश्चिमी देशों में **राज्य और धर्म कठोर तरीके से अलग-अलग** हैं तथा **व्यक्तिगत अधिकार सर्वोच्च** हैं।
समाजवाद	• **समाजवाद:** यह उन सिद्धांतों से संबंधित है, जो एक ऐसे समाज की स्थापना की परिकल्पना करते हैं, जहां सभी व्यक्ति आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में समानता का आनंद प्राप्त करेंगे। ○ समाजवाद का विचार काफी हद तक **कार्ल मार्क्स** से लोकप्रिय हुआ था। उन्होंने **वैज्ञानिक समाजवाद** का विचार प्रतिपादित किया था। ▪ उनका मानना था कि **मजदूर वर्ग की हिंसक क्रांति समाज से शोषक पूंजीपति वर्ग को खत्म** कर सकती है। 1. **क्यूबा, चीन और उत्तर कोरिया** जैसे साम्यवादी देशों में सरकार उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और अर्थव्यवस्था को एक केंद्रीय योजना के अनुसार चलाती है, जो समाजवाद की एक प्रमुख विशेषता है। 2. समाजवाद के कई प्रकार हैं, जैसे- **लोकतांत्रिक समाजवाद, विकासवादी समाजवाद, फैबियन समाजवाद, गिल्ड समाजवाद** आदि। • **भारत में समाजवाद का विचार:** ○ यह **मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल** पर आधारित है। इस मॉडल के तहत राज्य जरूरतमंदों का कल्याण सुनिश्चित करता है, जबकि **निजी उद्यम रोजगार बढ़ाते हैं और मजबूत आर्थिक संवृद्धि में बढ़ोतरी** करते हैं।

- इसे काफी हद तक **जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे प्रख्यात नेताओं के विचारों** द्वारा आकार दिया गया था, जो **लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर** थे।
    - यह निम्नलिखित तरीकों से **अन्य साम्यवादी देशों में प्रचलित समाजवाद से भिन्न है-**
        - यह **व्यक्ति और समुदाय के बीच भारी अंतर को खारिज** करता है: यह दोनों को एक साथ सुधारने पर केंद्रित है।
        - **निजी संपत्ति की प्रासंगिकता:** इसने निजी संपत्ति की उपस्थिति के साथ-साथ परिवर्तन लाने में राज्य की शक्तियों पर भी अधिक जोर दिया है।
            - यह **पूंजीवाद के उन्मूलन में विश्वास नहीं करता** बल्कि असमानता को दूर करने पर केंद्रित है।
        - **अहिंसा का विचार:** यह घरेलू राजनीतिक उपायों से हिंसा को खत्म करना चाहता है।
- **लोकतांत्रिक समाजवाद:**
    - यह **समाजवाद के सिद्धांतों के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों के सह-अस्तित्व** के विचार पर आधारित है।
    - यह **राज्य की अवधारणा** में मार्क्सवाद से भिन्न है।
        - लोकतांत्रिक समाजवाद का मानना है कि **राज्य पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण का साधन नहीं** है, बल्कि राज्य **सामाजिक कल्याण** का एक साधन है।
        - समाज के **सभी वर्ग राज्य के स्वामी** हैं।
    - यह मतपेटी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए **शांतिपूर्ण और विकासवादी साधनों की वकालत** करता है।
    - समाजवाद के मार्क्सवादी विचार से मतभेदों के बावजूद, यह श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने और लोगों के बीच समानता को बढ़ावा देने के साझे लक्ष्यों को साझा करता है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा निर्णय इस विचार पर जोर देता है कि संवैधानिक मूल्यों ने देश की जरूरतों के अनुरूप निरंतर विकास दर्शाया है। समाजवाद और पंथनिरपेक्षता जैसे विचार अब लोगों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किए जाते हैं व समझे जाते हैं। इसलिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता के प्रति निष्ठा, साथ ही सतर्कता, समर्पण और नई चुनौतियों का सामना करने की इच्छाशक्ति, हमें असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी समकालीन समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाएगी।

पंथनिरपेक्षता के संवैधानिक लोकाचार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #93: संवैधानिक लोकाचार II: विविधता में एकता–पंथनिरपेक्षता

1.2. भारत में संपत्ति का अधिकार (Property Rights in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य** मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक **ऐतिहासिक फैसला** सुनाया। इसमें **निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की राज्य की शक्तियों को सीमित** किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस निर्णय ने **कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी (1978) और संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य वाद (1983)** में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया।
  - इन दोनों मामलों में यह निर्णय दिया गया था कि **निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन (Community resources)** माना जा सकता है।
- यह बदलाव भारत में **संपत्ति के अधिकारों की कानूनी समझ** में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है।

संपत्ति के अधिकार का विकास

- **मूल स्थिति:** प्रारंभ में, संपत्ति के अधिकार और अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजे को **संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत मूल अधिकारों के रूप में संरक्षित** किया गया था।
- **25वां संविधान संशोधन अधिनियम (1971):** इसके द्वारा **संविधान में अनुच्छेद 31C को शामिल** किया गया था। **अनुच्छेद 31C** ने उन **कानूनों को संरक्षण प्रदान किया, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों {विशेष रूप से अनुच्छेद 39(b) और 39(c)}** को अमल में लाने के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों को **मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं** दी जा सकती है, जिनमें **अनुच्छेद 14 और 19** के तहत प्रदत्त अधिकार भी शामिल हैं।
- **संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति: 1978 में 44वें संविधान संशोधन** द्वारा संपत्ति के अधिकार को **मूल अधिकारों की सूची से हटा** दिया गया, तथा इसे **अनुच्छेद 300A** के अंतर्गत एक **संवैधानिक अधिकार** बना दिया गया। साधारण भाषा में, अब संपत्ति का अधिकार **मूल अधिकार नहीं** है, अपितु एक **संवैधानिक अधिकार** है।

हालिया निर्णय (प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य) के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **अनुच्छेद 39(b) का दायरा:** न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि **निजी संपत्ति** को अनुच्छेद 39(b) के तहत स्वतः **"समुदाय के भौतिक संसाधन"** के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि **सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधन** को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता है।
  - अनुच्छेद 39(b) **राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (भाग IV)** का हिस्सा है। इसके अनुसार, राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि **"समुदाय के भौतिक संसाधनों (Material resource of the community)"** का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, जिससे सामूहिक हित की सर्वोत्तम रूप से पूर्ति हो। साधारण भाषा में, **अनुच्छेद 39(b)** राज्य को निर्देश देता है कि वह समुदाय के सभी संसाधनों, जैसे कि जमीन, खदानें, वन, पानी आदि, का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से करे कि सभी लोगों का भला हो।
- **संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार:** अनुच्छेद 39(b) राज्य को निजी संपत्ति के अधिग्रहण की **विधायी शक्ति प्रदान नहीं** करता है।
  - सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार **भूमि अधिग्रहण करने की संप्रभु शक्ति (Eminent domain),** और **सातवीं अनुसूची में सूची III की प्रविष्टि 42** से प्राप्त होता है।
- **वर्गीकरण के लिए मानदंड:** किसी निजी संपत्ति को "समुदाय के भौतिक संसाधन" के रूप में शामिल करने का निर्णय **उसकी प्रकृति, उपलब्धता या कमी, सामुदायिक कल्याण पर प्रभाव, और निजी हाथों में संकेंद्रण** पर निर्भर करता है।
- **आर्थिक नीतियों में लचीलापन:** कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान निर्माताओं का इरादा आर्थिक नीतियों को लचीला बनाना था, ताकि सरकारें समय के साथ बदलते हालात के हिसाब से आर्थिक नियमों में बदलाव कर सकें, न कि वे एक **स्थायी आर्थिक सिद्धांत** से बंधी रहें।
- **अनुच्छेद 31C की वैधता:** कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि केशवानंद भारती मामले में बरकरार रखा गया **अनुच्छेद 31C अभी भी वैध है।**
- **सार्वजनिक कल्याण और निजी संपत्ति के अधिकारों के बीच संतुलन:** सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कल्याण और निजी संपत्ति के अधिकार के बीच एक संतुलन स्थापित किया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार के सभी कार्य **संविधान के मूलभूत सिद्धांतों,** जैसे कि **समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)** और **संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 300A)** के अनुरूप होने चाहिए।

- कोर्ट ने कहा कि यहां **सार्वजनिक न्यास सिद्धांत (Public Trust Doctrine)** को भी लागू किया जा सकता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों तक सभी की समान पहुंच हो और इनका उपयोग लोक हित में किया जाए।

- **इमिनेंट डोमेन की सीमाएं:** सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण में इमिनेंट डोमेन के सिद्धांत के **व्यापक उपयोग पर सवाल उठाया।** कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं माने जा सकते, जिन्हें लोक कल्याण के लिए जब्त/ अधिग्रहित किया जा सके।

इमिनेंट डोमेन (Eminent domain) का सिद्धांत

यह एक कानूनी सिद्धांत है, जो **सरकारों को निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित** करने की अनुमति देता है। यह सिद्धांत **समाज कल्याण और संपत्ति के अधिकारों के बीच संतुलन** स्थापित करता है। सभी स्तरों की सरकारें इस शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन संपत्ति के स्वामी को उचित मुआवजा प्रदान करना अनिवार्य है।

- **इमिनेंट डोमेन सिद्धांत के तत्व:**
  - **सार्वजनिक उपयोग:** सरकार सार्वजनिक उद्देश्य (जैसे कि अवसंरचना निर्माण) के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब कोई वैध आवश्यकता हो और कोई वैकल्पिक उपाय न हो।
  - **उचित मुआवजा:** जब संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, तो सरकार को संपत्ति के स्वामी को उचित मुआवजा प्रदान करना होगा। यह मुआवजा अधिग्रहण के समय बाजार मूल्य पर आधारित होगा।
  - **उचित प्रक्रिया:** इसके लिए उचित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, अर्थात् संपत्ति के स्वामी को पहले सूचित किया जाना चाहिए और अधिग्रहण को चुनौती देने या मुआवजे पर वार्ता करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
  - **सरकारी प्राधिकरण:** इस शक्ति का प्रयोग केवल सरकार या उन अधिकृत सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है, जिनके पास सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति अधिग्रहण करने का कानूनी अधिकार है। इसे आमतौर पर विश्व भर के अधिकांश देशों में कानून द्वारा विनियमित किया जाता है।
- **महत्वपूर्ण कानूनी मामले: सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु सरकार (2018) वाद में,** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि **इमिनेंट डोमेन** राज्य की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। राज्य लोक हित के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, बशर्ते उचित मुआवजा दिया जाए। यह शक्ति किसी व्यक्ति के आजीविका या सम्मान के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।

"सार्वजनिक न्यास सिद्धांत (Public Trust Doctrine)" के बारे में

यह सिद्धांत **प्राकृतिक संसाधनों** के जिम्मेदारीपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है। इसके माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं और पृथ्वी के संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। इसे **थ. माजरा सिंह बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन** और **एम.आई. बिल्डर्स बनाम रैडली श्याम साहू** जैसे महत्वपूर्ण मामलों में **अनुच्छेद 21** के तहत मान्यता प्राप्त हुई थी।

- **ट्रस्टी (न्यासी) के रूप में राज्य:** सार्वजनिक न्यास सिद्धांत के तहत, राज्य एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, जो जनता के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए और वे समाप्त या क्षतिग्रस्त न हों।
  - **टी.एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को एक ट्रस्टी के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **प्राकृतिक संसाधनों** का लोक हित के लिए संधारणीय रूप से उपयोग किया जाए।
- **लाभार्थी के रूप में नागरिक:** नागरिक इस न्यास के लाभार्थी हैं, जो अपने लाभ के लिए तथा भावी पीढ़ियों हेतु संसाधनों का संधारणीय रूप से उपयोग करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रभाव

- **विधायी और नीतिगत प्रभाव:** यह निर्णय भविष्य के **संपत्ति अधिग्रहण कानूनों, भूमि सुधारों और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों** को प्रभावित कर सकता है, तथा निष्पक्षता व पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकता है।
- **आर्थिक सुधार:** यह निर्णय राज्य की संपत्ति अधिग्रहण की शक्ति को सीमित करके, **निजी निवेश को समर्थन** प्रदान करता है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह एक **अधिक बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था** की ओर बदलाव का संकेत भी देता है।
- **राजनीतिक बहस:** राजनीतिक दल भूमि सुधार और संपत्ति के अधिकारों पर अपने रुख को समायोजित कर सकते हैं, जबकि यह फैसला सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, विशेष रूप से वंचितों के लिए **भूमि पुनर्वितरण को आकार** दे सकता है।
- **संवैधानिक जांच:** यह निर्णय **निजी संपत्ति पर सरकारी कार्रवाई की जांच** करने में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून समानता और संपत्ति सहित संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप हों।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने अनुच्छेद 39(b) पर स्पष्टता प्रदान की है। कोर्ट ने कहा है कि निजी संपत्ति को सार्वजनिक हित में इस्तेमाल करने के लिए **"समुदाय के भौतिक संसाधन"** के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करते समय हर मामले में अलग-अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। इस निर्णय में **समानता और संपत्ति के अधिकारों सहित संवैधानिक सिद्धांतों** को बनाए रखने के लिए सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जबकि सार्वजनिक न्यास सिद्धांत के माध्यम से जिम्मेदारीपूर्ण संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया है।

1.3. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र (Internal Democracy in Political Parties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को लागू करने में **भारतीय चुनाव आयोग (ECI)** की भूमिका पर चर्चा चल रही है।

दलों में आंतरिक लोकतंत्र क्या अर्थ है?

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ है- **पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाना।** ऐसी में स्थिति में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन कर और पार्टी के सभी सदस्यों को समान रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान कर राजनीतिक दल की **आंतरिक व्यवस्था, संरचना और समन्वय** को प्रबंधित किया जाता है। इसका सीधा संबंध इस व्यवस्था से है कि उस पार्टी में **उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाता है, नेता कैसे उभरते हैं, नीतियां कैसे बनाई जाती हैं और फंडिंग कैसे प्राप्त की जाती है।**

राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है?

- **विकेंद्रीकरण:** यह राजनीतिक दल के शीर्ष-स्तरीय नेताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले **केंद्रीकृत विवेकाधीन नियंत्रण को सीमित** करता है। साथ ही, यह अलग-अलग स्तरों पर **दलों के अधिक से अधिक हितधारकों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में योगदान करने का अवसर** प्रदान करता है।
- **अपराधीकरण को रोकना:** यह धन और बाहुबल से प्रेरित "चुनाव जीतने की क्षमता" के आधार पर उम्मीदवार के चयन की **प्रणालीगत समस्या का समाधान** करता है।
  - एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के विश्लेषण के अनुसार, **543** नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से **251 (46%) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।**
- **प्रतिनिधित्व:** यह नागरिकों को राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने का समान राजनीतिक अवसर प्रदान करता है।
- **युवाओं की भागीदारी:** इससे नई प्रतिभाओं को अवसर मिलता है और शीर्ष नेताओं के प्रभाव में कमी आती है।
- **भ्रष्टाचार में कमी:** प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 2008 की **'नैतिकता और अभिशासन' रिपोर्ट** में कहा गया है कि अधिक केंद्रीकरण के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
- **पारदर्शिता और सूचना का मुक्त प्रवाह:** जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक **"ऑन लिबर्टी"** (1859) में **"विचार और चर्चा की स्वतंत्रता" के "पूर्ण"** संरक्षण पर तर्क प्रस्तुत किया गया है।

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी के लिए उत्तरदायी कारण

- **कानूनी समर्थन का अभाव:** राजनीतिक दलों के पंजीकरण का एकमात्र प्रावधान **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 29A** के तहत किया गया है। यह भारतीय चुनाव आयोग (ECI) में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है।
  - इसके अलावा, **धारा 29A** के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए **ECI के दिशा-निर्देश और आवेदन प्रारूप में केवल आंतरिक जवाबदेही के लिए प्रावधान** निर्धारित किए गए हैं। इसमें **उम्मीदवार के चयन के लिए कोई प्रावधान नहीं** है।
- **दंडात्मक प्रावधानों का अभाव: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (I) बनाम इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल वेलफेयर** मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, वर्तमान में **ECI को किसी भी दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं** है।
- **संरचनात्मक चुनौतियां:** वंशवादी राजनीति का प्रचलन; केंद्रीकृत सत्तावादी संरचनाएं; 1985 का दलबदल-रोधी कानून (संविधान का 52वां संशोधन) जिसमें पार्टी लाइन (दल की विचारधारा व नीतियों) का सख्ती से पालन करने की अनिवार्यता है; आदि।
- **अन्य मुद्दे:** राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, कमजोर संगठनात्मक ढांचा, आदि।

> **"राजनीतिक दल प्रणाली** में सुधार के बिना **कोई भी चुनाव सुधार प्रभावी नहीं** हो सकता"
>
> \- चुनावी प्रक्रियाओं और राजनीतिक दलों पर **संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC)** की रिपोर्ट

आगे की राह

- **पारदर्शिता:** चुनाव सुधारों से संबंधित सरकार द्वारा गठित कई समितियों जैसे **तारकुंडे समिति (1975), दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998)** ने देश में राजनीतिक दलों के कार्यों में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- **"चुनाव सुधार" पर विधि आयोग की सिफारिशें (255वीं रिपोर्ट) को अपनाना:**
  - **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में नया अध्याय IVC:** इसमें आंतरिक लोकतंत्र, दलीय संविधान, दलीय संगठन, आंतरिक चुनाव, उम्मीदवार के चयन, मतदान प्रक्रिया और गैर-अनुपालन के कुछ मामलों सहित किसी दल का पंजीकरण रद्द करने की चुनाव आयोग की शक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC):**
  - भारत में राजनीतिक दलों या दलों के गठबंधनों के पंजीकरण और कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए **राजनीतिक दल (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम** जैसा व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की गई है।

1.4. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव (USA Presidential Election)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव **निर्वाचक मंडल प्रणाली (Electoral College system)** के माध्यम से आयोजित किया गया।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव बनाम भारत के राष्ट्रपति का चुनाव

मानदंड	संयुक्त राज्य अमेरिका	भारत
निर्वाचक मंडल की संरचना	• अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे नागरिकों द्वारा नहीं किया जाता। नागरिक **इलेक्टोरल कॉलेज** के **538 सदस्यों** यानी **इलेक्टर्स (निर्वाचक)** को चुनते हैं। ○ 538 सदस्यीय इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल में **सीनेट के लिए 100 इलेक्टर्स (सदस्य), हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव के लिए 435 इलेक्टर्स** तथा **डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए 3 इलेक्टर्स** चुने जाते हैं। ये इलेक्टर्स ही वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ○ राज्यों में निर्वाचकों की संख्या अलग-अलग होती है। प्रत्येक राज्य को उतने ही निर्वाचक (इलेक्टर्स) मिलते हैं जितने उसके कांग्रेस (सदन और सीनेट) में सदस्य या प्रतिनिधि होते हैं। राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचकों की संख्या प्रदान की गई है। • चुनाव के बाद प्रत्येक निर्वाचक एक वोट डालता है, जो **उम्मीदवार कुल 538 इलेक्टर्स में से आधे से अधिक (270) वोट प्राप्त करता है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति** बन जाता है।	भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव एक **निर्वाचक मंडल** द्वारा किया जाता है। **इस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं-** • संसद के दोनों सदनों के **निर्वाचित** सदस्य, और • राज्यों की विधान सभाओं के **निर्वाचित** सदस्य। ○ इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र **दिल्ली** और केंद्र शासित प्रदेश **पुडुचेरी** के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। ▪ **70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** के तहत, राष्ट्रपति चुनाव के लिए **दिल्ली** और **पुडुचेरी** विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। • **नोट:** संसद के दोनों सदन तथा राज्य विधान सभाओं के **नामांकित या मनोनीत** सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल **नहीं** होते हैं।

शासी अधिनियम/ नियम	प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के चुनाव नियम बनाता है, जो अमेरिका की विकेंद्रीकृत प्रणाली को दर्शाता है। अमेरिका में अलग-अलग राज्य अपनी चुनावी प्रक्रियाओं की देखरेख और प्रबंधन करते हैं।	**राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952**
नामांकन प्रक्रिया	उम्मीदवार प्राइमरीज़ और कॉक्सेस के माध्यम से पार्टी नामांकन सुरक्षित करते हैं।	राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र, प्रस्तावक के रूप में **कम-से-कम 50 निर्वाचकों और अनुमोदकों के रूप में कम-से-कम 50 निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।**
चुनाव पद्धति	अधिकतर राज्य **विनर-टेक-ऑल दृष्टिकोण** का पालन करते हैं। इसके तहत यदि किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार (की पार्टी) को किसी राज्य में बहुमत मिलता है, तो उस उम्मीदवार को उस राज्य को आवंटित सभी इलेक्टोरल वोट प्राप्त हो जाते हैं। • **उदाहरण:** कैलिफोर्निया राज्य को इलेक्टोरल कॉलेज के 54 इलेक्टर्स आवंटित हैं। यदि उस राज्य में किसी राष्ट्रपति के उम्मीदवार को सबसे अधिक लोगों का वोट प्राप्त होता है तो उसे सभी 54 इलेक्टर्स मिल जाते हैं। • हालांकि, **मेन और नेब्रास्का** राज्यों में यह प्रणाली थोड़ी अलग है। वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। ○ उम्मीदवार पॉपुलर वोट (सर्वाधिक मत) में जीत के बिना भी राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है। ○ उदाहरण के लिए- **2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत।**	• **एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा** चुनाव संपन्न होता है। राष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है। ○ जीतने के लिए उम्मीदवार को **कुल डाले गए वोटों का 50% + 1 हासिल** करना होता है।
मतगणना प्रक्रिया	मतदान प्रक्रिया पूरी होने में बहुत अधिक समय लगता है। कागजी मतपत्र (पेपर बैलेट) को और घर से मेल-इन वोट (भारतीय डाक मतपत्रों की तरह) गिनने में काफी समय लगता है।	मतपत्रों की गणना में अधिक समय नहीं लगता है।
चुनाव कब आयोजित होता है	प्रत्येक 4 वर्ष में एक निश्चित समय पर।	हर 5 साल में (या असाधारण मामलों में पहले)।
रनिंग मेट	राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक संभावित साथी (उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार) चुनता है।	भारत के उपराष्ट्रपति के लिए **अलग से चुनाव** होता है।

1.5. भारत में नगर निगम (Municipal Corporations In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **"नगर निगमों में राजस्व सृजन के अपने स्रोत: अवसर और चुनौतियां[1] "** रिपोर्ट जारी की।

भारत में नगरपालिका संस्थाएं

- भारत के शहरों में **40 करोड़ से अधिक** लोग रहते हैं और यह संख्या **2050 तक 80 करोड़** से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, शहर देश के **केवल 3% भू-क्षेत्र को कवर करते हैं, फिर भी वे देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60%** से अधिक का योगदान करते हैं।
- **74वें संविधान संशोधन** ने भारत में स्थानीय शासन को औपचारिक रूप दिया है तथा स्थानीय सरकारों को **संवैधानिक दर्जा** प्रदान किया है।
- **स्थानीय सरकारों के कार्य:** 74वें संशोधन के जरिए **संविधान की 12वीं अनुसूची में उन 18 विषयों** को शामिल किया गया है, जिन्हें राज्य सरकारें नगरपालिकाओं को सौंप सकती हैं। इनमें **शहरी योजना निर्माण, भूमि उपयोग विनियमन, निर्माण** आदि विषय शामिल हैं।
- **राजस्व एवं राजकोषीय शक्तियां:**
    - **अनुच्छेद 243X:** इसके तहत राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)**[2] को कर, शुल्क व फीस लगाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। साथ ही, राज्य सरकार कुछ राजस्व स्रोतों को ULBs को सौंप सकती है।

[1] Own Sources of Revenue Generation in Municipal Corporations: Opportunities and Challenges

- अनुच्छेद 243Y: यह **राज्य वित्त आयोगों (SFCs) को कर और अनुदानों के वितरण की समीक्षा** करने व सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपता है।

शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत

स्वयं के स्रोत	• **कर राजस्व:** संपत्ति कर, जल उपयोग कर, आदि। • **गैर-कर राजस्व:** उपयोगकर्ता शुल्क, विकास शुल्क आदि। • **अन्य प्राप्तियां:** पट्टा (Lease) देने से प्राप्त किराया, अपशिष्ट की बिक्री, आदि।
सौंपे गए (साझा) राजस्व	• मनोरंजन कर, व्यावसायिक कर आदि। वैसे **मनोरंजन कर** GST में शामिल कर लिया गया है, लेकिन स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित मनोरंजन कर को GST से बाहर रखा गया है।
अनुदान सहायता	• केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर हस्तांतरण; स्वच्छ भारत मिशन व अमृत जैसे कार्यक्रमों के तहत अनुदान; आदि।
उधारी	• संबंधित राज्य केंद्र सरकार, बैंक आदि से ऋण ले सकते हैं।

RBI की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **कम राजस्व संग्रह:** 2023-24 में देश के **नगरपालिकाओं का कुल राजस्व संग्रह** देश के **सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.6%** था। इसकी तुलना में **केंद्र सरकार का राजस्व संग्रह 9.2%** और **राज्य सरकारों का 14.6%** था। इससे शहरी विकास के लिए फंड की कमी हो रही है।
  - नगर निगमों की आय में **कर राजस्व का हिस्सा 30%** है। इसके बाद **अनुदान, अंशदान और सब्सिडी (24.9%), तथा शुल्क एवं उपयोगकर्ता शुल्क (20.2%)** का स्थान आता है।
  - इसके अलावा, CAG की एक रिपोर्ट के अनुसार, **18 राज्यों में नगर निगम अपनी संपत्ति कर मांग का केवल 56% ही वसूल** पाते हैं।
- **केंद्र और संबंधित राज्य से वित्त-पोषण पर अधिक निर्भरता:** नगरपालिकाएं केंद्र व संबंधित राज्य से देरी प्राप्त होने वाले एवं अपर्याप्त फंड पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। 2022-23 में केंद्र एवं राज्य सरकारों से उन्हें मिलने वाले **अनुदान में क्रमशः 24.9% तथा 20.4% की वृद्धि** दर्ज की गई थी।
- **नगरपालिका के उधार में वृद्धि:** यह 2019-20 के 2,886 करोड़ रुपये से बढ़कर **2023-24 में 13,364 करोड़** हो गई है। यह कुल प्राप्तियों की **1.9% से बढ़कर 5.2%** हो गई है।
- **नगरपालिका बॉण्ड:** यह बॉन्ड बाजार अभी **अविकसित** है। इनका **कुल मूल्य 4,204 करोड़ रुपये है। यह मूल्य कॉर्पोरेट बॉण्ड का 0.09% है। अधिकांश नगरपालिका बॉण्ड धारक निजी निवेशक और संस्थाएं हैं।** इससे निवेशकों की भागीदारी सीमित हो जाती है।
  - इसके अतिरिक्त, **ग्रीन बॉण्ड बाजार** अभी भी प्रारंभिक चरण में है। साथ ही, ग्रीन बॉण्ड जारी करने की प्रक्रिया में ग्रीन ऑडिट और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी के लिए अतिरिक्त लागत शामिल है।

भारत में नगर निगमों के समक्ष अन्य मुद्दे

- **वित्तीय चुनौतियां:**
  - **SFCs की सिफारिशों का तदर्थ कार्यान्वयन:** राज्य अक्सर राज्य वित्त आयोगों (SFCs) की सिफारिशों को देरी से या अपर्याप्त रूप से कार्यान्वित करते हैं।
    - **उदाहरण के लिए:** तेलंगाना में SFC 2015 में गठित हुआ था, लेकिन इसके अध्यक्ष व सदस्यों का चयन 2018 में किया गया था।
  - **भारतीय शहरों में कम अवशोषण क्षमता:** CAG की रिपोर्ट के अनुसार, 18 राज्यों में से 11 राज्यों के शहरी स्थानीय स्वशासन (ULSG) ने **उन्हें आवंटित किए गए फंड का केवल 61% ही उपयोग** किया है।
- **गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां:**
  - **शक्तियों का सीमित हस्तांतरण:** 74वें संविधान संशोधन के बावजूद, कई राज्यों ने शहरी स्थानीय निकायों को (विशेष रूप से शहरी योजना निर्माण और भूमि उपयोग विनियमन में) **पूर्ण रूप से शक्तियां हस्तांतरित नहीं की हैं।**

---

[2] Urban Local Bodies

- **राज्य चुनाव आयोग:** राज्य चुनाव आयोगों को पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं किया गया है, जिससे नगरपालिका चुनाव प्रत्येक पांच वर्षों पर समय पर आयोजित नहीं हो पाते हैं।
    - **उदाहरण के लिए-** बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) हेतु 2020 से अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। इस तरह की घटनाओं से स्थानीय शासन बाधित होता है।
- **मानव संसाधन:** नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ी संख्या में रिक्त पद मौजूद हैं (30-40%) और कर्मचारियों में समुचित प्रशिक्षण का अभाव है। ये चीजें नगर निगमों की सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को सीमित करती है।
    - **उदाहरण के लिए-** CAG रिपोर्ट के अनुसार, 18 राज्यों में 37% पद रिक्त हैं।
- **शहरी योजना निर्माण और सेवा वितरण:** CAG रिपोर्ट के अनुसार, नगरपालिकाओं के व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (29%) शहरी विकास पर खर्च नहीं किया जाता है। इससे अवसंरचनाओं में निवेश सीमित हो जाता है।

आगे की राह

- **स्वयं के स्रोतों से राजस्व बढ़ाना:**
    - **संपत्ति कर:** कर संग्रह के अनुपालन में सुधार और लीकेज को कम करने के लिए मूल्यांकन-आधारित संपत्ति कर फ़ार्मुलों, **जैसे GIS मैपिंग और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म** को अपनाना चाहिए।
    - **गैर-कर राजस्व: जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन** के लिए उपयोगकर्ता शुल्क समायोजित करना चाहिए, ताकि लागत की वसूली सुनिश्चित हो सके। शुल्क संग्रहण में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक अभियानों का उपयोग करना चाहिए।
- **समय पर हस्तांतरण:**
    - मुद्रास्फीति और शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट फार्मूले के आधार पर राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष व पूर्वानुमानित वित्त का हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए।
    - **राज्य वित्त आयोग (SFC)** को नियमित रूप से गठित करना चाहिए, ताकि समय पर वित्त हस्तांतरण की सिफारिश और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- **वित्त-पोषण का विविधीकरण:**
    - पूंजीगत निवेश के लिए नगरपालिका बॉण्ड और वित्त-पोषण के नवीन स्रोतों की संभावना तलाशनी चाहिए। वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए **बड़े पैमाने पर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु संसाधनों का संयुक्त रूप से उपयोग** करना चाहिए।
        - हरित अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए **सतत शहरी योजना निर्माण** के लिए जलवायु वित्त तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन:**
    - मानकीकृत लेखांकन प्रथाओं के लिए **राष्ट्रीय नगर पालिका लेखांकन मैनुअल (NMAM, 2004) लागू** करना चाहिए।
    - राज्य सरकारों को **अनुपालन को अनिवार्य** बनाना चाहिए, **प्रशिक्षण को समर्थन** देना चाहिए, तथा **अंतर-सरकारी हस्तांतरण को लेखांकन मानकों से जोड़ना** चाहिए।
- **मानव संसाधन:** राज्यों को नगरीय प्रशासन विभाग की रिक्तियों और प्रशिक्षण संस्थानों की कमी जैसे मुद्दों का समाधान करना चाहिए।
    - **उदाहरण के लिए-** मध्य प्रदेश ने स्टाफिंग और कौशल विकास में सुधार के लिए एक नगरपालिका कैडर बनाया है।

1.6. गैर-सरकारी संगठन {Non-Governmental Organizations (NGOs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम**[3], **2010** के तहत पंजीकृत सभी **गैर-सरकारी संगठनों (NGOs)** को अपने **प्रमुख पदाधिकारियों और सदस्यों में किसी भी बदलाव की सूचना देने का निर्देश** दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- गृह मंत्रालय का यह आदेश उन NGOs भी पर भी लागू होगा, **जिनका पिछला FCRA लाइसेंस का आवेदन अभी भी लंबित प्रक्रिया** में है।
    - इस स्थिति में NGOs एक नया आवेदन कर सकते हैं, जो स्वचालित रूप से पिछले FCRA लाइसेंस आवेदन का स्थान ले लेगा।
- उल्लेखनीय है कि FCRA के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, सरकार ने पिछले वर्षों में **कई NGOs के पंजीकरण रद्द** किए हैं। इससे NGOs की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये जाने लगे हैं।

NGOs क्या हैं और भारत में इन्हें किस प्रकार विनियमित किया जाता है?

- NGOs एक प्रकार के **गैर-लाभकारी संगठन, समूह या संस्था** होते हैं। ये सरकार से अलग **स्वतंत्र रूप से संचालित** होते हैं। इनके उद्देश्य **मानवीय या विकासात्मक** होते हैं।
- **भारत में NGOs का गठन निम्नलिखित अधिनियमों के तहत किया जाता है:**
    - **सोसाइटी:** ये **सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860** के तहत पंजीकृत होते हैं।
    - **ट्रस्ट:**
        - **निजी ट्रस्ट** केंद्र सरकार के **भारतीय न्यास अधिनियम, 1882** के तहत पंजीकृत होते हैं।
        - **सार्वजनिक ट्रस्ट** संबंधित राज्य के न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं।
    - **चैरिटेबल कंपनियां:** ये **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** के तहत **गैर-लाभकारी कंपनियों के रूप में पंजीकृत** होती हैं।
- विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले **सभी गैर-सरकारी संगठनों** को **FCRA, 2010** के तहत गृह मंत्रालय से **FCRA पंजीकरण लाइसेंस लेना अनिवार्य है।**

गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

सातवीं अनुसूची	**ट्रस्ट और चैरिटी/ धर्मार्थ संस्थान 'समवर्ती सूची'** के अंतर्गत आते हैं यानी इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति **संसद** और **राज्य विधान-मंडल**, दोनों के पास है।
अनुच्छेद 19(1)(c)	इस अनुच्छेद में **एसोसिएशन यानी संगम या संघ बनाने के अधिकार** की गारंटी दी गई है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) के तहत गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) का विनियमन

- यह कानून **NGOs** सहित **व्यक्तियों, संघों या कंपनियों** को प्राप्त होने वाले **विदेशी अंशदान या धन को विनियमित** करता है।
- यह अधिनियम कुछ निर्दिष्ट कार्यों एवं गतिविधियों के लिए विदेशी अंशदान के **उपयोग को प्रतिबंधित** करता है, जैसे- **राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करना; राष्ट्रीय सुरक्षा व सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों एवं लोक हित को नुकसान पहुंचाना; किसी अपराध के लिए उकसाना; किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालना;** आदि।

---

[3] Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA)

- **विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020** के जरिए **2020** में FCRA अधिनियम, 2010 को संशोधित किया गया था। इसके तहत विदेशों से वित्त-पोषित NGOs द्वारा **धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए गए थे:**
    - विदेशी अंशदान को केवल **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), नई दिल्ली** की उस शाखा में प्राप्त किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। इसे **'FCRA अकाउंट'** के रूप में निर्दिष्ट खाते में ही प्राप्त किया जाना चाहिए।
    - किसी **अन्य व्यक्ति** को विदेशी अंशदान के हस्तांतरण पर पूर्ण **प्रतिबंध** लगाया गया है।
    - विदेशी अंशदान के माध्यम से संचालित होने वाले NGO के **प्रशासनिक खर्चों** के लिए किए जाने वाले व्यय को **50% से कम कर 20%** कर दिया है।
    - **केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:**
        - सरकार किसी व्यक्ति/ संगठन को **जांच** के बाद विदेशी धन का उपयोग करने से रोक सकती है तथा भविष्य में कोई विदेशी फंडिंग प्राप्त करने पर **प्रतिबंध** लगा सकती है।
        - NGOs के **पदाधिकारियों, निदेशकों और प्रमुख पदाधिकारियों** को अपनी पहचान के लिए **आधार नंबर** प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- **गवर्नेंस:**
    - **लोकतंत्र और गवर्नेंस को मजबूत करना:** उदाहरण के लिए- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है।
        - ADR की जनहित याचिका (PIL) के परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान अपने आपराधिक रिकार्ड, शैक्षिक योग्यता और वित्तीय संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया था।
    - **सरकारी प्रयासों का पूरक:** उदाहरण के लिए- **अक्षय पात्र फाउंडेशन** भारत में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए संचालित **पी.एम. पोषण पहल** का कार्यान्वयन कर रहा है।
- **सामाजिक उत्थान एवं सुधार:**
    - **मानवाधिकारों की रक्षा:** उदाहरण के लिए- नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित **'बचपन बचाओ आंदोलन'** बच्चों को शोषण से बचाने की दिशा में कार्य कर रहा है।
    - **महिला सशक्तीकरण:** उदाहरण के लिए- **सेल्फ एम्प्लाइड वुमन एसोसिएशन (SEWA/ सेवा)** अनौपचारिक क्षेत्रक में कार्यरत महिलाओं को **प्रशिक्षण, वित्तीय सेवाएं और कानूनी सहायता** प्रदान करता है।
    - **हाशिये पर मौजूद वर्गों का प्रतिनिधित्व:** उदाहरण के लिए- **नाज़ फाउंडेशन** HIV/ AIDS से पीड़ित व्यक्तियों (PLWHA)[4] और LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों के लिए काम करता है।
        - ज्ञातव्य है कि **नाज़ फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वाद** के निर्णय में ही शीर्ष न्यायालय ने भारत में **समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर** किया था।
    - **गरीबी उन्मूलन:** उदाहरण के लिए- **NGO-गूंज।**
- **मानव संसाधन विकास:**
    - **शिक्षा और क्षमता निर्माण:** उदाहरण के लिए- **NGO प्रथम** भारत में वंचित बच्चों हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम करता है।
    - **स्वास्थ्य में सुधार:** उदाहरण के लिए- **मेडेसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स (MSF)** भारत में तपेदिक (TB), HIV और अन्य संक्रामक रोगों आदि के लिए कार्यक्रम चलाता है।
- **अन्य:**
    - **अनुसंधान एवं विकास:** उदाहरण के लिए- **ऑक्सफैम।**
    - **विरासत का संरक्षण:** उदाहरण के लिए- **इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH)।**
    - **पर्यावरण का समर्थन:** उदाहरण के लिए- **वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI)।**

[4] People Living With HIV/AIDS

©Vision IAS

NGOs को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **वित्त-पोषण का प्रावधान:** केंद्र सरकार NGOs के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए **स्वाधार, उज्ज्वला** जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को धन प्रदान करती है।
- **संस्कृति मंत्रालय की योजनाएं:** अलग-अलग योजनाओं {जैसे- **सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान (CFPG)**[5]**, राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता, आदि}** का उद्देश्य कला एवं संस्कृति के प्रचार व संरक्षण के क्षेत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- **NGO दर्पण:** यह NGO दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत NGOs को एक विशिष्ट आई.डी. प्रदान करता है।

NGOs से संबंधित चुनौतियां/ मुद्दे

- **कार्यात्मक चुनौतियां:**
  - **संभावित दाता-संचालित एजेंडा स्थानीय संदर्भों के अनुरूप नहीं है:**
    - उदाहरण के लिए- भारत में **लिंग निर्धारण तकनीकों** को पेश करने में कुछ NGOs की कथित भूमिका सामने आई है।
  - **आर्थिक और सामरिक पहलों में संभावित हस्तक्षेप:** उदाहरण के लिए- कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कुछ अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के कारण गंभीर विरोध का सामना करना पड़ा है।
  - आतंकवाद, कट्टरपंथ आदि के संदर्भ में **विदेशी अंशदान के दुरुपयोग के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं** उत्पन्न हुई हैं।
- **विनियामक और कानूनी चुनौतियां:**
  - विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए **FCRA** के सख्त प्रावधान, खासकर छोटे NGOs की **संचालन क्षमता** को बाधित करते हैं।
  - **संभावित वित्तीय कुप्रबंधन:** कई NGOs **वित्तीय धोखाधड़ी, धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, और मनी लॉन्ड्रिंग** जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं।
- **परिचालन संबंधी मुद्दे:** दानदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता; ख़राब स्वयंसेवी सहभागिता; NGO आदि की तकनीकी सीमाएं इत्यादि।

सुधार के लिए सिफारिशें

- **विजय कुमार समिति (2017) की सिफारिशें:**
  - **विनियमन के संदर्भ में लचीला दृष्टिकोण:** इस समिति ने सिफारिश की है कि ऐसा फ्रेमवर्क विकसित किया जाना चाहिए, जो NGOs की परिचालन संबंधी स्वतंत्रता और उनकी निगरानी के बीच संतुलित स्थापित करने का प्रयास करे। इसे नौकरशाही को बाधाओं को कम करने वाला और सरकार के साथ सहयोगात्मक संबंध को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।
  - **आधुनिक पंजीकरण प्रक्रियाएं:** NGOs को **आयकर अधिनियम और FCRA** के तहत नियमों के पालन के लिए सरल एवं आधुनिक पंजीकरण प्रक्रियाओं की सुविधा दी जानी चाहिए।
  - **एक नोडल निकाय की स्थापना:** NGOs और सरकारी संस्थाओं के बीच **संचार एवं निगरानी** के लिए एक **केंद्रीय निकाय** गठित करने की आवश्यकता है।
  - NGOs के लिए एक **व्यापक मान्यता और लेखापरीक्षा ढांचा** विकसित किया जाना चाहिए।
  - **खोजने योग्य डेटाबेस:** सभी NGOs का एक **खोजने योग्य डेटाबेस** तैयार किया जाना चाहिए, जिससे **पारदर्शिता** में बढ़ोतरी होगी।
  - **स्वयंसेवा की संस्कृति को बढ़ावा देना:** यह कार्य **शैक्षणिक संस्थानों के साथ भागीदारी** के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशें:**
  - FCRA के कार्यान्वयन का **विकेंद्रीकरण** किया जाना चाहिए।
  - स्वैच्छिक क्षेत्रक के **संचालन** की सुरक्षा के लिए विधायी नियमों का **संतुलित और स्पष्ट** ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

---

[5] Cultural Function & Production Grant

1.7. गवर्नेंस और AI (Governance and AI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत का पहला **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा बैंक** शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं, स्टार्ट-अप्स और डेवलपर्स को **स्केलेबल AI समाधानों** के लिए **विविध और समृद्ध डेटासेट** उपलब्ध कराना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **सैटेलाइट, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** से प्राप्त डेटा का **रियल-टाइम विश्लेषण** प्रदान करेगा। इससे **राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित** होगी। यह डेटा बैंक **आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा के पूर्वानुमान हेतु डेटा विश्लेषण में AI का उपयोग** करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।
- इसके अतिरिक्त, भारत की राष्ट्रीय AI रणनीति **स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, स्मार्ट सिटी और अंतरिक्ष अन्वेषण** के क्षेत्र में AI को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी, एथिकल गवर्नेंस और वैश्विक दृष्टिकोण अपना रही है।
  - भारत ने पिछले कुछ वर्षों में **प्रौद्योगिकी-संचालित गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** में स्वयं को एक **वैश्विक लीडर** के रूप में स्थापित किया है।
    - डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देता है और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करता है। इससे देशों को राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने और **सतत विकास लक्ष्यों** को गति देने में मदद मिलती है।
- ये सभी समग्र रूप से गवर्नेंस प्रणाली और भारत में AI के साथ इसके जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं।

भारत में गवर्नेंस को नया रूप देने में AI की क्षमता

- **कुशल सेवा वितरण:** AI सार्वजनिक सेवाओं को स्वचालित कर सकता है, सरकारी कार्यभार को कम कर सकता है और सेवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, **जैसे-**
  - **शिक्षा:** AI पर्सनलाइज्ड लर्निंग को सक्षम करके, स्मार्ट सामग्री बनाकर तथा ग्रेडिंग और मूल्यांकन को स्वचालित करके भारत की शिक्षा प्रणाली को बदल सकता है।
    - **उदाहरण के लिए-** NCERT ने अपने NROER (नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज) रिपॉजिटरी में उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के साथ टैग करने के लिए 31 मेटाडेटा एलिमेंट्स का एक सेट सूचीबद्ध किया है।
  - **स्वास्थ्य देखभाल:** AI विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के माध्यम से सेवा वितरण और पहुंच में सुधार करके स्वास्थ्य सेवा में बदलाव ला रहा है।
    - **उदाहरण के लिए-** नीति आयोग ने जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के साथ मिलकर कैंसर प्रबंधन में AI के प्रभावी उपयोग के लिए कैंसर से संबंधित रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी इमेज का डेटाबेस बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - **कृषि:** AI मौसम, कीट प्रबंधन और संसाधन उपयोग के लिए पूर्वानुमानित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे किसानों को लाभ होता है।
    - **उदाहरण के लिए-** राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके फसल रोगों की पहचान में क्रांति ला रही है, जिससे किसानों को स्वस्थ फसलें उगाने में मदद मिल रही है।
- **समावेशिता और पहुंच:** AI-संचालित **DPI** ने विशेष रूप से भारत जैसे **बहुभाषी और विविधतापूर्ण देश** में समावेशिता एवं पहुंच में सुधार किया है।
  - **उदाहरण के लिए- भाषिणी प्लेटफॉर्म** क्षेत्रीय भाषाओं में सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए AI का उपयोग कर रहा है।
- **डेटा-संचालित नीति निर्माण:** AI साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण, पारदर्शिता और नीतिगत प्रभावशीलता में सुधार के लिए बड़े डेटासेट का विश्लेषण कर सकता है।
  - **उदाहरण के लिए- इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज** के तहत यातायात प्रबंधन और अपशिष्ट निपटान जैसी शहरी सेवाओं को अनुकूलित करने के लिए AI का उपयोग किया जाता है।
- **न्यायिक दक्षता:** AI केस प्रबंधन को स्वचालित करके, मामलों को प्राथमिकता देकर, परिणामों की भविष्यवाणी करके और कानूनी अनुसंधान को सुव्यवस्थित करके न्यायिक दक्षता में सुधार कर सकता है।

- ○ **उदाहरण के लिए-** कानूनी दस्तावेजों के अनुवाद के लिए **SUVAS (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर)** नामक एक AI-आधारित उपकरण का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कानूनी कार्यवाही में भाषा की बाधा कम हो रही है।
- **आपदा प्रबंधन: RAHAT/ राहत (रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस)** ऐप जैसे AI-संचालित सिस्टम प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करके और आपात स्थितियों के दौरान निकासी, खोज और बचाव कार्यों का समर्थन करके बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं।

भारत में AI को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय AI रणनीति (NSAI): नीति आयोग** ने स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रकों में AI का उपयोग करने के लिए **#AI फॉर ऑल रणनीति** की शुरुआत की है।
- **AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (इंडिया AI): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** ने AI के क्षेत्र में नवाचार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा AI संबंधी नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिए **इंडिया AI कार्यक्रम** की शुरुआत की है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम:** इस कानून का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए **डेटा सुरक्षा** सुनिश्चित करना और AI से जुड़ी **निजता संबंधी चिंताओं का समाधान** करना है।
- **AI पर वैश्विक भागीदारी (Global Partnership on AI: GPAI):** इसके तहत भारत AI रणनीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने के लिए विश्व स्तर पर सहयोग कर रहा है।
- **कौशल विकास: रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, फ्यूचर स्किल्स** जैसे कार्यक्रम खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में AI शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी: यूएस-इंडिया AI इनिशिएटिव** स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में AI के संभावित उपयोगों का पता लगाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

गवर्नेंस के लिए AI को शामिल करने में चुनौतियां

- **सरकारी विभागों में डेटा का बिखराव: उदाहरण के लिए-** राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (NDGFA) अभी तक लागू नहीं की गई है। ध्यातव्य है कि इस नीति का उद्देश्य डेटा-संचालित गवर्नेंस के लिए गैर-व्यक्तिगत और व्यक्तिगत पहचान से रहित डेटा प्रबंधन को मानकीकृत करना है।
- **अवसंरचना की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट, स्टोरेज सिस्टम और कंप्यूटिंग के साथ-साथ AI के लिए मजबूत क्लाउड अवसंरचना की कमी डिजिटल डिवाइड की समस्या उत्पन्न करती है।
  - ○ **उदाहरण के लिए-** IAMAI (इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के एक अध्ययन के अनुसार, 2023 तक **भारत की 45% आबादी** की अभी भी इंटरनेट तक पहुंच नहीं है।
- **विनियामक ढांचा:** यूरोपीय संघ (EU) के AI अधिनियम के विपरीत, भारत में AI-विशिष्ट कानूनों का अभाव है। यह कमी नैतिकता, डेटा गोपनीयता और जवाबदेही के बारे में चिंताएं उत्पन्न करती है।
- **कौशल की कमी:** NASSCOM की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1,40,000 AI पेशेवरों की कमी है। AI क्षेत्रक में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी भारत की AI क्षमता को बाधित करती है।
- **डेटा गोपनीयता:** AI के उपयोग के लिए संवेदनशील डेटा पर निर्भरता गोपनीयता के उल्लंघन का जोखिम बढ़ाती है, जैसे- डार्क वेब पर आधार (Aadhaar) डेटा लीक की घटना जिसकी वजह से 81.5 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता प्रभावित हुई थी।
- **कमजोर IP व्यवस्था: अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) सूचकांक, 2024** में भारत 42वें स्थान पर है। यह रैंक AI नवाचार के क्षेत्र में देश की कमजोर सुरक्षा और प्रोत्साहन को दर्शाता है।
- **नैतिक पूर्वाग्रह:** पक्षपातपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित AI सिस्टम भेदभावपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इससे निष्पक्षता और सटीकता के बारे में नैतिक चिंताएं बढ़ सकती हैं।

आगे की राह

- **जोखिम प्रबंधन और नैतिक निरीक्षण:** AI सिस्टम में पूर्वाग्रह की समाप्ति और जोखिम प्रबंधन के लिए मानवीय निरीक्षण के साथ AI का निरंतर बदलते स्वरूप में मूल्यांकन व निगरानी की जानी चाहिए।
- **डेटा संप्रभुता और गोपनीयता:** डेटा गोपनीयता और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ऐसा खासकर सीमा-पार डेटा के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

- **पूर्वाग्रह, निष्पक्षता और पारदर्शिता:** AI सिस्टम को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, हमें लेखा परीक्षण, फेयरनेस मेट्रिक्स, विविध डेटासेट और मॉडल कार्ड के माध्यम से उनकी जांच करनी चाहिए।
- **शिक्षा और कौशल विकास:** वंचित क्षेत्रों में AI शिक्षा प्रदान करने के लिए INDIAai फ्यूचरस्किल्स जैसी पहलों का विस्तार करना चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग:** INDIAai कंप्यूट कैपेसिटी का लक्ष्य AI स्टार्ट-अप्स और अनुसंधान में सहायता प्रदान करने के लिए 10,000+ GPU के साथ एक स्केलेबल AI इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
- **साइबर सुरक्षा और निगरानी:** रियल टाइम में खतरे का पता लगाने के लिए AI का उपयोग करना चाहिए और AI नीतियों को लगातार परिष्कृत करना चाहिए।

नोट: *ग्लोबल AI गवर्नेंस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, सितंबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 1.2. देखें।*

सहभागी AI विकास और गवर्नेंस

- **आई.आई.टी.-मद्रास ने "AI विकास और गवर्नेंस में सहभागी दृष्टिकोण"** शीर्षक से शोध-पत्र जारी किया।

सहभागी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (PAI) के बारे में

- यह वास्तव में AI सिस्टम के निर्माण में **केवल प्रौद्योगिकी डेवलपर्स की तुलना में अधिक हितधारकों की भागीदारी** है।
    - सहभागी AI के **मूल सिद्धांत सहभागी गवर्नेंस** से प्राप्त होते हैं।
- **जरूरत क्यों है:** AI के क्षेत्र में **निरंतर प्रगति** हो रही है तथा **सरकारी और निजी क्षेत्रकों द्वारा AI के उपयोग में बढ़ोतरी** भी हो रही है। उदाहरण के लिए- सरकारी एजेंसियों द्वारा **फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को अपनाना,** आदि।
- **सहभागी AI के लाभ:**
    - **AI उपयोग में एकतरफा और टॉप-डाउन निर्णय से बचाव:** यह निर्णय को लागू करने में किसी संभावित विवादास्पद मुद्दे को दूर कर देता है।
    - **समावेशन और निष्पक्षता को बढ़ावा:** जिन समुदायों के लिए AI प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है उनके संबंध में **पूर्वाग्रह, भेदभावपूर्ण आउटपुट जैसे जोखिमों को कम** करता है।
    - **फीडबैक लूप में मददगार:** यह तकनीकी गड़बड़ियों को पहचानने और AI उपयोग के बाद इसके प्रभाव के आकलन में सहायक सिद्ध होता है।
    - **AI सिस्टम की विश्वसनीयता को बढ़ाना:** यह फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आउटपुट को कम करता है। इससे **AI प्रणालियों को अधिक विश्वास के साथ अपनाया** जा सकता है।
        - जब कोई AI मॉडल किसी बात को सत्य मानता है (जबकि वास्तव में वह असत्य होती है) तो इसे **फॉल्स पॉजिटिव** कहा जाता है। वहीं जब कोई AI मॉडल किसी बात को असत्य बताता है (जबकि वह वास्तव में सत्य होती है) तो इसे **फॉल्स नेगेटिव** कहा जाता है।
- **सहभागी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (PAI) से जुड़ी चुनौतियां:**
    - **को-ऑप्टेशन:** अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ प्रमुख हितधारकों का इस सिस्टम पर वर्चस्व हो सकता है।
    - **विशेष योग्यता नहीं रखने वालों की सीमित भागीदारी:** मौजूदा AI गवर्नेंस मॉडल में मुख्य रूप से उद्योग प्रतिनिधियों, नौकरशाहों, चुनिंदा सिविल सोसाइटी जैसे विशेषज्ञों की भागीदारी देखी जाती है।
    - **दिखावे के लिए या सांकेतिक सहभागिता:** केवल नियमों या कानूनों के पालन के लिए **AI मॉडल में अधिक हितधारकों की भागीदारी** दिखाई जा सकती है।
    - **पारदर्शिता से जुड़े विरोधाभास:** बुरी नीयत वाले भागीदार **एल्गोरिदम के बारे में साझा की गई जानकारी का दुरुपयोग** कर सकते हैं।

1.8. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (Digitization of Land Records)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि **2016 से ग्रामीण भारत में लगभग 95% भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण** किया जा चुका है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह उपलब्धि **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)**[6] के कारण प्राप्त की जा सकी है।
- इसके अतिरिक्त, **राष्ट्रीय स्तर पर कैडस्ट्रल (भू-संपत्ति) मानचित्रों का डिजिटलीकरण 68.02%** के स्तर तक पहुंच गया है।
- साथ ही, **87% उप-पंजीयक कार्यालयों** (SROs)[7] को भूमि अभिलेखों के साथ एकीकृत किया गया है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के बारे में

- **कार्यक्रम की शुरुआत: 2016** में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को नया रूप देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
- **संबंधित मंत्रालय:** यह **ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग** के तहत **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
    - इस योजना की कार्यावधि **2021-22 से बढ़ाकर 2025-26** तक कर दी गई है। इसमें **दो नए घटक शामिल** किए गए हैं।
        - देश के सभी **राजस्व न्यायालयों** का कम्प्यूटरीकरण करना और भूमि अभिलेखों के साथ उनका **एकीकरण** करना।
        - सहमति के आधार पर **आधार संख्या को अधिकार अभिलेखों (RoRs) से जोड़ना।**
- **उद्देश्य:** मैनुअल रूप से आनुमानित (Presumptive) भू-स्वामित्व प्रणाली को डिजिटल रूप से निर्णायक भू-स्वामित्व प्रणाली से बदलना।

---

[6] Digital India Land Records Modernization Programme

[7] Sub-Registrar Offices

©Vision IAS

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- **सामाजिक-आर्थिक प्रासंगिकता:** भूमि की प्राप्ति और उसका अभिलेखित स्वामित्व अधिकांश कमजोर वर्गों (गरीबों, सीमांत किसानों, जनजातियों आदि) की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।
- **भूमि स्वामित्व विवाद:** निर्णायक स्वामित्व की कमी, जालसाजी के माध्यम से अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण और बेनामी संपत्ति आदि, भू-स्वामित्व संबंधी विवादों में वृद्धि का कारण बने हैं।
    - भारत में **60% से अधिक मुकदमे भूमि से संबंधित** हैं।
    - निर्णायक भू-स्वामित्व प्रणाली में, भूमि अभिलेख **वास्तविक स्वामित्व का निर्धारण** करते हैं। स्वामित्व सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
- **अकुशल प्रशासनिक प्रक्रियाएं:** भूमि अभिलेखों को अपडेट करने और सुधारने की प्रणाली बहुत **जटिल, विस्तृत और धीमी**है। इसमें भ्रष्टाचार, भूमि को हड़पना आदि शामिल हो सकता है।
- **अप्रचलित मानचित्रण:** अपडेटेड अभिलेखों की कमी के कारण मौजूदा अभिलेख, कब्जे और स्वामित्व से संबंधित वर्तमान जमीनी हकीकत के अनुरूप नहीं हैं।
- **लक्षित सार्वजनिक सेवा वितरण:** प्रभावी भू-स्वामित्व की कमी के कारण भू-स्वामित्व से जुड़ी ग्रामीण विकास योजनाओं में अपात्रता या योग्य भूमि-धारकों के बाहर होने संबंधी त्रुटियां सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को हासिल करने में बाधा डालती हैं।
    - उदाहरण के लिए- **पीएम-किसान योजना** के माध्यम से सरकार सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है।
- **राजस्व प्रशासन को मजबूत करना:** संपत्ति कर और भूमि-आधारित कर **स्थानीय निकायों** के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है।
- **बुनियादी अवसंरचना का विकास:** भूमि विवाद और अस्पष्ट स्वामित्व के कारण अवसंरचना विकास में बाधाएं आती हैं, लागत बढ़ती है और दक्षता कम होती है। इसके परिणामस्वरूप भूमि लेन-देन में काला बाजारी फलती-फूलती है।

भूमि के डिजिटलीकरण में मौजूद चुनौतियां

- **अनुमानित भू-स्वामित्व (Presumptive land titling): संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882** के आधार पर भूमि के हस्तांतरण के लिए **भूमि के स्वामित्व** की बजाय **बिक्री विलेखों (sales deeds) के पंजीकरण** की आवश्यकता होती है।
    - इस प्रकार, **संपत्ति का वास्तविक लेन-देन** भी हमेशा **स्वामित्व की गारंटी** नहीं देता, क्योंकि इस तरह के लेन-देन को **चुनौती** दी जा सकती है।
- **केंद्र-राज्य समन्वय:** भूमि **राज्य सूची** का विषय है। इस प्रकार, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण **राज्य सरकारों की इच्छा और केंद्र-राज्य सहयोग** पर निर्भर करता है।
    - भूमि संबंधी कानूनों, नीतियों और प्रणालियों के संदर्भ में **राज्यों के बीच समन्वय एवं मानकीकरण की कमी** भी डिजिटलीकरण में बाधा डालती है।
- **विभागों का अलग-अलग दृष्टिकोण:** भू-स्वामित्व **अलग-अलग विभागों** द्वारा बनाए गए कई दस्तावेजों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। इससे कारण भू-स्वामित्व संबंधी रिकॉर्डों तक पहुंच बोझिल हो जाती है।
    - **उदाहरण के लिए-** बिक्री विलेख पंजीकरण विभाग में संग्रहित किए जाते हैं, नक्शे सर्वेक्षण विभाग में संग्रहित किए जाते हैं, और संपत्ति कर रसीदें राजस्व विभाग के पास होती हैं।
- **पंजीकरण से संबंधित कानूनी प्रावधान:** सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण, एक साल से कम समय के लिए दी जाने वाली संपत्ति का पट्टा, और **1908 के पंजीकरण अधिनियम** के तहत होने वाला उत्तराधिकार विभाजन, इन सभी के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं है। इससे **मुकदमेबाजी में वृद्धि** हुई है।
- **पंजीकरण की उच्च लागत: उच्च स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क** संपत्ति लेन-देन के औपचारिक पंजीकरण को हतोत्साहित करते हैं। इससे भूमि रिकॉर्ड की जमीनी हकीकत के मामले में विसंगतियां उत्पन्न होती हैं।
- **अन्य:** विरासत डेटा से जुड़ी समस्याएं, परिवर्तन के लिए हितधारकों का प्रतिरोध, कुछ क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी, प्रक्रियात्मक जटिलताएं, तकनीकी बाधाएं आदि।

आगे की राह

- **निर्णायक भू-स्वामित्व (Conclusive land titling):** निर्णायक भू-स्वामित्व और स्वामित्व की राज्य द्वारा गारंटी प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए। यह भूमि रिकॉर्ड की पारदर्शिता और सटीकता में सुधार करने में सहायता करेगा।
    - नीति आयोग द्वारा तैयार **मॉडल निर्णायक भू-स्वामित्व अधिनियम (2020)** इस संबंध में राज्यों को भू-स्वामित्व के संबंध में उचित कानून बनाने में सहायता कर सकता है।

- **कानूनी सुधार:** संपत्ति के पंजीकरण से संबंधित कानूनों में बदलाव लाने चाहिए, जैसे- **संपत्ति के स्वामित्व का पंजीकरण**, मौजूदा अभिलेखों को समय पर अपडेट करना आदि।
- **तकनीकी एकीकरण:** कैडस्ट्रल (भू-संपत्ति) मानचित्रों, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) आदि के भू-संदर्भ के लिए GIS प्रौद्योगिकी की दक्षता में सुधार करना चाहिए।
- **प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन:** योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण और लोगों की **डिजिटल साक्षरता एवं जागरूकता में वृद्धि** करना आवश्यक है।

भारत में भूमि सुधार

अलग-अलग **पंचवर्षीय योजनाओं** के साथ-साथ **जे.सी. कुमारप्पा समिति (1949)** द्वारा भी भूमि सुधारों पर जोर दिया गया था।

भूमि सुधारों में मुख्य रूप से पांच घटक शामिल हैं:

- **मध्यस्थ काश्तकारों (जमींदारी) का उन्मूलन: 1950 से 1970 के दशक** के दौरान अलग-अलग राज्यों में **जमींदारी उन्मूलन अधिनियम** लागू किए गए थे। इसने **बड़े जमींदारों-काश्तकारों के बीच संबंधों को समाप्त** कर दिया था।
    - इन सुधारों के तहत, **'जमीन जोतने वाले की'** के विचार के आधार पर **भूमि का पुनर्वितरण** किया गया था।
- **काश्तकारी सुधार:** जमींदारों द्वारा काश्तकारों को अवैध रूप से व जबरन बेदखल करने से रोकने और **उचित लगान दरों** को सुनिश्चित करने के लिए **काश्तकारी सुधार कानून** बनाए गए थे। हालांकि, कई कानूनी खामियों की मौजूदगी के कारण, काश्तकारों का शोषण जारी रहा।
    - उदाहरण के लिए- **"स्थायी काश्तकारी" प्रणाली,** एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें एक किसान लंबे समय तक भूमि पर खेती कर सकता था, लेकिन उस भूमि का मालिक नहीं बन सकता था।
- **भूमि जोत की सीमा तय करना और अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण:** 1970 के दशक में लागू किए गए **लैंड सीलिंग अधिनियमों** का उद्देश्य किसी **व्यक्ति या परिवार** की भूमि जोत की सीमा तय करना और **अधिशेष भूमि को भूमिहीनों में पुनर्वितरित करना** था। इसको लागू करने का उद्देश्य अधिक कुशल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना था।
    - हालांकि कानूनी खामियों, अभिजात भू-स्वामी वर्ग के प्रतिरोध, भ्रष्टाचार और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण इसे सीमित सफलता मिली।
- **जोतों का समेकन:** इसका उद्देश्य मशीनीकरण और अधिक कुशल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर उन्हें बड़े खेत में तब्दील करना था।
    - हालांकि, अपनी जमीन छोड़ने के लिए अनिच्छुक लघु किसानों के विरोध के कारण इस पहल को सीमित सफलता मिली।
- **भूमि अभिलेखों का संकलन और उन्हें अपडेट करना।**

डिजिटल समावेशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #113: भारत में डिजिटल समावेशनः एक कनेक्टेड और सशक्त राष्ट्र का निर्माण

1.9. दिव्यांग व्यक्ति (Persons With Disability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह **दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016** के तहत दिव्यांगजनों की सार्वजनिक स्थलों और सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य नियम बनाए।

निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **पृष्ठभूमि:** यह निर्णय **NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ** के **सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज** द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला **दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल** को भी लागू करने का प्रयास करता है।
    - ज्ञातव्य है कि **दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के तहत दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी में रुकावट पैदा करने वाली सामाजिक बाधाओं को समाप्त करके** उनके समावेशन और समानता के लिए **सामाजिक परिवर्तन** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- **कानूनी ढांचे में असंगति:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में **अनिवार्य नियमों का पालन आवश्यक** है, जबकि 2017 के RPwD नियमों में केवल स्व-विनियमित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। ऐसा पाया गया है कि RPwD नियम, 2017 का **नियम 15(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनिवार्य अनुपालन की भावना के अनुरूप नहीं है।** अधिनियम के मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक एकीकृत और लागू करने योग्य सुगम्यता ढांचे यानी एक्सेसिबिलिटी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है।
    - उल्लेखनीय है कि **नियम 15 संस्थानों में एक्सेसिबिलिटी** सुनिश्चित करने से संबंधित है।
- **अनिवार्य एक्सेसिबिलिटी मानक:** RPwD, 2016 की **धारा 40** के तहत, **तीन महीनों के भीतर अनिवार्य एक्सेसिबिलिटी मानकों को तैयार** करना अनिवार्य किया गया था।
- **एक्सेसिबिलिटी का सिद्धांत:** इस सिद्धांत के तहत इमारतों को सभी प्रकार की दिव्यांगताओं वाले लोगों के लिए सुलभ बनाया जाता है, जिसमें सार्वभौमिक डिजाइन, सहायक तकनीकों का उपयोग और हितधारकों के साथ लगातार परामर्श शामिल होता है।

डेटा बैंक

भारत में दिव्यांगजनों की स्थिति (जनगणना 2011)

- कुल जनसंख्या का **2.21%** दिव्यांगजन हैं।
- **56% दिव्यांगजन** पुरुष हैं, जबकि **44% महिलाएं** हैं।
- **लगभग 69% दिव्यांगजन आबादी** ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
- **कुल दिव्यांगजनों में से 21% बुजुर्ग** (60+ वर्ष) हैं।

- **द्वि-आयामी दृष्टिकोण:** मौजूदा संस्थानों/ गतिविधियों के संबंध में एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करना तथा नए बुनियादी ढांचे एवं भविष्य की परियोजनाओं में उचित बदलाव करना।

दिव्यांगजनों के हितों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान

प्रस्तावना

- प्रस्तावना भारत के **समस्त नागरिकों** को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

मूल अधिकार

- **अनुच्छेद 14** सार्वजनिक स्थलों, सेवाओं और सूचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 19** निर्बाध आवाजाही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 21** गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

- **अनुच्छेद 41:** बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और दिव्यांगता आदि की स्थिति में सार्वजनिक सहायता के कारगर उपाय करता है।

पंचायतों और नगरपालिकाओं की जिम्मेदारियां

- **ग्यारहवीं अनुसूची:** दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण (अनुच्छेद 243-G की प्रविष्टि 26)।
- **बारहवीं अनुसूची:** दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर लोगों सहित कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना (अनुच्छेद 243-W की प्रविष्टि 9)।

दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामने की जाने वाली चुनौतियां

- **मनोवृत्ति संबंधी बाधाएं:** इसमें **रूढ़िवादिता, हीन भावना, पूर्वाग्रह, भेदभाव का दृष्टिकोण** आदि शामिल हैं। इस प्रकार के दृष्टिकोण उनके सामाजिक एकीकरण को सीमित कर देते हैं और उनमें अलगाव की भावना पैदा करते हैं।
- **सामाजिक बाधाएं:** उदाहरण के लिए- दिव्यांग व्यक्तियों में **रोजगार, शिक्षा या पर्याप्त आय** अर्जित करने की संभावना बहुत कम होती है। इसके कारण वे अपने अधिकारों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।
- **परिवहन संबंधी बाधाएं: वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी** के अनुसार, एक्सेसिबल संरचनाओं का अभाव, असुविधाजनक परिवहन प्रणालियां और संचार माध्यमों की कमी दिव्यांग व्यक्तियों के समक्ष समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में गंभीर बाधा उत्पन्न करती हैं।
- **भौतिक बाधाएं:** ये मुख्य रूप से इनडोर और आउटडोर सुविधाओं के डिजाइन एवं निर्माण से संबंधित संरचनात्मक बाधाएं हैं। इनसे आवाजाही बाधित होती है।
- **संचार संबंधी बाधाएं:** यह उन लोगों द्वारा अनुभव की जाती है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने आदि से संबंधित दिव्यांगता से पीड़ित हैं।
- **नीति और कार्यक्रम संबंधी बाधाएं:** उदाहरण के लिए- **असुविधाजनक शेड्यूलिंग, सुलभ उपकरणों की कमी** आदि लोक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के प्रभावी वितरण को सीमित करती हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए शुरू की गई पहलें

- **दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016:** इसे **दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय** को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है। **इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:**
    - 'दिव्यांग व्यक्ति' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो **दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता** से पीड़ित है। साथ ही, समाज में दूसरों के साथ समान रूप से पूर्ण और प्रभावी भागीदारी करने में उसके समक्ष बाधा उत्पन्न करती है।
        - अधिनियम में **"बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति"** को भी परिभाषित किया गया है। इसमें निर्दिष्ट दिव्यांगता **40% या उससे अधिक तय** की गई है।
    - **दिव्यांगता की मान्यता:** यह दिव्यांगता की **21 श्रेणियों** को मान्यता देता है।
    - रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित जीवन के सभी पहलुओं में **दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित** करता है।
- **वैधानिक निकायों की स्थापना:**
    - **भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India: RCI):** इसका गठन **RCI अधिनियम, 1992** के तहत किया गया है। यह पेशेवरों के प्रशिक्षण को विनियमित करती है और अनुसंधान को बढ़ावा देती है।
    - **ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास:** यह दिव्यांगजनों को सम्मान, समान अधिकारों और अवसरों के साथ स्वतंत्र रूप से गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए पूर्ण भागीदारी करने का अवसर प्रदान करता है।
- **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की स्थापना:**
    - **राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम:** यह ऋण देकर कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार उपक्रमों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।
    - **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India: ALIMCO):** यह निगम एक **मिनी रत्न** कंपनी है। इसका गठन **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** के तहत किया गया है। यह कृत्रिम सहायक उपकरण और सामग्री का निर्माण करती है।
- **सुगम्य भारत अभियान:** इसका उद्देश्य सभी के लिए एक समावेशी और सुलभ वातावरण बनाना है। यह अभियान जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है।
    - यह एक **सुगम्य भौतिक परिवेश, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार इकोसिस्टम** विकसित करने पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति, 2006:** इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें समाज में समावेशित करने के लिए विशिष्ट उपायों एवं रणनीतियों की रूपरेखा दी गई है।

दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उठाए जाने वाले कदम

- **मुख्यधारा की सभी नीतियों, प्रणालियों और सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाना:** सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर सेवा और गतिविधि में दिव्यांगजनों की उपस्थिति व भागीदारी सामान्य जनता के समान हो।
- **दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों और सेवाओं में निवेश करना:** पुनर्वास, सहायता सेवाओं, प्रशिक्षण आदि के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है।
    - **उदाहरण के लिए-** व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और सफेद छड़ियों जैसी **सहायक तकनीकों के साथ पुनर्वास** दिव्यांगजनों की कार्यक्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है।
- **सहभागी दृष्टिकोण:** नीतियों, कानूनों, और सेवाओं को तैयार करने व लागू करने में दिव्यांगजनों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्हें सक्रिय रूप से शामिल भी किया जाना चाहिए।
    - समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए **'हमारे बिना हमारे बारे में कुछ भी नहीं' सिद्धांत** का पालन किया जाना चाहिए।
- **मानव संसाधन क्षमता में सुधार करना:** दिव्यांगता पर प्रासंगिक प्रशिक्षण को वर्तमान पाठ्यक्रम और मान्यता कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। इसमें मानवाधिकार सिद्धांतों को भी शामिल करना चाहिए।
    - **उदाहरण के लिए- विशेषज्ञ स्टाफ की उपलब्धता** दिव्यांगजनों के लिए प्रभावी और किफायती स्वास्थ्य देखभाल में योगदान देती है।
- **पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना और आर्थिक स्थिति में सुधार करना:** सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए पर्याप्त और सतत वित्त-पोषण की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सेवाएं सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके।

- **दिव्यांगता के बारे में जन जागरूकता और समझ बढ़ाना:** नकारात्मक धारणाओं को समाप्त करने के लिए दिव्यांगता के बारे में लोगों की समझ में सुधार करने और दिव्यांगता का निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने से मनोवृत्ति संबंधी एवं सामाजिक बाधाओं को तोड़ा जा सकता है।
    - **उदाहरण के लिए-** शैक्षिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल समावेशी हों और उनमें विविधता को महत्त्व देने का माहौल हो।
- **दिव्यांगता से संबंधित डेटा संग्रह में सुधार करना:** डेटा का बेहतर संग्रह और आयु, लिंग व सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर उसका वर्गीकरण दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को बेहतर तरीके से समाधान करने में मदद कर सकता है।

1.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.10.1. शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (Grievance Redressal Assessment Index: GRAI)

हाल ही में **प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (GRAI) 2023** जारी किया।

GRAI के बारे में

- **अवधारणा:** इसे **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय** की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर DARPG ने शुरू किया है।
- यह सूचकांक **4 आयामों और 11 संकेतकों** पर केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा अपनाए गए शिकायत निवारण तंत्र का आकलन करता है।
    - **ये 4 आयाम हैं- दक्षता, फीडबैक, डोमेन और संगठनात्मक प्रतिबद्धता।**
- **उद्देश्य:** अलग-अलग संगठनों में शिकायत निवारण तंत्र के सबल पक्ष एवं सुधार वाले क्षेत्रों को रेखांकित करना।
- **रैंकिंग:** 2023 की रैंकिंग में **केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग** सबसे ऊपर है। उसके बाद **पदस्थापन विभाग ग्रुप A** है।

नोट: *भारत में शिकायत निवारण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, सितंबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 1.3. देखें।*

1.10.2. नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System: CRS)

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।

- इस एप्लिकेशन को **भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त** के कार्यालय ने विकसित किया है। इस ऐप की मदद से पंजीकरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी ।

CRS के बारे में:

- CRS व्यक्ति के जीवन से जुड़ी मुख्य घटनाओं, जैसे कि जन्म, मृत्यु और मृत बच्चे के जन्म तथा इनसे संबंधित विवरणों को दर्ज करने हेतु एक एकीकृत प्रणाली है। इसमें इन घटनाओं और विवरणों का निरंतर और स्थायी रूप से पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969** के अनुसार, सभी जन्म और मृत्यु को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया जाना चाहिए।
- इसका संचालन **भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त** के अधीन किया जाता है।
- इसे संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत **समवर्ती सूची** में शामिल किया गया है।

1.10.3. लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य (Prior Sanction Mandatory To Prosecute Public Servants)

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने निर्णय दिया कि **मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य** है।

- यह निर्णय कठोर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक महत्वपूर्ण **प्रक्रियात्मक सुरक्षा स्थापित** करता है। साथ ही, यह **PMLA संबंधी अभियोजन में जवाबदेही का एक स्तर** जोड़ता है।

प्रवर्तन निदेशालय बनाम बिभु प्रसाद आचार्य मामले में मुख्य पर्यवेक्षण

- **CrPC की सर्वोच्चता:** SC ने जोर देकर कहा कि **PMLA दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के तहत पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता को खत्म नहीं** करता है।
    - ज्ञातव्य है कि यह प्रावधान **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के अनुरूप** है। इस संहिता ने **1 जुलाई, 2024 से CrPC की जगह** ले ली है।
- **CrPC की धारा 197:** यह धारा लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए अभियोजन से और मुकदमा चलाए जाने से संरक्षण प्रदान करती है।
- **अपवाद:** संरक्षण को **अनधिकृत नहीं** किया जा सकता है और लोक सेवकों पर सक्षम सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही मुकदमा चलाया जा सकता है।

सिविल सेवकों की सुरक्षा के लिए प्रावधान

- **संविधान के अनुच्छेद 311(1) और 311(2):** ये अनुच्छेद सिविल सेवकों को **संवैधानिक संरक्षण** प्रदान करते हैं।
- **लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850:** यह सुनिश्चित करता है कि **जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके** से की जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि लोक प्रशासन के भीतर **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** को कायम रखा जाए।

PMLA, 2002 के बारे में

PMLA क्या है: यह अधिनियम **मनी–लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने** का प्रावधान करने के लिए निर्मित एक व्यापक कानून है।

कार्यान्वयन प्राधिकरण: **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट–इंडिया (FIU–IND) इस कानून को लागू करने वाले प्राधिकरण हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग: PMLA मनी लॉन्ड्रिंग को किसी भी ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें अग्रलिखित शामिल हैं: अपराध से प्राप्त आय को छिपाना; अपराध से प्राप्त आय को अपने पास रखना; अपराध से पैसा कमाना; आदि।

***नोट:** भ्रष्टाचार और इससे संबंधित नैतिक मुद्दों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, सितंबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 9.1. देखें।*

1.10.4. भारत में जेलों पर रिपोर्ट (Report on Prisons In India)

राष्ट्रपति ने **'भारत में जेल: जेल मैनुअल की मैपिंग और सुधार तथा कैदियों की संख्या कम करने के उपाय'** रिपोर्ट जारी की।

- यह रिपोर्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट की शोध शाखा, **सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग** ने तैयार की है। यह रिपोर्ट **भारत की जेल प्रणाली की जटिलताओं को उजागर करने** का प्रयास करती है। इसमें **प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों की क्षमता** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **रूढ़िवादिता:** जेल मैनुअल्स में आवश्यक सफाई और मैला साफ करने के कार्य को **"हीन" या "अपमानजनक"** माना जाता है। यह **श्रम के संबंध में एक पदानुक्रमित दृष्टिकोण** को बनाए रखता है।
- **जमानत अस्वीकृति:** जमानत आवेदनों की अस्वीकृति दर उच्च है। **सत्र न्यायालयों में 32.3% और मजिस्ट्रेट न्यायालयों में 16.2% जमानत आवेदन अस्वीकृत** कर दिए जाते हैं।
- **धीमी सुनवाई:** 2023 में 52% से अधिक ऐसे मामले साक्ष्य चरण में लंबित थे, जहां आरोपी एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में हैं।
- **अन्य:** जेलों में **हाथ से मैला उठाने की प्रथा** का जारी रहना; **जाति व्यवस्था** के आधार पर जेल में कार्यों का विभाजन; **खुली जेलों का कम उपयोग** आदि।
    - उल्लेखनीय है कि **जाति व्यवस्था** के आधार पर जेल में कार्यों के विभाजन को **सुकन्या शांता मामले में असंवैधानिक** घोषित किया गया है।

जेल सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

- **ई-प्रिज़न्स:** इसे **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** ने विकसित किया है। यह जेल और कैदियों के प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
- **मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023:** इसमें कैदियों को **जेल से छुट्टी देने की शर्त के रूप में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के उपयोग** का प्रावधान किया गया है।
- **सुप्रीम कोर्ट की फास्टर/ FASTER (फ़ास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स) प्रणाली:** इसने अदालतों से जेल तक जमानत आदेशों के पहुंचने में होने वाली देरी को कम किया है।
- **इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS):** यह अदालतों, पुलिस और जेलों के बीच एक स्वचालित चैनल बना सकता है तथा हिरासत के मामलों में होने वाली अनुचित देरी को कम कर सकता है।

1.10.5. 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया {51st Chief Justice of India (CJI) Appointed}

हाल ही में, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली।

- राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को पद की शपथ दिलाई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति के बारे में

- आमतौर पर **सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश** को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर CJI के रूप में नियुक्त किया जाता है।
  - हालांकि, इस परंपरा का **1964, 1973 और 1977 में उल्लंघन** किया गया था।
- इस संबंध में **केंद्रीय विधि और न्याय कार्य मंत्री सिफारिश मांगते हैं,** जिसे फिर **प्रधान मंत्री के पास भेजा जाता है। अंत में प्रधान मंत्री CJI की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।**
  - **संविधान के अनुच्छेद 124(2)** के तहत, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वह **65 वर्ष** की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहेगा।

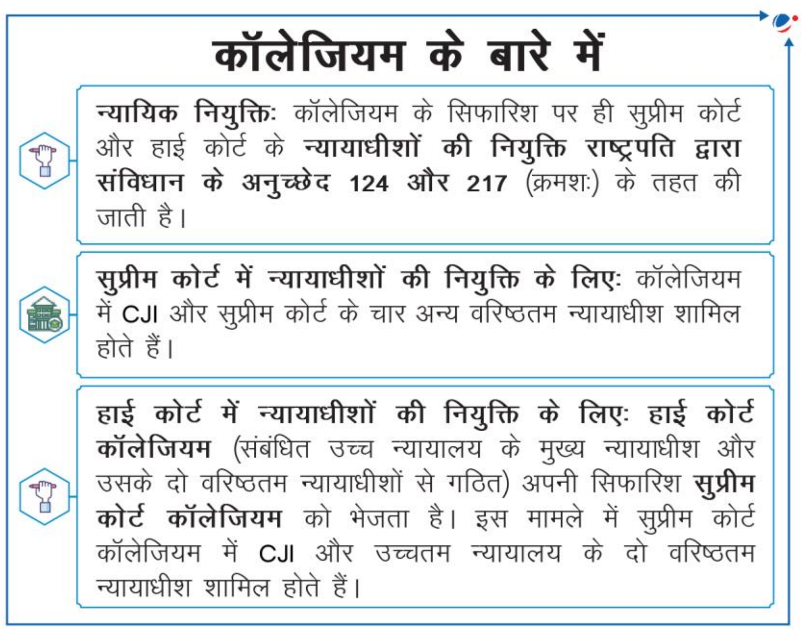

CJI की प्रमुख भूमिका

- **फर्स्ट अमंग इक्वल्स: राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद (1997) मामले में** सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि CJI न्यायपालिका का प्रमुख होता है और एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है। हालांकि, CJI को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की तुलना में कोई उच्चतर न्यायिक प्राधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- **मास्टर ऑफ़ दी रोस्टर:** केसों की सुनवाई के लिए पीठों (संविधान पीठों सहित) का **गठन करना CJI का अनन्य अधिकार** है।
- **कॉलेजियम का प्रमुख:** CJI, उच्चतर न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम का प्रमुख होता है।
- **सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति:** संविधान के **अनुच्छेद 146** के तहत यह CJI या उसके द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा।

1.10.6. अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council: ISC)

हाल ही में, **अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन** किया गया।

अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में

- यह एक मंच है, जहां **केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे के साथ समन्वय एवं सहयोग** करती हैं।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना **सरकारिया आयोग** की सिफारिश पर की गई थी। इसे **राष्ट्रपति के आदेश** के माध्यम से **1990** में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना संविधान के **अनुच्छेद 263** के तहत की गई है।
- **संरचना:** इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-
    - **अध्यक्ष:** प्रधान मंत्री
    - **सदस्य:**
        - सभी राज्यों के **मुख्यमंत्री;**
        - **विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री** और **अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक;** तथा
        - केंद्रीय मंत्रिपरिषद में **कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री**, जिन्हें प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाता है।

1.10.7. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा {Aligarh Muslim University's (AMU) Status As Minority Institution}

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार करने वाले अपने फैसले को पलट दिया।

संविधान के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के संबंध में अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार

- **अनुच्छेद 30(1)** भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (NCMEI) अधिनियम** को संविधान के **अनुच्छेद 30(1)** में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है।

- सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने 4-3 बहुमत से **एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ वाद (1967)** के अपने फैसले को पलट दिया। 1967 के निर्णय में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) संविधान के **अनुच्छेद 30(1)** के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे एक **अधिनियम के द्वारा स्थापित** किया गया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने **एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ वाद (1967)** में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) न तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया था और न ही इसका संचालन मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा किया जाता है। यह एक **केंद्रीय विश्वविद्यालय** है, जिसे AMU अधिनियम 1920 के तहत स्थापित किया गया था।
- हालांकि बाद में, संसद ने **AMU (संशोधन) अधिनियम, 1981 के माध्यम से AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल** कर दिया था।
    - हालांकि, **इलाहाबाद हाई कोर्ट** ने 2006 में AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को **रद्द** कर दिया था। इस निर्णय को बाद में **2019 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती** दी गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले में स्थापित सिद्धांतों के आधार पर संविधान के **'अनुच्छेद 30 के तहत AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को'** नियमित पीठ के पास भेज दिया है।

इस निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- यह साबित करने के लिए कि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, इसके लिए उसके **प्रशासन पर अल्पसंख्यकों का नियंत्रण होना अनिवार्य नहीं है।**
- कोर्ट को संस्थान की उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए और संस्थान की स्थापना करने वाले की मंशा की पहचान करनी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संस्था की स्थापना किसने की है।
- **किसी संस्थान का अल्पसंख्यक का दर्जा केवल इसलिए रद्द नहीं** किया जा सकता, कि इसकी स्थापना किसी कानून द्वारा या विश्वविद्यालय के रूप में की गई है।
- **जो समुदाय संविधान के लागू होने से पहले अल्पसंख्यक नहीं थे,** वे भी स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थाओं के लिए **अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण के हकदार हैं।**

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (India-Middle East-Europe Economic Corridor: IMEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना की घोषणा के **एक वर्ष** पूरे हो गए हैं। पिछले एक वर्ष में जहां एक ओर इस महत्वाकांक्षी **अंतर्राष्ट्रीय गलियारा** परियोजना के मामले में कुछ प्रगति देखी गई है, तो दूसरी ओर कुछ बाधाएं भी उभर कर सामने आई हैं।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) के बारे में

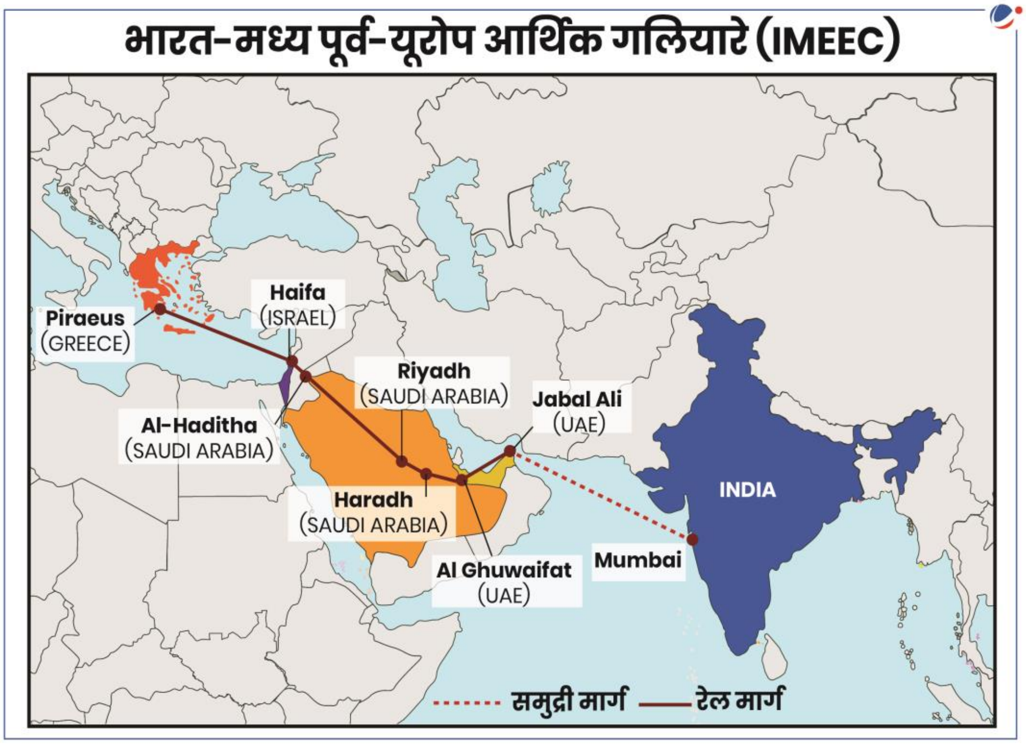

- **शुरुआत:** नई दिल्ली में **2023 में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान** इस परियोजना के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन पर **भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE)** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे।
- **उद्देश्य:** यह एक **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना** है। इसका उद्देश्य **भारत, अरब प्रायद्वीप, भूमध्यसागरीय क्षेत्र** और **यूरोप** के बीच व्यापार को बढ़ावा देने हेतु **बंदरगाहों, रेल मार्गों, सड़क मार्गों, समुद्री मार्गों और पाइपलाइनों जैसी अवसंरचनाओं का विकास** करना है।
- **इस परियोजना में दो अलग-अलग गलियारे शामिल होंगे:**
  - **पूर्वी गलियारा:** यह भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा; और
  - **उत्तरी गलियारा:** यह खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा।
- यह परियोजना **वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी (PGII)**[8] पहल का हिस्सा है।
  - **PGII** की घोषणा 2021 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित **G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान** की गई थी। इसे **चीन** की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** नीति के प्रतिसंतुलन के रूप में देखा जा रहा है।

IMEC के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

- **अवसंरचना विकास:** इस परियोजना के तहत **UAE और इजरायल के बीच रेलवे नेटवर्क** में कुछ हद तक विकास देखा गया है। इसके अलावा, **इजरायल में हाइफ़ा बंदरगाह** की क्षमता के विस्तार के लिए वित्त-पोषण में भी प्रगति देखी गई है।

---

[8] Partnership for Global Infrastructure and Investment

* **अलग-अलग क्षेत्रकों में विकास की स्थिति: कनेक्टिविटी** के स्तर पर कुछ प्रगति हुई है। हालांकि, **पश्चिम एशिया में व्याप्त अस्थिरता** के कारण **स्वच्छ ऊर्जा निर्यात, अंडर-सी फाइबर-ऑप्टिक केबल और पाइपलाइन बिछाने, एनर्जी ग्रिड लिंकेज** तथा **स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी** में सहयोग करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में **प्रगति नहीं** हुई है।
* **व्यापार-प्रक्रियाओं का विकास: व्यापार प्रक्रियाओं के मानकीकरण तथा उन्हें सुविधाजनक बनाने** की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे- भारत और UAE ने **'वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर' (VTC)** शुरू किए हैं।
    * **वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, IMEC** का ही हिस्सा है। इसका उद्देश्य व्यापार से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं और इसमें लगने वाले समय में कमी लाना, लॉजिस्टिक एवं परिवहन लागत को कम करना तथा **व्यापार को सुगम बनाना** है।
* **समावेशी दृष्टिकोण:** IMEC में मध्य पूर्व के कुछ अन्य देश जैसे कि **कतर, ओमान, मिस्र, तुर्किये** और **इराक** भी शामिल हो सकते हैं, ताकि **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का लाभ उन्हें भी मिल सके।**

IMEC का वैश्विक महत्त्व

* **कनेक्टिविटी में विविधता लाना:** IMEC कनेक्टिविटी और व्यापार में विविधता लाने के लिए एक **वैकल्पिक मार्ग** प्रदान करता है।
    * भौतिक कनेक्टिविटी (जैसे- रेल, सड़क, आदि) के अतिरिक्त, यह परियोजना **डिजिटल कनेक्टिविटी और हरित ऊर्जा सहयोग** को भी बढ़ावा देती है। इससे **बहुपक्षवाद (Plurilateralism)** की भावना को मजबूती मिलेगी।
* **समृद्धि को बढ़ावा:** स्वच्छ ऊर्जा निर्यात और डिजिटल संचार के बढ़ने से परियोजना के भागीदार देशों की समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
    * IMEC देशों (यूरोपीय संघ ब्लॉक सहित) का **संयुक्त GDP** लगभग 47 ट्रिलियन डॉलर है। यह **विश्व की कुल GDP का लगभग 40 प्रतिशत है।**
* **भू-रणनीतिक योगदान:** नई कनेक्टिविटी से **व्यस्त समुद्री मार्गों में जहाजों की भीड़भाड़ को कम** किया जा सकेगा। इससे **स्वेज नहर जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर निर्भरता कम** होगी और किसी एक मार्ग के बाधित होने पर समुद्री व्यापार को नए मार्गों से जारी रखने में मदद मिलेगी।
* **भू-आर्थिक प्रभाव: आर्थिक एकीकरण और एक-दूसरे पर निर्भरता** बढ़ने से **संघर्ष-ग्रस्त मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति बहाली के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।** ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें शामिल देश चाहेंगे कि संघर्ष समाप्त हो ताकि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा न हो।
* **भू-राजनीतिक निहितार्थ:** यह परियोजना **मध्य पूर्व के देशों को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** का एक विकल्प प्रदान करती है।

भारत के लिए महत्त्व

* **भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को मजबूती:** काफी समय से **भारत और खाड़ी देशों** के बीच **व्यापार एवं आर्थिक संबंधों** को बढ़ावा देने का प्रयास किया किया जा रहा है। ऐसे में, IMEC **अवसंरचना और कनेक्टिविटी** में सुधार करके इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।
    * उदाहरण के लिए- **तेल के अलावा अन्य उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा** देकर भारत और **UAE** के मध्य **व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की संख्या** में वृद्धि करना।
* **आर्थिक संवृद्धि:** IMEC **क्षेत्रीय व्यापार** को बढ़ावा देगा, भारत में **निवेश आकर्षित करेगा** और भारतीय बाजार के लिए **कूटनीतिक एवं राजनीतिक गुडविल** का विकास करेगा। इससे समग्र आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित होगी।
* **तेज कनेक्टिविटी:** IMEC के माध्यम से भारत से यूरोपीय मुख्य भूमि तक जाने वाले व्यापारिक जहाजों को **स्वेज नहर समुद्री मार्ग** की तुलना में **40% कम समय लगेगा।** इससे **व्यापार लागत में 30% तक की कमी** आ सकती है।
* **भू-राजनीतिक आकांक्षाएं: यूरोपीय संघ (EU)** और **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** भारत के दो सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार/ ब्लॉक्स हैं। IMEC इन्हें जोड़कर भारत की आर्थिक संवृद्धि को गति देगा और **वैश्विक आर्थिक शक्ति** बनने की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा।

मुख्य चुनौतियां

* **उच्च लागत: मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी स्थापित करना काफी जटिल** काम है। इसके अलावा **खाड़ी देशों में विनिर्माण क्षमता** अधिक विकसित नहीं है। ऐसे में IMEC परियोजना के तहत विकसित की जा रही नई कनेक्टिविटी क्षमताओं का **अधिकतम उपयोग नहीं** हो सकेगा। इससे कारण वस्तुओं के परिवहन की लागत बढ़ जाएगी।
* **क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश शामिल नहीं:** मध्य पूर्व की कई महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं, जैसे कि **तुर्किये, मिस्र, ईरान, कतर,** आदि IMEC परियोजना में **शामिल नहीं** हैं।

- **मौजूदा समुद्री मार्ग का अधिक उपयोग:** वर्तमान समय में **बाब अल-मन्देब, लाल सागर और स्वेज नहर** से होकर गुजरने वाले मौजूदा समुद्री मार्गों का **व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।**
    - ऐसे में नए मार्गों को **महंगी परियोजना** के रूप में देखा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इन नए मार्गों का वैश्विक व्यापार पर **सीमित प्रभाव** पड़ेगा।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** मध्य-पूर्व हमेशा से अशांत क्षेत्र रहा है, जैसे कि **इजरायल-हमास युद्ध, लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा व्यापारिक जहाजों पर हमले,** आदि। ये चुनौतियां व्यापार को बाधित कर सकती हैं।
    - **अरब-इजरायल संबंधों का सामान्यीकरण IMEC के विकास का मूल आधार था।** हालांकि, जिस तरीके से **इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष** विकराल रूप लेता जा रहा है, उससे IMEC के क्रियान्वयन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
- **वित्त-पोषण की प्रतिबद्धताएं:** परियोजना लागत के वित्त-पोषण को लेकर अब तक भागीदार देशों ने अधिक प्रतिबद्धता नहीं दर्शाई है।

अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय गलियारे

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (International North–South Transport Corridor: INSTC):

- यह **7,200 किलोमीटर लंबा व्यापार गलियारा** है। **वर्ष 2000** में मूल रूप से **भारत, रूस** और **ईरान** ने इस गलियारे का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य प्रस्तावित मार्ग पर स्थित देशों के बीच व्यापार और परिवहन की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
- वर्तमान में इसमें **13 सदस्य** शामिल हैं। ये हैं- **भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्किये, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान** और **सीरिया।**
    - **बुल्गारिया** इसमें **पर्यवेक्षक राष्ट्र** के रूप में शामिल हुआ है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):

- **यह चीन सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना** है। इस परियोजना की **शुरुआत 2013** में हुई थी। इसका उद्देश्य **भूमि और समुद्री मार्गों** के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना है।
- **इस परियोजना के निम्नलिखित दो घटक हैं:**
    - **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट:** यह एक **अंतर-महाद्वीपीय सड़क मार्ग** है। यह चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से **सड़क मार्ग** द्वारा जोड़ता है।
    - **समुद्री रेशम मार्ग (Maritime Silk Road):** यह **समुद्री मार्ग** है। यह चीन के तटीय क्षेत्रों को दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया, प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य पूर्व तथा पूर्वी अफ्रीका से होते हुए यूरोप से जोड़ता है।

ट्रांस-कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट (TITR):

- इसे **'मिडिल कॉरिडोर'** भी कहा जाता है और यह एक मल्टी-मॉडल कॉरिडोर है। यह चीन को **मध्य एशिया, काकेशस, तुर्किये और पूर्वी यूरोप** के माध्यम से यूरोपीय संघ के देशों से जोड़ता है। इसे 2017 में शुरू किया गया था।

निष्कर्ष

बढ़ते वैश्विक तनाव और व्यापार में अनिश्चितता के माहौल में, नए और इनोवेटिव क्षेत्रीय व्यापार गलियारे **पारंपरिक व्यापार मार्गों** का एक **विकल्प** प्रदान करते हैं। IMEC एक ऐसा ही व्यापार गलियारा है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान भू-राजनीतिक स्थितियों में **व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार** करना है। **भारत इन गलियारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है,** जो व्यापार को बढ़ावा देने और तनाव कम करने में **भारत की बढ़ती भूमिका** को दर्शाता है।

2.2. ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G-20) शिखर सम्मेलन {The Group Of Twenty (G20) Summit}

सुर्ख़ियों में क्यों?

19वां G-20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम थी- **"एक न्यायसंगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण (Building a Just World and a Sustainable Planet)"।**

रियो डी जेनेरियो में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन के बारे में

- रियो शिखर सम्मेलन में **अफ्रीकी संघ (AU) ने पहली बार एक पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया।**
- इस **सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील** ने की। ब्राजील, G-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला **ग्लोबल साउथ का तीसरा देश** बन गया है। अन्य दो देश हैं- **इंडोनेशिया (2022) और भारत (2023)।**
    - अगला **G-20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका** में आयोजित होगा। वर्तमान में **ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका 'G-20 ट्रोइका' देश हैं।** ये देश **ग्लोबल साउथ** का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा IBSA और ब्रिक्स (BRICS) समूह के भी सदस्य हैं। *(G-20 ट्रोइका को बॉक्स में स्पष्ट किया गया है।)*

शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु: G-20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन

- **सामाजिक समावेशन तथा भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई:**
    - **भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन[9]:** इसे गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने हेतु शुरू किया गया है। (बॉक्स देखिए)
    - **स्थानीय एवं क्षेत्रीय उत्पादन, नवाचार और न्यायसंगत पहुंच हेतु वैश्विक गठबंधन[10]:** इसे खतरे वाले लोगों तक उपेक्षित रोगों के टीके, निदान (डायग्नोस्टिक) और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है।
    - **बुनियादी आवश्यकताओं और समानता पर प्रतिबद्धताएं[11]:** G-20 शिखर सम्मेलन ने एक मजबूत संदेश देते हुए पहली बार **बुनियादी स्वच्छता और पेयजल** के लिए संसाधन जुटाने तथा **नस्लवाद से निपटने** एवं **नस्लीय समानता को बढ़ावा देने के लिए** सामजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **सतत विकास, एनर्जी ट्रांजिशन और जलवायु कार्रवाई:** जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता हेतु एक **कार्य बल** का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से विकासशील देशों हेतु **जलवायु कार्रवाई के लिए निजी स्रोत से पूंजी जुटाने** में आने वाली संरचनात्मक बाधाओं की पहचान करना और उन्हें दूर करना है।
- **ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं में सुधार:** बेहतर, वृहत्तर और अधिक प्रभावी **बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs)[12]** के लिए G-20 रोडमैप का समर्थन किया गया।
- **अधिक धनी लोगों पर कर:** G-20 लीडर्स ने **पहली बार** सहमति व्यक्त की कि वे **अल्ट्रा हाई नेट-वर्थ वाले व्यक्तियों पर प्रभावी तरीके से कर लगाने** के लिए सहयोग करेंगे।

'भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन' के बारे में

- **गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी?** ऐसा अनुमान है कि **2030 तक 622 मिलियन लोग चरम गरीबी में जीवन यापन** कर रहे होंगे तथा **582 मिलियन लोग भोजन की कमी (भुखमरी) का सामना** कर रहे होंगे। ये आंकड़ें 2015 के स्तर के समान हैं।
    - विश्व बैंक के अनुसार, PPP के संदर्भ में **प्रतिदिन 2.15 डॉलर** से कम पर जीवन यापन करने वाले लोग चरम गरीबी की श्रेणी में आते हैं। इस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा कहा जाता है।
- **उद्देश्य:** भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने हेतु वैश्विक प्रयासों में तेजी लाना।
- **लक्ष्य:** 2030 तक निम्न आय वर्ग वाले देशों में **नकद अंतरण (कैश ट्रांसफर) कार्यक्रमों के माध्यम से 500 मिलियन लोगों** को लाभ

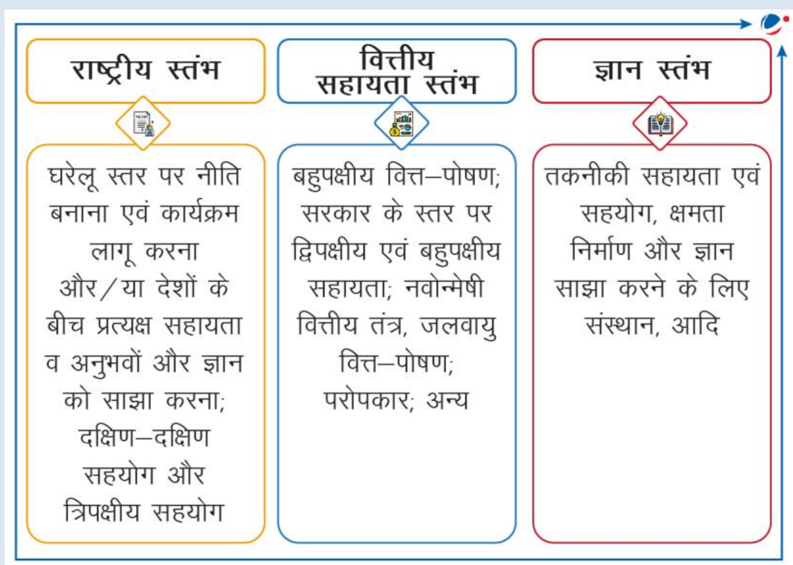

---

[9] Global Alliance against Hunger and Poverty

[10] Global Coalition for Local and Regional Production, Innovation and Equitable Access

[11] Commitments on Basic Needs and Equality

[12] Multilateral Development Banks

पहुंचाना। खाद्य संकट वाले देशों में **150 मिलियन अतिरिक्त बच्चों** को अधिक स्वास्थ्यप्रद **स्कूली भोजन** उपलब्ध कराकर कुपोषण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना।

- **तरीका:** इसका संचालन स्वैच्छिक भागीदारी और प्रतिबद्धताओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर होगा।
- **सदस्य:** इसके सदस्यों की संख्या 148 (82 देश, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, आदि) है। **भारत** भी इसका एक सदस्य है।
- **वित्त-पोषण:** इसके लिए **अलग से कोई फंड स्थापित नहीं** किया गया है। इसके बजाय, यह देशों को **दानदाता व्यक्तियों या संस्थाओं** से जोड़कर और उन्हें **तकनीकी सहायता** प्रदान करके काम करता है।

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G-20) के बारे में

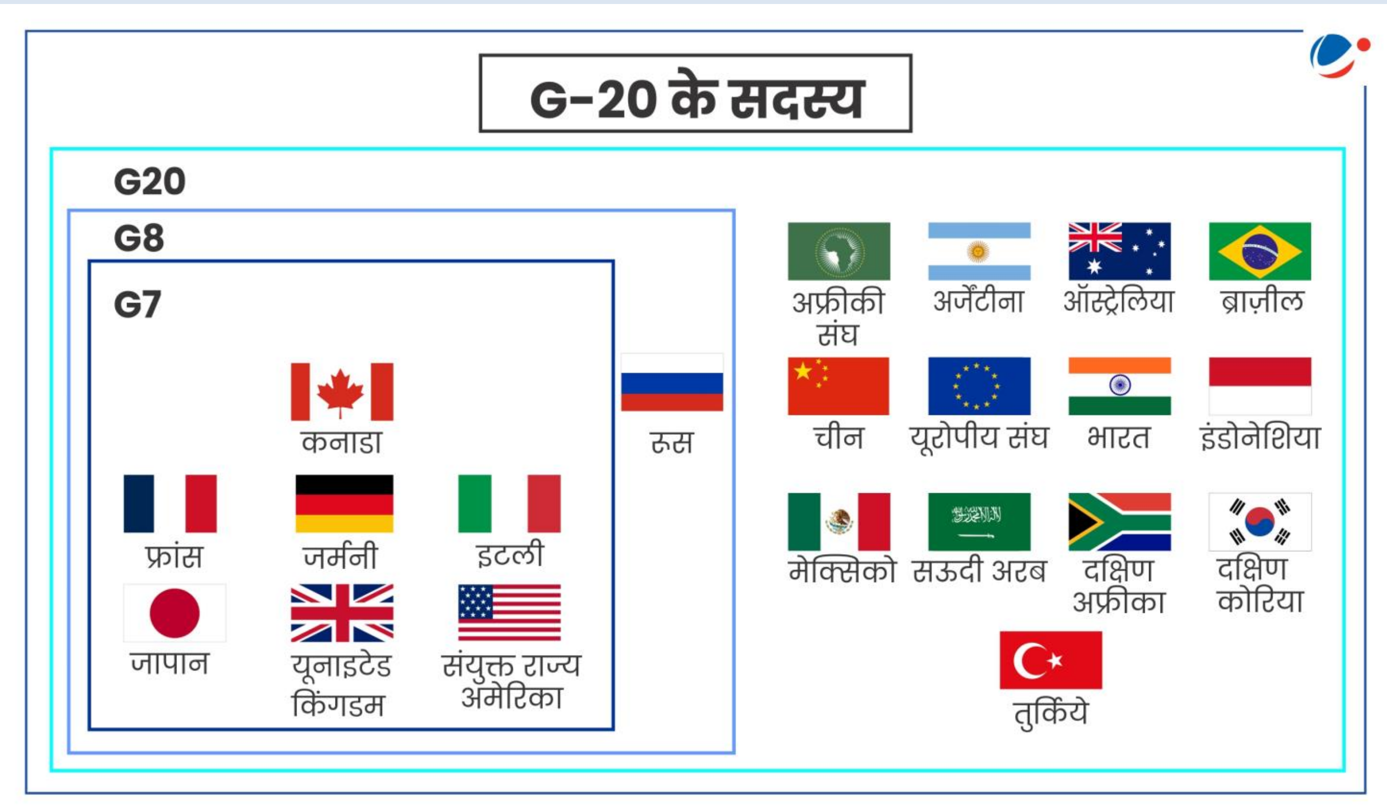

- **उत्पत्ति:** इसका गठन **एशियाई वित्तीय संकट (1997-1998)** के बाद **1999** में हुआ था। शुरू में यह वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु **वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए** एक फोरम के तौर पर काम करता था।
  - **2007-08 के वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट** को देखते हुए **G-20 की भूमिका को अपग्रेड कर इसे राष्ट्राध्यक्षों/ शासनाध्यक्षों का सम्मेलन बना दिया गया।**
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करके एक मजबूत और स्थिर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना है।
- **वार्षिक शिखर सम्मेलन: G-20** शिखर सम्मेलन **प्रतिवर्ष बारी-बारी से सदस्य देशों की अध्यक्षता (G-20 प्रेसीडेंसी)** में आयोजित किया जाता है। **G-20 प्रेसीडेंसी** को **ट्रोइका** द्वारा समर्थन दिया जाता है।
  - **G-20 प्रेसीडेंसी ट्रोइका** में पिछले वर्ष के अध्यक्ष, वर्तमान वर्ष के अध्यक्ष और अगले वर्ष के अध्यक्ष शामिल होते हैं।
- **महत्त्व: अफ्रीकी संघ (AU) के शामिल होने से पहले** G-20 **वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75%** और **विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या** का प्रतिनिधित्व करता था।

G-20 एक महत्वपूर्ण मोड़ पर: दुनिया को चलाने के लिए इसके तरीके अब काम नहीं कर रहे

- **प्रतिनिधित्व के स्तर पर असमानता:** अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद भी इस फोरम का नाम बदलकर **"G-21" रखने की मंशा नहीं** दिख रही है। यह अनिच्छा ऐसी संस्थाओं को वास्तविक वैश्विक संस्था बनने से रोकती है।

- **कूटनीतिक स्तर पर मतभेद:**
    - हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में **रूस** के राष्ट्रपति और **सऊदी अरब** के क्राउन प्रिंस जैसे प्रमुख नेताओं ने भाग नहीं लिया। यह स्थिति G-20 सदस्य देशों के मध्य गहरे मतभेद को उजागर करती है।
    - इसी तरह **अर्जेंटीना** ने सतत विकास और कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च का विरोध किया है। यह सदस्यों में एकमत की कमी का संकेत है।
    - **संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और अर्जेंटीना** जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं **संपत्ति कर एवं प्रगतिशील कराधान संबंधी प्रस्तावों का विरोध** करती हैं। इससे वैश्विक असमानताओं को कम करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है।
- **वैश्विक गवर्नेंस में सुधार में विफलता:**
    - **वैश्विक संस्थाओं में सुधार का मुद्दा:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की पुरजोर मांग के बावजूद इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। यह ग्लोबल गवर्नेंस में G-20 के कम प्रभाव को दर्शाता है।
    - **जलवायु प्रतिबद्धताएं:** जिस समय **रियो G-20 सम्मेलन आयोजित हो रहा था, ठीक उसी समय बाकू** में जलवायु परिवर्तन पर **COP-29** का भी आयोजन हो रहा था। इसके बावजूद G-20 शिखर सम्मेलन जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के वर्ष को थोड़ा पहले करने में विफल रहा।
- **संरचनात्मक और परिचालन संबंधी कमियां:** G-20 के **निर्णय बाध्यकारी नहीं** होते। इससे G-20 के निर्णयों को लागू करने में गंभीरता नहीं देखी जाती है। साथ ही, यह संगठन **बिना किसी औपचारिक चार्टर** के संचालित होता है। इससे सदस्य देशों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और उनके कार्यों की सार्वजनिक समीक्षा करना मुश्किल हो जाता है।
- **अन्य संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा:** G-20 के देश अलग-अलग विषयों पर विभाजित हैं। वहीं दूसरी ओर **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** एवं **ब्रिक्स (BRICS)** जैसे संगठनों का बढ़ता प्रभाव उन्हें और चुनौती दे रहा है।

G-20 शिखर सम्मेलनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय

- **स्थायी सचिवालय:** अनुसंधान एवं नीतिगत क्षमताओं से युक्त G-20 सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिए। इससे दो शिखर सम्मेलनों के बीच नीतिगत निरंतरता और रणनीतिक विचार-विमर्श सुनिश्चित हो सकेगा।
- **अलग-अलग संगठनों के बीच चर्चा के विषयों का स्पष्ट विभाजन:**
    - **G-20 के लिए चर्चा के विषय:** ग्लोबल पब्लिक गुड्स, जैसे- मौद्रिक स्थिरता, व्यापार खुलापन, गरीबी उन्मूलन और महामारी नियंत्रण।
    - **G-7 के लिए चर्चा के विषय:** भू-राजनीतिक मुद्दे।
- **मध्यम आय वाले सदस्य देशों को सशक्त बनाना:** अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **जवाबदेही तय करने हेतु फ्रेमवर्क: G-20** में की गई प्रतिबद्धताओं और लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा पारदर्शी तरीके से कार्य-निष्पादन की वार्षिक समीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- **संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ रणनीतिक समन्वय:** दोहरे प्रयासों से बचने और पब्लिक गुड्स का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) जैसे संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- **ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर ध्यान देना:** G-7 के प्रभुत्व को कम करते हुए न्यायसंगत ग्लोबल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए, G-7 केवल 13% वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन IMF और विश्व बैंक के 59% मतदान अधिकारों पर इसके सदस्य देशों का वर्चस्व है।

निष्कर्ष

आज विश्व क्षेत्रीय संघर्ष, भुखमरी, बढ़ती असमानता, जबरन प्रवासन, स्वास्थ्य विपदाएं, ऋण के बोझ और जलवायु संकट जैसे परस्पर जुड़े संकटों का सामना कर रहा है। ऐसे में G-20 को प्रभावी और न्यायसंगत बने रहने के लिए अधिक समावेशी, जवाबदेह और कार्रवाई-उन्मुख फोरम के रूप में विकसित होना चाहिए ताकि यह तेजी से बदलते विश्व की विविध आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का सही मायने में प्रतिनिधित्व कर सके।

2.3. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (India-Australia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रियो डी जेनेरियो में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान **दूसरा 'भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन'** आयोजित किया गया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **भारत-ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी (REP)[13] का शुभारंभ:** इसका उद्देश्य सोलर फोटोवोल्टिक (PV), ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करना है।
- **ऑस्ट्रेलिया-भारत बिजनेस एक्सचेंज (AIBX) कार्यक्रम:** दोनों पक्षों ने **AIBX कार्यक्रम** को 2024 से अगले **चार और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।**
    - AIBX को 2021 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य **व्यवसायों को बाजार की जानकारी प्रदान करना और वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ावा देना है।**
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा-पत्र** को **2025** में नवीनीकृत और मजबूत करने के लिए समझौता हुआ।

भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व

- **रणनीतिक साझेदारी:** दोनों देशों ने 2020 में **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही, दोनों देश **क्वाड (QUAD)** समूह के माध्यम से **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता से निपटने** में भी जुटे हैं।
    - उदाहरण के लिए, **ऑस्ट्रेलिया-भारत हिंद-प्रशांत महासागर पहल साझेदारी (AIIPOIP)[14]** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाने में सहायता करती है।
- **आर्थिक और व्यापार संबंध:** द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 30 बिलियन डॉलर को पार कर गया। दोनों देशों के मध्य हुए **'आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (ECTA)[15]'** से इसमें और वृद्धि होने का अनुमान है।
    - **ऑस्ट्रेलियाई कोयला** और **द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG)** के लिए **भारत एक महत्वपूर्ण बाजार** है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया **भारत से वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स** और **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवाओं का आयात करता है।**
    - भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)[16]** की शुरुआत की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना तथा न्यायसंगत और संधारणीय व्यापार पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

---

[13] Renewable Energy Partnership

[14] Australia-India Indo-Pacific Oceans Initiative Partnership

[15] Economic Cooperation and Trade Agreement

- **महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिज:** दोनों पक्षों ने **क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप** पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलियाई क्रिटिकल मिनरल्स परियोजनाओं में भारतीय निवेश को बढ़ावा देना है।
    - ऑस्ट्रेलिया विश्व में लगभग **50 प्रतिशत लिथियम** का उत्पादन करता है। साथ ही, वह **कोबाल्ट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** और **दुर्लभ भू-धातुओं (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है।**
- **हरित ऊर्जा सहयोग:**
    - ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के लिए **ऑस्ट्रेलिया-इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स** का गठन किया गया है।
    - सोलर फोटोवोल्टिक (PV) प्रणालियों की स्थापना में तेजी लाने और उनकी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए **भारत-ऑस्ट्रेलिया सोलर टास्क फोर्स** का गठन किया गया है।
- **रक्षा सहयोग:**
    - **एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एग्रीमेंट और म्यूच्यूअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट** पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
    - दोनों देश **ऑस्ट्राहिन्द (AUSTRAHIND), ऑसिन्डेक्स (AUSINDEX), पिच ब्लैक (Pitch Black)** जैसे सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं। ये अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करते हैं तथा सामूहिक सुरक्षा के खतरों से प्रभावी तरीके से निपटने में मदद करते हैं।
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग:** ऑस्ट्रेलिया **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन** करता है। यह स्थिति ग्लोबल गवर्नेंस व्यवस्था में सुधारों के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
    - इसके अतिरिक्त, दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए **G-20** और **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)** जैसे फ़ोरम्स पर सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं।
- **लोगों के बीच संपर्क: ऑस्ट्रेलिया में कुशल प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है।** साथ ही, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले **अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मामले में भारतीय छात्र दूसरे स्थान** पर हैं।
    - भारत-ऑस्ट्रेलिया ने **प्रवासन और आवाजाही साझेदारी समझौता** (MMPA)[17] पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों के बीच छात्रों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, आदि की आवाजाही में सुविधा होगी।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** कोको द्वीप में **ट्रांसपोर्टेबल टेलीमेट्री टर्मिनल्स** स्थापित किए जा रहे हैं और उन्हें चलाने के लिए सहयोग किया जा रहा है। इन टर्मिनल्स की स्थापना **मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों** के लिए की जा रही है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में विद्यमान चुनौतियां

- **व्यापार और बाजार पहुंच: व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA)[18]** वार्ता में देरी तथा सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी मानकों के पालन से जुड़े मुद्दे और तकनीकी बाधा जैसी **गैर-व्यापारिक बाधाएं** ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में प्रमुख चुनौतियां बनकर उभरी हैं।
    - ऑस्ट्रेलिया में दवाओं, खासकर जेनरिक दवाओं, के मूल्य पर **सरकार का नियंत्रण** होता है, जिससे भारतीय दवा कंपनियों के लिए ऑस्ट्रेलियाई बाजार में प्रवेश करने में मुश्किल होती है।
- **चरमपंथ और भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि: ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों का बढ़ता प्रभाव** सामुदायिक संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। इससे द्विपक्षीय संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए- मेलबर्न में हरे कृष्ण मंदिर और श्री शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की घटनाएं।
- **परमाणु ऊर्जा सहयोग में रुकावट:** 2014 में दोनों देशों ने **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए एक समझौता** किया था। इसके बावजूद इस मामले में धीमी प्रगति हुई है और **भारत को यूरेनियम की वाणिज्यिक बिक्री न होने** से स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग सीमित हो गया है।
    - वाणिज्यिक रूप से लाभकारी नहीं होने के कारण भारत ने **ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के यूरेनियम आपूर्ति प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था।**
- **वीजा से जुड़ी चिंताएं:** हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने वीजा शुल्क में लगभग 125% की वृद्धि की है। इससे **भारतीय छात्रों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।**

---

[16] Supply Chain Resilience Initiative

[17] Migration and Mobility Partnership Arrangement

[18] Comprehensive Economic Cooperation Agreement

आगे की राह

- **आर्थिक और व्यापार भागीदारी:** ECTA को मजबूत करने और CECA पर वार्ता पूरी करने पर जोर देने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ ऊर्जा, खनन, प्रौद्योगिकी जैसे **महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा** देना चाहिए।
- **सामरिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना:** साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा आतंकवाद-रोधी सहित परंपरागत और गैर-परंपरागत सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना:** आसियान (ASEAN) और **पैसिफिक आइलैंड फोरम** जैसे क्षेत्रीय संगठनों के तहत सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा किसी देश के एकतरफा प्रभावों को प्रतिसंतुलित करने के लिए लघु द्वीपीय देशों में विकास पहलों का समर्थन करना चाहिए।
- **उग्रवाद से निपटना:** संयुक्त निगरानी और खुफिया जानकारी साझा करने जैसे द्विपक्षीय तंत्रों को मजबूत करना चाहिए तथा सामुदायिक संवाद को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों देश वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनावों का सामना कर रहे हैं। इसलिए पारस्परिक साझेदारी से दोनों देशों को लाभ होगा, समुद्री एवं सामरिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा।

2.4. भारत-जर्मनी संबंध (India-Germany Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जर्मनी के चांसलर ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य **भारत एवं जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत** करना था।

जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा के मुख्य बिंदु

- वर्ष 2024 को भारत और जर्मनी के बीच **सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ** के रूप में मनाया गया।
  - दोनों देशों के बीच **सामरिक साझेदारी पर वर्ष 2000 में हस्ताक्षर** किए गए थे।
- दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित **'वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग पर अंतर-सरकारी समझौता'** की **50वीं वर्षगांठ** भी 2024 में मनाई गई।
- जर्मन चांसलर की भारत यात्रा के दौरान **7वें अंतर-सरकारी परामर्श (IGC)**[19] का आयोजन किया गया। इस दौरान नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग के लिए **'भारत-जर्मनी नवाचार और प्रौद्योगिकी साझेदारी रोडमैप'** की शुरुआत की गई।

भारत-जर्मनी साझेदारी का महत्त्व

- **व्यापार और निवेश:**
  - यूरोपीय देशों में जर्मनी **भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है। वर्ष 2023 में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार **33.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का था।

---

[19] Inter-Governmental Consultations

- जर्मनी, **भारत में FDI का 9वां सबसे बड़ा स्रोत** है। अप्रैल, 2000 से दिसंबर, 2023 के बीच जर्मनी ने **भारत में कुल 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** किया था।
- जर्मनी को **भारत के विशाल और बढ़ते उपभोक्ता बाजार का लाभ** मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत जर्मनी को बड़ी संख्या में **कुशल श्रम** उपलब्ध करा रहा है। भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाया जा रहा है, जो जर्मनी के लिए भी लाभप्रद है।

- **जलवायु और संधारणीयता:**
  - 2022 की **हरित एवं सतत विकास साझेदारी** के अंतर्गत, जर्मनी ने भारत को सौर ऊर्जा और एग्रो-इकोलॉजी जैसी परियोजनाओं के लिए 10 बिलियन यूरो की सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - भारत के नेतृत्व में शुरू की गई **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)**[20] और **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** में जर्मनी भी शामिल है।

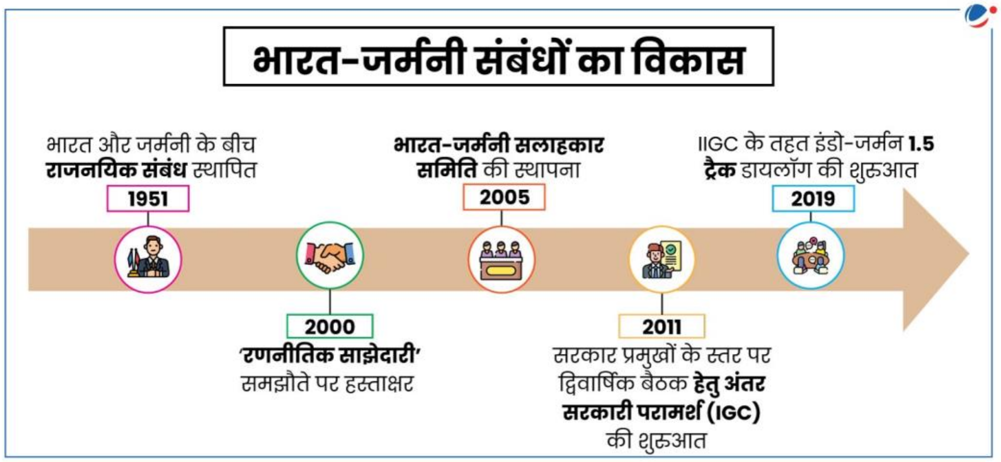

- **प्रौद्योगिकी और नवाचार: भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र**[21] प्राथमिकता प्राप्त 49 परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है। इनमें **विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाएं (WISER)**[22] जैसी पहल भी शामिल हैं।
- **रक्षा एवं सुरक्षा:** 2006 के **रक्षा सहयोग समझौते** के परिणामस्वरूप आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा और डिफेंस के क्षेत्र में **संयुक्त कार्य समूह** का गठन हुआ, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिला है।
  - इसके अतिरिक्त, हाल ही में जर्मनी ने छह परंपरागत पनडुब्बियों के निर्माण के लिए **भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट-75I कार्यक्रम** में भाग लेने में अत्यधिक रुचि दिखाई है।
  - **संयुक्त अभ्यास:** दोनों देश **मिलन, पासेक्स (PASSEX)** और **तरंग शक्ति-1 अभ्यास** में भाग लेते हैं।
- **व्यापारिक साझेदारी में वृद्धि: ई.यू.-चीन व्यापार तनाव** के बाद कई यूरोपीय कंपनियां **चीन प्लस वन रणनीति** के तहत चीन पर निर्भरता को कम करते हुए भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दे रही हैं।
  - जून, 2024 में यूरोपीय संघ ने अनुचित व्यापार गतिविधियों में शामिल होने के कारण चीन में विनिर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 38.1% तक का प्रशुल्क लगाया था।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां

- **व्यापार और निवेश संबंधी बाधाएं**: भारतीय कंपनियों को यूरोप में अपने उत्पादों पर **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज्म (CBAM)** जैसी **गैर-प्रशुल्क बाधाओं** का सामना करना पड़ रहा है।
  - इसी प्रकार, **नौकरशाही संबंधी बाधाएं और जटिल कर प्रणाली** की वजह से भारत में जर्मनी से होने वाले निवेश में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में यह निवेश 25 बिलियन यूरो (27 बिलियन डॉलर) था। भारत में जर्मनी का निवेश, चीन में उसके निवेश का केवल 20% है।
- **सामरिक और भू-राजनीतिक मतभेद:** रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत का रुख तटस्थ रहा है जबकि जर्मनी ने रूसी आक्रामकता का कड़ा विरोध किया है।
- **चीन की भूमिका:** जर्मनी की चीन पर आर्थिक निर्भरता बनी हुई है। इसलिए, भारत और चीन विवाद में भारत के पक्ष में जर्मनी का उतना समर्थन नहीं मिलता जितना कि क्वाड देशों, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान का मिलता है।
- **भारत में मानवाधिकार की आलोचना:** भारत की आंतरिक नीतियों (जैसे- कश्मीर मुद्दा, प्रेस की स्वतंत्रता, आदि) की आलोचना के क्रम में जर्मनी, भारत की कूटनीतिक भावनाओं का उतना ख्याल नहीं रखता है।

---

[20] Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

[21] Indo-German Science and Technology Centre-IGSTC

[22] Women in Science and Engineering Research

आगे की राह

* **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** चीन और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 300 बिलियन यूरो का है। इस मामले में भारत को चीन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए **भारत-यूरोपीय संघ FTA** को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।
* **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहभागिता: द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों** के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ, **7वें अंतर-सरकारी परामर्श** के दौरान घोषित अवसंरचना निवेश को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना आवश्यक है।
* **हरित एवं सतत विकास साझेदारी** जैसी पहलों के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा जैसी **परियोजनाओं के साथ स्वच्छ तकनीक और संधारणीय विकास में सहयोग** बढ़ाना चाहिए।
* **आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना:** सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और औषधियों के उत्पादन पर चीन के वर्चस्व को कम करने में जर्मनी और भारत, दोनों देश भागीदार बन सकते हैं। साथ ही जर्मनी, भारत की **'मेक इन इंडिया'** पहल का भी समर्थन कर सकता है।

2.5. भारत-इटली संबंध (India-Italy Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक की। द्विपक्षीय बैठक के दौरान **संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029** की घोषणा की गई।

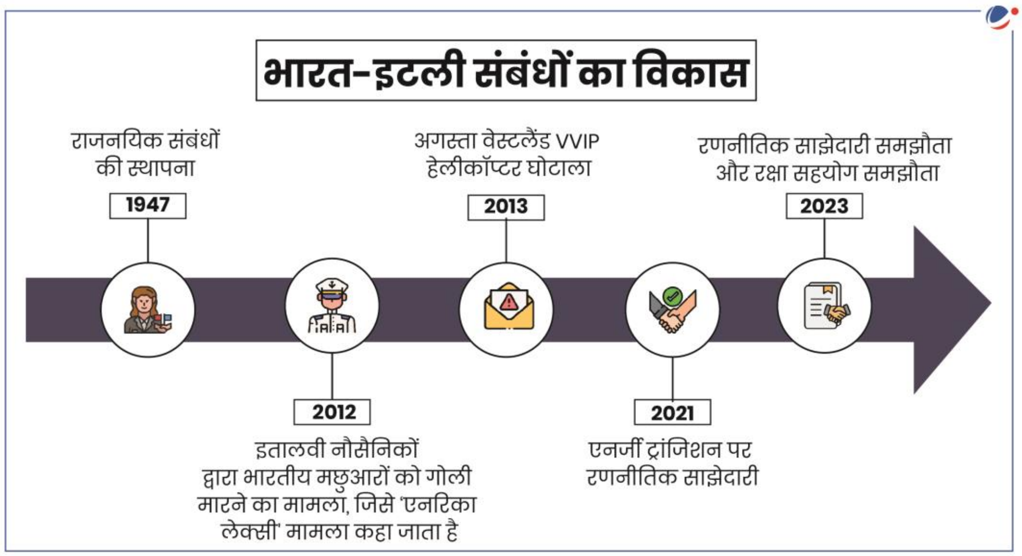

भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना[23] के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

* **आर्थिक सहयोग और निवेश:**
  * इसके तहत **ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर, अवसंरचना और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग** में साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
  * **आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग तथा खाद्य प्रसंस्करण पर संयुक्त कार्य समूह** के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत किया जाएगा।
* **कनेक्टिविटी: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)** पहल के तहत समुद्री और भूमि आधारित अवसंरचना पर सहयोग बढ़ाया जाएगा।
* **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** दोनों देशों ने **वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 2025-27** के कार्यान्वयन के माध्यम से AI एवं डिजिटलीकरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।
  * शैक्षिक एवं औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नया **इंडो-इटालियन इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन एक्सचेंज प्रोग्राम** शुरू किया गया है।
* **अंतरिक्ष क्षेत्रक:** भू-अवलोकन, हेलियोफिजिक्स और अंतरिक्ष अन्वेषण पर **इटैलियन स्पेस एजेंसी (ASI)** और **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** के बीच सहयोग का विस्तार किया जाएगा। इसमें **लूनर साइंस** पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
* **एनर्जी ट्रांजिशन:** दोनों देश 'टेक समिट' आयोजित करने तथा **ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस** और **इंटरनेशनल सोलर अलायंस** जैसे गठबंधनों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं।
* **रक्षा सहयोग:** रक्षा मामलों में समन्वय बढ़ाने के लिए वार्षिक **संयुक्त रक्षा परामर्शदात्री (JDC)[24] बैठकें** और **संयुक्त स्टाफ वार्ता (JST)[25]** आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
  * **रक्षा विनिर्माण में सहयोग बढ़ाने** के लिए **रक्षा औद्योगिक रोडमैप** बनाने पर चर्चा की गई।

---

[23] Joint Strategic Action Plan 2025-2029

[24] Joint Defense Consultative

[25] Joint Staff Talks

भारत-इटली संबंध के बारे में

- **ऐतिहासिक संबंध:** प्राचीन **स्पाइस रुट्स** पर इटली के कई बंदरगाह शहर वास्तव में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र की भूमिका निभाते थे।
  - **13वीं शताब्दी** में **वेनिस** के प्रसिद्ध व्यापारी **मार्को पोलो** ने अपनी पूर्व की यात्रा के दौरान **भारत का भ्रमण** किया था।
- **रणनीतिक संबंध:**
  - 2023 में दोनों देश **रणनीतिक साझेदार** बने थे। इसके तहत हिंद-प्रशांत और भूमध्य सागर क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। **हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI)**[26] और **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)** जैसी पहलों में इटली भी शामिल है।
  - 2023 में चीन की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से इटली बाहर** हो गया था। वह इस पहल में 2019 शामिल हुआ था। तब वह **BRI में शामिल होने वाला G-7 का एकमात्र सदस्य** था।

- **आर्थिक संबंध:**
  - **इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है। प्रथम तीन स्थानों पर **जर्मनी, बेल्जियम** और **नीदरलैंड** हैं।
  - 2023-24 में भारत और इटली के बीच **द्विपक्षीय व्यापार 14.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया। इसमें **भारत से इटली को 8.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात** शामिल है।
  - अप्रैल, 2000 से लेकर जून, 2024 तक **भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में इटली 18वें स्थान पर था।**
- **रक्षा एवं सुरक्षा:** दोनों देशों ने 2023 में **रक्षा सहयोग समझौता** पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य अनुसंधान, औद्योगिक सहयोग और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहयोग बढ़ाना है। इसके अलावा दोनों देश **इटली-भारत सैन्य सहयोग समूह**[27] जैसे फ़ोरम के माध्यम से नियमित वार्ता आयोजित करते हैं।
  - दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक आतंकवाद-रोधी मंच (GCTF)[28] और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)[29] जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से आतंकवाद से निपटने में सहयोग करते हैं।
- **पर्यावरण एवं जलवायु:** भारत के नेतृत्व में शुरू की गई **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)** और **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA)**[30] जैसी पहलों में **इटली भी शामिल** है।
- **दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क:** यूरोपीय संघ के देशों में इटली में **दूसरा सबसे अधिक इंडियन डायस्पोरा** समुदाय रहता है। इटली में इनकी संख्या लगभग 2 लाख है। इनमें भारतीय मूल के लोग (PIOs) भी शामिल हैं।

---

[26] Indo-Pacific Oceans Initiative

[27] Military Cooperation Group

[28] Global Counter Terrorism Forum

[29] Financial Action Task force

[30] Global Biofuels Alliance

- ○ भारत और इटली ने 2023 में **प्रवासन और आवाजाही समझौता** पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को स्नातक के बाद इटली में 12 महीने तक अस्थायी निवास की सुविधा प्रदान करना है।

- **अन्य उभरते क्षेत्र:** हाल ही में **ब्लू एवं स्पेस इकोनॉमी कांफ्रेंस** आयोजित किया गया था। इसमें इटली और भारत के संस्थान एवं कंपनियों ने भाग लिया था। इसमें दोनों पक्षों ने **अंतरिक्ष और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग पर चर्चा** की।
    - ○ इससे पहले, इटली और भारत ने **चंद्रयान-2 मिशन के विकास** में सहयोग किया था। इस स्पेसक्राफ्ट के साथ इटैलियन स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित एक लेजर उपकरण भी भेजा गया था।

आगे की राह

- **संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 का कार्यान्वयन** सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें विशेष रूप से रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रकों में सहयोग बढ़ाने पर बल देना चाहिए।
- प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए **भारत की एक्ट ईस्ट नीति** को **यूरोपीय संघ की हिंद-प्रशांत रणनीति** के साथ समन्वयित किया जाना चाहिए। इटली का **हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) में शामिल होना** सही दिशा में उठाया गया कदम है।
- **'यूरोपीय संघ-भारत FTA'** को शीघ्र पूरा करना चाहिए। इसके अलावा **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज्म (CBAM)** जैसी गैर-प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त करने पर विचार करना चाहिए।
- आतंकवाद व जलवायु परिवर्तन जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए G-20, G-7 और यूरोपीय संघ जैसे **बहुपक्षीय फ़ोरम का लाभ** उठाना चाहिए।
- दोनों देशों को **महोत्सव, पर्यटन और शैक्षिक साझेदारियों के माध्यम** से सांस्कृतिक आदान-प्रदान और एक-दूसरे देश के लोगों के बीच विचार-विनिमय को बढ़ावा देना चाहिए। इससे आपसी विश्वास में कमी को दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा कुशल श्रमिकों की कमी को देखते हुए **भारतीयों को इटली में कार्य करने की अनुमति** देनी चाहिए। इससे इटली को **"डेमोग्राफिक विंटर"** की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
    - ○ **डेमोग्राफिक विंटर** से आशय जन्म दर में कमी से है। इससे देश की आबादी में वृद्ध (आश्रित) लोगों का अनुपात बढ़ जाता है।

2.6. भारत-स्पेन संबंध (India-Spain Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन** एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर आए थे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना था।

प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की भारत यात्रा के मुख्य आउटकम

- **रक्षा विनिर्माण:** भारत के प्रधान मंत्री और प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने वडोदरा में **C295 एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन** का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसे एयरबस स्पेन के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा स्थापित किया गया है।
  - दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौते के तहत, 40 विमानों का निर्माण भारत के **वडोदरा** में किया जाएगा। शेष 16 विमानों को स्पेन से अगस्त 2025 तक भारत में पहुंचा दिया जाएगा।
  - वडोदरा स्थित विनिर्माण सुविधा भारत को एक प्रमुख **विमानन केंद्र** के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। यह न केवल घरेलू मांग को पूरा करेगी बल्कि **विदेशों में विमानों का निर्यात** भी करेगी।
- **निवेश की सुविधा प्रदान करना:** दोनों देशों में आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)[31] तथा स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश महानिदेशालय[32] में **फास्ट ट्रैक तंत्र का गठन** किया जाएगा।
- **वाणिज्य दूतावास का विस्तार करना: बेंगलुरु में स्पेनिश वाणिज्य दूतावास** की स्थापना तथा **बार्सिलोना में भारतीय वाणिज्य दूतावास** के संचालन की घोषणा की गई।
- **सांस्कृतिक सहयोग:**
  - 2024-2028 के लिए **सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम** शुरू किया गया है।
  - **2026** को **भारत-स्पेन संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष** के रूप में घोषित किया गया है।
  - **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)** द्वारा **यूनिवर्सिटी ऑफ वालाडोलिड** में हिंदी और इंडियन स्टडीज के लिए एक नई पीठ की स्थापना की जाएगी।

भारत-स्पेन द्विपक्षीय संबंध

- **कूटनीतिक संबंध:** भारत और स्पेन के बीच **1956** में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। साथ ही, **एसोसिएशन फॉर पीस, ग्रोथ एंड इनोवेशन (APCI)** के तहत 2017 से सुरक्षा, डिफेंस और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग गहरा हुआ है।
  - **यूरोप के साथ भारत के सामरिक संबंधों को बढ़ाने** में स्पेन यूरोपीय संघ का एक प्रमुख देश है।

अन्य संबंधित जानकारी

- **मुक्त व्यापार, निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतकों** पर यूरोपीय संघ–भारत समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता
- **यूरोपीय संघ–भारत कनेक्टिविटी साझेदारी और भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC)** के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने पर बल
- **संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के माध्यम से मुक्त व समावेशी इंडो–पैसिफिक क्षेत्र** सुनिश्चित करना और **आतंकवाद से निपटने** पर बल

---

[31] Department for Promotion of Industry and Internal Trade

[32] Directorate General of International Trade and Investment

- **बहुपक्षीय सहयोग:** स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं में भारत की सदस्यता का समर्थन करता रहा है, उदाहरण के लिए- **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)**[33] की सदस्यता के समय स्पेन का समर्थन।
- **व्यापार और आर्थिक संबंध:**
  - स्पेन **यूरोप** में भारत का **छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है।** 2023 में भारत और स्पेन का द्विपक्षीय व्यापार 9.9 बिलियन डॉलर का था।
  - **स्पेन, भारत में 16वां सबसे बड़ा निवेशक है।** अप्रैल, 2000 से जून, 2024 तक भारत में स्पेन का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4.2 बिलियन डॉलर का था। इसके अलावा, 280 से अधिक स्पेनिश कंपनियां भारत में कार्यरत हैं।
    - **भारतीय कंपनियों** ने स्पेन में मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स और लॉजिस्टिक क्षेत्रकों में **900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है।**
- **डिफेंस और सुरक्षा सहयोग:** वर्ष 2020 में भारत और स्पेन के बीच अगली पीढ़ी के नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास के लिए एक समझौता हुआ था।
  - 2023 के **यूरोपीय संघ-भारत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास** में स्पेन ने भी भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच **पैसेज अभ्यास (PASSEX)** का भी आयोजन होता है।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** स्पेन में लगभग 75,000 भारतीय रहते हैं। इसके अलावा, **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)** स्पेन में योग और शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा भी देती है।

2.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.7.1. प्रथम "त्रिपक्षीय विद्युत लेन-देन" (First Trilateral Power Transaction)

भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल से बांग्लादेश में विद्युत आपूर्ति की गई। यह पहला **त्रिपक्षीय विद्युत लेन-देन** है।

- इससे पहले **NTPC विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड** ने एक त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

त्रिपक्षीय विद्युत समझौते के बारे में

- इस समझौते से **भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली की बाधारहित आपूर्ति** की जा सकेगी।
  - इस समझौते में **40 मेगावाट तक बिजली के निर्यात का प्रावधान** किया गया है।
- इस समझौते से क्षेत्र के देशों के बीच **ऊर्जा क्षेत्रक सहित कई अन्य क्षेत्रकों में सहयोग** बढ़ेगा। इससे इस क्षेत्र के **सभी हितधारकों को पारस्परिक लाभ** होगा और **देशों के बीच संपर्क में वृद्धि** होगी।

2.7.2. चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे का परिचालन शुरू (Chennai-Vladivostok Eastern Maritime Corridor Operational)

इसे **पूर्वी समुद्री गलियारा (Eastern Maritime Corridor: EMC)** के नाम से भी जाना जाता है। इससे **भारत और रूस के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा** मिलेगा।

पूर्वी समुद्री गलियारे (EMC) के बारे में

- इसका विचार **2019 में रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum) की बैठक** के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
- इसका उद्देश्य **पूर्वोत्तर एशिया से होकर भारतीय पत्तन चेन्नई और रूस के व्लादिवोस्तोक के बीच समुद्री मार्ग विकसित** करना है।
- इस समुद्री मार्ग की लम्बाई **10,300 कि.मी.** है।
- यह **मलक्का जलडमरूमध्य, दक्षिण चीन सागर, जापान सागर** आदि से होकर गुजरता है।

---

[33] Missile Technology Control Regime

इस कॉरिडोर का महत्त्व

- **लॉजिस्टिक की लागत में कमी:** इससे **परिवहन के समय में लगभग 16 दिनों की और दूरी में लगभग 40% तक की कमी** आएगी।
    - वर्तमान में **मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) के बीच स्वेज नहर** के माध्यम से माल आवाजाही में लगभग **40 दिन** का समय लगता है और लगभग **16,066 किलोमीटर** की दूरी तय करनी पड़ती है।
- **भारत के समुद्री क्षेत्रक को बढ़ावा देना:** यह क्षेत्रक देश के व्यापार का **मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से 70%** व्यापार संभालता है।
    - यह **मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030** में योगदान करता है, जिसमें समुद्री क्षेत्रक के सभी क्षेत्रों से 150 से अधिक पहलें शामिल हैं।
- **चीन के प्रभुत्व से निपटना:** यह **समुद्री मार्ग दक्षिण-चीन सागर** से भी होकर गुजरता है।
    - **व्लादिवोस्तोक, रूस-चीन सीमा से थोड़ी दूरी** पर स्थित है।
- **भारत की एक्ट फार ईस्ट नीति को बढ़ावा:** यह भारत को रूसी संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है और **पैसिफिक ट्रेड नेटवर्क** में भारत की स्थिति को मजबूत भी करता है।

अन्य महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे

- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (India-Middle East-Europe Economic Corridor: IMEEC):** इसकी घोषणा **2023 में नई दिल्ली में आयोजित G-20 लीडर्स शिखर सम्मेलन** के दौरान की गई थी। यह **एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व** को आपस में जोड़ता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (International North-South Transport Corridor: INSTC):** इस **परिवहन गलियारे के निर्माण का विचार पहली बार वर्ष 2000** में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य **रूस के बाल्टिक सागर तट को ईरान के माध्यम से अरब सागर में भारत के पश्चिमी बंदरगाहों** से जोड़ना है।

2.7.3. USA, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए डिजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए (U.S., Japan and South Korea Signed Digi Framework)

डिजी फ्रेमवर्क का उद्देश्य साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ साझेदारी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कोरिया गणराज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

डिजी फ्रेमवर्क

- **साझेदार एजेंसियां:** इसमें **यू.एस. इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया** शामिल है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के लिए **भारतीय निजी क्षेत्रक के साथ सहयोग को आगे बढ़ाना** है।
- **कार्यान्वयन:** यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में 5G, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN), सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी परियोजनाओं का समर्थन करेगा।

भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

- भारत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले DPIs को सामूहिक रूप से **इंडिया स्टैक** के नाम से जाना जाता है। **इसके तीन अलग-अलग स्तर हैं-**
    - डिजिटल पहचान (**आधार**),
    - रियाल टाइम में त्वरित भुगतान **(UPI)** और
    - डेटा शेयरिंग आर्किटेक्ट **(डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्ट)।**
- **DPI का महत्त्व:**
    - **समावेशी विकास:** DPI ने भारत को **2018-2023 के दौरान 80% वित्तीय समावेशन हासिल** करने में मदद की है। साथ ही, **कोविड-19 के दौरान 87% गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में सहायता** प्रदान की है।
    - **आर्थिक संवृद्धि:** वित्तीय क्षेत्रक में DPI को लागू करके देश की आर्थिक संवृद्धि में 33% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

- **उत्सर्जन में कमी:** जलवायु क्षेत्रक में कार्बन ऑफसेट और व्यापार, भूमि मानचित्रण तथा मौसम संबंधी जानकारी एवं निगरानी में DPI के कार्यान्वयन से अगले 5-10 वर्षों में उत्सर्जन को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है।

DPIs को वैश्विक बनाने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास

- **एशिया और अफ्रीका** में उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग को अपनाने के लिए अमेरिका-भारत वैश्विक डिजिटल विकास साझेदारी संपन्न की गई है।
- भारत के नेतृत्व में **G-20 के तहत G-20 फ्रेमवर्क फॉर सिस्टम ऑफ DPI** को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य **DPIs को डिजाइन करने और उपयोग में लाने हेतु सिद्धांतों की रूपरेखा** तैयार करना है।
- दुनिया भर से DPI-केंद्रित उपकरणों, संसाधनों और अनुभवों की होस्टिंग के लिए **भारत द्वारा वर्चुअल ग्लोबल DPI रिपॉजिटरी स्थापित** की जा रही है।

2.7.4. दूसरा 'भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन' गुयाना में संपन्न हुआ (2nd India-Caricom Summit Concluded In Guyana)

भारत और कैरेबियाई समुदाय (कैरिकॉम/ CARICOM) के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने **सात प्रमुख स्तंभों (पिलर्स) का प्रस्ताव** प्रस्तुत किया है।

- **भारत द्वारा प्रस्तावित सात स्तंभों का संक्षिप्त नाम C-A-R-I-C-O-M ही है। ये स्तंभ हैं-**
  - क्षमता निर्माण (C),
  - कृषि और खाद्य सुरक्षा (A),
  - नवीकरणीय ऊर्जा व जलवायु परिवर्तन (R),
  - नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार (I),
  - क्रिकेट और संस्कृति (C),
  - महासागर अर्थव्यवस्था (O) तथा
  - चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल (M)।
- **पहला भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन** 2019 में आयोजित किया गया था।

कैरिकॉम के बारे में

- यह 1973 में स्थापित एक **क्षेत्रीय संगठन** है। इसका उद्देश्य कैरिबियन देशों के बीच **आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा** देना है।
- इसमें **15 सदस्य देश और 6 एसोसिएट सदस्य** हैं। इसके सदस्यों में **एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज** आदि शामिल हैं।

भारत के लिए कैरिकॉम का महत्त्व

- **बहुपक्षीय मंचों पर भारत का समर्थन:** एंटीगुआ और बारबुडा जैसे कैरिकॉम के सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर **भारत के पक्ष का समर्थन** करते हैं।
  - जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन।

- **साउथ-साउथ कोऑपरेशन:** कैरिकॉम के सदस्य देशों ने भारत द्वारा आयोजित **तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, 2024 में भाग** लिया था।
- **रक्षा निर्यात:** उदाहरण के लिए, हाल ही में **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने गुयाना को दो डोर्नियर 228 विमान निर्यात** किए थे।
- **जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग:** उदाहरण के लिए- **सूरीनाम** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल हुआ है।

अन्य दृष्टि से महत्त्व:

- कैरिकॉम देश भारत के लिए **लैटिन अमेरिका में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य** करते हैं।
- दोनों पक्ष **आपदा-रोधी क्षमता बढ़ाने में सहयोग** कर रहे हैं। जैसे-आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन।
- त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे **कैरिबियन देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय** रहते हैं आदि।

2.7.5. आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस {Asean Defence Ministers' Meeting-PLUS (ADDM-PLUS)}

भारत के रक्षा मंत्री ने **लाओ पीडीआर के वियनतियाने में 11वें ADDM- प्लस के अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्री** से भेंट की।

ADDM- प्लस के बारे में

- इसमें **आसियान के 10 सदस्य देश और 8 संवाद साझेदार** शामिल हैं।
    - संवाद साझेदारों में **ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका** शामिल हैं।
- **ADDM- प्लस की पहली बैठक 2010 में वियतनाम** की राजधानी **हनोई** में आयोजित हुई थी।
- 2017 से, **ADDM-प्लस के मंत्री आसियान और आसियान प्लस देशों के बीच संवाद व सहयोग** को आगे बढ़ाने के लिए **प्रतिवर्ष बैठक** करते हैं।
- इसका उद्देश्य क्षेत्र में **शांति, स्थिरता और विकास** सुनिश्चित करने के लिए **सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग** को मजबूत करना है।
- इसमें व्यावहारिक सहयोग के **सात क्षेत्रकों पर ध्यान** केंद्रित किया गया है। ये क्षेत्रक हैं- **समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR), शांति अभियान, सैन्य चिकित्सा, मानवीय दृष्टि से लैंडमाइन हटाने की कार्रवाई और साइबर सुरक्षा।**

2.7.6. भारतीय रासायनिक परिषद को OPCW-द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया (Indian Chemical Council Wins OPCW-The Hague Award)

OPCW द हेग पुरस्कार 2024, भारतीय रासायनिक परिषद को प्रदान किया गया।

- **रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)** ने **भारतीय रासायनिक परिषद** को **द हेग पुरस्कार** से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार **रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने** और **रासायनिक हथियार कन्वेंशन (CWC) के सख्त पालन** के लिए दिया गया है।
- यह **पहली बार** है जब **रासायनिक उद्योग से संबंधित किसी संस्था** को उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।
- 2014 में **रासायनिक हथियार निषेध संगठन** द्वारा CWC के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए द हेग पुरस्कार की स्थापना की गई थी।

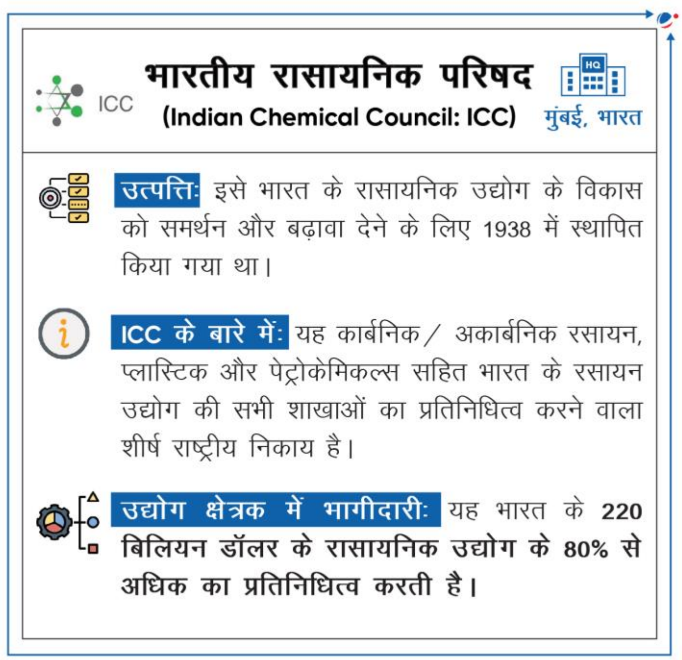

रासायनिक हथियार कन्वेंशन (CWC) के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह कन्वेंशन **1997** में लागू हुआ था और वर्तमान में **193 देश** इसके पक्षकार हैं।
    - भारत इस कन्वेंशन का **मूल हस्ताक्षरकर्ता** देश है।
- **उद्देश्य: सदस्य देशों द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, उन्हें प्राप्त करने, भण्डारण, हस्तांतरण या उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर** सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को समाप्त करना।

- **कार्यान्वयन: OPCW** इसका कार्यान्वयन निकाय है, जिसका मिशन **विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त** बनाना है।
    - OPCW को **2013 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित** किया गया था।
    - **रासायनिक हथियार** विषाक्त रसायन होते हैं, जिनका उपयोग किसी को मारने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है।
        - रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत ऐसे गोला-बारूद, उपकरण और अन्य सामग्रियां भी आती हैं, जो विशेष रूप से विषैले रसायनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हों।
- **भारत में कार्यान्वयन: नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन (NACWC)** भारत में CWC के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय प्राधिकरण है।
    - NACWC की स्थापना **रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम, 2000** के तहत की गई थी।

2.7.7. काहिरा कॉल टू एक्शन (Cairo Call to Action)

12वें वर्ल्ड अर्बन फोरम (WUF) की बैठक **काहिरा (मिस्र)** में आयोजित हुई। बैठक के समापन पर **10-सूत्रीय काहिरा कॉल टू एक्शन** को अपनाया गया।

- **वर्ल्ड अर्बन फोरम की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र** द्वारा की गई थी। यह **संधारणीय शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन** है।

'काहिरा कॉल टू एक्शन' के मूल तत्व

- **इसमें निम्नलिखित के बारे में अपील की गई है:**
    - विश्व भर में **आवास की कमी को दूर** करने की दिशा में तत्काल कार्रवाई; **अर्बन स्पेस** को समावेशी रूप से साझा करना; और स्थानीय स्तर पर बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए **शहरी नियोजन** पर जोर देना चाहिए।
    - **स्थानीय स्तर की कार्रवाई** को बढ़ावा देकर वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना; सभी स्तरों पर स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व देना; और **स्थानीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए गठबंधन** बनाना चाहिए।
    - शहरों और समुदायों के कल्याण के लिए **वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था** करनी चाहिए तथा **समानता और न्याय** सुनिश्चित करना चाहिए।
    - निर्णय लेने के लिए **स्थानीय और जमीनी स्तर के डेटा का उपयोग** करना चाहिए।
    - संधारणीयता के लिए **परिसंपत्ति के रूप में संस्कृति और विरासत का उपयोग** करना चाहिए।

2.7.8. अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (International Cooperative Alliance: ICA)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) का वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है।

- ICA के 130 वर्षों के इतिहास में **पहली बार यह सम्मेलन भारत में** आयोजित हो रहा है।
- **सम्मेलन की थीम है: "सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है।"** यह थीम भारत सरकार के **"सहकार से समृद्धि"** विज़न के अनुरूप है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) के बारे में

- **स्थापना:** इसे **1895 में लंदन** में स्थापित किया गया था।
- यह **वैश्विक संगठन** दुनिया भर में सहकारी समितियों को **एकजुट** करने के अलावा उनका **प्रतिनिधित्व** भी करता है तथा उन्हें **सेवा भी प्रदान** करता है।
- **सदस्य: 105 देशों के 306** सदस्य संगठन।
- यह **सहकारी आंदोलन के लिए सर्वोच्च संगठन** के रूप में कार्य करता है। यह **सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और समन्वित कार्रवाई** के लिए एक वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

2.7.9. ट्राइटन द्वीप (Triton Island)

उपग्रह से लिए गए हालिया चित्रों से **ट्राइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण** का पता चला है।

ट्राइटन द्वीप के बारे में:

- यह द्वीप **पैरासेल्स (दक्षिण चीन सागर)** में अवस्थित है। इसे चीन में **ज़िशा द्वीप समूह** कहा जाता है।
- यह प्रभावी रूप से **चीन द्वारा नियंत्रित** है, लेकिन **वियतनाम और ताइवान भी इस पर अपना दावा** करते हैं।
- गौरतलब है कि 1974 के नौसैनिक संघर्ष के बाद चीन ने **दक्षिण वियतनाम से पैरासेल्स अपने अधिकार** में ले लिया था।
- ट्राइटन द्वीप पर सैन्य निर्माण **दक्षिण चीन सागर में सैन्य प्रभुत्व स्थापित करने की चीन की रणनीति को दर्शाता** है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

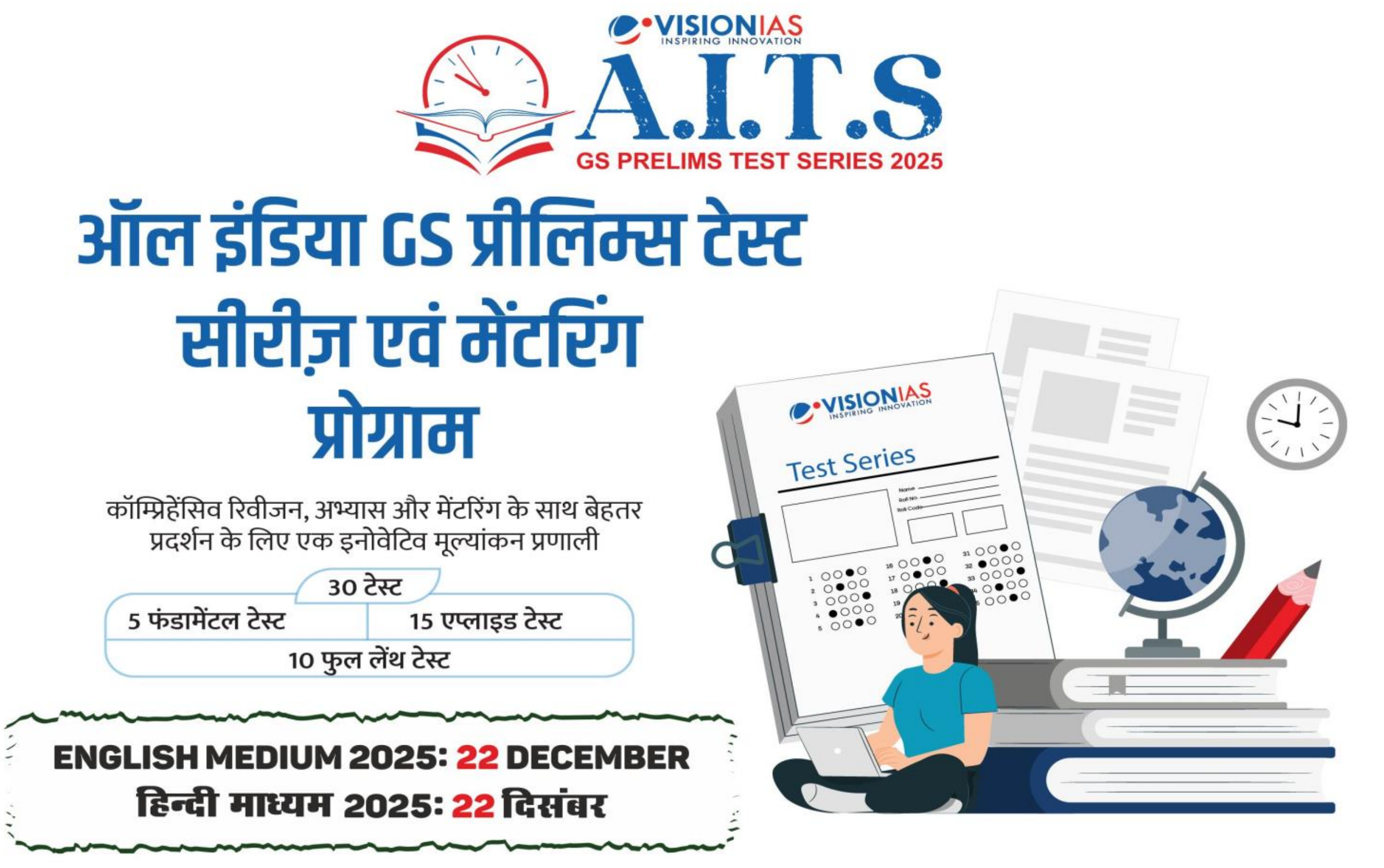

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. बड़े व्यापार समझौतों का महत्त्व (Importance of Large Trade Agreements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** के **सी.ई.ओ.** ने सुझाव दिया कि भारत को **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)**[34] और **कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP)** जैसे **बड़े व्यापार समझौतों में शामिल** होना चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

- **वर्ल्ड बैंक** के **'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट'** में भी भारत को अपनी व्यापार लागत को कम करने, व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने और RCEP जैसे FTAs में शामिल होने पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया गया है।
  - **मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement: FTA):** FTA **दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता** होता है जिसके तहत वे आपस में वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को आसान बनाने के लिए कुछ नियमों पर सहमत होते हैं। इसमें व्यापार के साथ-साथ, निवेश की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण आदि शामिल हो सकते हैं।
- हालांकि, **ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI)** ने भारत को RCEP में शामिल होने के बारे में विचार करने के **विश्व बैंक के सुझाव पर असहमति जताई है।**

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के बारे में

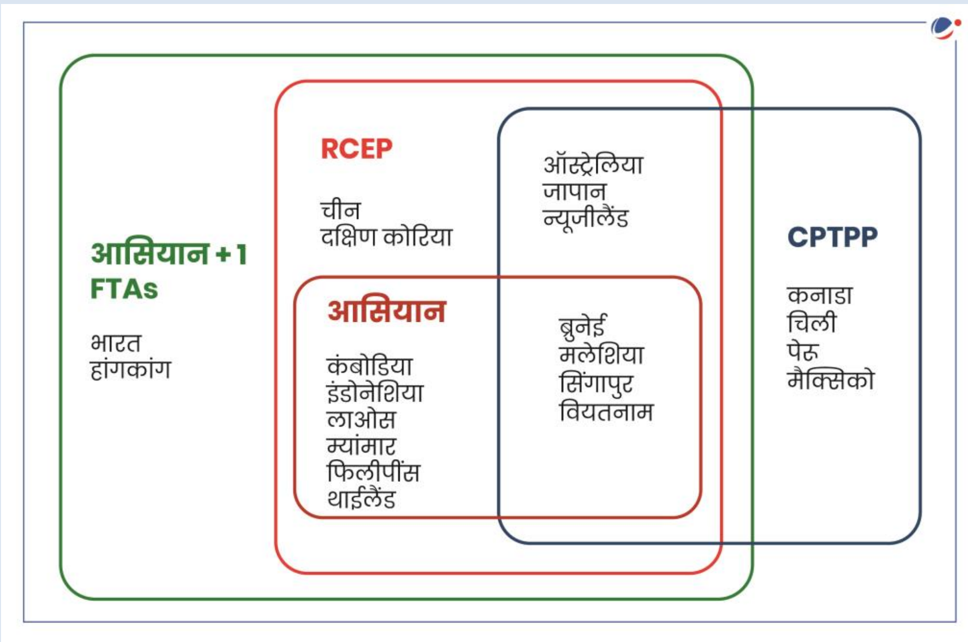

- यह **आसियान समूह के 10 सदस्य देशों** एवं आसियान के 5 FTA भागीदार देशों **(ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया** और **न्यूजीलैंड)** के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।
- **उद्देश्य:** RCEP का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों और आसियान के FTA साझेदारों के बीच एक नया, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक साझेदारी समझौता स्थापित करके **क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना** है। इस साझेदारी का उद्देश्य सभी भागीदार देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना है।
- RCEP पर **2013** में वार्ता शुरू हुई थी। इस पर **2020** में हस्ताक्षर किए गए।
  - **वर्ष 2019 में भारत इस समझौता वार्ता से बाहर हो गया था।**
- यह **सदस्यों की GDP के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता** है। इसके सदस्य देश **वैश्विक GDP के लगभग 30%** और **दुनिया की आबादी के लगभग एक-तिहाई** का प्रतिनिधित्व करते हैं।

---

[34] Regional Comprehensive Economic Partnership

कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) के बारे में

- **CPTPP** कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और जापान के बीच एक **मुक्त व्यापार समझौता** है। ये इसके **11 संस्थापक सदस्य देश** हैं।
    - **दिसंबर, 2024** में **यूनाइटेड किंगडम** भी **आधिकारिक तौर पर CPTPP में शामिल** हो गया। अब इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर **12** हो गई है।
- CPTPP वैश्विक GDP के **11.4%** और **दुनिया की आबादी के लगभग 6.5%** हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

बड़े व्यापार समझौतों में भागीदारी का महत्त्व

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण:** बड़े व्यापार समूहों/ समझौतों में शामिल होने से भारत की **आपूर्ति श्रृंखला का विकास और प्रसार** हो सकता है। इसके कारण **वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत का एकीकरण** और भी मजबूत होगा।
    - **उदाहरण के लिए-** व्यापार समझौतों में शामिल होने से स्वदेशी उद्योगों को आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं एवं इनपुट को आसानी से आयात करने में मदद मिलेगी, जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा और वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा:** भारत से होने वाले **कुल निर्यात में MSMEs की 40%** हिस्सेदारी है। इसलिए, क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से MSMEs को लाभ हो सकता है।
    - व्यापार समूह भारतीय कंपनियों को **बड़े निर्यात बाजारों तक पहुंच** प्रदान कर सकते हैं। इससे भारतीय कंपनियों की विनिर्माण क्षमता का सदुपयोग सुनिश्चित होगा।
- **व्यापार में प्रतिस्पर्धी बने रहना:** भारतीय निर्यात के लिए **आसियान देश** मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं। यदि भारत भी **आसियान देशों के बराबर का प्रशुल्क** लगाता है, तो यह निजी निवेश को और आकर्षित कर सकता है। इससे अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली **'चीन प्लस वन' रणनीति** का भी लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
    - इससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।
    - एक स्वतंत्र अध्ययन में पाया गया है कि RCEP में शामिल होने पर, **भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक 60 बिलियन यू.एस. डॉलर का लाभ हो सकता** है।

शब्दावली को जानें

'चीन प्लस वन' रणनीति

- यह **चीन में संचालित अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा केवल चीन में अपने निवेश** को केंद्रित करने की बजाय विश्व के अन्य देशों में भी निवेश करने की रणनीति है। आमतौर पर इन कंपनियों द्वारा अन्य एशियाई देशों में भी अपने व्यावसायिक केंद्र स्थापित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। वास्तव में इस नीति का उद्देश्य **सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता को कम** करना है।

- **रणनीतिक उपयोगिता:** व्यापार समूहों की सदस्यता **क्षेत्रीय व्यापार नीतियों,** विशेषकर व्यापार उदारीकरण, लोगों की वीजा मुक्त आवाजाही और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में **नीतिगत प्रभाव डालने के अवसर** प्रदान करती है।
    - **उदाहरण के लिए-** RCEP भारत की **एक्ट ईस्ट नीति** के उद्देश्यों के अनुरूप है, जबकि CPTPP **हिंद-प्रशांत क्षेत्र** में भारत की भागीदारी को और बढ़ा सकती है।

चुनौतियां

- **व्यापार असंतुलन:** RCEP में चीन का व्यापारिक प्रभाव अधिक है और इस व्यापार समूह से उसे ही सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। इससे चीन के साथ **भारत का विशाल व्यापार घाटा और बढ़** सकता है। गौरतलब है कि **वित्त वर्ष 2023-24 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा** 85 बिलियन यू.एस. डॉलर के आस-पास रहा था।
    - **चीन** के साथ **आसियान का व्यापार घाटा** 2020 में 81.7 बिलियन डॉलर था, जो बढ़कर 2023 में 135.6 बिलियन डॉलर हो गया।
- **सीमित लाभ:** भारत का RCEP के 15 में से 13 सदस्यों के साथ पहले से ही **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** मौजूद हैं। केवल **न्यूजीलैंड और चीन के साथ ही भारत का मुक्त व्यापार समझौता नहीं** है।

 ©Vision IAS

- **भारत का अलग अप्रोच:** कराधान उपायों, निवेशक-सरकार विवाद निपटान (ISDS)[35], निवेशक की सुरक्षा से जुड़े बाध्यकारी प्रावधान जैसे विषयों पर भारत का रुख इस तरह के व्यापार समझौतों के दृष्टिकोण से अलग होता है।
    - **उदाहरण के लिए- मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)** सिद्धांत को **2015** की **मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)**[36] में शामिल नहीं किया गया था।
- **कड़ी प्रतिस्पर्धा:** मुक्त व्यापार समझौतों के तहत **प्रशुल्क दरें कम या शून्य** होने से भारत में **सस्ते आयातों की बाढ़ आने का खतरा** रहता है। इससे घरेलू उद्योगों, विशेषकर उन उद्योगों को नुकसान हो सकता है जो आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। भारत का **डेयरी सेक्टर** एक ऐसा ही उदाहरण है।
- **स्वदेशी उद्यम के लिए चुनौती:** मुक्त व्यापार समझौतों के सख्त प्रावधान **भारत की स्थानीय उद्यमिता और विनिर्माण व्यवस्था** के विकास में बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इन समझौतों में कई तरह की पाबंदियों को भी शामिल किया जाता है।
    - **उदाहरण के लिए-** मुक्त व्यापार समझौतों में **श्रमिकों की कार्य-दशाएं, पर्यावरण संरक्षण पर सख्त मानदंड** आदि अपनाए जाते हैं। इनमें शामिल होने से भारत को इन मानदंडों का पालन करना होगा।

आगे की राह

- **मुक्त व्यापार समझौतों पर पुनर्विचार और फिर से वार्ता शुरू करना:** बड़े व्यापार समझौतों में शामिल होने से पहले **गहन चर्चा और विचार-विमर्श** की आवश्यकता होती है। इन समझौतों से **सभी हितधारकों** को होने वाले लाभ और हानि का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- **व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करना: गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करने** और **व्यापार विविधीकरण को बढ़ावा देने** से वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भारत के एकीकरण में सुधार करने में सहायता मिलेगी।
- **निरंतर वार्ता:** भारत को **बड़े व्यापार समझौतों में अपने अनुकूल शर्तों** पर वार्ता जारी रखने की आवश्यकता है।
- **दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देना:** बड़े व्यापार समझौतों में प्रवेश करते समय **आत्मनिर्भर भारत**, **वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य** और **रणनीतिक स्वायत्तता** को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की **आर्थिक विकास यात्रा अनूठी** रही है। वैसे **व्यापार,** आर्थिक विकास का एक प्रमुख पहलू है लेकिन किसी भी वैश्विक व्यापार समझौते में शामिल होने से पहले उसके **बाध्यकारी शर्तों और उनसे भारत को होने वाले शुद्ध लाभों का विश्लेषण** किया जाना चाहिए। चूंकि **वैश्विक ताकतें** भारत को इन बड़े व्यापार समझौतों में शामिल होने के लिए **प्रोत्साहित कर रही हैं,** ऐसे में भारत को तर्कसंगत और व्यावहारिक विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

***नोट:** भारत के व्यापार घाटे के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जून 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.3. देखें।*

[35] Investor-State Dispute Settlement

[36] Bilateral Investment Treaty

3.2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग योजनाओं के तहत कई राज्यों में महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- आठ राज्यों में अलग-अलग योजनाओं के तहत लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपये की राशि महिलाओं को वितरित की जा रही है। यह **राशि संबंधित राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 3 से 11 प्रतिशत** है।
- रिपोर्ट में इस तरह की **योजनाओं के सकारात्मक पहलू को भी रेखांकित किया गया** है, क्योंकि इससे कम आय वाले **परिवारों की खपत एवं उपभोग व्यय में वृद्धि हुई** है।
- **रिपोर्ट में वर्णित कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं:**
    - **गृह लक्ष्मी:** इस योजना के तहत **कर्नाटक सरकार** परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपये देती है।
    - **मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना:** इस योजना के तहत **महाराष्ट्र सरकार** 21-60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये उनके खातों में ट्रांसफर करती है।
    - **मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना:** इस योजना के तहत **मध्य प्रदेश सरकार** पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,250 रुपये उनके खातों में ट्रांसफर करती है।
    - **सुभद्रा योजना: ओडिशा सरकार** की इस योजना में 21-60 वर्ष की पात्र महिलाओं को पांच वर्ष की अवधि में 50,000 रुपये देने का प्रावधान है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के बारे में

- **शुरुआत:** DBT की शुरुआत **1 जनवरी, 2013** को हुई थी।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य **नकद सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के लाभों** को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करना है। इसका लक्ष्य है **भ्रष्टाचार और लीकेज को कम करना, लाभार्थियों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाना तथा वितरण प्रणाली में होने वाली देरी को खत्म करना।**

> **शब्दावली को जानें**
>
> **इंडिया स्टैक (IndiaStack)**
>
> यह **एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs)** का एक समूह है, जो **सरकारों, व्यवसायों, स्टार्ट–अप्स और डेवलपर्स** को एक यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।

- **DBT पहल के तहत सहायता देने का तरीका:**
    - **कैश ट्रांसफर:** उदाहरण- प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (किसान आय सहायता), पेंशन (वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन), छात्रवृत्ति आदि।
    - **वस्तुओं के रूप में सहायता:** उर्वरक सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज वितरण (PDS), मध्याह्न भोजन या मिड डे मील (पी.एम. पोषण), आदि।
- **कार्यप्रणाली (इंडिया स्टैक पर आधारित):**
    - **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)[37]:** इसे पहले **केंद्रीय योजना निगरानी प्रणाली (CPSMS)[38]** के नाम से जाना जाता था। यह वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। यह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के **आधार पेमेंट ब्रिज (APB)** सिस्टम के माध्यम से लाभार्थियों की सूची तैयार करना, डिजिटल सिग्नेचर एवं पेमेंट प्रोसेसिंग जैसे कार्य करती है।

> **क्या आप जानते हैं?**
>
> कोविड–19 महामारी के दौरान 30 मार्च, 2020 को PFMS ने एक ही दिन में 2.19 करोड़ लेन–देन दर्ज किए।

---

37 Public Financial Management System

38 Central Plan Schemes Monitoring System

- **JAM (जन धन-आधार-मोबाइल) ट्रिनिटी:** लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए, उनके **आधार नंबर** से लिंक **जन धन खाते** और **मोबाइल नंबर** को आपस में जोड़ा गया है।}}
- **बैंकिंग अवसंरचना:** DBT पहल के तहत वित्तीय समावेशन और फंड ट्रांसफर के लिए **बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, पेमेंट बैंक** और **आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)**[39] का उपयोग किया जाता है।
- **UPI एकीकरण:** यह पहल अलग-अलग पेमेंट सिस्टम के बीच समन्वय सुनिश्चित करती है। इससे सब्सिडी एवं लाभ/ सेवाओं के वितरण में सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रकों की भागीदारी संभव हो पाती है।

DBT इकोसिस्टम ने भारत में सामाजिक कल्याण में कैसे बदलाव लाया है?

- **योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन:** 2016 से अब तक DBT के माध्यम से **90 करोड़ लोगों को 450 से अधिक योजनाओं का लाभ पहुंचाया** गया है और 450 बिलियन डॉलर की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है।
  - यह राशि **केंद्र सरकार के कल्याण और सब्सिडी बजट के 60%** के बराबर है।
- **कोविड-19 के दौरान सहायक:** लॉकडाउन के दौरान DBT बहुत प्रभावी सिद्ध हुई थी। मार्च और अप्रैल, 2020 के बीच पी.एम.-किसान और मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत 11.42 करोड़ लाभार्थियों को 27,442 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
  - राज्यों ने 180 कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 4.59 करोड़ लाभार्थियों को 9,217 करोड़ रुपये वितरित किए थे।
- **वित्तीय समावेशन:** DBT को दक्षतापूर्वक लागू करने के लिए, **प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY)** के तहत **46 करोड़ से अधिक बैंक खाते** खोले गए हैं। इनमें **67%** बैंक खाते **ग्रामीण और अर्ध-शहरी जिलों** में खोले गए हैं। PMJDY के तहत **56% बैंक खाते महिलाओं** के हैं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** DBT को आधार नंबर से जोड़ने के बाद **9 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थियों की पहचान** की गई है। इससे वास्तविक लाभार्थियों की पहचान हो सकी है और सरकार को **40 बिलियन डॉलर की बचत** हुई है। इससे पहले सरकार को प्रतिवर्ष अपनी GDP के 2% के बराबर का नुकसान झेलना पड़ता था।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:**
  - **मैनुअल स्कैवेंजर्स** के लिए **स्व-रोजगार जैसे पुनर्वास कार्यक्रमों** के माध्यम से **सामाजिक प्रगति सुनिश्चित की गई** है।
  - किसानों को उर्वरक, बीमा और अन्य कृषि इनपुट सीधे प्रदान करके तथा बीमा योजनाओं के लाभों को उनके खातों में ट्रांसफर करके **कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत** बनाया गया है।
  - प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के तहत जन धन खातों में कैश ट्रांसफर के माध्यम से **महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि** की गई है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने **भारत की DBT पहल की प्रशंसा करते हुए इसे एक "लॉजिस्टिक मार्वेल"** करार दिया है, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को लाभ पहुँचा है।
  - **विश्व बैंक के अध्यक्ष** ने भी कैश ट्रांसफर के माध्यम से **85% ग्रामीण और 69% शहरी परिवारों** तक सीधे लाभ पहुंचाने वाली DBT की सफलता की प्रशंसा की है।

DBT से जुड़ी हुई चिंताएं और आलोचनाएं

- **दक्षता पर अधिक निर्भरता:**
  - DBT जैसे प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को प्राथमिकता देने से **राज्य की अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता की उपेक्षा हो सकती** है।
  - यह **शिक्षा और स्वास्थ्य** देखभाल जैसी सार्वजनिक सेवाओं में व्यवस्थागत खामियों को दूर करने में विफल रही है।
- **गरीबों को निजी क्षेत्रक के विकल्पों की ओर धकेलना:** कैश ट्रांसफर की वजह से **बुनियादी सेवाएं प्राप्त करने का बोझ गरीबों पर डाल दिया जाता है।** गरीब लोग अक्सर निजी क्षेत्रक से सेवाएं प्राप्त करने में अक्षम सिद्ध होते हैं।
- **अस्थायी समाधान:** कैश ट्रांसफर तात्कालिक और अल्पकालिक समाधान है। यह वास्तव में गरीबी और असमानता जैसी जटिल व दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा है।

---

[39] Aadhaar-enabled Payment Systems

- **सीमित पहुंच:**
    - **भौगोलिक बाधाएं:** दूर-दराज वाले इलाकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं और डिजिटल अवसंरचनाओं का अभाव है। इससे कई लाभार्थियों को DBT सेवाओं का लाभ प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
    - **वित्तीय साक्षरता की कमी:** देश की आबादी के एक बड़े हिस्से, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में वित्तीय साक्षरता की कमी है। उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है। इससे वे योजना के लाभार्थी के रूप में अपना नाम शामिल नहीं करवा पाते हैं।
- **लाभार्थियों की पहचान:** कई योजनाओं के लाभार्थियों की सूची में बड़ी संख्या में ऐसे नाम भी हैं जो पात्र नहीं हैं, वहीं कई मामलों में वास्तविक लाभार्थियों के ही नाम शामिल नहीं हैं।
    - **उदाहरण के लिए-** 2022 में, e-KYC मानदंडों को अपडेट करने में विफलता के कारण लगभग **6.65 लाख किसानों को पी.एम. किसान योजना का लाभ नहीं** मिला।
- **अन्य समस्याएं:**
    - DBT पहल के **क्रियान्वयन में कई चुनौतियां** हैं, जैसे कि लेनदेन पूरा न होना, विभिन्न भुगतान प्रणालियों में एकरूपता का अभाव और सबसे महत्वपूर्ण बात, काश्तकार या बंटाईदार किसान जैसे वंचित समूहों तक लाभ नहीं पहुंच पाना।
    - बैंकों और सरकारी एजेंसियों के बीच **बेहतर संवाद का अभाव** है। इसके अलावा लाभार्थियों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए **शिकायत निवारण तंत्र की भी कमी** है।

आगे की राह

- **सुधार लक्ष्य:**
    - **DBT 2.0** के तहत कवरेज का विस्तार करना चाहिए तथा **आधार संख्या के माध्यम से ऑनलाइन पात्रता सत्यापन** पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा **रियल टाइम आधार पर** नागरिकों को आसानी से योजना का लाभ पहुंचाने हेतु तकनीकों के एकीकरण में सुधार करना चाहिए।
    - **DBT 3.0** के तहत **राष्ट्रीय स्तरीय सामाजिक रजिस्ट्री** और **केंद्रीकृत डेटाबेस** बनाना चाहिए। इसमें **राज्य सरकारों की सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों** से मदद ली जा सकती है। इनमें **कर्नाटक की कुटुंब** एवं **राजस्थान की जन आधार** पहलें शामिल हैं।
- **लाभार्थियों की पहचान के लिए आउटरीच कार्यक्रम:** अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक श्रमिकों के पास पहचान-पत्र नहीं होता है। इस वजह से कई योजनाओं की लाभार्थी सूची में उनका नाम शामिल नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों का नाम शामिल करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए।
- **पहुँच:** स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के सहयोग से **ग्रामीण लोगों की डिजिटल साक्षरता** बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में **अच्छी तरह से प्रशिक्षित कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs)** और **बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट** के नेटवर्क का विस्तार करके **DBT सेवाओं को सुलभ** बनाया जा सकता है।
- **शिकायत निवारण तंत्र: सिंगल विंडो शिकायत निवारण प्रणाली** स्थापित की जानी चाहिए, जो स्थानीय ग्राम पंचायत स्तर पर सुलभ हो। इससे लाभार्थी पेमेंट या नाम दर्ज कराने से जुड़ी शिकायतें आसानी से दर्ज करा सकते हैं।
    - साथ ही, लाभार्थियों से योजना के उनके अनुभव के बारे में रियल टाइम आधार पर सुझाव लेकर नीति में बदलाव और व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।
- **वैश्विक प्रभाव:** इस योजना के लाभों को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, दोनों क्षेत्रों के देशों के साथ साझा करके भारत के नेतृत्व को मजबूत किया जा सकता है। इसकी वजहें निम्नलिखित हैं:
    - **DBT दुनिया भर में गरीबी को दूर करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने** वाला एक बेहतर मॉडल है।
    - यह **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर** और **नागरिक कल्याण** पर वैश्विक चर्चाओं में भारत को प्रमुख स्थान दिला सकता है।

3.3. ग्रामीण गैर-कृषि अर्थव्यवस्था (Rural Non-Farm Economy: RNFE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जारी **"ग्रामीण युवा रोजगार की स्थिति[40] 2024" रिपोर्ट** से पता चलता है कि अधिकतर ग्रामीण युवा कृषि को अरुचिकर या कम आकर्षक पेशा मानते हैं। वे लघु व्यवसायों सहित गैर-कृषि क्षेत्रकों की नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं।

---

[40] State of Rural Youth Employment

अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट **डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट (DUI)** ने तैयार की है। यह संस्था ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (TRI), संबोधि रिसर्च तथा ग्लोबल डेवलपमेंट इनक्यूबेटर (GDI) की एक संयुक्त पहल है।
- रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, **70% ग्रामीण युवाओं** ने कृषि को **कम उत्पादकता और कम लाभप्रदता** के कारण प्राथमिकता नहीं दी।

क्या आप जानते हैं?

> **देश की कुल जनसंख्या का दो-तिहाई भाग और 70 प्रतिशत कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों** में निवास करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था **राष्ट्रीय आय में लगभग 46% का योगदान करती** है।

ग्रामीण गैर-कृषि अर्थव्यवस्था (RNFE) के बारे में

- ग्रामीण गैर-कृषि अर्थव्यवस्था को **स्थानिक (Spatially)** और **कार्यात्मक (Functionally)** रूप से परिभाषित किया जाता है। इस संदर्भ में, **स्थानिक आयाम** ग्रामीण क्षेत्रों को और **कार्यात्मक आयाम** गैर-कृषि गतिविधियों को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, **RNFE** भौगोलिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होती है और यह कृषि उत्पादन से संबंधित नहीं होती है। इस प्रकार, RNFE में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:
  - **मूल्य श्रृंखला:** कृषि प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण, विपणन;
  - **रिटेल या खुदरा गतिविधि:** पर्यटन, विनिर्माण, निर्माण और खनन;
  - **स्वरोजगार:** हस्तशिल्प, बेकरी, मैकेनिक्स, कियोस्क, इत्यादि।
- हालांकि, **ग्रामीण अर्थव्यवस्था** में परंपरागत रूप से **कृषि** प्राथमिक गतिविधि रही है, लेकिन **ग्रामीण आय का दो-तिहाई हिस्सा अब गैर-कृषि गतिविधियों यानी RNFE** से आता है।
  - भारत में **विनिर्माण क्षेत्रक** में जोड़े गए मूल्य में **आधे से अधिक का योगदान ग्रामीण क्षेत्रों से आता** है।

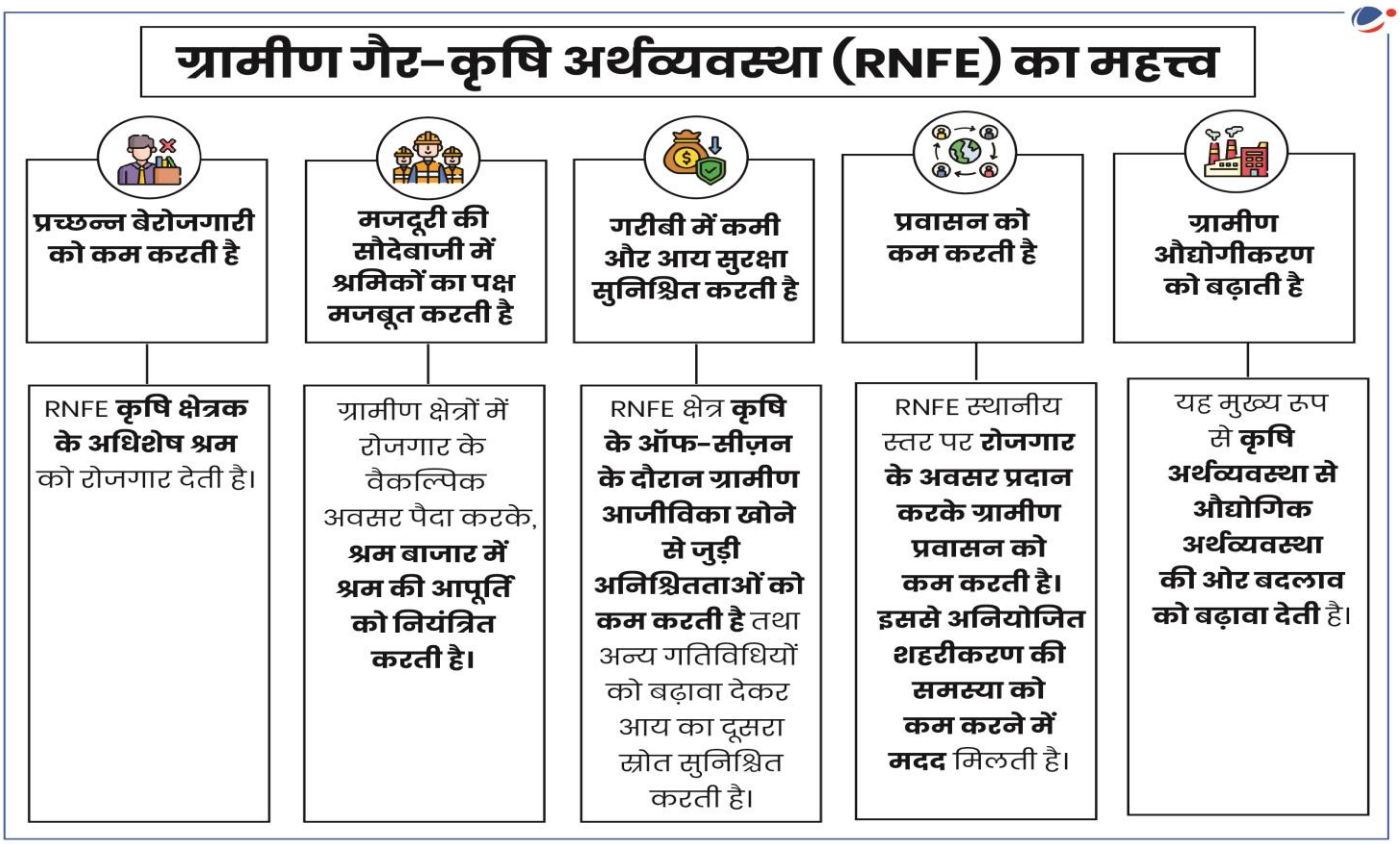

भारत में RNFE के प्रमुख निर्धारक

- **सरकारी नीतियां: डॉ. अशोक दलवई समिति** ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि क्षेत्रक के अधिशेष श्रमिकों को गैर-कृषि रोजगारों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। इसके लिए सरकार **कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा** दे रही है तथा **नमो ड्रोन दीदी** जैसी योजनाएं शुरू की हैं।

- **शिक्षा और कौशल:** ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में वृद्धि से गैर-कृषि आय में भी वृद्धि होती है।
- **परिवार का आकार:** बड़े परिवार कृषि गतिविधियों से कम आय अर्जित करते हैं, लेकिन गैर-कृषि आय से अधिक लाभ कमाते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन के खतरे की वजह से कृषि से जुड़े रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। अतः जलवायु परिवर्तन का खतरा RNFE क्षेत्रक को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देता है।
- **सार्वजनिक व्यय और विविधीकरण:** अवसंरचना में निवेश, कारखानों की संख्या में वृद्धि और विनिर्माण कार्यों के विस्तार से RNFE को बढ़ावा मिलता है।
- **अवसंरचना का विकास:** विकास संबंधी व्यय, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे पर, विनिर्माण से जुड़े हुए रोजगार को बढ़ावा देता है। इससे पुरुषों और महिलाओं, दोनों को लाभ होता है।

भारत में ग्रामीण गैर-कृषि अर्थव्यवस्था (RNFE) के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **ऋण प्राप्ति में कठिनाई:** RNFE से जुड़े अधिकतर उद्यम, फंड के लिए व्यक्तिगत बचत या साहूकारों पर निर्भर हैं, वहीं कृषि क्षेत्रक को बैंकों से आसानी से ऋण मिल जाता है।
- **श्रमिकों की कम उत्पादकता:** RNFE में कार्यरत श्रमिकों की उत्पादकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है। केवल 13% RNFE उद्यम ही आधुनिक पद्धतियों पर आधारित हैं। इनमें अधिकतर परंपरागत उद्यम हैं और इनमें वैल्यू एडिशन का स्तर भी कम है।
- **अनौपचारिक और अस्थिर प्रकृति के रोजगार:** RNFE में उच्च गुणवत्ता के रोजगार उत्पन्न नहीं होते हैं। इनसे **कम आय** प्राप्त होती है और **वह भी नियमित रूप से प्राप्त नहीं** होती। ख़राब कार्य-दशाएं, सामाजिक सुरक्षा का अभाव जैसे कारक भी श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा देते हैं।
    - उदाहरण के लिए- **RNFE क्षेत्रक में निर्माण कार्य (Construction) में सबसे अधिक लोगों को रोजगार** मिला हुआ है। लेकिन निर्माण क्षेत्रक आर्थिक चक्रों पर अत्यधिक निर्भर है यानी हर मौसम में निर्माण कार्य नहीं होते हैं। इससे श्रमिकों को नियमित आय नहीं मिल पाती है।
- **आय का घटता स्तर:** ग्रामीण गैर-कृषि परिवारों की औसत आय (11,438 रुपये प्रति माह), कृषि पर निर्भर परिवारों की औसत आय (13,661 रुपये प्रति माह) की तुलना में कम है।

RNFE क्षेत्रक को बढ़ावा देने हेतु मुख्य पहलें

- **संस्थाओं की स्थापना:** RNFE क्षेत्रक के लिए **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC)[41] लिमिटेड** जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई है।
- **पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना:** इसके लिए **'स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI)'**, **'विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (USTAD)[42]'** जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- **लघु उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति:** नाबार्ड के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG)-बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना की गई है, आदि।
- **कौशल विकास:** इसके लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY - NRLM), आदि शुरू किए गए हैं।
- **अवसंरचना विकास:** इसके लिए प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, भारतनेट, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी पहलें शुरू की गई हैं।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा):** यह कार्य की मांग पर आधारित मजदूरी भुगतान वाली रोजगार योजना है।

संधारणीय तरीके से RNFE को बढ़ावा देने के लिए आगे की राह

- **ऋण देना आसान बनाना:** सरकारी योजनाओं और वित्तीय समावेशन पहलों के माध्यम से RNFE उद्यमों को बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं और सहकारी बैंकों से ऋण दिलाने में मदद करनी चाहिए।
- **रोजगार के अवसरों में विविधता लाना:** ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण क्षेत्रक के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और डिजिटल सेवाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए। इससे लोगों को नियमित रोजगार और आय प्राप्त हो सकेगी।
- **मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना:** RNFE क्षेत्रक से आय को बढ़ावा देने के लिए कृषि-प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और निर्यात वाली वस्तुओं के उत्पादन जैसी उच्च मूल्य वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

---

[41] National Small Industries Corporation

[42] Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development

- **अनौपचारिक क्षेत्रक के रोजगार में भी नियमों को लागू करना:** RNFE क्षेत्रक में कार्यरत लोगों की कार्य-दशाओं में सुधार करने, उचित पारिश्रमिक दिलाने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए फ्रेमवर्क या कानून बनाने की आवश्यकता है।
- **क्लस्टर-आधारित विकास को बढ़ावा देना:** गैर-कृषि उद्यमों के लिए ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टरों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे सहयोग, नवाचार और उत्पादन विस्तार और दक्षता को प्रोत्साहन मिलेगा।

ग्रामीण औद्योगीकरण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #79: ग्रामीण औद्योगीकरण: आत्मनिर्भर भारत के लिए आधारभूत सोपान

3.4. भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India: FCI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए FCI की **कार्यशील पूंजी (Working capital)** बढ़ाने हेतु **10,700 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी** दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- FCI की स्थापना **100 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी (Authorised capital) और 4 करोड़ रुपये की इक्विटी** के साथ हुई थी। हालांकि FCI की इक्विटी को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
- **हालिया इक्विटी निवेश के लाभ:**
  - यह FCI की **ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करेगा।** इससे वह अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा कर सकेगा।
  - इससे FCI को **अल्पकालिक उधार लेने की कम जरूरत पड़ेगी।** इससे **ब्याज भुगतान की राशि एवं सरकारी सब्सिडी में कमी आएगी।**

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में

- **परिचय:** FCI केंद्रीय **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के तहत **सार्वजनिक क्षेत्रक का एक उपक्रम** है।
- **स्थापना:** FCI **खाद्य निगम अधिनियम, 1964** के तहत स्थापित **एक वैधानिक संस्था** है।
- **वित्त:** FCI की शुरुआत 100 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई, लेकिन बढ़ती जरूरतों के साथ इसकी इक्विटी बढ़ाई गई है।
- **मुख्य भूमिका:** यह भारत सरकार की **खाद्य नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार** मुख्य एजेंसी है।
- **कार्य:** यह **खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने, वितरण और बिक्री के लिए उत्तरदायी** नोडल एजेंसी है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) की कार्य-प्रणाली

- **FCI, राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर अनाज खरीदती है और समाज के कमजोर वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडी मूल्य पर अनाज वितरण सुनिश्चित करती है।
- **FCI दो प्रकार की खरीद प्रणाली अपनाती है:**
  - **प्रत्यक्ष खरीद:** FCI या राज्य सरकार एजेंसियां (SGAs) सीधे किसानों से खाद्यान्न खरीदती हैं। इसके बाद FCI इन खाद्यान्नों का **भंडारण और वितरण** सुनिश्चित करती है।
  - **विकेंद्रीकृत खरीद (Decentralized Procurement: DCP):** राज्य एजेंसियां अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण का प्रबंधन करती हैं और इसके बाद बचे अधिशेष अनाज को केंद्रीय पूल के लिए FCI को सौंप देती हैं।

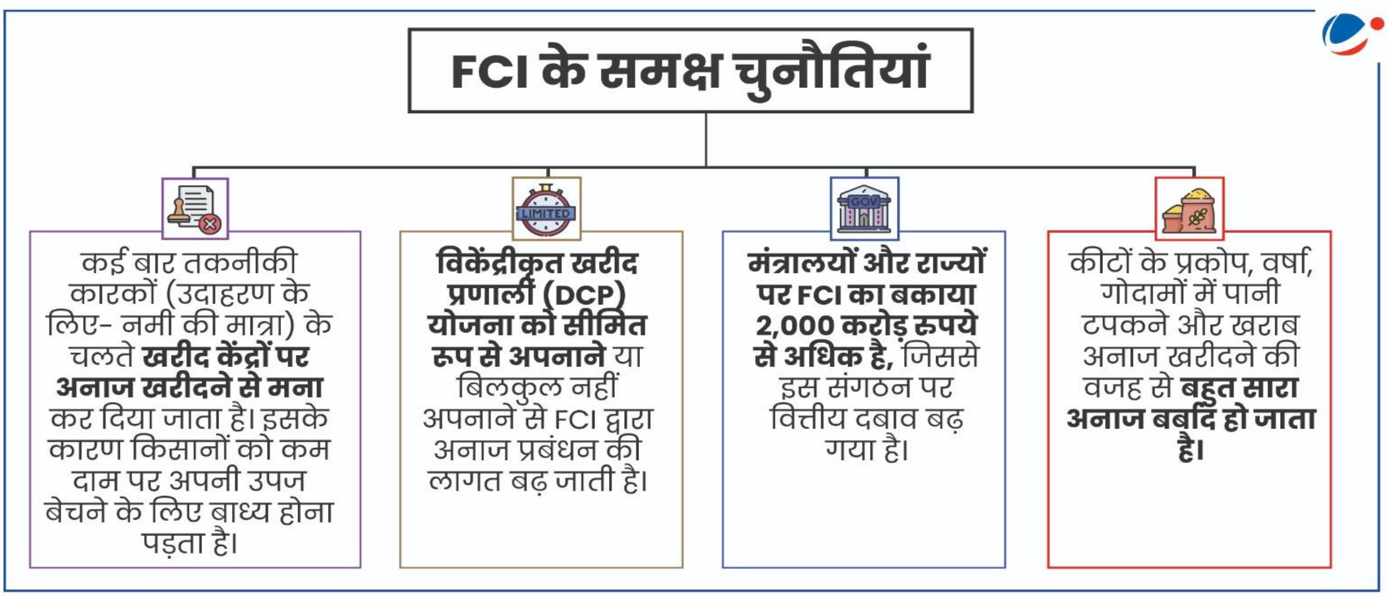

FCI की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए की गई पहलें

संरचनात्मक सुधार

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पहल: "एक राष्ट्र, एक MSP"** के तहत सरकार किसानों से खरीदे गए अनाज का मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भेज रही है।
- **भंडारण केंद्रों का आधुनिकीकरण:** FCI में अनाज के भंडारण के लिए पहले **कवर एंड प्लिंथ** भंडारण तकनीक का उपयोग होता था। **2014** में इसकी भंडारण क्षमता **30.25 लाख मीट्रिक टन (LMT)** थी। अब इस विधि की जगह वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित **भंडारण डिपो** और **साइलो विधि** को अपनाया जा रहा है।
- **स्टील साइलो:** वर्तमान में 22.75 LMT क्षमता के स्टील साइलो कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त **41 LMT** क्षमता के स्टील साइलो का निर्माण किया जा रहा है।
- **डिजिटल सुधार:** इसके तहत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस **आधारित वीडियो निगरानी,**
  - अनाजों के स्रोत से वितरण स्थल की समस्त आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन के लिए **अन्न दर्पण पोर्टल,**
  - **व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम,**
  - मिल टैगिंग एवं वेयरहाउस स्थान आवंटन के लिए **वेयरहाउस इन्वेंटरी नेटवर्क और गवर्निंग सिस्टम (WINGS)** ऐप।

3.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.5.1. RBI ने FPI का FDI के रूप में रीक्लासिफिकेशन करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया (RBI Issues Framework for Reclassification of FPI to FDI)

वर्तमान विनियमों के अनुसार, **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs) किसी भारतीय कंपनी में उसकी कुल पेड-अप इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% तक ही पोर्टफोलियो निवेश के रूप में निवेश** कर सकते हैं। गौरतलब है कि वह राशि जो कंपनी को शेयरधारकों से शेयरों के बदले में प्राप्त होती है उसे **पेड-अप इक्विटी पूंजी कहते हैं।**

- इससे पहले FPIs के लिए निर्धारित इस **10% की सीमा को पार करने पर** FPIs के पास **दो विकल्प होते थे-** अधिशेष **शेयरों को बेचना** या **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रूप में रीक्लासिफ़ाइ** हो जाना।
- यदि कोई **FPI अपने संस्थागत विदेशी निवेश को FDI में रीक्लासिफ़ाइ करने का इरादा रखता है**, तो उस FPI को नीचे दिए गए ऑपरेशनल फ्रेमवर्क का पालन करना होगा:

FPI को FDI के रूप में रीक्लासिफ़ाइ करने के संबंध में RBI का नया ऑपरेशनल फ्रेमवर्क

- **FDI के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रकों में इस** रीक्लासिफिकेशन की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे, चिट फंड, गैंबलिंग आदि।
- **विशेष रूप से सीमावर्ती देशों** से FPI निवेश के लिए **सरकारी अनुमोदन अनिवार्य है,** तथा **संबंधित भारतीय कंपनी की सहमति भी आवश्यक है।**
    - साथ ही, निवेश को FDI के नियमों के तहत **प्रवेश मार्ग, सेक्टोरल कैप्स, निवेश सीमा, मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश और अन्य संबंधित शर्तों** का पालन करना चाहिए।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के बारे में

- **FDI** के माध्यम से विदेशी निवेशक भारत में किसी भारतीय निवेशक, संस्था या सरकारी उपक्रम में हिस्सेदारी अर्जित करते हैं।
- यह आमतौर पर **दीर्घकालिक निवेश** होता है। साथ ही, यह **ऋण के रूप वर्गीकृत नहीं होने वाला पूंजी निवेश माना जाता** है।
- **FDI अनुमोदन मार्ग:**
    - **स्वचालित मार्ग:** इसके तहत सरकार से किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।
    - **सरकारी मार्ग:** इसके तहत विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है।
- शेयर मार्केट में **सूचीबद्ध और गैर–सूचीबद्ध**, दोनों प्रकार की कंपनियों में FDI की अनुमति है।

- FPI का रीक्लासिफिकेशन **"विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान की विधि और गैर-ऋण लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमन, 2019"** द्वारा निर्देशित होगा।

इसका कदम का महत्त्व:

- इससे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी;
- FPI को अधिक रणनीतिक निवेश में तब्दील करने में सुगमता प्रदान की जा सकेगी;
- भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के लिए स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा आदि।

3.5.2. घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक {Domestic Systemically Important Banks (D-SIBS)}

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने "घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs)" की 2024 की सूची जारी की

- **भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक और ICICI बैंक** को RBI की 2024 की D-SIBs की सूची में बरकरार रखा गया है।

D-SIBs के बारे में

- D-SIBs का दर्जा अग्रलिखित आधारों पर दिया जाता है- **उनका आकार, उनकी अंतर्संबंधता, उनका विकल्प या वित्तीय संस्थान अवसंरचना आसानी से उपलब्ध न होना और जटिलता।**
    - **D-SIBs** परस्पर संबद्ध **संस्थाएं** होती हैं। इनकी विफलता पूरी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है और अस्थिरता पैदा कर सकती है। इस कारण इन्हें असफल नहीं होने दिया जा सकता।

- यदि D-SIBs सूची का कोई बैंक विफल होता है तो बैंकिंग प्रणाली और समग्र अर्थव्यवस्था की आवश्यक सेवाओं में बड़ा व्यवधान पैदा हो सकता है।

D-SIBs सूची की घोषणा के प्रावधान

- यह सूची **RBI द्वारा 2014 में जारी D-SIB फ्रेमवर्क पर आधारित** है।
    - यह फ्रेमवर्क **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS)** के फ्रेमवर्क पर आधारित है।
    - D-SIBs के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए, किसी **बैंक के पास राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से अधिक की परिसंपत्ति** होनी चाहिए।
- बैंकों को उनकी D-SIB की श्रेणी के आधार पर उनकी **जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWAs) का कुछ हिस्सा अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) के रूप में** रखना होता है। इस आधार पर **उन्हें 5 बकेट्स में वर्गीकृत** किया जाता है।
    - **बकेट 1** श्रेणी के बैंकों को **सबसे कम CET-1 और बकेट 5 श्रेणी के बैंकों को सबसे अधिक CET-1** बनाए रखना होता है।
- इसी प्रकार, यदि किसी **विदेशी बैंक की भारत में शाखा है और यदि वह प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंक (G-SIB)** है, तो उसे G-SIB से संबंधित नियमों के अनुरूप भारत में **अतिरिक्त CET-1 पूंजी अधिभार** को बनाए रखना होगा।
    - **G-SIBs की सूची फाइनेंसियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB)** जारी करता है।

मुख्य शब्दावलियां

जोखिम भारित परिसंपत्तियां (Risk Weighted Assets: RWAs): यह एक ऐसा तरीका है जिससे बैंक अपने द्वारा दिए गए **ऋणों और अन्य संपत्तियों से जुड़े जोखिम का आकलन** करते हैं। इस आकलन के आधार पर, बैंक को अपने पास एक निश्चित **न्यूनतम पूंजी** रखनी होती है।

कॉमन इक्विटी टियर–1 (CET-1): यह **टियर–1 पूंजी का एक घटक** है। इसमें मुख्य रूप से बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा रखे गए कॉमन स्टॉक शामिल होते हैं।
- यह **उच्चतम गुणवत्ता वाली विनियामक पूंजी** होती है। किसी **नुकसान की स्थिति में इस पूंजी को तुरंत नकदी में बदला** जा सकता है।

3.5.3. अंतरिक्ष क्षेत्रक के लिए वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund for Space Sector)

- **केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन-स्पेस (IN-SPACe) के तहत अंतरिक्ष क्षेत्रक के लिए 1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी**
    - वेंचर कैपिटल फंड **निजी इक्विटी वित्त-पोषण का एक विशेष रूप** है। इसके जरिए बेहतर विकास क्षमता वाले शुरुआती चरण के **स्टार्ट-अप्स में निवेश** किया जाता है।
    - IN-SPACe एक **सिंगल विंडो वाला एवं स्वतंत्र नोडल एजेंसी** है जो अंतरिक्ष विभाग (DOS) में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
        - यह निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए **ISRO और गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य** करती है।
        - यह प्रक्षेपण वाहनों और उपग्रहों के निर्माण, स्पेस इन्फ्रास्ट्रक्चर को साझा करने जैसी अंतरिक्ष आधारित विभिन्न गतिविधियों को अधिकृत और पर्यवेक्षण करती है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्रक के लिए वेंचर कैपिटल फंड के बारे में:**
    - प्रस्तावित फंड **संपूर्ण अंतरिक्ष आपूर्ति श्रृंखला** (यानी अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम) में स्टार्ट-अप्स का वित्त-पोषण करेगा।
    - **वित्तीय संरचना:** इसे **5 वर्षों** के लिए संचालित किया जाएगा। निवेश के अवसरों और फंड की आवश्यकताओं के आधार पर, **उपयोग की औसत राशि प्रति वर्ष 150-250 करोड़ रुपये** हो सकती है।
        - **प्रति स्टार्ट-अप निवेश की सांकेतिक सीमा 10-60 करोड़ रुपये** प्रस्तावित है।
        - निवेश की उपर्युक्त सीमा के आधार पर, इस फंड से लगभग **40 स्टार्ट-अप्स को सहायता** मिलने की उम्मीद है।
- इस फंड का लक्ष्य **भारत को रणनीतिक रूप से अग्रणी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित** करना है। इस फंड के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
    - **पूंजी निवेश:** स्टार्ट-अप के बाद के चरण के विकास के लिए अतिरिक्त धन आकर्षित करके गुणक प्रभाव पैदा करना

- **निजी क्षेत्रक पर आधारित अंतरिक्ष उद्योग के विकास में तेजी लाना:** अगले 10 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के पांच गुना विस्तार के लक्ष्य को पूरा करना।
    - **प्रगति को बढ़ावा देना:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में प्रगति को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्रक की भागीदारी के माध्यम से भारत के नेतृत्व को मजबूत करना।
- **फंड से प्राप्त होने वाले लाभ:**
    - यह भारत में स्थित अंतरिक्ष क्षेत्रक संबंधी कंपनियों की सक्रियता को बनाए रखेगा।
    - इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर विकास, डेटा विश्लेषण, विनिर्माण आदि में रोजगार पैदा होगा।
    - नवाचार का एक जीवंत इकोसिस्टम तैयार होगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
- **भारत का अंतरिक्ष क्षेत्रक:** वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की **2-3% हिस्सेदारी** है। इस मामले में यह विश्व में **5वें स्थान** पर है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान मूल्य **8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर** आंका गया है। इसे **2033 तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

***नोट:** अंतरिक्ष क्षेत्रक के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जुलाई 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.6. देखें।*

3.5.4. चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए योजना (Scheme for Medical Device Industry)

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने "चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना" शुरू की

- यह चिकित्सा उपकरण (मेडिकल डिवाइस) उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के लिए एक व्यापक योजना है। इससे भारत को **चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक में आत्मनिर्भर बनने में मदद** मिलेगी।
    - गौरतलब है कि **भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार लगभग 14 बिलियन डॉलर** का है। **2030 तक इसके बढ़कर 30 बिलियन डॉलर** हो जाने का अनुमान है।

योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **कुल आवंटन:** 500 करोड़ रुपये।
- **योजना के घटक:** इसमें निम्नलिखित **पांच उप-योजनाएं शामिल हैं:**
    - **चिकित्सा उपकरण क्लस्टर के लिए कॉमन सुविधाएं:** इसके तहत **अवसंरचनाओं के विस्तार** की योजना बनाई गई है। जैसे कि अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला, डिज़ाइन एवं परीक्षण केंद्र, पशु प्रयोगशाला जैसी कॉमन सुविधाओं का निर्माण।
    - **आयात निर्भरता को कम करने के लिए मार्जिनल निवेश योजना:** इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण के प्रमुख घटकों, कच्चे माल आदि का **स्थानीय स्तर पर उत्पादन** करना है।
    - **चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास:** कुशल तकनीकी कार्यबल तैयार करने के लिए **अलग-अलग कोर्स शुरू करने पर वित्तीय सहायता** दी जाएगी।
    - **चिकित्सा उपकरण क्लीनिकल स्टडीज सहायता योजना:** इसके तहत पशुओं पर अध्ययन करने, मानव पर परीक्षण करने और क्लीनिकल प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    - **चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना:** उद्योग संघों और निर्यात परिषदों को **सम्मेलनों के आयोजन तथा अध्ययन और सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए सहायता** प्रदान की जाएगी।
- **चिकित्सा उपकरण उद्योग के समक्ष मुख्य चुनौतियां:**
    - अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं तथा डिजाइन व परीक्षण केंद्र जैसी अवसंरचनाओं की कमी है।
    - भारत अत्याधुनिक और बड़े चिकित्सा उपकरणों के लिए आयात पर अधिक निर्भर है।
    - चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक में पूंजी निवेश कम है।
    - चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक को **इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर** का सामना करना पड़ता है।

▪ **इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS)** वह स्थिति है, जब **किसी तैयार उत्पाद (फिनिश्ड गुड्स)** की तुलना में उस उत्पाद के **कच्चे माल (इनपुट्स) के आयात पर अधिक प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता** है।

3.5.5. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने 'द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, 2024' रिपोर्ट जारी की ('The State of Food and Agriculture 2024' Report Released by FAO)

यह रिपोर्ट **कृषि-खाद्य प्रणालियों के मूल्य-संचालित रूपांतरण** पर जोर देती है। साथ ही, यह कृषि-खाद्य प्रणालियों (खेत से खाने की मेज तक) की वैश्विक **छिपी लागतों (Hidden costs)** पर पिछले संस्करण के अनुमानों पर आधारित है।

- छिपी हुई लागत **बाहरी लागतों (यानी नकारात्मक बाहरी प्रभाव) या अन्य बाजार या नीतिगत विफलताओं से होने वाले आर्थिक नुकसान** को व्यक्त करती है।

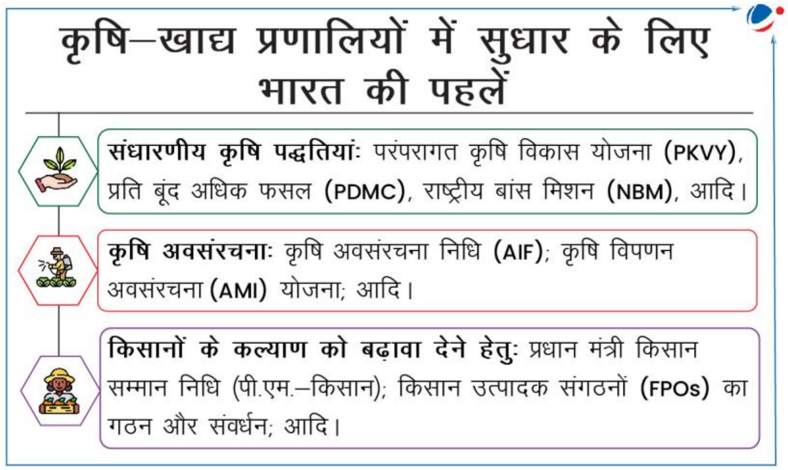

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **छिपी हुई लागत:** औद्योगिक और विविधीकरण वाली कृषि-खाद्य प्रणालियां **वैश्विक मात्राबद्ध छिपी लागतों (लगभग 5.9 ट्रिलियन 2020 PPP डॉलर) में** अधिकतम योगदान देती हैं। इन लागतों में गैर-संचारी रोगों से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी छिपी लागतों की अधिकता होती है।
  - **अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न** (जैसे- साबुत अनाज का कम सेवन, सोडियम का अधिक सेवन, आदि) सभी मात्राबद्ध छिपी लागतों का **70% हिस्सा हैं।**
  - **योगदान देने वाले अन्य कारकों में शामिल हैं:** सामाजिक लागत (अल्पपोषण और गरीबी के कारण) तथा पर्यावरणीय लागत (ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, आदि)।
- **भारत से संबंधित निष्कर्ष:** भारत के संबंध में कुल छिपी हुई लागत सालाना लगभग **1.3 ट्रिलियन डॉलर** है। इस मामले में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद **भारत तीसरे** स्थान पर है। भारत में छिपी हुई लागत मुख्य रूप से **अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न** से प्रेरित है।

कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं को बदलने पर मुख्य सिफारिशें

- **औद्योगिक कृषि-खाद्य प्रणालियों में (उच्च शहरीकरण के साथ लंबी मूल्य-श्रृंखलाएं):** खाद्य आधारित आहार विषयक दिशा-निर्देशों को कृषि-खाद्य प्रणाली एप्रोच में अपग्रेड किया जाना चाहिए। साथ ही, पोषक तत्व संबंधी लेबल एवं प्रमाणन को अनिवार्य किया जाना चाहिए और सूचना अभियान संचालित करने चाहिए।
- **पारंपरिक कृषि खाद्य प्रणालियों में (कम शहरीकरण के साथ छोटी मूल्य-श्रृंखलाएं):** पर्यावरणीय फुटप्रिंट में वृद्धि से बचने के लिए पारंपरिक उत्पादकता बढ़ाने वाले हस्तक्षेपों को पर्यावरणीय उपायों और आहार संबंधी संपूरकों के साथ पूरक बनाना चाहिए।
  - पर्यावरणीय फुटप्रिंट का अर्थ है कि किसी व्यक्ति, कंपनी, या गतिविधि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है

3.5.6. 21वीं पशुधन गणना (21st Livestock Census)

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने **पशुधन की संख्या पर अपडेटेड डेटा प्राप्त करने के लिए 21वीं पशुधन गणना** की शुरुआत की।

- इस गणना से सरकार को **पशु रोग नियंत्रण, नस्ल सुधार और ग्रामीण आजीविका** जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने में मदद मिलेगी।

21वीं पशुधन गणना के बारे में

- **कार्यक्रम:** अक्टूबर 2024- फरवरी 2025 के बीच आयोजित की जाएगी।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - 20वीं पशुगणना के समान **पूरी तरह से डिजिटल** रूप में होगी;
  - पशुधन की **16 प्रजातियों और उनकी 219 देशी नस्लों के डेटा** प्राप्त किए जाएंगे।

- ○ **पहली बार पशुपालकों के डेटा** भी प्राप्त किए जाएंगे।
- ○ पशुपालन में **महिलाओं की भूमिकाओं** से संबंधित डेटा भी एकत्र किए जाएंगे।
- पशुधन गणना 1919 से हर **पांच साल** में आयोजित की जाती है (आखिरी बार 2019 में)।

3.5.7. विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन {World Organisation for Animal Health (WOAH)}

हरियाणा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र (ICAR-NRC इक्वाइन) को WOAH संदर्भ प्रयोगशाला (Reference Laboratory) का दर्जा प्रदान किया गया है।

- यह मान्यता विशेष रूप से **इक्वाइन पिरोप्लाज़्मोसिस रोग** में इसकी विशेषज्ञता के लिए प्रदान किया गया है।
  - इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस, **टिक-जनित प्रोटोजोआ परजीवियों** के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः **घोड़ों, गधों, खच्चरों और जेब्रा** को प्रभावित करती है।

WOAH के बारे में

- यह **1924** में स्थापित यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है।
- **उद्देश्य:** पशु रोगों के बारे में जानकारी का प्रसार करना और वैश्विक स्तर पर पशु स्वास्थ्य में सुधार करना।
- **सदस्य:** भारत सहित 183 देश।
- **मुख्यालय:** पेरिस (फ्रांस)।

3.5.8. नैनो उर्वरक (Nano Fertilizers)

भारतीय वैज्ञानिकों ने **म्यूरिएट ऑफ पोटाश (MoP) के लिए एक नैनोमेटेरियल कोटिंग** विकसित की है। यह कोटिंग **नैनोक्ले से बनी** है।

- MoP वस्तुतः **पोटेशियम उर्वरक की 80% आवश्यकताओं को** पूरा करता है।

नैनो उर्वरकों के बारे में

- नैनो उर्वरक **ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो नैनो मटेरियल (100 नैनोमीटर या उससे कम आकार)** के खोल या लेप के भीतर होते हैं।
  - इससे पोषक तत्व नियंत्रित रूप से निर्मुक्त होते हैं और मृदा में धीरे-धीरे पहुंचे हैं।
- **इसके लाभ:**
  - **संधारणीय खेती को बढ़ावा:** यह मृदा और जल प्रदूषण को कम करता है।
  - **लागत प्रभावशीलता:** पादप पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण कर पाते हैं;, पोषक तत्वों की बर्बादी में कमी आती है; और बार-बार उर्वरक को छिड़कने आवश्यकता में भी कमी आती है आदि।

नोट: *भारत के उर्वरक क्षेत्रक के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, फरवरी 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.8. देखें।*

3.5.9. मरमुगाओ पत्तन प्राधिकरण (Mormugao Port Authority)

मरमुगाओ पत्तन प्राधिकरण को एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स (ESI) प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के बाद विश्व स्तर पर मान्यता मिली है।

- **ESI को 2011 से अंतर्राष्ट्रीय पत्तन एवं बंदरगाह संघ (IAPH)** द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह उन जहाजों की पहचान करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के वर्तमान उत्सर्जन मानकों द्वारा तय सीमा की तुलना में वायु उत्सर्जन को कम करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

मरमुगाओ पत्तन के बारे में:

- यह **गोवा** में स्थित भारत का एक **महापत्तन (Major port) है।**
- यह ESI के माध्यम से **ग्रीन शिप इंसेंटिव्स (हरित श्रेय योजना) शुरू करने वाला भारत का पहला पत्तन है।**

हरित श्रेय योजना (2023) के बारे में:

- इसके तहत **अनुकूल ESI स्कोर वाले जहाजों को प्रोत्साहित** किया जाता है;
- साथ ही, **डीकार्बोनाइजेशन और ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा** भी दिया जाता है।

3.5.10. बिहटा शुष्क पत्तन (Bihta Dry Port)

बिहटा, **बिहार** का पहला शुष्क पत्तन या ड्राई पोर्ट है। इसे **अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD)** के नाम से भी जाना जाता है। यह **पटना के निकट** स्थित है।

- **शुष्क पत्तन:** यह कार्गो की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए **समुद्री पत्तन या हवाई अड्डे से दूर लोजिस्टिक्स सुविधा प्रदान** करता है।

बिहटा शुष्क पत्तन का महत्त्व

- **निर्यात:** इससे बिहार से मुख्य रूप से **कृषि आधारित उत्पाद, वस्त्र और चमड़ा उत्पादों के निर्यात** को बढ़ावा मिलेगा।
- **बेहतर लॉजिस्टिक्स:** इससे कार्गो हैंडलिंग और परिवहन सुव्यवस्थित होंगे; परिवहन लागत कम होगी; तथा भंडारण और हैंडलिंग सुरक्षित होगी।
- **पड़ोसी राज्यों को लाभ:** इसे सम्पूर्ण पूर्वी भारत को लाभ होगा।
    - यह **कोलकाता, हल्दिया, विशाखापत्तनम, न्हावा शेवा** जैसे प्रमुख पत्तनों और प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों से लेकर रेल द्वारा भी जुड़ा हुआ है।

3.5.11. विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक, 2024 रिपोर्ट (World Intellectual Property Indicators 2024 Report)

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक, 2024 रिपोर्ट जारी की गई

- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में **2018 एवं 2023 के बीच पेटेंट फाइलिंग की संख्या में दोगुनी वृद्धि** हुई है। इसी के साथ **बौद्धिक संपदा की फाइलिंग में काफी बढ़ोतरी** हुई है।

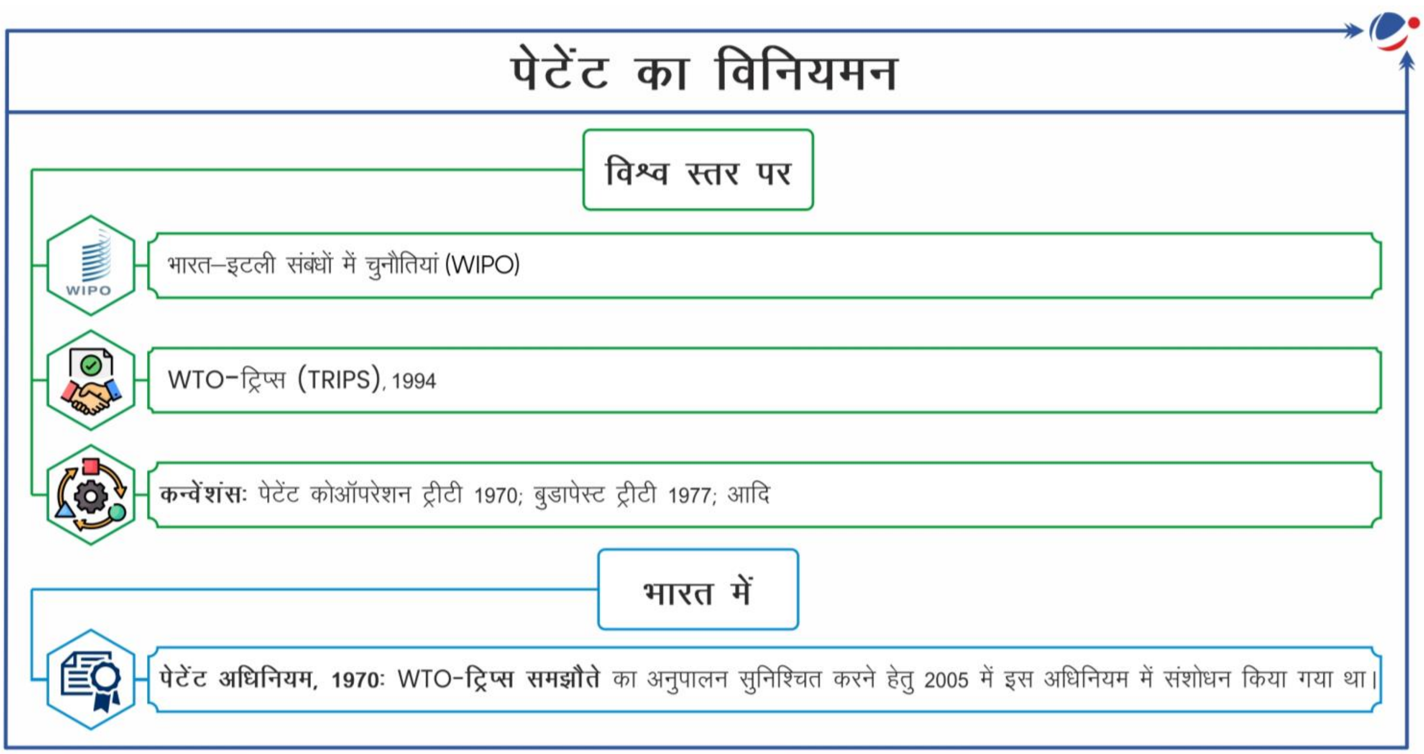

इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित अन्य मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **पेटेंट: 64,500 पेटेंट फाइलिंग के साथ भारत विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है।** साथ ही, भारत का **पेटेंट-GDP अनुपात 144 से बढ़कर 381** हो गया है।
- **ट्रेडमार्क:** भारत का बौद्धिक संपदा (IP) कार्यालय ट्रेडमार्क के मामले में वैश्विक स्तर पर **दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय** है और अब ट्रेडमार्क फाइल करने के मामले में भारत दुनिया में **चौथे स्थान** पर है।
- **औद्योगिक डिजाइन फाइलिंग:** इस संबंध में 2023 में 36% की वृद्धि के साथ **विश्व स्तर पर भारत 10वें** स्थान पर है, जो रचनात्मक डिजाइन में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

पेटेंट दाखिल करने या फाइलिंग में वृद्धि के प्रेरक कारक:

- **सरकारी पहलें और नीतिगत समर्थन:** उदाहरण के लिए **पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के जरिए नवीनीकरण शुल्क और पेटेंट के कामकाज का विवरण दाखिल करने की आवृत्ति को कम** किया गया है। साथ ही, पेटेंट प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके अलावा, **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016** भी जारी की गई है।
- **आवेदनों का समय पर निपटान:** भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में **1.03 लाख पेटेंट स्वीकृत** किए थे।
- **मजबूत बौद्धिक सम्पदा व्यवस्था:** इसमें पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना, IPR सुविधा केंद्रों की स्थापना आदि शामिल हैं।

भारत में पेटेंट से संबंधित चुनौतियां/ मुद्दे:

- **बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड को समाप्त करना:** इससे बौद्धिक संपदा से जुड़े केसों में अपीलों का निवारण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट:** इसमें पेटेंट अवधि को बढ़ाना, दवाओं पर एकाधिकार की गारंटी मिलना आदि शामिल हैं।
- **अन्य मुद्दे:** इसमें अनिवार्य लाइसेंसिंग, प्रक्रिया में प्रत्येक चरण के लिए एक निश्चित समय-सीमा का अभाव आदि शामिल हैं।

3.5.12. पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) 2.0 {PAN (Permanent Account Number) 2.0}

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने आयकर (IT) विभाग की **पैन 2.0 (PAN 2.0) परियोजना** को मंजूरी दी।

पैन 2.0 परियोजना के बारे में

- यह **ई-गवर्नेंस पहल** है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित बदलाव के माध्यम से करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करना है।
- यह वर्तमान **पैन/ टैन 1.0 प्रणालियों का अपग्रेड** है।
    - PAN **दस अंकों का विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर** है। इसे आयकर विभाग जारी करता है। इसे **धारक के लेन-देन (कर भुगतान, आदि) को आयकर विभाग के साथ लिंक करने के लिए** जारी किया जाता है।
    - **जारीकर्ता एजेंसियां:** प्रोटीन/ Protean (पूर्ववर्ती नाम NSDL ई-गवर्नेंस) और UTI इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITSL)।
- **मुख्य लाभ:** यह सभी निर्धारित सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए कॉमन पहचान, डेटा स्थिरता, सचाई जानने का एकल स्रोत, आदि के रूप में कार्य करेगा।

3.5.13. समान सुरक्षा प्रोटोकॉल (Uniform Protection Protocol)

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने **भारतीय ग्रिड के यूजर्स के लिए समान सुरक्षा प्रोटोकॉल** को मंजूरी दी। इसे **अखिल भारतीय स्तर पर** लागू किया जाएगा।

समान सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में

- **उद्देश्य:**
  - ग्रिड से निरंतर और बिना बाधा के विद्युत आपूर्ति एवं ग्रिड की सुरक्षा सुनिश्चित करना,
  - **2030 तक राष्ट्रीय ग्रिड में 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन** के भारत के लक्ष्य की प्राप्ति का समर्थन करना।
- यह प्रोटोकॉल **तापीय और जलविद्युत उत्पादन केंद्रों की सुरक्षा** जरूरतों को पूरा करेगा।
- विद्युत आपूर्ति में **असामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर उपकरण/ प्रणाली को बचाने** के लिए सुरक्षा प्रणालियों में उचित समन्वय सुनिश्चित करेगा।
- यह **दोषपूर्ण उपकरणों को अलग करने में मदद करेगा और सुरक्षा प्रणाली के दोषपूर्ण संचालन** से बचाएगा।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

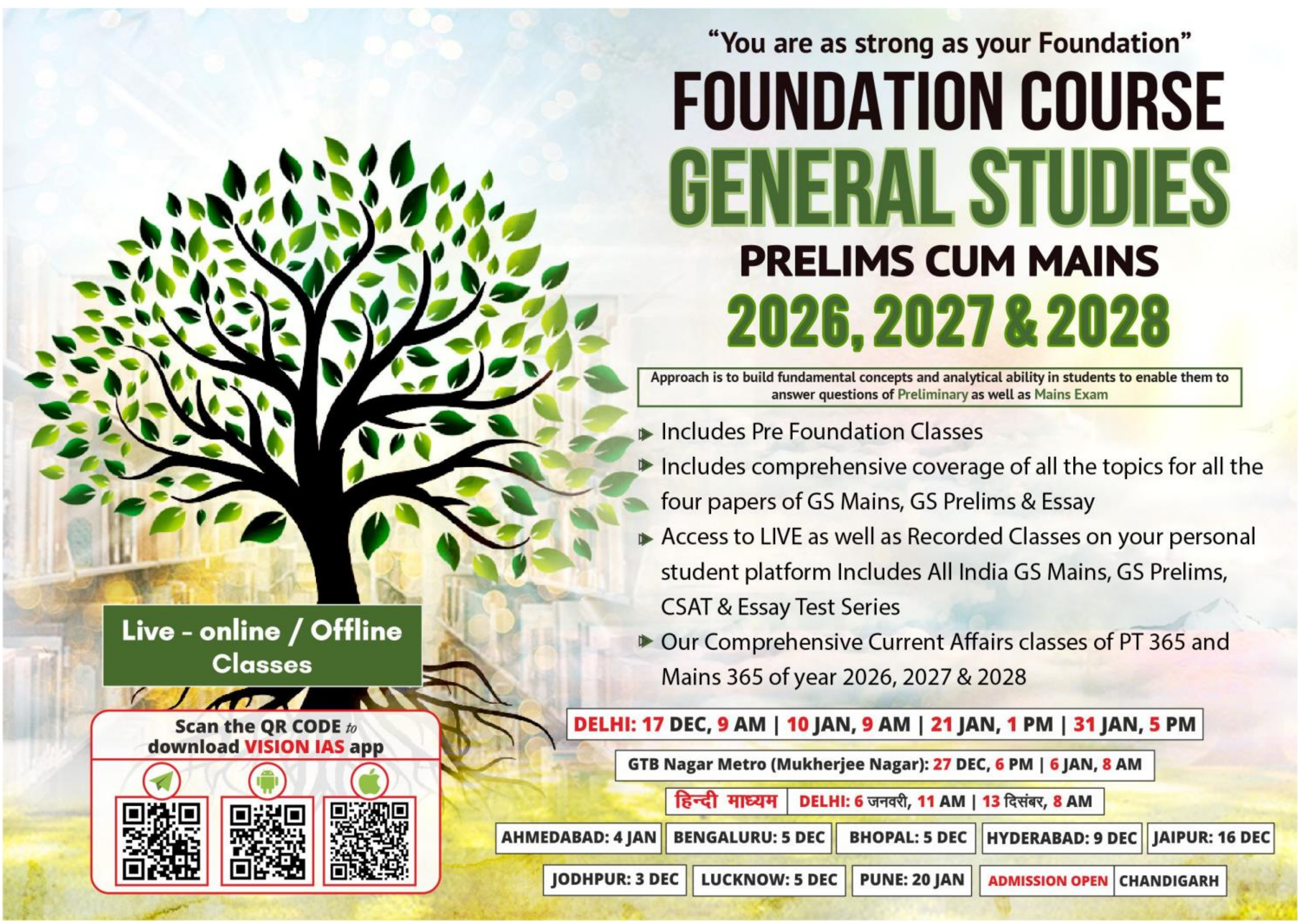

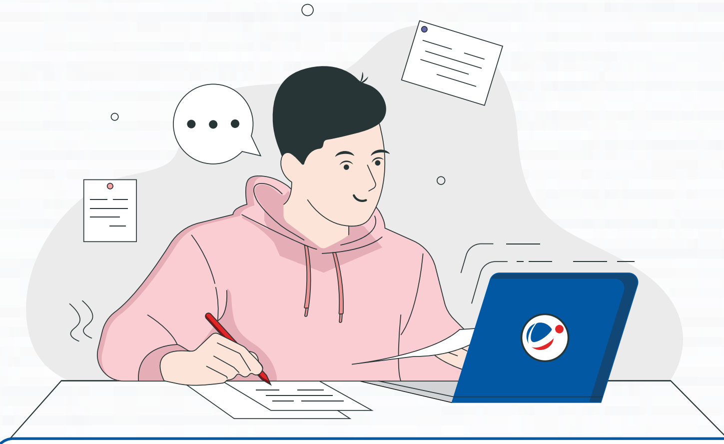

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ-साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न-पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर-की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

4. सुरक्षा (Security)

4.1. भारतीय तट रक्षक बल (Indian Coast Guard)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति ने **तटीय सुरक्षा में भारतीय तटरक्षक बल (ICG) की भूमिका की समीक्षा की।**

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के बारे में

- **गठन:** इसका गठन **अगस्त, 1978** में **तटरक्षक अधिनियम, 1978** के तहत किया गया था।
- **कार्य:** इस प्रमुख कार्यों में अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, मछुआरों की सहायता, समुद्री पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण को रोकना, तस्करी-रोधी अभियानों में सहायता प्रदान करना, समुद्री कानूनों को लागू करना, आदि शामिल हैं।
- **मंत्रालय:** भारतीय तटरक्षक बल **रक्षा मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।
- भारतीय तटरक्षक बल **समुद्री सुरक्षा की बहुस्तरीय व्यवस्था** का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है (इन्फोग्राफिक देखें)।

समुद्री सुरक्षा में भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका

- **समुद्री कानूनों का प्रवर्तन:** यह समुद्री कानूनों और विनियमों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों (जिनमें भारत हस्ताक्षरकर्ता है) का पालन करता है।
- **कृत्रिम द्वीपों और अपतटीय टर्मिनल्स की सुरक्षा एवं बचाव:** यह पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों पर अपतटीय विकास क्षेत्रों (ODAs)[43] की निगरानी के लिए नियमित गश्त लगाता है।
- **जीवन और संपत्ति की सुरक्षा:** यह संकट में फंसे **नाविकों, मछुआरों और जहाजों** को सहायता प्रदान करता है। समुद्री क्षेत्र में प्राकृतिक (जैसे- चक्रवात, सुनामी आदि) या मानव निर्मित आपदाओं से जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करता है। महासागरों की संपदा जैसे कि **तेल, मछली और खनिज संसाधनों** की सुरक्षा करता है।
- **अंतर-एजेंसी समन्वय:** यह सीमा शुल्क और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रतिबंधित वस्तुओं की अवैध आवाजाही को रोकने हेतु तस्करी विरोधी अभियान चलाता है।
- **अन्य प्रमुख भूमिकाएं:** समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना और उसके संरक्षण हेतु कार्य करना; मौसम व समुद्र विज्ञान संबंधी वैज्ञानिक डेटा का संग्रह करना, आदि।

[43] Offshore Development Areas

भारतीय तटरक्षक बल को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पहलें

- **अंतर-एजेंसी समुद्री अभ्यास:** भारतीय तटरक्षक बल अलग-अलग **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास** आयोजित करता है तथा उनमें भाग लेता है। उदाहरण के लिए, SAREX-2024, सागर कवच, आदि।
- **जिम्मेदारी में वृद्धि:** 2009 में, भारतीय तटरक्षक बल को **प्रादेशिक जल क्षेत्र (Territorial waters) में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण** के रूप में नामित किया गया था। इसमें **तटीय पुलिस द्वारा गश्त किए जाने वाले क्षेत्र** भी शामिल हैं।
- **केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय:** भारतीय तटरक्षक बल के **महानिदेशक को कमांडर तटीय कमान** के रूप में नामित किया गया है। महानिदेशक तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

निष्कर्ष

भारतीय तटरक्षक बल पिछले कुछ वर्षों में **एक अग्रणी समुद्री सुरक्षा एजेंसी** के रूप में उभरा है। यह भारत के **समुद्री सुरक्षा और खोज एवं बचाव ढांचे** को मजबूत करने के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अलग-अलग हितधारकों के साथ लगातार सहयोग करके, यह भारत के **क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR)**[44] यानी **सागर विज़न** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उल्लेखनीय है कि **सागर** वैश्विक मंच पर विश्वसनीय और सक्रिय समुद्री भागीदार के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है।

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.2.1. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA)

गृह मंत्रालय ने जिरीबाम समेत मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में फिर से AFSPA लागू किया।

- **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) 1958 "अशांत क्षेत्रों" में कानून व्यवस्था को बहाल** करने के लिए लगाया गया है।

AFSPA की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **अशांत क्षेत्र: AFSPA अधिनियम, 1958 की धारा 3** के तहत किसी क्षेत्र को **'अशांत क्षेत्र' घोषित** किया जाता है। जब किसी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है, तब उस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है।
  - किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' राज्य के **राज्यपाल/ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा** घोषित किया जाता है।
- **सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां:** उचित चेतावनी देने के बाद, सशस्त्र बल के सैन्य कार्मिक कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति **पर गोली चला सकते हैं या बल प्रयोग** कर सकते हैं। यदि पर्याप्त संदेह हो तो, **बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी भी परिसर की तलाशी ले सकते हैं।**
- **सशस्त्र बलों के कार्मिकों को उन्मुक्ति: केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना** AFSPA के तहत कार्रवाई करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के खिलाफ कोई **कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं** की जा सकती है।
- **गिरफ्तार व्यक्ति के साथ कार्रवाई: सशस्त्र बल के अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र ही निकटतम पुलिस स्टेशन** के प्रभारी अधिकारी को **सौंपना** अनिवार्य होता है।
- **कहां-कहां लागू है:** वर्तमान में, AFSPA कानून **असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों** में लागू है।
  - जम्मू और कश्मीर के अशांत क्षेत्रों पर **सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेषाधिकार अधिनियम, 1990** लागू होता है।
- **इस कानून से जुड़े मुद्दे:** इसमें शक्तियों का दुरुपयोग, बलात्कार और यौन उत्पीड़न सहित मानवाधिकारों का उल्लंघन करना आदि शामिल है।

---

[44] Security and Growth for All in the Region

AFSPA के बारे में अन्य संबंधित जानकारी

- **सुप्रीम कोर्ट के निर्णय**
    - **नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स मामला (1997):** कोर्ट ने माना कि किसी की मृत्यु का कारण बनने की शक्ति का प्रयोग निर्धारित परिस्थितियों में करना होगा।
    - **एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले (2016):** कोर्ट ने फैसला सुनाया कि **सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों** में भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान **की गई ज्यादतियों के लिए जांच से छूट नहीं** दी जा सकती है।
- **समितियों की सिफारिशें**
    - **न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति (2004)** ने AFSPA को समाप्त करने की सिफारिश की थी।
    - **संतोष हेगड़े समिति (2013)** ने हर छह महीने में AFSPA अधिनियम की समीक्षा करने का सुझाव दिया था।
    - **न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013)** ने सशस्त्र बलों द्वारा महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को आपराधिक कानून के अधीन लाने की सिफारिश की थी।

नोट: *AFSPA के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, अप्रैल 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 4.4. देखें।*

4.2.2. 'अडैप्टिव डिफेंस' रणनीति ('Adaptive Defense' Strategy)

रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया कि युद्ध की पारंपरिक धारणाएं **उभरती प्रौद्योगिकियों और विकसित होती रणनीतिक साझेदारियों** के चलते नया रूप ले रही हैं। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए **'अडैप्टिव डिफेंस'** रणनीति की आवश्यकता है।

'अडैप्टिव डिफेंस' के बारे में

- **परिभाषा:** यह एक ऐसा रणनीतिक दृष्टिकोण है, जिसके तहत किसी देश के सैन्य और रक्षा तंत्र को लगातार **उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने** के लिए विकसित किया जाता है।
- **'अडैप्टिव डिफेंस' का सिद्धांत:** इसमें खतरों का अनुमान लगाने, अनुकूलन करने, नवाचार करने और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्रिय मानसिकता विकसित करना शामिल है।
- **'अडैप्टिव डिफेंस' के लिए आवश्यक क्षमताएं:** परिस्थितिजन्य जागरूकता, रणनीतिक और सामरिक स्तरों पर लचीलापन, अनुकूलन, चपलता और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण।
- **महत्त्व:** इसे सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ भविष्य को भी सुरक्षित करने; पारंपरिक (जैसे, सशस्त्र आक्रमण) और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों (जैसे, ड्रग्स की तस्करी) दोनों से निपटने; राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सूचना युद्ध के खतरे का मुकाबला करने आदि के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उभरती हुई प्रौद्योगिकियां: भविष्य के युद्ध की चालक

- **सूचना युद्ध (Information warfare):** यह नेटवर्क सूचना प्रणालियों पर निर्भर करता है, जहां शत्रु देश से सूचना लाभ प्राप्त करने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है। उदाहरण के लिए, साइबर युद्ध।
- **घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली (Lethal Autonomous Weapon Systems: LAWS):** एक बार सक्रिय होने के बाद यह हथियार प्रणाली बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लक्ष्यों को भेद सकती है।
- **लेज़र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन:** यह उपग्रहों पर अंतरिक्ष-आधारित हमलों के लिए प्रयुक्त होती है।
- **सिंथेटिक बायोलॉजी:** अवैध जीन-एडिटिंग, साइबर-बायो क्राइम, बायो-मैलवेयर, बायो-हैकिंग जैसे अपराध।

4.2.3. डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, साइबर-सुरक्षा एजेंसी **कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया (CERT-In)** ने देश में स्कैमर्स द्वारा ऑनलाइन स्कैम्स करने के तरीकों की एक सूची साझा की है, जिसमें **"डिजिटल अरेस्ट"** भी शामिल है।

डिजिटल अरेस्ट के बारे में

- यह **साइबर अपराध या ऑनलाइन स्कैम का एक नया रूप** है। इसमें अपराधकर्ता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर अधिकारी या सीमा शुल्क एजेंट जैसे कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर **फोन कॉल या वीडियो कॉल के जरिये किसी व्यक्ति से संपर्क** करते हैं। वे उस पर अनुचित कृत्य में लिप्त होने का झूठा आरोप लगाकर उससे धन की अवैध वसूली करते हैं।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** के अनुसार, जनवरी से अप्रैल 2024 तक भारत में नागरिकों को **डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी धोखाधड़ी के कारण** लगभग 120.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
- गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, डिजिटल अरेस्ट **डिजिटल धोखाधड़ी** का एक प्रचलित तरीका बन गया है। इन धोखाधड़ियों को अंजाम देने वाले ज्यादातर लोग **म्यांमार, लाओस और कंबोडिया** से अपने कार्यों का संचालन करते हैं।
- **भारत में डिजिटल अरेस्ट में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक:** डिजिटल लेन-देन में वृद्धि; डिजिटल सुरक्षा जागरूकता का अभाव; AI वॉइस; पेशेवर लोगो और सिम्युलेटेड वीडियो कॉल जैसी तकनीकों में प्रगति आदि।

डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **भारतीय साइबर समन्वय केंद्र (I4C):** यह **केंद्रीय गृह मंत्रालय** के अंतर्गत आता है। यह देश में साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है।
  - **I4C में साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (CFMC)** स्थापित किया गया है। इसमें प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यवर्तियों, पेमेंट एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं आदि के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए मिलकर काम करते हैं।
- **भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ कॉल्स की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक प्रणाली का विकास:** ऐसी कॉल्स देखने से लगता है कि भारत से ही की जा रही हैं। केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों से निपटने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।
- **समन्वय प्लेटफॉर्म (संयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली):** यह अलग-अलग राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों का उनके अंतर्राज्यीय संबंधों के आधार पर विश्लेषण करता है।
- **नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल:** इसे साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम करने हेतु I4C के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है।
- **CERT-In द्वारा साझा की गई सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां:**
  - कॉल करने वाले की पहचान का सत्यापन करना;
  - व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना;
  - किसी के भी कहने पर अपने डिवाइस पर रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना;
  - अज्ञात लोगों से प्राप्त लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा साझा किए गए ऐप्स इंस्टॉल करने से बचना; आदि।

4.2.4. एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक {Asset Recovery Interagency Network-Asia Pacific (ARIN-AP)}

भारत को ARIN-AP की संचालन समिति में शामिल किया गया है। इसमें **प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत का प्रतिनिधित्व** किया है।

- इससे भारत को आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों से निपटने संबंधी अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, **भारत ARIN-AP की निर्णय लेने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी योगदान** कर सकेगा।

* भारत **2026** में इस नेटवर्क की **अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वार्षिक आम बैठक की मेजबानी** करेगा।

ARIN-AP के बारे में

* यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपराध जनित आय से निपटने के प्रति समर्पित **एक प्रमुख बहु-एजेंसी नेटवर्क** है।
* यह **ग्लोबल CARIN नेटवर्क** का भी सदस्य है।
    * CARIN **कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रैक्टिशनर्स का एक अनौपचारिक नेटवर्क** है। यह **एसेट ट्रेसिंग, फ्रीजिंग, जब्ती और अधिहरण (Confiscation) के क्षेत्र** में विशेषज्ञ है।
* **सदस्य:** **28** अधिकार-क्षेत्र (भारत सहित) सदस्य और **9** पर्यवेक्षक।

4.2.5. भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी (India's Fourth Nuclear Submarine)

भारत की **चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) का जलावतरण** किया गया। इस पनडुब्बी को **S4*** भी कहा जाता है।

* भारत में वर्तमान में दो **SSBN यानी INS अरिहंत और INS अरिघाट (S3)** परिचालन में हैं।
* **तीसरी SSBN अरिदमान (S4)** वर्तमान में समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है।

S4* के बारे में

* S4* पनडुब्बी **लगभग 75% स्वदेशी सामग्री** से बनी है। यह **K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से सुसज्जित** है। इन मिसाइलों की **मारक क्षमता 3,500 कि.मी.** है।
* SSBN एक शक्तिशाली और अत्यधिक विशिष्ट सैन्य परिसंपत्ति है, जो न्यूक्लियर डेटेरेन्स के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करती है।
    * **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और भारत** जैसे चुनिंदा देशों के पास ही इस प्रकार की पनडुब्बियां हैं।

4.2.6. भारत की पहली "लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल" (India's First Long Range Hypersonic Missile)

DRDO ने भारत की पहली 'लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

* रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का **ओडिशा के पूर्वी तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण** किया।
    * इस **हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक** है।
    * इससे पहले यह तकनीक केवल **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन** के पास थी।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

नई दिल्ली

उत्पत्ति: इसकी स्थापना **1958** में हुई थी।

परिचय: यह **रक्षा मंत्रालय** के तहत एक **अनुसंधान एवं विकास संगठन** है। यह संगठन **अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास तथा रक्षा क्षेत्रक में आत्मनिर्भरता** प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

DRDO वास्तव में **41 प्रयोगशालाओं और 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है।** यह **एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहनों, मिसाइलों, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन** जैसे विषयों में रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

परीक्षण के दौरान प्रदर्शित तकनीकें

* **एयरोडायनामिक कार्यप्रणाली:** यह तकनीक मिसाइल उड़ान के दौरान दिशा में बदलाव पर स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरी है।
* **स्क्रैमजेट प्रणोदन का उपयोग:** यह हाइपरसोनिक गति पर **प्रज्वलन और निरंतर दहन** बनाए रखने के लिए उपयोगी है।

- **स्क्रैमजेट प्रणोदन प्रणाली** ईंधन के दहन के लिए सामने की वायु को संपीडित करने हेतु जेट इंजन की आगे की गति का उपयोग करती है। यह तकनीक **हाइपरसोनिक गति** पर कार्य करती है। एक **स्क्रैमजेट एयर-ब्रीदिंग जेट इंजन** का एक रूप है।

- **थर्मो-स्ट्रक्चरल प्रणाली:** यह तकनीक हाइपरसोनिक उड़ानों के दौरान विमान को **चरम वायु-तापीय वातावरण का सामना करने में सक्षम** बनाती है।
- **हाइपरसोनिक वेग पर पेलोड से मिसाइल को अलग करने की प्रणाली।**

हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है?

- ये मिसाइलें न्यूनतम **मैक-5 की गति यानी ध्वनि की गति से पांच गुना गति** से उड़ सकती हैं।
  - ध्वनि की गति **मैक-1 है। मैक-1 से मैक-5 के बीच की गति सुपरसोनिक** होती है। **मैक-5 से अधिक की गति हाइपरसोनिक** कहलाती है।
- हाइपरसोनिक मिसाइलें **उड़ान के दौरान अपनी दिशा और प्रक्षेप-पथ बदल** सकती हैं। उच्च गति से उड़ने वाली ऐसी **मिसाइलों का पता लगाना तथा उन्हें नष्ट करना अत्यंत कठिन** होता है।

भारत की अन्य मिसाइल प्रणालियां

- **सेवा में शामिल की गई मिसाइलें:**
  - **आकाश:** सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल,
  - **ब्रह्मोस:** लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आदि।
- **विकास-चरण वाली मिसाइलें:**
  - **नाग:** एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल,
  - **अस्त्र:** हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल,
  - **अग्नि:** लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, आदि।

4.2.7. जमीन पर हमला करने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल {Long Range Land Attack Cruise Missile (LRLACM)}

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया।

- यह मिसाइल **निर्भय क्रूज मिसाइल की जगह** लेगी।
- **मारक क्षमता: 1,000 किलोमीटर तक।**
- **प्रक्षेपण क्षमता:** मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर के साथ-साथ जहाज़ों से भी।

LRLACM के बारे में

- यह **सामरिक लक्ष्यों पर दूर से लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है।**
- **यह अलग-अलग ऊंचाइयों और अलग-अलग गति से उड़ते हुए** दिशा बदलने में सक्षम है।

4.2.8. पैंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम {Pantsir Air Defense System (PADS)}

भारत डायनैमिक्स लिमिटेड ने "पैंटसीर वेरिएंट पर सहयोग" के लिए रूस के रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

PADS के बारे में

- पैंटसीर-S1 **कम दूरी की मोबाइल एयर डिफेंस प्रणाली है।** इसमें मिसाइल और बंदूक, दोनों शामिल हैं।
- यह **छोटे सैन्य समूह और औद्योगिक व प्रशासनिक सुविधाओं को एयर डिफेंस या हवाई सुरक्षा प्रदान कर सकता है।**
- **यह फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट (जैसे फाइटर जेट), रोटेटरी-विंग एयरक्राफ्ट (जैसे हेलीकॉप्टर), क्रूज मिसाइलों और उच्च सटीकता के साथ हमला करने वाले हथियारों** से रक्षा कर सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **जर्मनी 2025 तक इजरायल की एरो-3 मिसाइल इंटरसेप्शन प्रणाली** को तैनात करेगा।

4.2.9. अंतरिक्ष अभ्यास 2024 (Exercise Antariksha Abhyas 2024)

भारत का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास दिल्ली में आयोजित हुआ।

- 'अंतरिक्ष अभ्यास 2024' **रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA)** द्वारा आयोजित किया गया है। इस अभ्यास के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
  - अंतरिक्ष में भारत के **राष्ट्रीय सामरिक उद्देश्यों को सुरक्षित करने में मदद** करना, और
  - **सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष क्षेत्रक संबंधी क्षमता को एकीकृत** करना।

स्पेस डिफेंस यानी अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **एकीकृत अंतरिक्ष प्रकोष्ठ का गठन:** इसे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के मुख्यालय के भीतर 2010 में गठित किया गया था।
- 2018 में **रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA)** की स्थापना की गई थी।
- 2019 में **रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (DSRO)** का गठन किया गया था।
- 2019 में **एंटी–सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल – मिशन शक्ति** का परीक्षण किया गया था।

अंतरिक्ष रक्षा

- **स्पेस डिफेंस** वास्तव में अंतरिक्ष में स्थापित **सैटेलाइट जैसी एसेट्स को संभावित खतरों से बचाना** और जवाबी कार्रवाई करना है।
  - ऐसे संभावित खतरों में **गतिज और प्रत्यक्ष ऊर्जा, जैमिंग, साइबर अटैक** आदि शामिल हैं।

अंतरिक्ष रक्षा की आवश्यकता क्यों है?

- अंतरिक्ष एसेट्स पर **सैन्य व असैन्य जैसे खतरें** बढ़ रहे हैं।
  - **असैन्य खतरे (अनियंत्रित और प्राकृतिक):** इनमें अंतरिक्ष मलबा और विकिरण शामिल हैं। ये खतरे **सैटेलाइट सिस्टम की कार्यप्रणाली को बाधित** कर सकते हैं।
  - **सैन्य खतरे (नियंत्रित):**
    - **साइबर अटैक:** इनमें ऑन-बोर्ड सेंसर हैक करना, अपलिंक और डाउनलिंक जैमिंग, ट्रैकिंग ऑपरेशन, आदि शामिल हैं।
    - **एंटी-सैटेलाइट वेपन्स (ASAT):** इनमें डायरेक्ट-एसेन्ट ASAT, ऑर्बिटल ASAT आदि शामिल हैं।
    - **रेंडेजवस और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन:** इनमें डी-ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, नजदीक से निर्देशित-एनर्जी अटैक, डेटरेंस आदि शामिल हैं।
  - **निगरानी और टोही:** इनमें हथियारों की तैनाती, सीमा सुरक्षा आदि के लिए हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरे, सिंथेटिक एपर्चर रडार आदि का उपयोग करना शामिल हैं।

भारत में अंतरिक्ष रक्षा क्षेत्रक के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं:

- निजी क्षेत्रक द्वारा कम निवेश,
- राष्ट्रीय रक्षा अंतरिक्ष रणनीति की आवश्यकता होना,
- अंतरिक्ष क्षेत्रकों के हितधारकों द्वारा अलग-अलग कार्य करना और उनके बीच सहयोग की कमी,
- रक्षा खरीद की अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया, आदि।

आगे की राह

- नई रिमोट सेंसिंग नीति और नई सैटकॉम नीति का मसौदा पारित करना चाहिए।
- रक्षा खरीद प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए।
- प्रौद्योगिकी पहचान फ्रेमवर्क के लिए अनुसंधान एवं विकास पर जोर देना चाहिए।
- युद्ध की योजनाओं में सैटकॉम के एकीकरण की संभावना पर विचार करना चाहिए और
- रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA), रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (DSRO) तथा इसरो में घनिष्ठ सहयोग बढ़ाना चाहिए।

4.2.10. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

अभ्यास	विवरण
महासागर/ MAHASAGAR (मेरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन)	• भारतीय नौसेना ने उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरैक्शन "महासागर **(MAHASAGAR) का तीसरा संस्करण** आयोजित किया। • **महासागर/ MAHASAGAR के बारे में** ○ इसे **भारतीय नौसेना ने 2023 में लॉन्च** किया था। यह **वर्ष में दो बार** आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के देशों के बीच सहयोग और उच्च स्तरीय वार्ता को बढ़ावा** देना है। ○ यह **बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया** के नौसेना अध्यक्षों एवं समुद्री अधिकारियों को एक मंच पर लाता है।
गरुड़ शक्ति	• यह **भारत-इंडोनेशिया** के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। हाल ही में, भारतीय सेना की टुकड़ी इसके **9वें संस्करण** में भाग लेने के लिए **सीजंतुंग (जकार्ता, इंडोनेशिया)** के लिए रवाना हुई है।
वियतनाम-भारत द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास (VINBAX) 2024	• वियतनाम और भारत की सेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास (VINBAX) का **5वां संस्करण अंबाला (हरियाणा)** में शुरू हुआ। • इस संस्करण में दोनों देशों के **थल सेना और वायु सेना कर्मी** भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में **पहली बार द्वि-सेवा स्तर की भागीदारी** देखी जा रही है।
सिम्बेक्स/ SIMBEX- 2024	• यह **सिंगापुर और भारत** के बीच द्विपक्षीय **समुद्री अभ्यास** है। हाल ही में, इसका **31वां संस्करण विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)** में संपन्न हुआ।
SAREX-24 अभ्यास	• **भारतीय तटरक्षक बल (ICG) कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास और कार्यशाला (SAREX-24) का 11वां संस्करण** आयोजित करेगा।
पूर्वी प्रहार	• यह **भारतीय थल सेना** द्वारा आयोजित अधिक गहन **त्रि-सेवा अभ्यास** है। • **उद्देश्य:** दुर्गम पहाड़ी इलाकों में **एकीकृत संयुक्त अभियान** चलाने में **भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना की युद्ध प्रभावशीलता में सुधार** करना।
ऑस्ट्राहिंद अभ्यास 2024	• हाल ही में, **पुणे में भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास "ऑस्ट्राहिंद" का तीसरा संस्करण** शुरू हुआ। यह एक **वार्षिक**

(Exercise AUSTRAHIND)	सैन्य अभ्यास है। यह **भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी-बारी** से आयोजित होता है।
संयुक्त विमोचन 2024	• भारतीय थल सेना ने **गुजरात में बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास, 'संयुक्त विमोचन 2024'** का आयोजन किया। • खाड़ी सहयोग परिषद, हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण-पूर्व एशिया के **9 मित्र देशों ने भी अभ्यास में भाग लिया।**
सी विजिल 24	• हाल ही में, एक प्रमुख **अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास, सी विजिल 24 का चौथा संस्करण** संपन्न हुआ।

4.2.11. ऑपरेशन सागर-मंथन (Operation Sagar Manthan)

हाल ही में, **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ऑपरेशन सागर-मंथन के तहत 700 किलोग्राम मेथामफेटामाइन** जब्त किया है।

- मेथामफेटामाइन अधिक **प्रभावी एडिक्टिव ड्रग** है। यह **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित** करता है।

ऑपरेशन सागर मंथन के बारे में

- **शुरुआत:** इसे **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग** से शुरू किया है।
- **ऑपरेशन के उद्देश्य:**
  - समुद्री मार्गों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना;
  - राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटना;
  - **2047 तक 'नशा मुक्त भारत' के लक्ष्य** को प्राप्त करना।

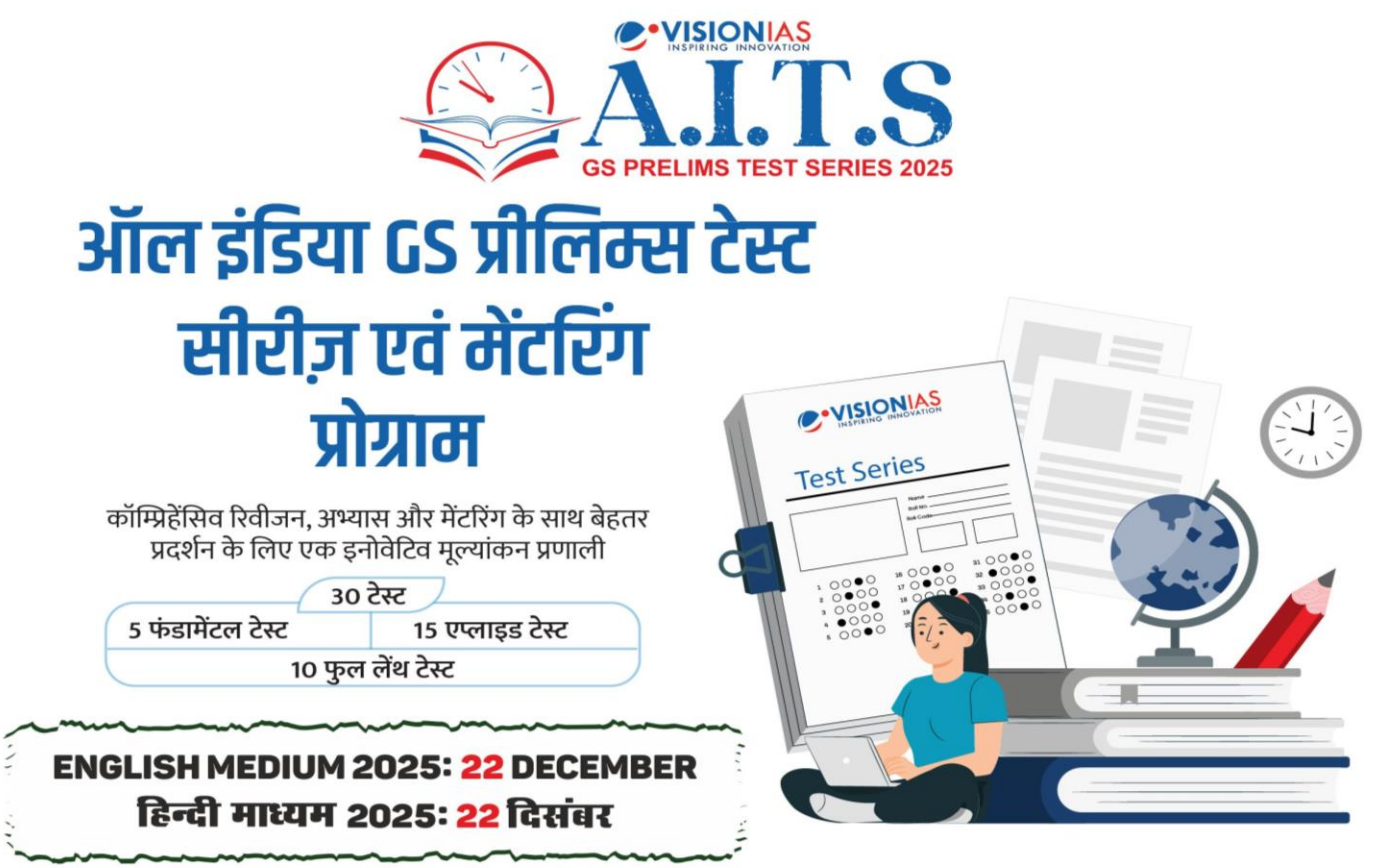

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

Vision IAS का **त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट** उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. UNFCCC के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन (UNFCCC COP29)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, UNFCCC के पक्षकारों का **29वां सम्मेलन** यानी **COP-29 अजरबैजान के बाकू** में आयोजित हुआ। यह **बाकू जलवायु एकता समझौते**[45] और कई महत्वपूर्ण समझौतों के साथ संपन्न हुआ।

> **क्या आप जानते हैं?**
>
> > **UNFCCC की पहली COP बैठक 1995 में बर्लिन (जर्मनी)** में आयोजित की गई थी।

UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के बारे में

- COP, **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- COP एक **वार्षिक सम्मेलन** है। इसमें **UNFCCC के सदस्य देश** प्रगति का आकलन करते हैं और समझौतों पर वार्ता करते हैं। साथ ही, वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को भी बेहतर बनाते हैं।
    - COP का एक प्रमुख कार्य सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और उत्सर्जन डेटा {जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)[46]} की समीक्षा करना है।

> **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन**
> **(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)**
>
> HQ **बॉन, जर्मनी**
>
> **उत्पत्ति:** 1992 में **रियो डी जेनेरियो** में आयोजित **पृथ्वी शिखर सम्मेलन** में UNFCCC को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में प्रस्तुत किया गया था और 1994 में इसे पक्षकारों द्वारा अपनाया गया था।
>
> - यह तीन रियो कन्वेंशंस में से एक है। अन्य दो हैं- जैविक विविधता पर कन्वेंशन **(CBD)** और मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन **(UNCCD)**।
>
> **हस्ताक्षरकर्ता:** लगभग सार्वभौमिक सदस्यता **(भारत सहित 198 पक्षकार)।**
>
> **उद्देश्य:** जलवायु प्रणाली के लिए हानिकारक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना।
>
> **अन्य संबंधित तथ्य:** यह **क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौते (2015)** के लिए आधारभूत कन्वेंशन है।

- ज्ञातव्य है कि आगामी **COP-30** का आयोजन **नवंबर, 2025 में ब्राजील के बेलेम** में होगा।

COP-29 के मुख्य आउटकम्स

थीम (विषय)	विवरण
जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (New Collective Quantified Goal on Climate Finance: NCQG) या बाकू वित्त लक्ष्य	• यह **विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के वित्त-पोषण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य** निर्धारित करता है: ○ वित्त-पोषण को तिगुना करके इसे **2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** करना। गौरतलब है कि वित्त-पोषण का पिछला लक्ष्य **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक था।** ○ सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रकों से **2035 तक प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** जुटाने के प्रयासों को सुरक्षित करना।
कार्बन बाजार और अनुच्छेद 6 (Carbon Markets and Article 6)	• पेरिस समझौते के **अनुच्छेद 6 के लिए नियमों को अंतिम रूप** दिया गया। ○ **अनुच्छेद 6 अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के लिए एक तंत्र** का प्रावधान करता है। इसके तहत देश कार्बन क्रेडिट का व्यापार और जलवायु कार्रवाई को वित्त-पोषित करते हैं।

[45] Baku Climate Unity Pact

[46] Nationally Determined Contributions

 ©Vision IAS

पारदर्शिता (Transparency)	• इस दौरान **संवर्धित पारदर्शिता फ्रेमवर्क (ETF)**[47] सहित **पारदर्शिता संबंधी सभी वार्ताएं** संपन्न हुईं। ○ ETF एक ऐसी प्रणाली स्थापित करता है, जिसके तहत देश अपनी जलवायु कार्रवाइयों की रिपोर्ट देते हैं। इसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु शमन के प्रयास और अनुकूलन उपाय शामिल होते हैं। • पेरिस समझौते के तहत **13 देशों** द्वारा पहली **द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTRs)** सौंपी गई। ○ द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट देशों द्वारा **ETF** के तहत प्रस्तुत की जाने वाली नियमित रिपोर्ट्स हैं। • **वैश्विक जलवायु पारदर्शिता पर बाकू घोषणा-पत्र** और **बाकू वैश्विक जलवायु पारदर्शिता प्लेटफॉर्म** भी लॉन्च किए गए हैं, ताकि समय पर BTRs सौंपी जा सकें तथा ETF के पूर्ण कार्यान्वयन में मदद मिल सके।
अनुकूलन (Adaptation)	• **बाकू अनुकूलन रोड मैप** और **अनुकूलन पर बाकू उच्च स्तरीय वार्ता** का शुभारंभ किया गया है। इन्हें **UAE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलिएंस** को मजबूती प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। ○ यह रोडमैप **पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7** के अनुरूप अनुकूलन कार्रवाइयों को लागू करने में मदद करेगा। • **अल्प विकसित देशों के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NAPs)**[48] को लागू करने हेतु एक **सहायता कार्यक्रम** की स्थापना की गई है। ○ NAPs ऐसे व्यापक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए किसी देश की मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों एवं प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं।
देशज लोग एवं स्थानीय समुदाय (Indigenous Peoples and Local Communities)	• **बाकू कार्य-योजना (Baku Workplan)** को अपनाया गया है और स्थानीय समुदायों एवं देशज लोगों के मंच (LCIPP)[49] के **फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप (FWG)** को सौंपे गए कार्यों (मैंडेट) को नवीनीकृत किया गया है। ○ FWG की स्थापना COP-24 (कैटोवाइस) में LCIPP को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए की गई थी। • **निम्नलिखित 3 फोकस क्षेत्रों** के तहत कार्य-योजना का कार्यान्वयन **2025 में शुरू होगा:** ○ ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना; ○ सक्रिय भागीदारी के लिए क्षमता निर्माण करना; ○ जलवायु नीतियों और कार्रवाइयों में विविध मूल्यों एवं ज्ञान आधारित प्रणालियों को शामिल करना।
जेंडर और जलवायु परिवर्तन (Gender and climate change)	• **जेंडर और जलवायु परिवर्तन पर संवर्धित लीमा वर्क प्रोग्राम** को **अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया।** ○ 2014 में, COP-20 के दौरान लीमा वर्क प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य **लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देना** तथा **UNFCCC और पेरिस समझौते** के तहत जलवायु नीतियों में **लैंगिक पहलुओं को शामिल करना** है। ○ COP-25 में, पक्षकारों ने **5-वर्षीय संवर्धित लीमा वर्क प्रोग्राम पर सहमति व्यक्त** की। साथ ही, **इसके जेंडर एक्शन प्लान** की भी शुरुआत की गई।

*नोट: NCQG से संबंधित **जलवायु वित्त** और पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 6 से संबंधित **कार्बन व्यापार एवं कार्बन बाजार** जैसे विषयों पर आगे आने वाले आर्टिकल्स में विस्तार से चर्चा की गई है।*

जलवायु वार्ताओं के दौरान चर्चा में रहने वाले मुख्य मुद्दे

- **अपर्याप्त जलवायु वित्त:** रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सलेरेटिंग डिलीवरी ऑफ़ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार, NCQG जलवायु कार्रवाई के लिए वैश्विक अनुमानित निवेश संबंधी आवश्यकता से कम है। गौरतलब है कि इस मामले में चीन के अलावा **उभरते बाजार और विकासशील देशों (EMDC) में लगभग 2.3-2.5 ट्रिलियन डॉलर** की जरूरत है।
  - अपर्याप्त वित्त-पोषण के कारण **भारत** सहित विकासशील देशों ने COP29 में सहमत **जलवायु वित्त सौदे को अस्वीकार** कर दिया है।
- **मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम (MWP) पर गतिरोध: भविष्य के एनर्जी मिक्स में जीवाश्म ईंधन की भूमिका पर नजरिए को लेकर मतभेद** के कारण गतिरोध बना हुआ है।
  - **ग्लोबल स्टॉकटेक पर भी विवाद** बना हुआ है। ग्लोबल स्टॉकटेक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक प्रगति का एक समग्र आकलन है।

---

47 Enhanced Transparency Framework

48 National Adaptation Plans

49 Local Communities and Indigenous Peoples Platform

* **जलवायु संबंधी लक्ष्यों पर सीमित प्रगति:** प्रारंभिक NDCs के बाद से लक्ष्यों और कार्रवाई में प्रगति स्थिर हो गई है। देश 2030 के लिए वैश्विक रूप से अपर्याप्त मिटिगेशन यानी शमन प्रतिबद्धताओं को भी पूरा करने के लिए निर्धारित ट्रैक से दूर हैं।
    * उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट-2024 के अनुसार, **2023** में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन एक **नए रिकॉर्ड** पर पहुंच गया। यह **2022** के स्तर से **1.3% की वृद्धि** को दर्शाता है।
* **अन्य मुद्दे:**
    * **हानि और क्षति कोष (LDF)[50] के क्रियान्वयन की धीमी गति** और इसके **अपर्याप्त वित्त-पोषण** को लेकर चिंता जाहिर की गई।
    * COP30 से पहले अगले दौर के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) की घोषणा को **स्थगित** कर दिया गया है।
    * ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी असमानता है। प्रमुख उत्सर्जक देश और क्षेत्र दूसरों की तुलना में बहुत अधिक उत्सर्जन करते हैं, और यह अंतर समय के साथ बदला नहीं है।
        * **G20 सदस्यों की वैश्विक उत्सर्जन में 77%** की हिस्सेदारी है।
    * जलवायु वार्ता में **जीवाश्म ईंधन के पक्षधरों का कथित प्रभुत्व।**

आगे की राह

* विशेष रूप से जलवायु वित्त और शमन संबंधी लक्ष्यों के बारे में विकासशील देशों की चिंताओं को दूर करने के लिए देशों के बीच नियमित एवं रचनात्मक संवाद के माध्यम से **जलवायु कूटनीति को मजबूत करने की आवश्यकता है।**
* आगे के निर्णय से पहले जलवायु परिवर्तन में ऐतिहासिक योगदान को ध्यान में रखना चाहिए और **साझी लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC)[51]** के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। CBDR-RC विकसित देशों को जलवायु कार्रवाई में विकासशील देशों का समर्थन करने की बात पर बल देता है।
* **हानि और क्षति कोष (LDF) का शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन:** यह सुभेद्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद कर सकता है।
* **NDCs को बढ़ाना:** उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **2030 तक 42% और 2035 तक 57% उत्सर्जन में कटौती की आवश्यकता है।**
    * इसके अलावा, **ETF के तहत रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत** करना चाहिए, ताकि देशों को उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके।

जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #119: जलवायु परिवर्तन पर वार्ताएं (CCNs): रियो (1992) से दुबई (2023) तक

5.1.1. COP29 में शुरू की गई प्रमुख पहलें/ घोषणा-पत्र (Key Initiatives/ Declarations Launched At COP29)

पहल	जारीकर्ता	उद्देश्य एवं अन्य विवरण
ऑर्गेनिक अपशिष्ट से मीथेन न्यूनीकरण संबंधी घोषणा-पत्र (Reducing Methane from Organic Waste Declaration)	UNEP द्वारा संचालित जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन (Climate and Clean Air Coalition: CCAC)	• **उद्देश्य:** ऑर्गेनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्सर्जन कम करने के लिए **अलग-अलग क्षेत्रकों के लिए लक्ष्य** तय करना और इन लक्ष्यों हेतु नीतियां और रोडमैप जारी करना। ○ ये **2021 में आयोजित COP26** में शुरू की गई **ग्लोबल मीथेन प्लेज (GMP)** को लागू करने का समर्थन करती हैं। • **हस्ताक्षरकर्ता:** इस घोषणा-पत्र पर **35 देशों** ने हस्ताक्षर किए

[50] Loss and Damage Fund

[51] Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities

		हैं। ये देश **ऑर्गेनिक अपशिष्ट से 47% वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार** हैं। इस घोषणा-पत्र पर **भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया** है।
ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज	COP-29 प्रेसीडेंसी	• **उद्देश्य:** 2030 के लिए लक्ष्य तय करना: ○ वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्रक में **1,500 गीगावाट ऊर्जा भंडारण** की स्थापना करना। यह 2022 के स्तर से छह गुना अधिक है। ○ **वैश्विक ग्रिड स्थापित करने के लक्ष्य के तहत 25 मिलियन किलोमीटर** ग्रिड को **जोड़ना या नवीनीकृत करना** शामिल है।
हरित ऊर्जा प्लेज: हरित ऊर्जा क्षेत्र और गलियारे	UNIDO, UNECE और UNESCAP के साथ साझेदारी में COP-29 प्रेसीडेंसी	• **उद्देश्य:** जलवायु परिवर्तन से निपटने, आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए **हरित ऊर्जा क्षेत्रों (ग्रीन एनर्जी ज़ोन)** को बढ़ावा देना। ○ **ग्रीन एनर्जी ज़ोन** एक केंद्रित हब की तरह काम करते हैं, जहां: ▪ उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तनीय (Variable) नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे- सौर और पवन ऊर्जा) का उपयोग होता है। ▪ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक अवसंरचना और ऊर्जा भंडारण सुविधाएं होती हैं।
हाइड्रोजन घोषणा-पत्र	COP-29 प्रेसीडेंसी	• **उद्देश्य:** विभिन्न क्षेत्रकों को कार्बन मुक्त करने और जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ हाइड्रोजन के उत्पादन एवं उपयोग में तेजी लाना। • यह एक **गैर-कानूनी बाध्यकारी घोषणा-पत्र** है और इसमें भाग लेने वाले देशों को अपने राष्ट्रीय कानून में किसी भी प्रकार का बदलाव करना अनिवार्य नहीं है।
किसानों के लिए बाकू हार्मोनिया जलवायु पहल (Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers)	खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ साझेदारी में COP-29 प्रेसीडेंसी	• **उद्देश्य:** जलवायु कार्रवाई के साथी के रूप में किसानों की आधारभूत भूमिका को स्वीकार करना। • इसकी मेजबानी **फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन (FAST) साझेदारी** के तहत FAO द्वारा की जाएगी। ○ FAST एक **बहु-हितधारक प्लेटफॉर्म** है। इसे **2022** में आयोजित **COP-27 में स्थापित** किया गया था। यह सर्वाधिक सुभेद्य लोगों के लिए **एग्री-फूड सिस्टम्स** में जलवायु संबंधी वित्त-पोषण की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्य करता है।

जलवायु वित्त कार्रवाई कोष (Climate Finance Action Fund: CFAF)	अजरबैजान	• **उद्देश्य: विकासशील देशों में जलवायु परियोजनाओं** का समर्थन करना, अगली पीढ़ी के **NDCs को पूरा करना,** ताकि **1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त** किया जा सके। साथ ही, प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों का समाधान करना। • इस कोष को **तेल, गैस और कोयले** जैसे **जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों** के योगदान से वित्त-पोषित किया जाएगा। • यह तभी शुरू होगा जब 1 अरब डॉलर का धन जुटाने का लक्ष्य पूरा हो जाए और कम-से-कम 10 देश इस परियोजना में शेयरधारक बनने के लिए सहमत हो जाएं। • **मुख्यालय**: बाकू, अज़रबैजान
जलवायु वित्त, निवेश और व्यापार के लिए बाकू पहल (Baku Initiative for Climate Finance, Investment and Trade: BICFIT) या BICFIT संवाद	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से COP29 प्रेसीडेंसी	• **उद्देश्य:** UNFCCC और पेरिस समझौते के अनुसार, **जलवायु वित्त, निवेश और व्यापार के सुनियोजित उपयोग** के माध्यम से देशों के जलवायु संबंधी लक्ष्यों और कार्रवाइयों को आगे बढ़ाना।
ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म (GMP)	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UN Industrial Development Organization: UNIDO) और क्लाइमेट क्लब	• **उद्देश्य:** उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक उत्सर्जन वाले उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय समाधान उपलब्ध कराकर उनके डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाना। • **कार्य:** उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय समाधानों से जोड़ना। • **भूमिका:** डीकार्बोनाइजेशन संबंधी अनुरोधों को दर्ज कराने हेतु देशों के लिए सिंगल-पॉइंट गेटवे के रूप में कार्य करना।
हरित डिजिटल कार्रवाई पर घोषणा-पत्र (Declaration on Green Digital Action)	जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र एवं नेटवर्क, टेक्नोलॉजी मैकेनिजम और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के साथ COP-29 प्रेसीडेंसी	• **उद्देश्य:** जलवायु संबंधी कार्रवाई में तेजी लाने, संधारणीय विकास को बढ़ावा देने और डिजिटल असमानता को समाप्त करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।
कंटीन्यूटी कोएलिशन फॉर क्लाइमेट एंड हेल्थ	संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ब्रिटेन, ब्राजील और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ COP29 प्रेसीडेंसी	• **उद्देश्य:** पिछले COP सम्मेलनों में की गई स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना। जलवायु कार्रवाई में स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से एकीकृत करना।
बाकू डायलॉग ऑन वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), UNECE और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की साझेदारी में COP29 प्रेसीडेंसी	• **उद्देश्य:** COPs सम्मेलनों में जल के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, प्रदूषण एवं मरुस्थलीकरण के साथ जल की परस्पर क्रिया को समझना और उस पर काम करना।

अन्य पहलें

- **पर्यटन में संवर्धित जलवायु कार्रवाई पर COP29 घोषणा-पत्र (COP29 Declaration on Enhanced Climate Action in Tourism):** इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्रक को अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, जलवायु लचीलापन यानी रेजिलिएंस को बढ़ाने और संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है।
- **वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन (Global Energy Efficiency Alliance):** इसे **संयुक्त अरब अमीरात** ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी करना है।
- **हाइड्रो4नेटजीरो-LAC पहल:** इस पहल का उद्देश्य संधारणीय जलविद्युत अवसंरचना का विकास और आधुनिकीकरण करना है, जिससे ऊर्जा प्रणालियों के रेजिलिएंस और स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके।
- **ग्लोबल अलायंस फॉर पंप्ड स्टोरेज (GAPS):** इसे 30 से अधिक सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समर्थन से शुरू किया गया है।

COP29 के दौरान जारी की गई रिपोर्ट्स

रिपोर्ट्स	विवरण
जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य पर विशेष रिपोर्ट (Special report on climate change and health)	• **जारीकर्ता:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) • **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:** ○ **गैर-संचारी रोग (NCD):** जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण **गैर-संचारी रोगों से होने वाली 85% मौतों के लिए जिम्मेदार** हैं। ○ **हीट स्ट्रेस:** जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों को **2023 में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक गर्मी के 50 अधिक दिनों का सामना** करना पड़ा था। ○ **मातृ एवं जनन स्वास्थ्य पर प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन की वजह से समय से पहले प्रसव (प्रीटर्म लेबर), अल्पवजनी बच्चे का जन्म, प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु, बंध्यापन जैसे प्रभाव देखे जा रहे हैं। ○ 2023 में, मौसम संबंधी आपदाओं के कारण **20.3 मिलियन लोगों को अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित होकर देश में ही किसी अन्य जगह** जाना पड़ा था।
वैश्विक जलवायु वित्त परिदृश्य (Global Landscape of Climate Finance) 2024	• **जारीकर्ता:** क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव (CPI) ○ CPI एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संगठन है, जो वित्त और नीतिगत क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता रखता है। • **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:** ○ 2023 में जलवायु वित्त प्रवाह संभवतः 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। इससे नवीकरणीय ऊर्जा (RE) और निम्न-कार्बन उत्सर्जन आधारित परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ○ 2020 के बाद से जीवाश्म ईंधन में निवेश और उपभोक्ताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी में प्रतिवर्ष वृद्धि जारी रही है।
वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) आकलन (Global Nitrous Oxide Assessment) रिपोर्ट	• **जारीकर्ता:** क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन (CCAC) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ○ यह पिछले एक दशक में **पूरी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड पर केंद्रित पहली अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट** है। • **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:** ○ अगर N_2O उत्सर्जन वर्तमान दर (0.1°C का मौजूदा योगदान) पर बढ़ता रहा, तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित रखने का कोई संभव तरीका नहीं होगा। ○ **1980 के बाद से वैश्विक स्तर पर** नाइट्रस ऑक्साइड के मानवजनित उत्सर्जन में **40% की वृद्धि हुई है।** इसमें से लगभग 75% उत्सर्जन कृषि में सिंथेटिक उर्वरकों और खाद के उपयोग से होते हैं।
'रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सलेरेटिंग डिलीवरी ऑफ़ क्लाइमेट फाइनेंस' रिपोर्ट ('Raising Ambition and Accelerating Delivery of Climate Finance' Report)	• **जारीकर्ता:** जलवायु वित्त पर स्वतंत्र उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह (Independent High-Level Expert Group) • **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:** ○ **2030** तक जलवायु कार्रवाई के लिए **लगभग 6.3-6.7 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष** वैश्विक निवेश किए जाने की आवश्यकता है।

5.1.2. COP29 और भारत (India at COP29)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने UNFCCC-CoP29 के पूरे सत्र में जलवायु वार्ता के संबंध में अपना रुख स्पष्ट किया।

विभिन्न पहलुओं पर भारत का रुख

- **नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG):** इसके लिए **भारत ने प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य** प्रस्तावित किया है। इसमें से 600 बिलियन डॉलर अनुदान या अनुदान समकक्ष संसाधनों से आने चाहिए।
- **शमन (Mitigation):**
    - **भारत ने मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम (MWP)** के दायरे में परिवर्तन और पेरिस समझौते के तहत **तापमान संबंधी लक्ष्यों में बदलाव** के प्रयासों का विरोध किया है।
    - भारत ने विकसित देशों (अनुलग्नक I में शामिल देश) द्वारा 2020 से पहले के शमन संबंधी उपायों हेतु वित्त की उपलब्धता में कमी का मुद्दा उठाया है।
- **जस्ट ट्रांजिशन:**
    - भारत ने यह स्पष्ट किया कि **विकसित देशों** को जस्ट ट्रांजिशन के लिए विकासशील देशों **को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।**
    - जस्ट ट्रांजिशन में विकासशील देशों के **विकास के अधिकार**[52] और **संधारणीय प्राथमिकताओं** को पूरी मान्यता देनी चाहिए।
- **ग्लोबल स्टॉकटेक:**
    - भारत ने पेरिस समझौते के फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए ग्लोबल स्टॉकटेक परिणामों के लिए किसी भी फॉलो-अप मैकेनिज्म का विरोध किया है।
    - वित्तीय मुद्दे पर कम ध्यान, संतुलन की कमी और शमन-केंद्रित होने के कारण भारत ने UAE डायलॉग टेक्स्ट की आलोचना की है।
    - भारत ने वित्त और उत्सर्जन संबंधी प्रवृत्तियों के साथ UAE डायलॉग टेक्स्ट को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए विशिष्ट संशोधनों का प्रस्ताव रखा है।
- **अनुकूलन (Adaptation):**
    - भारत ने अनुकूलन पर **प्रगति को मापने के लिए स्पष्ट संकेतकों को सुनिश्चित करने को कहा** है।
    - संकेतकों की रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा केवल **पक्षकारों (देशों)** द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों से लिया जाना चाहिए। भारत ने यह स्पष्ट किया कि इसके लिए **तीसरे पक्ष के डेटाबेस** का उपयोग नहीं होना चाहिए।
    - भारत ने वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA)[53] पर कार्य जारी रखने के लिए **बाकू रोड मैप की स्थापना का समर्थन** किया है।

CoP29 के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न आयोजनों में भारत की भागीदारी

- **आपदा रोधी अवसंरचना को अनुकूलन रणनीतियों में एकीकृत करना:**
    - इसे **भारत** और **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)**[54] द्वारा आयोजित किया गया।
        - भारत ने CDRI को 2019 में शुरू किया था। यह देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्रक और शैक्षणिक संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। इसका उद्देश्य आपदा रोधी अवसंरचना को बढ़ावा देना है।
            - यह इस बात पर केंद्रित था कि कैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने में सक्षम अवसंरचना का निर्माण किया जाए।
            - CDRI ने अपने "इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स' पहल के तहत **17 लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में 12 परियोजनाओं के लिए 8 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा** की है।
- **लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT) के सदस्यों की बैठक**
    - इसे **भारत और स्वीडन** द्वारा आयोजित किया गया था।
    - LeadIT एक वैश्विक पहल है, जो निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ट्रांजिशन को गति प्रदान करने के लिए सरकारों और उद्योग जगत को एकजुट करती है।
- **ग्लोबल साउथ के लिए एनर्जी ट्रांजिशन**

---

[52] Right To Development

[53] Global Goal on Adaptation

[54] Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

- इसे भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) द्वारा आयोजित किया गया।
    - यह आयोजन **विकासशील देशों के एनर्जी ट्रांजिशन में सौर ऊर्जा की भूमिका पर केंद्रित था।**
- **अन्य: भारत-स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप (ITP),** आदि।

5.2. कार्बन ट्रेडिंग और बाजार (Carbon Trading and Market)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पेरिस समझौते के **अनुच्छेद 6** के अंतर्गत आने वाले **कार्बन ट्रेडिंग नियमों को एक दशक की वार्ता के बाद COP-29 में अंतिम रूप दिया गया।**

पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के बारे में

- इसमें **कार्बन बाजार से संबंधित साधनों (Tools) और प्रणालियों (Mechanisms) का विवरण दिया गया है।** यह देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को हासिल करने के लिए **स्वैच्छिक सहयोग करने में सक्षम बनाता है।**
- इसके तहत निम्नलिखित **3 मुख्य प्रणालियां शामिल हैं,** जिनमें 2 बाजार-आधारित और 1 गैर-बाजार आधारित हैं।

अनुच्छेद 6 के अंतर्गत प्रणालियां		
बाजार आधारित प्रणालियां		**गैर-बाजार आधारित प्रणाली**
अनुच्छेद 6.2	**अनुच्छेद 6.4**	**अनुच्छेद 6.8**
• यह **विकेंद्रीकृत प्रणाली** है। इसमें **देशों को द्विपक्षीय सहयोग के जरिए आपस में कार्बन ट्रेडिंग की अनुमति** दी गई है। • इसमें **अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरित शमन परिणामों (ITMOs)**[55] का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शामिल है। **ITMOs** शमन संबंधी कार्यों के परिणामस्वरूप उत्सर्जन में होने वाली कमी को दर्शाने वाली यूनिट्स हैं। • ITMOs के व्यापार से मिली उपलब्धियों को फिर **NDC के लक्ष्यों में समायोजित (Corresponding adjustment)** किया जाता है।	• यह UNFCCC की निगरानी में ITMOs के हस्तांतरण पर आधारित एक **केंद्रीकृत प्रणाली** है। इसे **'पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (PACM)'** नाम दिया गया है। • यह प्रणाली **वैश्विक कार्बन बाज़ार की स्थापना** करती है। • इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (CDM) के समान **बेसलाइन-एंड-क्रेडिटिंग मैकेनिज्म** का उपयोग किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल में कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली का उपयोग किया जाता था।	• इसमें वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से **शमन और अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए गैर-बाजार आधारित दृष्टिकोण** शामिल है। • इसमें **उत्सर्जन में कटौती का कोई व्यापार** नहीं किया जाता है। • इसमें **एक से अधिक भागीदार पक्ष** शामिल होते हैं।

कॉरेस्पॉडिंग एडजस्टमेंट के बारे में (पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2)

- इसके तहत ITMOs के हस्तांतरण (निर्यात) या अर्जन (आयात) को समायोजित करने के लिए संबंधित देश के उत्सर्जन स्तर में बदलाव किए जाते हैं।
- इन्हें NDCs के तहत विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों और उपायों के आधार पर **3 अलग-अलग स्थितियों के लिए बनाया गया है:**
    - **GHG मैट्रिक्स:** उदाहरण के लिए- पूरी अर्थव्यवस्था का वार्षिक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन स्तर।
    - **गैर-GHG मैट्रिक्स:** उदाहरण के लिए- नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)।
    - **नीतियां और उपाय:** किसी देश के NDC के तहत लागू की गई नीतियां और उपाय।

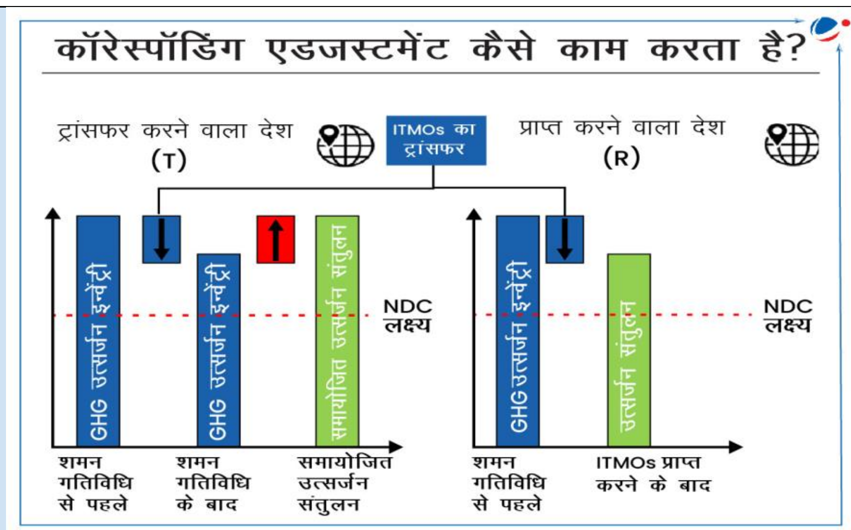

---

[55] International Transferred Mitigation Outcomes

कार्बन मार्केट के बारे में

- **कार्बन बाजार एक व्यापारिक प्रणाली है,** जहां कंपनियां **कार्बन क्रेडिट** खरीदकर अपने ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की भरपाई करती हैं। ये क्रेडिट उन परियोजनाओं से प्राप्त होते हैं जो:
  - उत्सर्जन को **कम** करती हैं, या
  - उत्सर्जन को **रोकने** का काम करती हैं।
- आमतौर पर **व्यापार योग्य एक कार्बन क्रेडिट एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड** या उसके बराबर किसी अन्य ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, प्रच्छादन (Sequestration) या रोकथाम के बराबर होता है।

क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत कार्बन ट्रेडिंग की तुलना		
पहलू	**क्योटो प्रोटोकॉल**	**पेरिस समझौता (अनुच्छेद 6)**
भागीदारी का दायरा	यह **विकसित देशों (अनुलग्नक I) तक सीमित था** तथा परियोजना को विकासशील देशों में लागू किया जाता था।	**इसमें सभी देशों को शामिल किया गया है।**
अनुकूलन संबंधी वित्त-पोषण	**CDM परियोजनाओं से प्राप्त आय का हिस्सा** अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) में जाता था।	**अनुच्छेद 6.4 के तहत लेन-देन से प्राप्त आय का 5% हिस्सा वैश्विक अनुकूलन कोष** (Global Adaptation Fund) में आवंटित किया जाता है।
बाजार का दायरा	• **यह परियोजना आधारित मैकेनिज्म पर** केंद्रित था, जैसे- ○ **क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (CDM):** विकासशील देशों में परियोजनाएं। ○ **संयुक्त कार्यान्वयन (Joint Implementation: JI):** अन्य विकसित देशों में परियोजनाएं।	इसमें **बाजार-आधारित और गैर-बाजार-आधारित दृष्टिकोणों** दोनों शामिल हैं।
लेगेसी क्रेडिट	इसमें निष्क्रिय परियोजनाओं से संबंधित पुराने कार्बन क्रेडिट्स के उपयोग की अनुमति दी गई थी, जिससे बाजार में कार्बन क्रेडिट की अत्यधिक आपूर्ति की चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती थी।	इसमें लेगेसी क्रेडिट के उपयोग की अनुमति नहीं है, केवल **2013 के बाद के कार्बन क्रेडिट** ही उपयोग किए जाते हैं।

कार्बन ट्रेडिंग का महत्त्व

- **आर्थिक दक्षता:** विश्व बैंक के अनुसार, **अनुच्छेद 6 के तहत** कार्बन ट्रेडिंग से NDCs की लागत में 50% से अधिक की कटौती हो सकती है। इससे 2030 तक सालाना 250 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है।
- **विकासशील देशों को समर्थन:** यह बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन जुटाकर जलवायु शमन संबंधी प्रयासों में विकासशील देशों को समर्थन प्रदान करती है।
- **व्यापक प्रभाव की संभावना:** अनुच्छेद 6.8 के तहत, गैर-बाजार आधारित दृष्टिकोण (जैसे- क्षमता निर्माण प्लेटफ़ॉर्म) का उपयोग संधारणीय विकास के लिए कई मार्गों को खोलता है।
- **सरकारों के लिए राजस्व: विश्व बैंक की स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट के अनुसार,** 2023 में कार्बन मूल्य निर्धारण राजस्व **रिकॉर्ड 104 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।**

कार्बन बाज़ार से संबंधित मुद्दे

- **दोहरी गणना (Double Counting):** अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत देशों को **अपने उत्सर्जन संबंधी कटौती की गणना में गड़बड़ियों को ठीक करने या गड़बड़ियों को रोकने के लिए कठोर एवं अनिवार्य प्रावधान नहीं किए गए हैं। इससे एक से अधिक देशों द्वारा एक ही उत्सर्जन कटौती** की गणना करने की संभावना उत्पन्न हो जाती है।

- **सीमित कवरेज और दायरा: विश्व बैंक** के अनुसार, वैश्विक उत्सर्जन का केवल 24% ही कार्बन टैक्स और उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों (ETS)[56] के तहत कवर किया जाता है।
- **मापन संबंधी अपर्याप्त मानक:** अनुच्छेद 6 के मसौदा नियमों में देशों के लिए असफल कार्बन प्रच्छादन परियोजनाओं (Sequestration project) से CO_2 के उत्सर्जन की निगरानी करना अनिवार्य नहीं किया गया है।
- **क्रियान्वयन में देरी:** उदाहरण के लिए- अनुच्छेद 6.4 के 2025-2026 से पहले अमल में आने की संभावना नहीं है।
- **कार्बन उपनिवेशवाद (Carbon Colonialism):** देशज लोगों के अधिकारों और स्थानीय समुदाय पर प्रभावों को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया जाता है, जिससे कार्बन बाजार संबंधी परियोजनाओं के तहत शोषण को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- **विविध राष्ट्रीय हित:** पारदर्शिता, न्यायसंगत पहुंच और कार्बन बाजार नियमों में सुगमता का स्तर जैसे प्रमुख मुद्दों पर विकसित एवं विकासशील देशों के बीच तनाव की स्थिति है।
- **अन्य समस्याएं:**
  - गैर-बाजार आधारित उपायों के लिए **स्पष्ट दिशा-निर्देशों और कार्यान्वयन फ्रेमवर्क का अभाव है।**
  - **ग्रीनवाशिंग से जुड़ी चिंताएं।**
  - **बाजार में कार्बन क्रेडिट की अधिकता** से कार्बन क्रेडिट के मूल्य पर प्रभाव पड़ना।

आगे की राह

- उत्सर्जित कार्बन कटौती की रिपोर्टिंग के लिए समान और बाध्यकारी दिशा-निर्देश लागू करना चाहिए, ताकि दोहरी गणना को रोका जा सके एवं विश्वसनीय कार्बन लेखांकन को सुनिश्चित किया जा सके।
- कार्बन क्रेडिट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि किसी निष्पक्ष तीसरे पक्ष द्वारा यह सत्यापित किया जाए कि ये क्रेडिट वास्तविक परियोजनाओं से प्राप्त हुए हैं और कार्बन उत्सर्जन में कमी के अनुरूप हैं।
- वनाग्नि या भूमि-उपयोग में परिवर्तन जैसे **जोखिमों से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों का विकास और उन्हें लागू करना चाहिए**, ताकि कार्बन प्रच्छादन संबंधी प्रयासों के परिणामों को निष्प्रभावी होने से रोका जा सके।
- देशज और स्थानीय समुदायों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रावधान सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
- प्रमाणित मांग और गुणवत्ता के आधार पर कार्बन क्रेडिट जारी करने हेतु कड़े नियम लागू करके **बाजार में कार्बन क्रेडिट की अधिकता को नियंत्रित करना चाहिए।**

भारत में कार्बन बाज़ार और कार्बन ट्रेडिंग प्रणाली

- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023:** इसे ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। यह **दो प्रणालियों के तहत भारतीय कार्बन बाजार की स्थापना करती है:**
  - **अनुपालन प्रणाली (Compliance mechanism):** इसके तहत सरकार ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए अनिवार्य रूप से GHG उत्सर्जन तीव्रता के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करती है।
    - शुरुआत में इसके तहत **उर्वरक, लोहा एवं इस्पात, पल्प एवं कागज, पेट्रोरसायन, पेट्रोलियम रिफाइनरी जैसे 9 क्षेत्रक** शामिल किए गए हैं।
  - **ऑफसेट मैकेनिज्म:** यह अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत शामिल न होने वाली इकाइयों के लिए एक **स्वैच्छिक परियोजना-आधारित प्रणाली** है।
- **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम:** यह **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत **ग्रीन क्रेडिट के व्यापार हेतु एक बाजार-आधारित स्वैच्छिक प्रणाली** है। यह विभिन्न हितधारकों द्वारा **पर्यावरण के प्रति सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करता है।**
  - इसके तहत **पात्र गतिविधियों** में वृक्षारोपण, संधारणीय कृषि पद्धतियां आदि शामिल हैं।
- **अन्य उपाय:**
  - **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT)[57] योजना:** यह ऊर्जा की अधिक खपत वाले बड़े उद्योगों को अपनी ऊर्जा खपत को निर्धारित स्तर तक कम करना अनिवार्य करती है।
    - जो उद्योग अपने लक्ष्य से अधिक हासिल कर लेते हैं, उन्हें **ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ESCerts) मिलता है।** इन बचत प्रमाण-पत्रों का व्यापार उन

[56] Emission Trading Systems

[57] Perform, Achieve and Trade

उद्योगों के साथ किया जा सकता है जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं।
    - इसे धीरे-धीरे CCTS के अंतर्गत अनुपालन प्रणाली के तहत लाया जाएगा।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (REC) योजना:** यह **नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों (RPO) के पालन को सुगम बनाने हेतु** एक बाजार आधारित साधन है।
    - **एक REC** का मान **1MWh बिजली के बराबर होता है।**

5.3. जलवायु वित्त (Climate Finance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विकासशील देशों ने **जलवायु वित्त** पर बढ़ाए गए **नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG)** पर निराशा व्यक्त की है।

नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (New Collective Quantified Goal) के बारे में

- **2025 के बाद जलवायु वित्त संबंधी लक्ष्य (नए लक्ष्य)** निर्धारित करने के लिए COP21 में NCQG को प्रस्तावित किया गया था।

  - 2009 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पक्षकारों ने 2020 तक **प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर जुटाने का निर्णय लिया था। बाद में, इस समय सीमा को 2025 तक बढ़ा दिया गया था।**
  - हालांकि, यह लक्ष्य **अभी भी हासिल नहीं** किया जा सका है। इस कमी ने **जलवायु वित्त की मौजूदा प्रणाली की सीमाओं को उजागर किया है।**
- पेरिस समझौते के **अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि इस समझौते के पक्षकार विकसित देश, पक्षकार विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन** उपलब्ध कराएंगे।

जलवायु वित्त के बारे में

UNFCCC के अनुसार, **जलवायु वित्त** सार्वजनिक, निजी या अन्य स्रोतों से स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली फंडिंग है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सुभेद्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए **शमन (Mitigation)** और **अनुकूलन (Adaptation)** के प्रयासों को समर्थन करना है।

UNFCCC के अंतर्गत वैश्विक वित्तीय तंत्र	
लॉस एंड डैमेज यानी हानि और क्षति कोष	• इसे **मिस्र में आयोजित COP27** के दौरान गठित किया गया था। इसका परिचालन **दुबई में आयोजित COP28** के दौरान शुरू हुआ था। • इसका उद्देश्य **जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य (खतरे वाले) देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।** ○ शमन और अनुकूलन प्रयासों के बावजूद भी घटित होने वाले जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को "लॉस एंड डैमेज" कहते हैं।
ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)	• इसे वर्ष **2010 में आयोजित COP-16** में स्थापित किया गया था। इसके तहत विकसित देशों ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि वे 2020 तक प्रति वर्ष **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर** जुटाकर विकासशील देशों को उत्सर्जन में कटौती संबंधी उनके **लक्ष्यों** को हासिल करने और उन्हें बढ़ाने में सहायता करेंगे।

अनुकूलन निधि[58]	• इसे **2001 में स्थापित** किया गया था। इसका उद्देश्य **क्योटो प्रोटोकॉल** के पक्षकार विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं और प्रोग्रामों को वित्त-पोषित करना है। • इसे पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 द्वारा स्थापित **बाजार-आधारित नए UNFCCC तंत्र से प्राप्त आय का 5% हिस्सा मिलता है।**
स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड (SCCF)	• इसे 2001 में **COP7 के दौरान स्थापित किया** गया था। इसका उद्देश्य अनुकूलन; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण; ऊर्जा, परिवहन आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्त-पोषित करना है। • इसका प्रशासन **ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF)** द्वारा किया जाता है।
अल्प विकसित देश निधि (LDCF)[59]	• इसे 2001 (COP7) में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य नेशनल एडॉप्शन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन (NAPAs) को तैयार करने और कार्यान्वयन में **पक्षकार अल्प विकसित देश की सहायता** के लिए कार्य योजना का समर्थन करना है। • इसका प्रशासन **ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी** द्वारा किया जाता है।

वर्तमान जलवायु वित्त-पोषण से जुड़े मुद्दे

- **वितरण में असमानता:** ग्लोबल लैंडस्कैप ऑफ़ क्लाइमेट फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 से 2022 के बीच कुल **जलवायु वित्त** में **विकसित देशों का योगदान 45%** रहा, जबकि अल्प विकसित देशों का योगदान मात्र **3%** रहा।
- **अनुकूलन वित्त-पोषण अंतराल**: एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार, विकासशील देशों को **हर साल 215-387 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की आवश्यकता है, जबकि **2022 में केवल 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर** ही उपलब्ध हो पाया।
- **शमन और अनुकूलन असंतुलन:** UNDP के अनुसार, जलवायु वित्त का 90% हिस्सा शमन संबंधी कार्यों में जाता है।

डेटा बैंक

जलवायु वित्त (Climate finance) की स्थिति : ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2024 (GLCF 2024)

- **वार्षिक तौर पर वैश्विक जलवायु वित्त में 2 गुना से अधिक की वृद्धिः** यह 2018 में 674 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो बढ़कर 2021–22 में 1.46 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।
- 2018–2022 के बीच 'जलवायु शमन वित्त (Climate mitigation finance)' में 20% की CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से वृद्धि हुई।
  - शमन गतिविधियों के लिए कुल वित्त में निजी वित्त की हिस्सेदारी लगभग 54% है।
- 2018–2022 के बीच 'अनुकूलन वित्त (Adaptation finance)' में 2 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

---

[58] Adaptation Fund

[59] Least Developed Countries Fund

- **ऋण का बोझ:** जलवायु वित्त अक्सर ऋण (Loans) के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जिससे विकासशील देशों पर ऋण बोझ बढ़ता है। यह विकासशील देशों के संधारणीय विकास में निवेश को बाधित कर सकता है।
    - क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के अनुसार, मौजूदा जलवायु निवेश का लगभग **94% या तो ऋण या फिर इक्विटी** (लाभ की मंशा वाले निवेश) के माध्यम से प्राप्त होता है।
- **अपर्याप्त वित्त:** ग्लोबल लैंडस्कैप ऑफ़ क्लाइमेट फाइनेंस 2024 के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग को **1.5°C तक सीमित रखने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2030 तक प्रति वर्ष 7.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत है, जो मौजूदा वित्त की तुलना में पांच गुना अधिक है।**
- **अन्य समस्याएं:**
    - जलवायु वित्त के आवंटन और उपयोग में **पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है।** इससे इसकी प्रभावशीलता और दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है।
    - कई विकासशील देशों को जटिल प्रक्रियाओं, तकनीकी क्षमता की कमी और सीमित संस्थागत व्यवस्था के कारण **जलवायु निधि की उपलब्धता के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।**
    - इसमें **निजी क्षेत्रक की भागीदारी बहुत कम** है।

जलवायु वित्त और भारत

भारत की जलवायु वित्त हेतु आवश्यकताएं

- भारत की वर्तमान ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन हेतु आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए **2015 से 2030 के बीच लगभग 6 से 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।**
- **भारत को 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए लगभग 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की आवश्यकता है।

जलवायु वित्त जुटाने के लिए उठाए गए कदम

- अगस्त 2015 में **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC)**[60] की स्थापना की गई थी।
- **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL)'** के दायरे में लाया गया है।
- **ग्रीन डिपॉजिट और ग्रीन बॉण्ड जारी किए गए हैं।** भारत का **पहला ग्रीन बॉण्ड 2015 में यस बैंक** द्वारा जारी किया गया था।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के तहत **सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप (SFG)** की स्थापना की गई थी।
- **RBI, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम (NGFS)** में शामिल हो गया है।
- केंद्रीय बजट 2022-23 में हरित अवसंरचना निवेश के लिए **सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड** की घोषणा की गई है।

आगे की राह

- **शमन और अनुकूलन हेतु संसाधनों के आवंटन** में असंतुलन का समाधान करना चाहिए, ताकि संसाधन तात्कालिक रिजिलिएंस संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
- अनुकूलन परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने हेतु ग्रीन बॉण्ड, कार्बन बाजार और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग जैसे **नवीन वित्त-पोषण तंत्रों की संभावनाओं को तलाशना चाहिए।**
- **एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना:**
    - **सार्वजनिक वित्त-पोषण:** इसके तहत ऋण और राजकोषीय स्थिति का प्रबंधन करना, घरेलू स्तर पर संसाधन जुटाने को बढ़ावा देना (कार्बन मूल्य निर्धारण द्वारा) आदि उपाय किए जाने चाहिए।
    - **निजी निवेश:** इसमें पूंजी की लागत को कम करना, रियायती वित्त के लिए विकल्पों का विस्तार करना, कार्बन बाजारों की क्षमता का उपयोग करना आदि शामिल है।
- विकासशील देशों को जलवायु वित्त तक पहुंच, प्रबंधन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए **तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।**
- **बहुपक्षीय विकास बैंकों** को NCQG के भाग के रूप में 2030 तक ऋण देने की क्षमता को तीन गुना करने के लिए कार्य करना चाहिए।

---

[60] National Adaptation Fund for Climate Change

- जलवायु वार्ता में ग्लोबल साउथ के हितों को बनाए रखने के लिए **समानता और जलवायु न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।**
- **ऋण-के-लिए-जलवायु स्वैप** का उपयोग करके, देशों को उनके ऋण में राहत देने हेतु वार्ता की जानी चाहिए, जिससे वे ऋण चुकाने के बजाय जलवायु कार्रवाई परियोजनाओं में निवेश कर सकें।
- **क्लाइमेट रिजिलिएंस के लिए बीमा का उपयोग:** बीमा कंपनियां अपनी जलवायु परिवर्तन योजनाओं को वित्तीय रणनीतियों के साथ जोड़ सकती हैं। इसके तहत ऐसे जोखिम हस्तांतरण साधन[61] उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जो जलवायु संबंधी आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करते हों और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए तीव्र भुगतान सुनिश्चित करते हों।

5.4. जस्ट ट्रांजिशन (Just Transition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **COP29 में आयोजित द्वितीय वार्षिक उच्च-स्तरीय मंत्रीस्तरीय गोलमेज सम्मेलन** में ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस और समान कार्रवाई की वैश्विक आवश्यकता पर बल दिया है।

जस्ट ट्रांजिशन के बारे में

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार जस्ट ट्रांजिशन का अर्थ:** अर्थव्यवस्था को इस तरीके से हरित बनाना, जो सभी के लिए निष्पक्ष और समावेशी हो, गरिमापूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करे और किसी को भी पीछे न छोड़े। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी लोगों को जस्ट ट्रांजिशन का लाभ और रोजगार के अच्छे अवसर मिलें।
  - यह समतापूर्ण, समावेशी और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए **उच्च कार्बन उत्सर्जन वाली असंधारणीय प्रणालियों से निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली संधारणीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है।**
- **इसे स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26)** में सहमत **जस्ट ट्रांजिशन घोषणा-पत्र** द्वारा मान्यता दी गई है।
- **इसके प्रमुख घटकों में शामिल हैं:**
  - **समानता:** इसमें विशेष रूप से **जीवाश्म ईंधन** और अन्य उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योगों पर निर्भर श्रमिकों एवं समुदायों के अधिकारों तथा आजीविका की रक्षा करना शामिल है।
  - **समावेशन:** यह सुनिश्चित करना कि **निर्णय लेने में सभी संबंधित हितधारक, जैसे- श्रमिक, सरकारें, उद्योग और नागरिक समाज शामिल हों।**
  - **संधारणीयता:** आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों को इस तरीके से अनुकूलित करना कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

जस्ट ट्रांजिशन की आवश्यकता क्यों हैं?

- **श्रमिकों पर प्रभाव:** ILO के अनुसार, 2030 तक **24 मिलियन नए हरित रोजगार** सृजित हो सकते हैं, तथा कार्बन-गहन उद्योगों में **6 मिलियन नौकरियां समाप्त हो सकती हैं।**

---
[61] Risk Transfer Tools

- **जलवायु परिवर्तन शमन:** ऊर्जा क्षेत्रक से उत्सर्जन में होने वाली कमी पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  - **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा** वर्ष 2025 से पहले अपने चरम पर पहुंच जाएगी तथा 2030 तक इसमें 43% की कमी करनी होगी।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** अक्सर भू-राजनीतिक तनावों और मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण जीवाश्म ईंधनों की आपूर्ति अस्थिर हो जाती है। ऐसे में विविध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी आती है।
- **असंतोष से बचना**: उदाहरण के तौर पर निम्न आय वर्ग पर असमान प्रभाव डालने वाले जलवायु उपायों के खिलाफ 2018 में फ्रांस में **येलो वेस्ट** प्रदर्शन किए गए थे।

जस्ट ट्रांजिशन के समक्ष चुनौतियां

- **ट्रांजिशन संबंधी उच्च लागत:** उदाहरण के लिए- **जस्ट ट्रांजिशन, जस्ट फाइनेंस रिपोर्ट** के अनुसार, भारत को कोयला खनन और तापीय ऊर्जा क्षेत्रकों में ट्रांजिशन के लिए अगले तीन दशकों में एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** जिन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था कोयला जैसे उद्योगों पर निर्भर है, जैसे दक्षिण अफ्रीका के म्पुमलंगा या भारत के झारखंड, उनके पास अपनी अर्थव्यवस्था को विविध बनाने के लिए कम संसाधन हैं। इससे ट्रांजिशन की तैयारी के मामले में असमानताएं देखने को मिल सकती हैं।
- **ऊर्जा की सुरक्षा और सुलभता:** कोयला आधारित बिजली की विकासशील देशों में विकास संबंधी उद्देश्यों और उनके नागरिकों के लिए ऊर्जा को सुलभ एवं किफायती बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।
  - उदाहरण के लिए- भारत में कोयला लगभग 55% वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। साथ ही, 70% से अधिक बिजली का उत्पादन कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्र (TPP) करते हैं।
- **आर्थिक नुकसान:** अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, ग्रीन ट्रांजिशन की दिशा में बढ़ने के चलते आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो चुकी जीवाश्म ईंधन परिसंपत्तियों के मामले **में नुकसान हो सकता है।**
  - उदाहरण के लिए- **सऊदी अरब ने अपने 2022 के बजट राजस्व का 68% हिस्सा तेल से प्राप्त किया।**
- **असमान प्रभाव:** यू.एन. वीमेन, 2023 के अनुसार, **अनौपचारिक और कम कार्बन वाली नौकरियों में महिलाओं की संख्या अधिक है**। इससे हरित क्षेत्रों में उनके लिए अवसर सीमित हो सकते हैं।
- **अन्य मुद्दे:** इसमें अवसंरचना से जुड़ी चुनौतियां जैसे कि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना; प्रौद्योगिकी के पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव; आदि शामिल हैं।

जस्ट ट्रांजिशन के लिए उठाए गए कदम

भारत में

- **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY):** इसके तहत विकासात्मक कार्यक्रम के लिए सभी **जिला खनिज फाउंडेशन (DMFs)** द्वारा कुछ न्यूनतम प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं।
- **जिला खनिज फाउंडेशन (गैर-लाभकारी ट्रस्ट):** इसे **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम[62], 2015** के तहत **सभी खनन प्रभावित जिलों** में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया गया है।
- **उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना - उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
- **वैश्विक सहयोग:** इसमें एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ साझेदारी कर कोयला खनन-आधारित जिलों और राज्यों के लिए "जस्ट ट्रांजिशन वर्कर सपोर्ट फैसिलिटी" विकसित करना शामिल है।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF):** इसके तहत कोयला उपकर के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उद्यमों को वित्त-पोषित किया जाता है।
- **अन्य पहलें:** इसमें सोलर सिटी और पार्क, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा हरित ऊर्जा गलियारे आदि शामिल हैं।

वैश्विक स्तर पर

- **जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (JETP):** इसे **UNFCCC के COP26** में लॉन्च किया गया था। इसके तहत विकसित देश, विकासशील देशों में समावेशी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
- **ILO के जस्ट ट्रांजिशन दिशा-निर्देश:** ये सभी के लिए पर्यावरणीय रूप से संधारणीय अर्थव्यवस्था और समाज की ओर जस्ट ट्रांजिशन के लिए दिशा-निर्देश

[62] Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015

हैं। इन्हें 2015 में सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अपनाया गया था।

- **'जस्ट ट्रांजिशन फॉर ऑल' पहल:** विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई यह पहल कोयले जैसे प्रमुख और कार्बन-गहन ऊर्जा स्रोतों से ट्रांजिशन के लिए जन-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देती है।

आगे की राह

- कोयले का खनन बंद होने और इनका अन्य उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग की स्वतंत्र निगरानी करने तथा ट्रांजिशन के लाभों एवं लागतों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए **नेशनल जस्ट ट्रांजिशन बॉडी की स्थापना की जानी चाहिए।**
- **जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (JETP), ग्रीन बॉण्ड** जैसे साधनों के माध्यम से **संधारणीय वित्त-पोषण की संभावना तलाश करनी चाहिए।**
- **बैंकों और बहुपक्षीय संस्थाओं को** अधिक अनुदान, रियायती ऋण आदि प्रदान करके वित्तीय प्रतिबद्धता बढ़ानी चाहिए।
- **सामाजिक अवसंरचना का संरक्षण कर और उसे अपग्रेड करना चाहिए।** उदाहरण के लिए, **कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली नौकरियों में लगे औपचारिक श्रमिकों के लिए मुआवजा पैकेज शुरू करना** चाहिए। जैसे कि सेवा की समाप्ति पर आर्थिक क्षतिपूर्ति पैकेज, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS), आदि।
- **नई, संधारणीय नौकरियों के सृजन के लिए रणनीति विकसित करना** तथा एनर्जी ट्रांजिशन से प्रभावित श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और पुनः कौशल कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में **सभी प्रभावित समूहों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।**
- **ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणालियों को अपग्रेड करके हरित ऊर्जा अवसंरचना का विकास और उसमें वृद्धि करनी चाहिए।**

ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वित्त–पोषण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #104: ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वित्त–पोषण

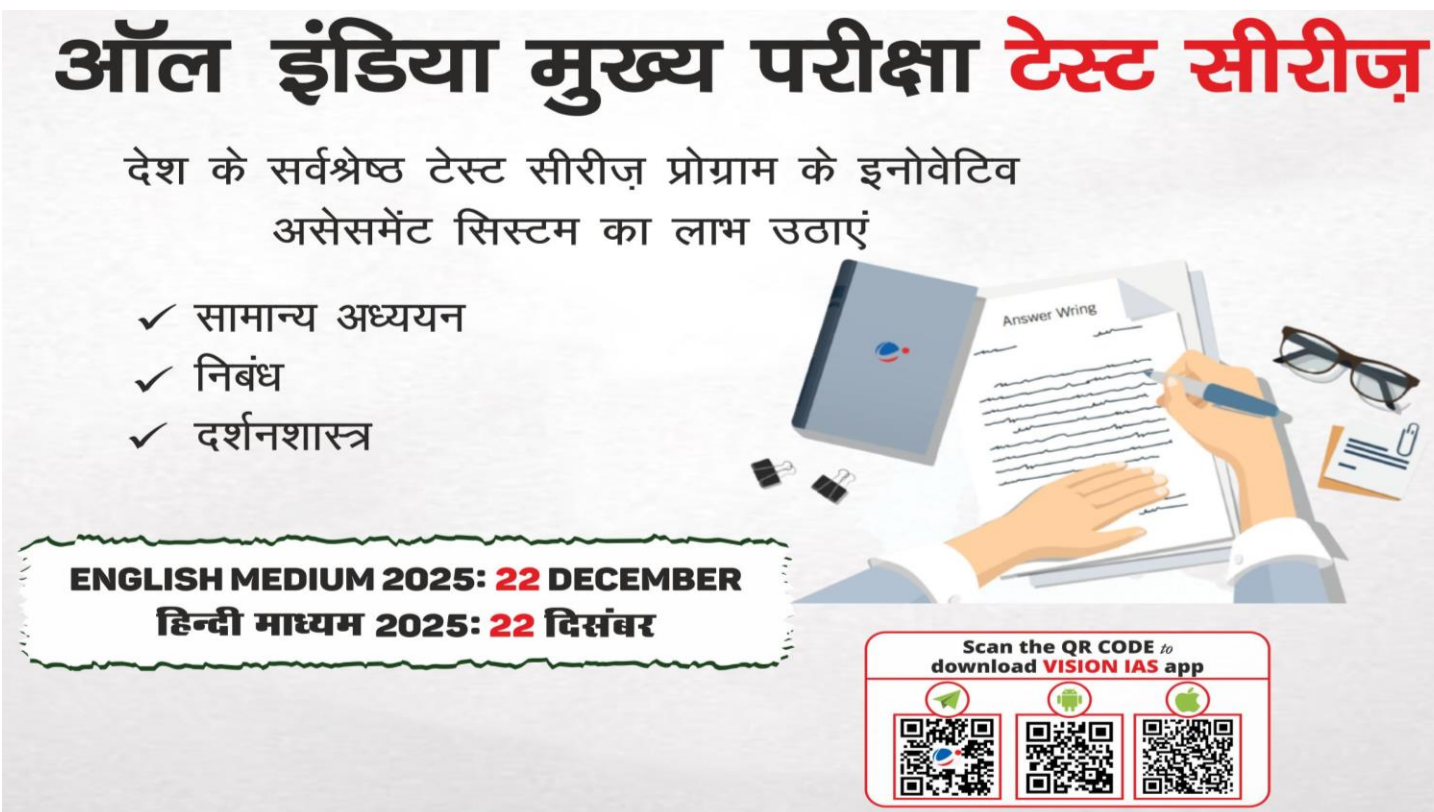

5.5. UNCBD का COP16 (COP16 to the UNCBD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन (UNCBD)**[63] के **पक्षकारों का 16वां सम्मेलन (COP16) कोलंबिया के कैली** में संपन्न हुआ।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस वर्ष के सम्मेलन की थीम थी: **"प्रकृति के साथ शांति (Peace with Nature)"**।
- यह **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF)** को अपनाने के बाद UNCBD के पक्षकारों का पहला सम्मेलन था। यह KMGB फ्रेमवर्क की प्रगति का आकलन करने और उसके सामने आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक **महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य** करता है।

UNCBD के बारे में

- **उत्पत्ति:** UNCBD **कानूनी रूप से बाध्यकारी** एक **अंतर्राष्ट्रीय संधि** है। इसे **1992** में ब्राजील के **रियो डी जेनेरियो** में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (UNCED)[64] के दौरान अपनाया गया था। UNCED को **"पृथ्वी शिखर सम्मेलन"** के रूप में भी जाना जाता है।
    - यह **1993** में लागू हुआ और **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तहत कार्य करता** है।
- **उद्देश्य: जैव विविधता का संरक्षण करना; इसके अलग-अलग घटकों का संधारणीय तरीके से उपयोग करना;** तथा आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से मिलने वाले लाभों का **उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण** सुनिश्चित करना।
- **सचिवालय: मॉन्ट्रियल**, कनाडा
- **सदस्य:** इसकी **अभिपुष्टि 196 सदस्य देशों द्वारा की गयी है (भारत 1994** में इस कन्वेंशन का पक्षकार बना)।
    - **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने इस **कन्वेंशन की अभिपुष्टि नहीं की** है।
- **संचालन तंत्र:** COP की **बैठक हर दो साल में (द्वि-वार्षिक) आयोजित की जाती** है। इस बैठक में जैव विविधता के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की जाती है, प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है एवं विभिन्न कार्य योजनाओं को लागू करने के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया जाता है।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के बारे में

- यह एक **गैर-बाध्यकारी फ्रेमवर्क** है। इसे **कनाडा के मांट्रियल में 2022 में आयोजित COP15** के दौरान अपनाया गया था।
    - इसे **'जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011-2020'** और इसके आईची लक्ष्यों की जगह लाया गया है।
- **उद्देश्य: 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकना एवं पुनर्बहाली सुनिश्चित करना।**
- **लक्ष्य: 2050 तक के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:**

---

[63] UN Convention on Biological Diversity

[64] United Nation's Conference on Environment and Development

©Vision IAS

- **संरक्षण एवं पुनर्स्थापन:** मानवीय गतिविधियों से होने वाले प्रजातियों के विलोपन को रोकने सहित पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रजातियों को संरक्षित करना।
- **प्रकृति के साथ समृद्धि:** जैव विविधता का संधारणीय तरीके से उपयोग करना।
- **लाभों का न्यायसंगत साझाकरण:** आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी डिजिटल अनुक्रमण जानकारी (DSI)[65] और पारंपरिक ज्ञान से मिलने वाले लाभों का न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करना।
- **निवेश और सहयोग:** KMGBF का अनुमान है कि 2030 तक जैव विविधता के संरक्षण के लिए हर साल 700 अरब डॉलर की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। अतः वित्त की इस कमी को दूर करना आवश्यक है।

- **टार्गेट्स:** जैव विविधता के लिए खतरों से निपटने, संधारणीय उपयोग के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने आदि हेतु **2030 तक के लिए 23 टार्गेट्स निर्धारित किए गए हैं।**
  - **कुछ प्रमुख टार्गेट्स इस प्रकार हैं:**
    - **30-बाई-30 टार्गेट्स,** अर्थात् 2030 तक **30%** भूमि, समुद्र और अंतर्देशीय जल का का **संरक्षण करना** तथा निम्नीकृत विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के **30% की पुनर्बहाली करना।**
    - 2030 तक **आक्रामक विदेशज प्रजातियों के प्रसार** को 50% तक कम करना।
    - **आनुवंशिक स्रोतों की डिजिटल अनुक्रम जानकारी (DSI) और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों के साझा करने के लिए एक तंत्र तैयार करना।**

COP16 के प्रमुख आउटकम्स

- **DSI के लिए वित्तीय तंत्र:** जैविक संसाधनों पर DSI के उपयोग से होने वाले लाभों को अधिक निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से साझा करने के लिए **कैली फंड की शुरुआत की गई** है।
  - **DSI से व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों को अपने लाभ का 1%** (राजस्व का 0.1%) देशज लोगों और स्थानीय समुदायों की सहायता में खर्च करना होगा।
- **देशज समुदायों के अधिकारों को मान्यता:** UNCBD के अनुच्छेद 8(j) के तहत एक **स्थायी सहायक निकाय** की स्थापना और **कैली फंड** की शुरुआत से सभी कन्वेंशन प्रक्रियाओं में देशज लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सकेगी।
  - **कैली फंड** का कम-से-कम 50% हिस्सा देशज समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व में उनके द्वारा ही निर्धारित विकास परियोजनाओं के लिए समर्पित होगा।
- **वित्तीय संसाधन जुटाना: ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF)** के अंतर्गत **कुनमिंग जैव विविधता फंड (KBF)** की शुरुआत की जाएगी। इससे KMGBF के लक्ष्यों और टारगेट्स को हासिल करने हेतु त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
  - इससे पहले **COP15** में, **ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड (GBFF)** पर सहमति बनी थी, जिसकी स्थापना **GEF** द्वारा की गई थी।
- **पारिस्थितिकी या जैविक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों (EBSAs)[66] की पहचान:** EBSAs की पहचान और मौजूदा EBSAs को अपडेट करने के लिए **नए और विकसित तंत्रों** की स्थापना पर सहमति बनी है।
  - यह KMGBF के **30-बाई-30 टार्गेट्स** और **बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन (BBNJ)** समझौते (हाई सी ट्रिटी) के लिए महत्वपूर्ण है।
- **थीमैटिक एक्शन प्लान:** इसका उद्देश्य विकासशील देशों और स्थानीय समुदायों के लिए **सिंथेटिक बायोलॉजी** के क्षेत्र में क्षमता विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि में मौजूद **असमानताओं को दूर करना है।**
- **आक्रामक विदेशज प्रजातियों का प्रबंधन: KMGBF के टारगेट्स के अनुरूप नए डेटाबेस, बेहतर सीमा-पार व्यापार विनियमन** आदि के माध्यम से आक्रामक विदेशज प्रजातियों के **प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए गए हैं।
- **वैश्विक जैव विविधता और स्वास्थ्य कार्य योजना[67] पर सहमति:** इस **रणनीति में जूनोटिक रोगों के उद्भव को रोकने**, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम आदि के लिए **'वन हेल्थ' दृष्टिकोण** को अपनाया गया है।

---

[65] Digital Sequence Information

[66] Ecologically or Biologically Significant Marine Areas

COP16 में भारत की प्रतिबद्धता

- **अपडेटेड राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति** और कार्य योजना (NBSAP)[68]**:** इसमें **23 टार्गेट्स शामिल** हैं। यह **'समग्र सरकार' और 'समग्र समाज' दृष्टिकोण को अपनाते हुए KMGBF के अनुरूप है।**
- **बजटीय आवंटन:** जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों के लिए **2025-30 की अवधि** के लिए लगभग **81,664 करोड़ रुपये** का आवंटन किया जाएगा।
- **संसाधन जुटाने का आह्वान:** NBSAP के कार्यान्वयन के लिए **KMGBF के टारगेट 19** के तहत **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय** संसाधन जुटाने हेतु सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
    - **टारगेट 19 में जैव विविधता के लिए 30 बिलियन डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्रोतों सहित** सभी स्रोतों से **प्रति वर्ष 200 बिलियन डॉलर की राशि जुटाने** का आह्वान किया गया है।
- **अन्य मुख्य बिंदु: 'प्लांट 4 मदर' अभियान** के माध्यम से वैश्विक संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करना; **अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA)** की स्थापना के माध्यम से वन्यजीवों का संरक्षण; 2014 से **रामसर स्थलों** की संख्या 26 से बढ़ाकर 85 करना आदि।

COP16 की कमियां

- **संसाधन एवं वित्त जुटाना: विकसित देश 2025 तक** अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वित्त-पोषण में **प्रतिवर्ष 20 बिलियन डॉलर** उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में पिछड़ गए।
    - इसके अलावा, COP16 में **GBFF (ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड)** के लिए केवल 163 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
- **KMGBF के लिए निगरानी फ्रेमवर्क: KMGBF को लागू करने में हुई प्रगति को ट्रैक करने के लिए** निगरानी फ्रेमवर्क और इसके संकेतकों को **अपडेट करने और पूरा करने** का निर्णय नहीं लिया गया है।
- **योजना, निगरानी, रिपोर्टिंग और समीक्षा (PMRR)[69] तंत्र में देरी:** ये तंत्र KMGBF टारगेट्स के मामले में **वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति की समीक्षा की** प्रक्रियाएं स्थापित करते हैं।
- **NBSAPs की प्रस्तुति: 196 सदस्य देशों में से केवल 44 देशों ने KMGBF के अनुरूप अपने अपडेटेड NBSAPs प्रस्तुत** किए हैं। साथ ही, 119 देशों ने केवल अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की रिपोर्ट सौंपी है (जो NBSAP तैयार करने का पहला चरण है)।
- **कैली फंड (DSI फंड):** हालांकि यह फंड शुरू हो गया है, लेकिन इसमें योगदान और वित्तीय एवं तकनीकी संसाधनों के आवंटन के तरीकों पर सहमति नहीं बन पाई है।
- **जैव विविधता क्रेडिट और ऑफसेट्स पर असहमति:** KMGBF ने जैव विविधता संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधन में वृद्धि करने के लिए इन्हें 'नवाचार योजना (Innovative scheme)' के रूप में शामिल किया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी है।

निष्कर्ष

2026 में आर्मेनिया की राजधानी **येरेवान** में होने वाले COP17 के लिए रोडमैप निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित है:

- **KMGBF के टारगेट 19** के तहत वित्तीय तंत्र को मजबूत करना, जिसके लिए अगली अंतरिम बैठक बैंकॉक में होगी।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए **मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और PMRR तंत्र** को मजबूत करना।
- NBSAPs को समयबद्ध कार्य योजनाओं के साथ बेहतर बनाना, जो पेरिस समझौते के तहत NDCs के अनुरूप हों।

साथ ही, **वैश्विक सहयोग**, **समावेशी साझेदारी**, और **तकनीकी हस्तांतरण** को बढ़ावा देना 2030 तक KMGBF टारगेट्स को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डिजिटल अनुक्रम जानकारी (Digital Sequence Information: DSI) के बारे में

हाल ही में सम्पन्न हुए COP16 में, CBD के तहत कैली फंड को कार्यान्वित किया गया। इसका उद्देश्य **जैविक संसाधनों के DSI के उपयोग से उत्पन्न लाभों** को अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से साझाकरण सुनिश्चित करना है। यह **CBD** के तीसरे उद्देश्य यानी जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा

---

[67] Global Action Plan on Biodiversity and Health

[68] National Biodiversity Strategy and Action Plan

[69] Planning, Monitoring, Reporting, and Review

करने से संबंधित है।

DSI के बारे में

- यह सजीवों के **जीनोमिक अनुक्रम डेटा और अन्य संबंधित डिजिटल डेटा** को संदर्भित करता है। इसका उपयोग कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, जैव विविधता संरक्षण आदि क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए किया जाता है।
- इसमें **DNA, RNA और प्रोटीन अनुक्रम** जैसे **आनुवंशिक संसाधनों/ अनुक्रमण एवं जैविक डेटा** को डिजिटल रूप में रखा जाता है।
    - इस डिजिटल अनुक्रम जानकारी की **सटीक व्याख्या और दायरे पर** अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।
- इसकी मदद से **वैज्ञानिक वास्तविक भौतिक नमूनों के बिना ही सजीवों की आनुवंशिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं**, जिससे आनुवंशिकी और संरक्षण प्रयासों में प्रगति को बढ़ावा मिलता है।

DSI का महत्त्व:

- इससे जैविक अनुसंधान में मदद मिलती है (उदाहरण के लिए- वायरोलॉजिस्ट ने **ARS CoV-2 DSI का उपयोग COVID-19 के दौरान डायग्नोस्टिक किट डिजाइन करने के लिए किया था**);
- कृषि और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में (जैसे कि **कीट-प्रतिरोधी, जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम फसल किस्में** आदि का विकास);
- **जैव विविधता के संरक्षण में;**
- पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में; आदि।

DSI के समक्ष चुनौतियां:

- **न्यायसंगत तरीके से लाभ साझाकरण का अभाव;**
- **पारंपरिक ज्ञान के स्वामित्व** व बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के उल्लंघन से जुड़ी हुई चिंताएं;
- लाभ-साझाकरण हेतु प्रभावी फ्रेमवर्क का अभाव;
- **जवाबदेही का अभाव**;
- गोपनीयता संबंधी चिंताएं, **डेटा की सुरक्षा से जुड़े जोखिम**, तकनीकी बाधाएं, आदि।

DSI के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **KMGBF का लक्ष्य-C (लाभों को समान रूप से साझा करना) और टारगेट-13:** यह DSI के उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के **पारंपरिक ज्ञान से होने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण** को बढ़ावा देता है।
- **भारत सरकार की 'वन डे, वन जीनोम' पहल:**
    - यह पहल भारत सरकार के **जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)** और **जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC)** द्वारा शुरू की गई है।
        - **उद्देश्य: एक पूर्ण रूप से एनोटेटेड जीवाणु जीनोम को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना**, वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाना, नवाचार को प्रेरित करना, और **शोधकर्ताओं एवं समुदाय के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान डेटा (Microbial genomics data) को सुलभ बनाना।**

5.5.1. राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (National Biodiversity Strategy and Action Plan: NBSAP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन (UNCBD) के COP16 में **अपडेटेड राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2024-30** का अनावरण किया।

NBSAP के बारे में

- **UNCBD के अनुच्छेद 6** के अनुसार, इस कन्वेंशन के प्रत्येक पक्षकार के लिए **NBSAP तैयार** करना अनिवार्य है।

क्या आप जानते हैं?

> **भारत की पहली "राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP)" 1999** में बनाई गई थी। इसके बाद 2008 में **"राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP)"** को अपनाया गया। NBAP को **आईची जैव विविधता टार्गेट्स के अनुरूप बनाने के लिए 2014 में अपडेट** किया गया था।

©Vision IAS

- यह **राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को मुख्यधारा में लाने** और **UNCBD के कार्यान्वयन के लिए एक प्राथमिक साधन** है।
- यह **जैव विविधता संरक्षण के लिए एक रूपरेखा** प्रदान करता है, जैविक संसाधनों के **संधारणीय उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता** है, और उनसे प्राप्त **लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण** सुनिश्चित करता है।

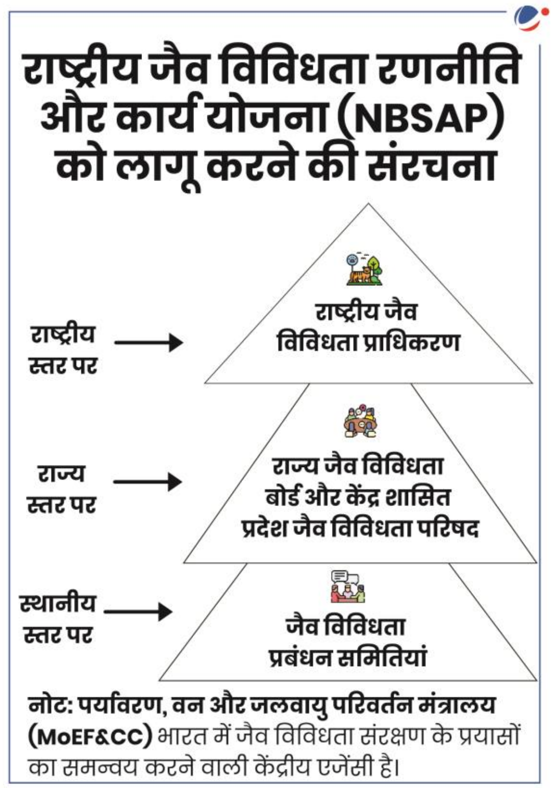

अपडेटेड NBSAP 2024-30 के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र

- **दृष्टिकोण:** इसमें **KMGBF के साथ समन्वय में 'समग्र सरकार' और 'समग्र समाज' दृष्टिकोण** को अपनाया गया है। इसमें 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकना एवं उसका पुनरुद्धार करना शामिल है। साथ ही, 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने संबंधी दीर्घकालिक दृष्टिकोण को भी अपनाया गया है।
- **राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य (National Biodiversity Targets: NBTs):** इसमें **23 NBTs** शामिल हैं, जो **तीन विषयों पर केंद्रित** हैं-
  - **जैव विविधता के लिए खतरों को कम करना;**
  - **संसाधनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना;** और
  - **कार्यान्वयन के लिए साधनों और माध्यमों को बेहतर बनाना।**
- **पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना: NBSAP** में पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार, स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम और समुदाय-संचालित संरक्षण प्रयासों जैसी **रणनीतियों को शामिल किया गया** है।
- **कार्यान्वयन रूपरेखा:** इसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य स्थानीय समुदायों और विभिन्न क्षेत्रकों को शामिल करते हुए **बॉटम टू टॉप अप्रोच** और सहयोगात्मक गवर्नेंस मॉडल को बढ़ावा देना है।
  - **जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत बहुस्तरीय गवर्नेंस व्यवस्था का प्रावधान किया गया है** (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **क्षमता निर्माण:** इसके तहत आवश्यकता एवं कमी का मूल्यांकन करना; लक्षित समूह की पहचान करना; विशेषज्ञों/ पर्यावरणविदों की पहचान करना; तथा ज्ञान और कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना आदि शामिल हैं।
- **संसाधन जुटाना:** भारत को राष्ट्रीय स्तर पर **जैव विविधता वित्त पहल (BIOFIN)** लागू करने वाले प्रमुख देशों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।
  - **जैव विविधता वित्त पहल (Biodiversity Finance Initiative: BIOFIN):** यह **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** और **यूरोपीय आयोग** द्वारा शुरू की गई एक **वैश्विक साझेदारी** है। इसका उद्देश्य देशों को जैव विविधता और पारिस्थितिकी-तंत्र के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करने में सहायता करना है।
- **अन्य विशेषताएं:** इसमें जैव विविधता को बनाए रखने और जैव विविधता को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए **पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन आधारित बॉटम-अप दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया गया है।**

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (अंतिम संशोधन 2023 में) के बारे में

- **उद्देश्य:** यह **UNCBD** के प्रावधानों को लागू करने में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **लक्ष्य:** जैव विविधता की सुरक्षा एवं संरक्षण; जैविक संसाधनों का संधारणीय उपयोग; तथा इसके उपयोग से मिलने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करना।
- **इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:**
  - इसमें शोध, वाणिज्यिक उपयोग आदि के लिए पूर्व-अनुमति प्राप्त करने की शर्तें और प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, ताकि लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित हो सके। ये हैं:
    - सभी **विदेशी नागरिकों को** जैविक संसाधन प्राप्त करने के लिए NBA से स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
    - **भारतीय व्यक्तियों/ संस्थाओं को विदेशी संस्थाओं/ नागरिकों** को ज्ञान/ अनुसंधान और सामग्री स्थानांतरित करने से पहले NBA से पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य है।
    - भारत से प्राप्त **जैविक सामग्री और/ या संबंधित ज्ञान पर आधारित शोध** के लिए किसी भी प्रकार के **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** के आवेदन से

पहले NBA की पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य है।

- **2023 में किए गए संशोधन**
  - **आयुष चिकित्सकों** और पारंपरिक ज्ञान धारकों को **पहुंच और लाभ साझाकरण** (ABS)[70] संबंधी भुगतान से छूट दी गई है।
    - ABS एक प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि है। यह राशि आमतौर पर आदिवासी लोगों एवं अन्य ऐसे समुदायों को दी जाती है जो पारंपरिक रूप से आयुष उद्योग के लिए महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों को इकट्ठा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनका उपयोग करते हैं।
  - **उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड को समाप्त** कर दिया गया है और उसके स्थान पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- **संस्थागत संरचना:** इसके तहत निम्नलिखित **त्रि-स्तरीय कार्यान्वयन संरचना** को स्थापित किया गया है:
  - राष्ट्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)**, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है,
  - राज्य स्तर पर **राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs)** और
  - स्थानीय स्तर पर **जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs)।**

***SBBs का गठन** संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) के लिए नहीं किया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण UTs के लिए SBB के कार्यों और शक्तियों का संचालन करता है।*

निष्कर्ष

भारत के **अपडेटेड NBSAP में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है।** इसमें मौजूदा पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हुए पारंपरिक पद्धतियों को आधुनिक गवर्नेंस और सहयोगात्मक रणनीतियों के साथ एकीकृत किया गया है। हालांकि, 23 राष्ट्रीय जैव विविधता टार्गेट्स (NBTs) को प्राप्त करने और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण, संसाधन जुटाने, प्रभावी निगरानी आदि में निरंतर प्रयासों को जारी रखना होगा।

अन्य संबंधित सुर्ख़ियां: जैव विविधता नियम (Biological Diversity Rules), 2024

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **जैव-विविधता अधिनियम, 2002** के तहत **जैव-विविधता नियम, 2024** अधिसूचित किए हैं।
  - नए नियम **जैव विविधता नियम, 2004** की जगह लेंगे।
  - साथ ही, ये नियम **जैव-विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 को लागू** करना भी सुनिश्चित करेंगे।
    - 2023 का संशोधन **अनुसंधान के लिए प्रक्रियाओं को तेज करने, भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने** जैसे उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था।
  - ये नियम **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), जुर्माना** इत्यादि विषयों से जुड़े अलग-अलग प्रावधानों को रेखांकित करते हैं।
- **जैव-विविधता नियम, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA):**
    - इसके **अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार** द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष का **कार्यकाल तीन वर्षों** का होगा। हालांकि, वह **दूसरे कार्यकाल हेतु नियुक्ति** के लिए भी पात्र होगा।
    - **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सामान्य कार्य:**
      - जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित **राष्ट्रीय जैव विविधता निधि (NBF)** का प्रशासन करना।
      - **जैव विविधता से संबंधित समझौतों को मंजूरी** प्रदान करना।
      - राज्यों की संस्थाओं को **तकनीकी मार्गदर्शन** और सहायता प्रदान करना।
      - **जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित डेटाबेस विकसित करना** तथा उनका रखरखाव करना।
  - **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):** बौद्धिक संपदा अधिकार की वास्तविक मंजूरी से पहले **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण** के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
  - **नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना:** नियमों के उल्लंघन के लिए **1 लाख से 50 लाख रुपये तक** का जुर्माना लगाया गया है। नियमों के बार-बार **उल्लंघन पर अतिरिक्त जुर्माना** लगाया जा सकता है।
    - एकत्र की गई जुर्माने की पूरी राशि **राष्ट्रीय जैव विविधता निधि** या संबंधित राज्य **सरकार की निधियों में जमा** की जाएगी। इन **निधियों का उपयोग जैव विविधता संबंधी पहलों का समर्थन करने** के लिए किया जाएगा।

[70] Access and Benefit Sharing

5.5.2. प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए वैश्विक गठबंधन (World Coalition for Peace with Nature)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के COP16 में **"प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए वैश्विक गठबंधन: जीवन के लिए आह्वान (World Coalition for Peace with Nature: A call for Life)"** का शुभारंभ किया गया।

इस गठबंधन के बारे में अन्य तथ्य

- **सदस्य:** इस गठबंधन में **मेक्सिको, स्वीडन, युगांडा और चिली** सहित **चार महाद्वीपों के देश** शामिल हैं। हालांकि **एशिया-प्रशांत क्षेत्र से कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं** है।
- **स्वरुप:** यह एक **स्वैच्छिक** गठबंधन है और **उन देशों के लिए खुला** है जो **प्रकृति के साथ मानवता के संबंध को बदलने** के लिए **निर्धारित सिद्धांतों के एक सेट पर सहमत** हैं।
- **उद्देश्य:**
  - पर्यावरणीय चुनौतियों का व्यापक पैमाने पर समाधान करने के लिए **मानव और प्रकृति के बीच संबंधों** में बदलाव लाना।
  - **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क** के **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की पुष्टि करना।**
  - **प्रकृति की रक्षा तथा उसके संरक्षण एवं संधारणीय विकास** हेतु धन जुटाना।
  - **"समग्र सरकार"** और **"समग्र समाज"** की भागीदारी से सामूहिक प्रयासों को प्रेरित करना, ताकि **स्थानीय प्रयासों को मजबूत बनाकर प्रकृति के साथ सामंजस्य** स्थापित किया जा सके।

शब्दावली को जानें

- **समग्र-सरकार दृष्टिकोण (Whole-of-government approach):** इसके अंतर्गत वैश्विक **संधारणीय विकास** में सरकारी संस्थानों के योगदान को अधिकतम करने के लिए उनकी विशेषज्ञता और संसाधनों को आपस में एकीकृत किया जाता है।
- **समग्र-समाज दृष्टिकोण (Whole-society approach):** इसमें जटिल समस्याओं के साझा समाधान के लिए **नागरिक समाज** के साथ-साथ **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों** को भी शामिल किया जाता है।

5.6. वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली (Forest Ecosystem Restoration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जैव विविधता अभिसमय (CBD) के सचिवालय ने **वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पहल (FERI)**[71] के शुभारंभ की 10वीं वर्षगांठ मनाई।

वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पहल (FERI) के बारे में

- यह **सहयोग आधारित परियोजना** है। इसे 2014 में दक्षिण कोरिया की **कोरिया फॉरेस्ट सर्विस** ने CBD के कार्यकारी सचिव के सहयोग से शुरू किया था।
- **सौंपे गए कार्य:** इसे जैव विविधता कन्वेंशन की पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली गतिविधियों तथा आईची जैव विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देने का कार्य सौंपा गया था। अब आईची लक्ष्य की जगह कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) ने ले ली है। इसलिए अब यह पहल **KMGBF के कार्यान्वयन में विकासशील देशों को सीधे समर्थन देती है।**
  - KMGBF ने **2030 तक हासिल किए जा सकने वाले 23 लक्ष्यों को निर्धारित किया है,** ताकि जैव विविधता के नुकसान को रोका जा सके और उसे पुनर्बहाल किया जा सके। KMGBF ने 2022 में आईची जैव विविधता लक्ष्यों की जगह ली है।
- **FERI द्वारा शुरू की गई अन्य पहलें:**
  - **पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर अल्पकालिक कार्य योजना (Short-Term Action Plan on Ecosystem Restoration: STAPER)**
  - **WePlan-फॉरेस्ट:** यह उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी-तंत्र की पुनर्बहाली के लिए निर्णय लेने में सहायता करने वाला एक प्लेटफॉर्म है।

वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली के बारे में

- इसमें **निर्वनीकरण से प्रभावित वन भूमि पर पेड़ों को उगाना** और **वनों की स्थिति में सुधार करना, वृक्षों की देशज प्रजातियों की रोपाई करना,** जंगली पौधों और जानवरों का संरक्षण करना तथा मृदा और जल स्रोतों की रक्षा करना शामिल हैं। ये सभी विशेषताएं वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं।

[71] Forest Ecosystem Restoration Initiative

* **वनों की पुनर्बहाली के लिए शुरू की गई प्रमुख वैश्विक पहलें:**
    * **IUCN का वन संरक्षण कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य वनों का संधारणीय प्रबंधन करना है।
    * **WWF का फॉरेस्ट फॉर लाइफ प्रोग्राम:** इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना है।
    * **संयुक्त राष्ट्र का 'REDD+' फ्रेमवर्क:** इसका उद्देश्य वनों के संधारणीय प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक का संरक्षण और संवर्द्धन करना है।
    * संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने **वन एवं भू-परिदृश्य बहाली तंत्र** (FLRM)[72] शुरू किया है।

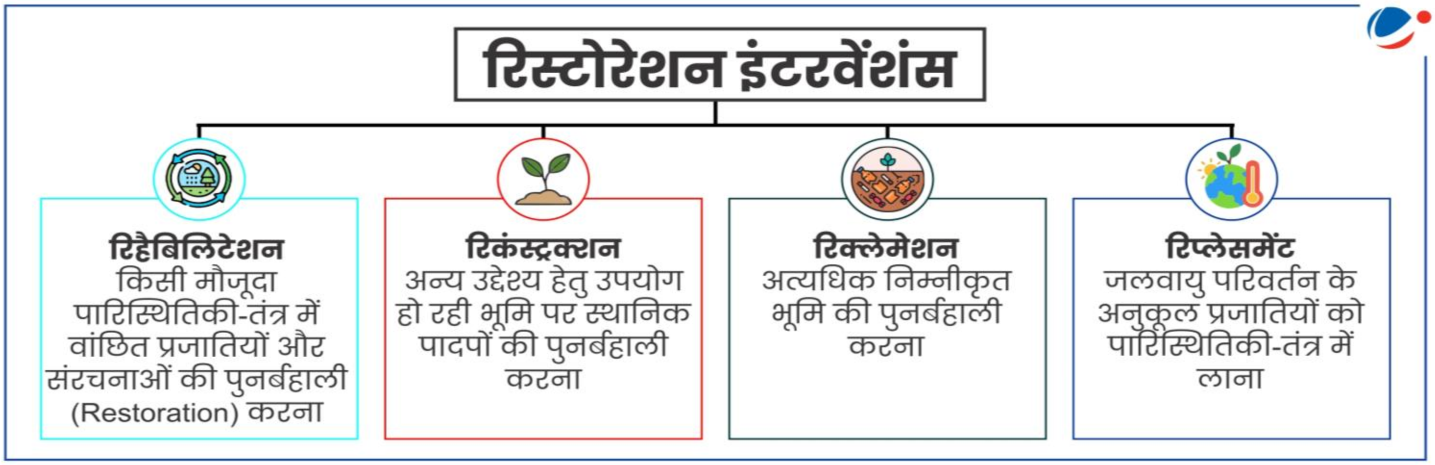

5.7. प्राकृतिक खेती (Natural Farming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)**[73] के शुभारंभ को मंजूरी दी। इस मिशन का क्रियान्वयन केंद्रीय **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** के तहत होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

* केंद्र सरकार ने **जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF)** का नाम बदलकर **भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)** कर दिया था। साथ ही, 2019 में इसे **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) नामक अम्ब्रेला योजना के तहत एक उप-योजना** के रूप में शामिल किया गया था।
    * **PKVY** को 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाकर **रसायनों और कीटनाशकों से मुक्त कृषि उत्पादन सुनिश्चित करना** है।

---
[72] The Forest and Landscape Restoration Mechanism

[73] National Mission on Natural Farming

- वित्त वर्ष 2023-24 से **भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)** का नाम बदलकर **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)** कर दिया गया, ताकि इसे पूरे देश में लागू किया जा सके।
    - यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसे 6 वर्ष (2019-25) की अवधि के लिए शुरू किया गया है।
    - इसका लक्ष्य देश भर के 600 प्रमुख ब्लॉक्स में 12 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करना है। साथ ही, क्लस्टर निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्षों के लिए 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान करना भी इसका लक्ष्य है।

'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन' के बारे में

- **कार्यान्वयन:** अगले दो वर्षों में, NMNF को **इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टर्स में लागू** किया जाएगा तथा इसे **1 करोड़ किसानों तक पहुंचाया** जाएगा। साथ ही, इसके तहत **7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू** की जाएगी।
- **मिशन के अन्य घटक:**
    - **बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRCs):** इनके माध्यम से किसानों के लिए **उपयोग हेतु तैयार बायो-इनपुट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित** की जाएगी।
    - **मॉडल प्रदर्शन फार्म्स:** किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे।
    - **कृषि सखी:** इसके तहत इच्छुक किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार करने, उन्हें संगठित करने और उनके मार्गदर्शन का कार्य किया जाएगा।

प्राकृतिक खेती के बारे में

- यह **रसायन मुक्त, कम इनपुट वाली व जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली है।** यह सिंथेटिक कृषि रसायनों के उपयोग को समाप्त करते हुए पशुधन और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होती है।
- **प्राकृतिक खेती शुरू करने वाले राज्य हैं-** आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आदि।

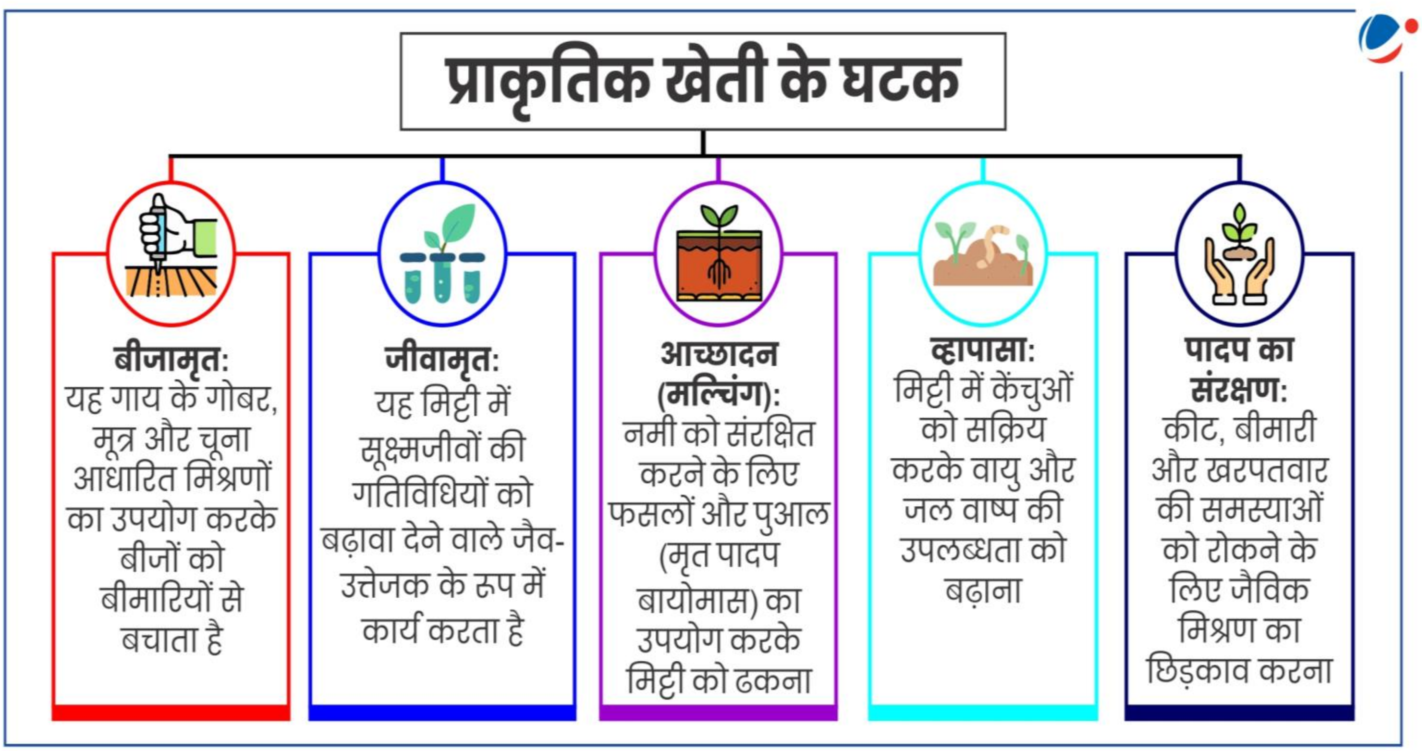

जैविक (आर्गेनिक) बनाम प्राकृतिक कृषि प्रणालियां

- **समानताएं:** दोनों ही **रसायन-मुक्त कृषि प्रणालियां** हैं, अर्थात् ये मुख्य रूप से बायोमास प्रबंधन, प्राकृतिक पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, फसल चक्र और बहुफसलीय खेती पर निर्भर हैं।

- मुख्य अंतर:

पैरामीटर	जैविक कृषि	प्राकृतिक कृषि
इनपुट	इसमें **खेत से बाहर से खरीदे गए ऑर्गेनिक और जैविक इनपुट** शामिल होते हैं।	इसमें किसी तरह के बाहरी इनपुट का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें **देसी गाय से प्राप्त खेत पर ही उपलब्ध इनपुट का उपयोग किया जाता** है।
मृदा में सुधार	इसमें खनन किए गए प्राकृतिक खनिजों के माध्यम से **आवश्यकता के आधार पर मृदा में सुधार** किया जाता है।	इसमें **कम्पोस्ट/ वर्मी कम्पोस्ट एवं खनिजों के उपयोग की अनुमति नहीं** है।
कृषि प्रक्रियाएं	इसमें **जुताई, खाद मिलाने और निराई-गुड़ाई आदि** कार्य करने की आवश्यकता होती है।	इसमें मृदा की सतह पर सूक्ष्मजीवों और केंचुओं द्वारा **कार्बनिक पदार्थों के अपघटन** को प्रोत्साहित किया जाता है।
लागत	इसमें जैविक खाद की आवश्यकता के कारण **लागत अधिक आती** है।	इसमें स्थानीय जैविक संसाधनों पर निर्भरता के कारण **कम लागत आती** है।

प्राकृतिक खेती का महत्त्व

- **उपज में वृद्धि:** श्रम, मृदा, उपकरण जैसे **अनुकूल कारकों के अधिकतम** उपयोग और रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशकों एवं कीटनाशकों जैसे गैर-प्राकृतिक इनपुट्स के उपयोग को समाप्त करके पैदावार में बढ़ोत्तरी हो सकती है।
- **आय में वृद्धि:** जीवामृत और बीजामृत जैसे स्थानीय संसाधनों को प्रोत्साहित करने से किसानों की **महंगे उर्वरकों और रसायनों पर निर्भरता कम होती** है। इससे **किसानों की आय में वृद्धि** होती है और खेती संधारणीय तथा लाभदायक बनी रहती है।
- **स्वास्थ्य के लिए बेहतर:** प्राकृतिक खेती में सिंथेटिक रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह उच्च पोषक तत्व और बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हुए स्वास्थ्य जोखिम और खतरों को समाप्त करता है।
- **रोजगार सृजन:** प्राकृतिक फसलों के उत्पादन से लेकर वितरण एवं बाजार तक पहुंचाने हेतु कृषि मूल्य श्रृंखला में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- **पर्यावरण संरक्षण:** प्राकृतिक खेती **से मृदा में सुधार, जैव-विविधता में वृद्धि;** बहुत कम कार्बन और नाइट्रोजन का उत्सर्जन तथा जल का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है।
- **मृदा स्वास्थ्य में सुधार:** प्राकृतिक खेती जैव-इनोकुलम और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करके मृदा के माइक्रोबायोटा को पुनर्जीवित एवं मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करती है। इसके परिणामस्वरूप **पौधों में पोषक तत्व की मात्रा में वृद्धि होती** है और **मनुष्यों के लिए जैव-उपलब्धता भी बेहतर होती** है।
    - जैव-उपलब्धता यानी बायो-अवैलबलिटी वास्तव में शरीर द्वारा तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (National Centre for Management of Agricultural Extension: MANAGE):** यह प्राकृतिक खेती पर सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को दर्ज करने और सफलता की कहानियों के डिजिटलीकरण के लिए एक नॉलेज पार्टनर है।
- **राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (National Centre for Organic and Natural Farming: NCONF):** इसका उद्देश्य रसायन मुक्त कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना और प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणन कार्यक्रम का विकास करना है।
- **राज्यों द्वारा शुरू की गई पहलें:**
    - **प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान (PK3) योजना, हिमाचल प्रदेश:** यह प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा खेती की लागत को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करती है।
    - **गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज:** इसके तहत बजट 2020-21 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की गई।

प्राकृतिक खेती से जुड़ी चिंताएं

- **उपज संबंधी अनिश्चितता:** पारंपरिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती से अक्सर कम पैदावार प्राप्त होती है और शुरुआती चरण में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। इससे किसानों की आय कम होने की आशंका बनी रहती है।

- **इनपुट की आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं:** जैव-उर्वरकों के निर्माण के लिए गाय के गोबर और गोमूत्र की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
- **ज्ञान और कौशल की कमी:** जीवामृत और बीजामृत जैसे जैव-इनपुट तैयार करने और उनका खेती में प्रयोग करने के लिए कुशल और जानकार लोगों की जरूरत पड़ती है। इनकी कमी की वजह से कृषि विस्तार (एग्रीकल्चर एक्सटेंशन) सेवाओं में कमी आती है। इस तरह अधिक प्रशिक्षण और अधिक श्रम की आवश्यकता के कारण प्राकृतिक खेती को व्यापक रूप से अपनाने में बाधा आती है।
- **बाजार संबंधी चुनौतियां:** प्राकृतिक कृषि के उत्पादों के लिए अक्सर **विशेष आपूर्ति श्रृंखला, उपभोक्ता जागरूकता, उचित विपणन सहायता एवं प्रमाणन-तंत्र आदि का अभाव देखने को मिलता** है। इससे किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
- **नीतिगत कमियां:** प्राकृतिक इनपुट्स के गुणवत्ता संबंधी विनियमों और मानकों पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है। साथ ही, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के लिए सरकारी सहायता सीमित होने के कारण इस क्षेत्र में नवाचार करने एवं अपनाने की प्रगति धीमी हो जाती है।
- **जलवायु परिवर्तन और कीट हमले:** प्राकृतिक खेती पर **जलवायु परिवर्तन जनित मौसम की चरम स्थितियों** एवं **कीटों के हमले** का खतरा बना रहता है। इससे फसल खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए- राजस्थान में टिड्डियों के हमले।

आगे की राह

- **किसान उत्पादक संगठन (FPOs):** FPOs उपज को एकत्रित करके, इनकी खरीद बढ़ाकर, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करके तथा उपभोक्ताओं के बीच विश्वास का निर्माण करके प्राकृतिक खेती को अपनाने को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **किसानों का प्रशिक्षण:** किसानों को देसी गाय के गोबर-गोमूत्र से बने उत्पाद, बायो-इनपुट और वनस्पति अर्क जैसे इनपुट तैयार करने हेतु व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- **जागरूकता पैदा करना:** प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कीट नियंत्रण और फसल-चक्र जैसी गतिविधियों के बारे में किसानों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए एवं उन्हें गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, जमीनी भागीदारों का समर्थन हासिल करना भी जरूरी है।
- **मार्केटिंग संबंधी सहायता:** प्राकृतिक खेती की उपज की बिक्री बढ़ाने **के लिए शहरी केंद्रों में विशेष खुदरा दुकानों की स्थापना** की जा सकती है। साथ ही, प्राकृतिक खेती के उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए स्व-मूल्यांकन प्रमाणन प्रणाली शुरू की जानी चाहिए।
- **सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना:** उदाहरण के लिए- **आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम (APCNF)**[74] प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम के तहत 60 लाख किसानों की मदद की गई है।

5.8. हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ (Glacial Lake Outburst Floods: GLOFs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित **केंद्रीय जल आयोग (CWC)**[75] की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र की हिमनदीय झीलों एवं अन्य जल निकायों के आकार या सतही क्षेत्रफल में विस्तार हुआ है।

केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission)

HQ नई दिल्ली

मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय

उद्देश्य: देश भर में जल संसाधनों के एकीकृत और संधारणीय विकास एवं प्रबंधन को बढ़ावा देना।

CWC केवल सतही जल (सरफेस वाटर) के प्रबंधन का कार्य करता है। भूजल यानी ग्राउंडवाटर का प्रबंधन **केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)** करता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **भारत की हिमनदीय झीलों के क्षेत्रफल में वृद्धि:** 2011 से 2024 के बीच 33.7% की बढ़ोतरी हुई है।
- **सीमा-पार जोखिम:** जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ोसी देशों,

[74] Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming

[75] Central Water Commission

जैसे- भूटान, नेपाल और चीन सहित हिमालयी क्षेत्र में मौजूद हिमनदीय झीलों एवं अन्य जल निकायों के क्षेत्रफल में 2011 से 2024 तक 10.81% की वृद्धि हुई है।

- **GLOFs के लिए उच्च जोखिम की श्रेणी वाली झीलें:** भारत में **67 हिमनदीय झीलों के सतही क्षेत्रफल में 40% से अधिक की वृद्धि** दर्ज की गई है।
    - सर्वाधिक विस्तार वाले क्षेत्रों में **लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश** शामिल हैं।

हिमनदीय झीलों एवं GLOFs के बारे में

- **हिमनदीय झील:** ये **ग्लेशियरों के पिघलने** से निर्मित होने वाले जल निकाय हैं। ग्लेशियर के आगे बढ़ने से संबंधित गतिविधियों के चलते उसके नीचे की भूमि का अपरदन हो जाता है एवं वहां पर गड्ढों या घाटियों का निर्माण होता जाता है, जिसमें बाद में जल का जमाव हो जाता है।
    - **हिमनदीय झीलों** की निर्माण प्रक्रिया के आधार पर **उनकी 4 श्रेणियां हैं:**
        - हिमोढ़ निर्मित बांध वाली हिमनदीय झील,
        - हिम निर्मित बांध हिमनदीय झील,
        - अपरदन से निर्मित हिमनदीय झील, और
        - अन्य हिमनदीय झील।
- **GLOFs:** प्राकृतिक तटबंध के टूटने से हिमनदीय झील का पानी अचानक तेजी से ढलान की ओर बहने लगता है, जिससे निचले इलाकों में प्रचंड बाढ़ आ जाती है। इसे ही **GLOF** कहा जाता है।
- **GLOF की तीन मुख्य विशेषताएं हैं:**
    - इसमें झील से जल का **अचानक** (और कभी-कभी चक्रीय रूप में) बड़ी मात्रा में बहाव शामिल होता है।
    - यह **तीव्र गति से होने वाली घटना** है, जो कई घंटों से लेकर कई दिनों तक चलती है।
    - इसके परिणामस्वरूप **नदी के निचले हिस्से में जल की व्यापक मात्रा पहुंच जाती** है।
- **GLOF के उदाहरण:**
    - **2023:** सिक्किम में दक्षिण ल्होनक झील में GLOF की घटना के कारण तीस्ता नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई।
    - **2013:** उत्तराखंड में चोराबाड़ी हिमनदीय झील में GLOF की घटना के कारण मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई थी।

GLOFs के मुख्य कारण

- **ग्लेशियल सर्जिंग:** अपेक्षाकृत कम समय में बर्फ का अचानक खिसकना, जिसके परिणामस्वरूप ग्लेशियर तेजी से आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए- गिलकी ग्लेशियर, अलास्का।
- **हिमोढ़ बांध में अस्थिरता:** ढीली, असंगठित चट्टानों और मलबों से निर्मित हिमोढ़ बांध, स्वाभाविक रूप से अस्थिर प्रकृति के होते हैं। ये अपनी संरचनात्मक कमजोरी के कारण आसानी से ढह जाते हैं। उदाहरण के लिए- सिक्किम के दक्षिण ल्होनक झील में GLOF की घटना।
- **हिम निर्मित बांध का टूटना:** इनकी संरचना तापमान में वृद्धि, पानी के अधिक दबाव एवं आंतरिक रूप से पिघलने के कारण कमजोर हो जाती है।
- **भूकंपीय गतिविधि:** पहाड़ी क्षेत्रों में विवर्तनिकी गतिविधियों के चलते हिमनदीय झीलों के तटबंध टूट सकते हैं।

* **मानवीय गतिविधियां:** अनियमित शहरीकरण, अवैज्ञानिक तरीके से किए जाने वाले उत्खनन, वनों की कटाई, जलविद्युत परियोजनाएं, GHG का उत्सर्जन जैसी विभिन्न गतिविधियां जल निकासी पैटर्न और पहाड़ों की ढलान स्थिरता को परिवर्तित करती हैं।

GLOFs संबंधी प्रबंधन के लिए भारत में शुरू की गई विभिन्न पहलें

* **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** ने हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOFs) के प्रबंधन हेतु **दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।
* **NDMA** ने 6 हिमालयी क्षेत्रों में **उच्च जोखिम वाली हिमनदीय झीलों की पहचान** की है। साथ ही, **NDMA** ने जोखिमों का आकलन करने और व्यापक शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए लक्षित अभियान चलाने की योजना भी बनाई है।
* CWC ने GLOFs के प्रति संवेदनशील **सभी मौजूदा और निर्माणाधीन बांधों की बाढ़ संबंधी डिजाइन की समीक्षा की** है।
    * हिमनदीय झीलों वाले जलग्रहण क्षेत्र में बनाए गए सभी बांधों के लिए **GLOFs संबंधी अध्ययन को अनिवार्य बना दिया गया** है।
* केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली **उच्च स्तरीय समिति** द्वारा हिमालयी राज्यों में **GLOF जोखिम न्यूनीकरण परियोजना** को मंजूरी दी गई। ये राज्य हैं- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
* राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की ने **नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज (NMHS)** के तहत सिक्किम हिमालय में हिमनदीय झीलों की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की है।

GLOFs प्रबंधन के लिए वैश्विक पहलें

* हिमनदीय झीलों की निगरानी के लिए **इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD)** ने **हिन्दू कुश हिमालय क्रायोस्फीयर पहल** शुरू की है।
* **वैश्विक जलवायु अवलोकन प्रणाली (Global Climate Observing System):** यह सरकारों को हिमनदीय झीलों के आकार में वृद्धि वृद्धि एवं उनकी स्थिरता पर नज़र रखने के लिए **अग्रिम चेतावनी प्रणालियों** और **सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकियों** में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
* **यूनेस्को जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम (UNESCO Climate Change and Mountain Ecosystem Programme):** यह हिमनदीय झीलों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए संधारणीय पर्यटन और संरक्षण को बढ़ावा देता है।
* **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster risk reduction):** यह सीमा पार GLOF संबंधी जोखिमों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

GLOFs के प्रबंधन में मौजूद चुनौतियां

* **कठिन और अत्यधिक दुर्गम हिमालयी भू-भाग** में नियमित रूप से सर्वेक्षण करना बहुत मुश्किल कार्य है।
* **अग्रिम चेतावनी प्रणाली[76] का अभाव है,** जिसके लिए बेहतर योजना और मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है।
* **हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता**: हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय जोन IV और V में आता है, जिसके कारण यह भूकंप और भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है।
* **जलवायु परिवर्तन:** बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं।
    * इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) के अनुसार, 2100 तक उच्च उत्सर्जन के कारण हिंदू कुश हिमालय (HKH) में मौजूद वर्तमान ग्लेशियर के कुल वॉल्यूम का 70-80% तक समाप्त हो जाएगा।

आगे की राह: NDMA द्वारा जारी दिशा-निर्देश

* **GLOFs की गतिशीलता की व्यापक समझ बनाना:** GLOFs के **कारणों और प्रक्रियाओं** को समझने के लिए गहन अध्ययन करना चाहिए। इसके तहत हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों जैसे आल्प्स, तियान शान रेंज और एंडीज सम्बन्धी नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान एवं घटनाओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
* **तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना और क्षमता का निर्माण करना:** GLOFs के संदर्भ में और अधिक समझ विकसित करने हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर **तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने** की आवश्यकता है।
* **सहयोग और रणनीतिक विकास को बढ़ावा देना: विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों के बीच सहयोग** को सुविधाजनक बनाना चाहिए, ताकि GLOFs संबंधी जोखिमों की निगरानी और उन्हें कम करने हेतु व्यापक रणनीतियों को विकसित कर उन्हें लागू किया जा सके।

---

[76]Early Warning Systems

- **शमन रणनीतियों का उपयोग करना:** इसके तहत संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक शमन उपायों का परीक्षण करना चाहिए, जिसमें कंट्रोल्ड ब्रिचिंग, साइफनिंग, आउटलेट कंट्रोल संरचनाओं का निर्माण और सामुदायिक-आधारित दृष्टिकोण शामिल हैं।
- **निगरानी और अग्रिम चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाना:** GLOFs का पूर्वानुमान करने हेतु **उपग्रह-आधारित निगरानी, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर कार्य किया जाना** चाहिए।
  - हिमालयी क्षेत्र की **विशिष्ट चुनौतियों के अनुरूप** अग्रिम चेतावनी प्रणालियों के विकास और कार्यान्वयन की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।

5.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.9.1. ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट (Global Carbon Budget Report)

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने 'ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट' जारी की। यह रिपोर्ट **बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP-29** के दौरान जारी की गई है।

- रिपोर्ट के अनुसार **कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान दर** जारी रहने पर **वैश्विक औसत तापमान लगभग छह वर्षों में लगातार 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की 50%** संभावना है।
- संभवतः **इस वर्ष पहली बार वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री की सीमा पार** कर जाएगा।

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट (GCP)

उत्पत्ति: इसकी स्थापना **2001** में की गई थी।

परिचय: यह फ्यूचर अर्थ का एक वैश्विक अनुसंधान प्रोजेक्ट और विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम का एक अनुसंधान भागीदार है।

उद्देश्य: वैश्विक **कार्बन उत्सर्जन और सिंक में बदलाव की निगरानी** तथा **पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति** के एक प्रमुख उपाय के रूप में कार्य करना।

प्रकाशन: यह **तीन प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों (कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड) के संबंध में वैश्विक बजट** जारी करता है।

कार्बन बजट क्या है: यह CO_2 उत्सर्जन की वह मात्रा है, जो वैश्विक तापमान को एक निश्चित स्तर तक सीमित रख सकेगी। मौजूदा मामले में, पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान को **औद्योगिक क्रांति-पूर्व स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक सीमित** रखना है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- वैश्विक स्तर पर, **जीवाश्म ईंधन आधारित CO_2 उत्सर्जन के इस वर्ष 37.4 बिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर को पार करने का अनुमान** है।
- वर्ष 2023 में **जीवाश्म ईंधन से वैश्विक CO_2 उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान चीन (31%), संयुक्त राज्य अमेरिका (13%), भारत (8%) और यूरोपीय संघ (7%)** का था।
  - ये चार क्षेत्र **जीवाश्म ईंधन से 59% वैश्विक CO_2 उत्सर्जन** के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि **शेष विश्व 41% उत्सर्जन** के लिए जिम्मेदार है।
- **वनों की कटाई जैसे भूमि-उपयोग बदलावों से होने वाले वैश्विक उत्सर्जन में पिछले दस वर्षों में 20% की कमी** दर्ज की गई है।
  - वनों की स्थाई कटाई से होने वाले कुल वैश्विक उत्सर्जन के लगभग **आधे हिस्से की भरपाई पुनर्वनीकरण और नए वन** करते हैं।
- **भूमि और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) सिंक** कुल CO_2 उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा अवशोषित कर रहे हैं। **जलवायु परिवर्तन से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के बावजूद** ये सिंक अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं।

5.9.2. अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट, 2024 (Adaptation Gap Report 2024)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट, 2024 जारी की। यह रिपोर्ट **जलवायु अनुकूलन योजना, उसका कार्यान्वयन और वित्त-पोषण में प्रगति** का वार्षिक मूल्यांकन है।

- **अडैप्टेशन गैप** वास्तव में **अनुकूलन योजना के वास्तविक क्रियान्वयन और समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बीच का अंतर** है। यह मुख्यतः **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित प्राथमिकताओं द्वारा निर्धारित** होता है यह अंतर **संसाधन की कमी और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं** को दर्शाता है।
  - **अडैप्टेशन या अनुकूलन** से आशय वास्तविक या अपेक्षित जलवायु परिवर्तन के अनुसार अपनी गतिविधियों को समायोजित करने वाले उपायों से है।

©Vision IAS

जलवायु अनुकूलन के लिए मुख्य पहलें

वैश्विक पहलें

- **पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता:** इसमें अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से **वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य** निर्धारित किए गए हैं।
- **UAE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेज़िलिएंस:** इसमें **11 वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य** शामिल किए गए हैं।
- **अनुकूलन निधि:** यह **क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकासशील देशों** में अनुकूलन परियोजनाओं को वित्त–पोषित करने हेतु स्थापित फण्ड है।

भारत की पहलें

- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC):** इसमें **जलवायु परिवर्तन पर आठ राष्ट्रीय मिशन शुरू** किए गए हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (NAFCC):** इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अधिक खतरों वाले राज्यों में अनुकूलन कार्रवाई को बढ़ाना और उन्हें वित्त–पोषित करना है।
- **मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैन्जबल इनकम्स** (MISHTI) और **अमृत धरोहर** जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **अडैप्टेशन गैप:** वित्त-पोषण के मामले में यह कमी **प्रति वर्ष 187-359 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की है।
- **अनुकूलन की दिशा में प्रगति:** विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय सरकारों द्वारा अनुकूलन उपायों में **वित्त-पोषण 2022 में बढ़कर 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया था।
    - यह वित्त-पोषण **ग्लासगो जलवायु संधि** की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। इस संधि में **विकसित देशों से विकासशील देशों में अनुकूलन उपायों में 2025 तक वित्त-पोषण को 2019 के 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम-से-कम दोगुना करने का आग्रह** किया गया है।
- **अनुकूलन का महत्त्व:** महत्वाकांक्षी अनुकूलन उपायों से **जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरों को आधा** किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए, **कृषि में प्रतिवर्ष 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश लगभग 78 मिलियन लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली भुखमरी या चिरकालिक भुखमरी** से बचाएगा।

अडैप्टेशन गैप को दूर करने के लिए सिफारिशें

- जलवायु परिवर्तन पर **आगामी COP-29** में जलवायु वित्त-पोषण के लिए एक महत्वाकांक्षी **न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल** अपनाना चाहिए।
- जलवायु **अनुकूलन को बढ़ावा देने वाले उपायों को मजबूत** करना चाहिए; नए **वित्तीय साधनों की संभावना** तलाशनी चाहिए तथा **क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहन** देना चाहिए।
- अनुकूलन उपायों के **वित्त-पोषण की प्रक्रिया में भी बदलाव** लाने की आवश्यकता है। अभी घटना के बाद कार्रवाई में वित्त-पोषण, धीरे-धीरे वित्त-पोषण और परियोजना आधारित वित्त-पोषण की नीति अपनाई जाती है। इसके बदले **घटना का अनुमान लगाकर उसे टालने में वित्त-पोषण, रणनीतिक और परिवर्तनकारी अनुकूलन में वित्त-पोषण** आदि को बढ़ावा देना चाहिए।

5.9.3. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने एमिशन गैप रिपोर्ट, 2024 जारी की (UN Environment Programme Releases Emissions Gap Report 2024)

इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से **वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन की प्रवृत्तियों; भविष्य के पूर्वानुमानों और पेरिस समझौते के तापमान संबंधी दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के तहत अपेक्षित प्रतिबद्धताओं** पर प्रकाश डाला गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution: NDCs) के बारे में

- ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा बनाई गई **राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई योजनाएं** हैं।
- **पेरिस समझौते के अनुसार NDCs को प्रत्येक पांच वर्ष में अपडेट करना अनिवार्य है,** तथा प्रत्येक देश की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसे और अधिक महत्वाकांक्षी बनाया जाना चाहिए।
- मूल NDCs 2015 में पेश किए गए थे, दूसरा चरण 2020/2021 में आया था, और तीसरा चरण 'NDCs 3.0' 2025 की शुरुआत में आएगा।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन 2023 में **57 गीगाटन (Gt) CO_2 के बराबर एक नए उच्च स्तर पर पहुंच** गया है। यह 2022 की तुलना में **1.3% की वृद्धि** को दर्शाता है।
    - कुल GHG उत्सर्जन में **भारत 4,140 मीट्रिक टन (Mt) CO_2 के बराबर उत्सर्जन के साथ तीसरे स्थान** पर है, जबकि **चीन पहले और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे** स्थान पर हैं।
- **वर्तमान और ऐतिहासिक GHG उत्सर्जन में बड़ी असमानताएं:** छह सबसे बड़े GHG उत्सर्जक देश वैश्विक स्तर पर GHG उत्सर्जन के **63%** के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अल्प विकसित देशों के लिए यह आंकड़ा केवल **3%** है।
    - इसी प्रकार, **भारत का ऐतिहासिक (1850-2022) CO_2 उत्सर्जन 83 $GtCO_2$** है। यह **चीन के 300 $GtCO_2$ और अमेरिका के 527 $GtCO_2$** की तुलना में बहुत कम है।
- **NDC लक्ष्य प्राप्त न कर पाना:** 2030 तक NDC के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देशों के लिए अधिक कठोर नीतियों को अपनाना अनिवार्य है।

वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए की गई सिफारिशें:

- देशों को अगले NDCs में **2030 तक वार्षिक GHG उत्सर्जन में 42% तथा 2035 तक वार्षिक GHG उत्सर्जन में 57% की कटौती** करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- **क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सूचीबद्ध सभी गैसों को NDCs में शामिल** किया जाना चाहिए और सभी क्षेत्रकों को कवर करते हुए उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए।
- सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकियों और पवन ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से **2035 में कुल GHG उत्सर्जन में 38% तक की कमी** हो सकती है।

5.9.4. प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, 2024 (Protected Planet Report 2024)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम-विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र (UNEP-WCMC) और IUCN ने "प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, 2024" जारी की।

प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, 2024 के बारे में

- यह **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के लक्ष्य 3 के संदर्भ में प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज़ (PCAs) की वैश्विक स्थिति का आकलन** करने वाली पहली रिपोर्ट है।
    - **प्रोटेक्टेड एरियाज़** भौगोलिक रूप से परिभाषित वह क्षेत्र है, जिसे **विशिष्ट संरक्षण (Conservation) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विनियमित और प्रबंधित** किया जाता है।
    - **कंजर्व्ड क्षेत्र** प्रोटेक्टेड क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र होते हैं। इन्हें **जैव विविधता, पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं और स्थानीय मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रबंधित** किया जाता है।
- **लक्ष्य 3** का उद्देश्य PCAs के **वैश्विक नेटवर्क को 30% कवरेज तक इस तरह से विस्तारित** करना है, जो न्यायसंगत हो तथा देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करता हो।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- PCAs का वैश्विक कवरेज **स्थलीय और अंतर्देशीय जल के 17.6% तथा समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों के 8.4%** तक पहुंच गया है।
- प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में से **दो-तिहाई से अधिक अब आंशिक रूप से या पूरी तरह से PCAs द्वारा कवर** किए गए हैं। हालांकि, **32% हिस्से को अभी भी संरक्षण प्राप्त नहीं** है।
- केवल **8.5% भूमि प्रोटेक्टेड और कनेक्टेड** है।
- प्रबंधन की प्रभावशीलता पर डेटा सीमित है, केवल **4% प्रोटेक्टेड क्षेत्र देशज लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित** हैं।

आगे की राह

- **देशज और पारंपरिक क्षेत्रों को मान्यता एवं समर्थन:** ये क्षेत्र वैश्विक भूमि के 13.6% को कवर करते हैं और इन्हें संरक्षण प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिए।
- **PCAs के विस्तार के लिए विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्त-पोषण प्रदान करना:** KMGBF के तहत, देश **2030 तक जैव विविधता में सभी स्रोतों से निवेश को कम-से-कम 200 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष तक बढ़ाने** के लिए प्रतिबद्ध हैं।

5.9.5. 'ऐन आई ऑन मीथेन: इनविजिबल बट नॉट अनसीन' रिपोर्ट ('An Eye on Methane: Invisible but Not Unseen' Report)

'ऐन आई ऑन मीथेन: इनविजिबल बट नॉट अनसीन' रिपोर्ट का चौथा संस्करण लॉन्च किया गया। यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला (IMEO)** द्वारा प्रकाशित की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला (IMEO) के बारे में

- IMEO **ग्लोबल मीथेन प्लेज (Global Methane Pledge) का एक मुख्य कार्यान्वयन भागीदार है। यह मीथेन उत्सर्जन पर मुक्त, विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य डेटा** प्रदान करता है।
- IMEO निम्नलिखित स्रोतों से डेटा एकत्र कर प्रकाशित करती है-
  - **ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 (OGMP 2.0):** OGMP 2.0 के माध्यम से उद्योग की कठोरतापूर्वक रिपोर्टिंग के जरिये डेटा एकत्र किया जाता है;
  - **मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम (MARS):** MARS के माध्यम से उपग्रहों से डेटा एकत्र किया जाता है;
  - **वैश्विक मीथेन विज्ञान अध्ययनों** के जरिये डेटा एकत्र किया जाता है;
  - **राष्ट्रीय उत्सर्जन इन्वेंट्रीज़** से भी डेटा एकत्र किया जाता है।

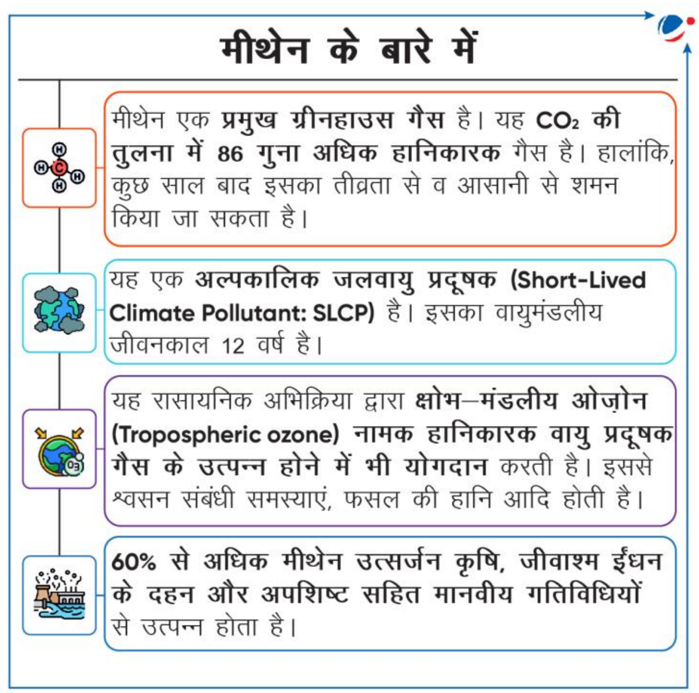

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **ग्लोबल वार्मिंग:** मानव-जनित मीथेन उत्सर्जन वर्तमान में पृथ्वी के तापमान में **लगभग एक तिहाई की वृद्धि** के लिए जिम्मेदार है।
- **तेल और गैस क्षेत्रकों से होने वाला उत्सर्जन:** UNEP का **OGMP 2.0, वैश्विक मीथेन उत्पादन का केवल 42% ही कवर** करता है। ज्ञातव्य है कि OGMP 2.0 के तहत इसके सदस्यों को अपने मीथेन उत्सर्जन की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

- **इस्पात आपूर्ति श्रृंखला से उत्सर्जन:** स्टील उत्पादन में प्रयुक्त धातुकर्म कोयले (Metallurgical coal) के उत्पादन से होने वाला मीथेन उत्सर्जन ऊर्जा क्षेत्रक से होने वाले कुल उत्सर्जन का 10% है। इसे न्यूनतम लागत पर कम किया जा सकता है।
- **उत्सर्जन पर खराब प्रतिक्रिया:** IMEO देशों को MARS के जरिये मीथेन उत्सर्जन की बड़ी घटनाओं के बारे में अलर्ट नोटिफिकेशन भेजता है, लेकिन ऐसे अलर्ट्स में से केवल 1% पर ही कोई ठोस प्रतिक्रिया मिलती है।

मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए गए कदम

- **वैश्विक स्तर पर:** ग्लोबल मीथेन प्लेज, जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन, ग्लोबल मीथेन एलायंस आदि।
- **भारत:** जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (NICRA) परियोजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, गोबर-धन योजना, नया राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम आदि।

5.9.6. विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट, 2024 (World Energy Employment Report, 2024)

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा रोजगार, 2024 (World Energy Employment, 2024) रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **वैश्विक ऊर्जा क्षेत्रक में रोजगार** ने 2023 में श्रम बाजार के व्यापक ट्रेंड को पीछे छोड़ दिया।
- **स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रक,** रोजगार में वृद्धि का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है।

रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बिंदु:

- भारत में **ऊर्जा क्षेत्रक में 8.5 मिलियन** से अधिक लोग नियोजित हैं। यह **2023 में देश में रोजगार प्राप्त कुल 566 मिलियन लोगों का 1.5%** है।
- भारत का ऊर्जा क्षेत्रक भी कई अन्य क्षेत्रकों की तरह, **अनौपचारिक श्रम पर बहुत अधिक निर्भर** करता है।
- सरकारी पहलों की वजह से **ऊर्जा क्षेत्रक में, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रक में कार्यबल बढ़ने की संभावना** है। इससे **रोजगार सृजन को और बढ़ावा** मिलेगा।

5.9.7. CO_2 से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र (CO_2 to Methanol Plant)

विंध्याचल में विश्व का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र शुरू किया गया।

- **राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC)** ने CO_2 से मेथेनॉल का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है। **NTPC** ने **फ्लू गैस से कैप्चर की गई CO_2 को प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलाइजर से प्राप्त हाइड्रोजन के साथ संश्लेषित** कर मेथेनॉल का उत्पादन किया है।
  - NTPC ने अपना **पहला स्वदेशी मेथेनॉल संश्लेषण उत्प्रेरक (methanol synthesis catalyst)** भी विकसित किया है।
  - यह **कार्बन प्रबंधन और संधारणीय ईंधन उत्पादन** की राह में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
- **मेथेनॉल (CH_3OH) के बारे में**
  - इसे **मिथाइल/ वुड अल्कोहल** के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे **सरलतम अल्कोहल है और पानी के साथ पूरी तरह से मिल** जाता है।
  - यह एक **पारदर्शी, रंगहीन और ज्वलनशील तरल है।** इसकी गंध **इथेनॉल (पीने योग्य अल्कोहल)** के समान होती है।

5.9.8. EV-एज़-ए-सर्विस कार्यक्रम (EV-AS-A-Service Programme)

हाल ही में, केंद्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने **'EV एज ए सर्विस' कार्यक्रम** का शुभारंभ किया। यह **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड** की सहायक कंपनी **कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL)** की पहल है।

- इसे **प्रधान मंत्री ई-ड्राइव योजना** की घोषणा के बाद शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य **भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने और उनके उपयोग में तेजी** लाना है।
- **EV-एज़-ए-सर्विस मॉडल** वास्तव में इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सक्रिप्शन के आधार पर प्राप्त करने में मदद करता है। इससे **इलेक्ट्रिक वाहनों** को खरीदने के लिए उच्च अग्रिम लागत नहीं चुकानी पड़ती है।

EV-एज-ए-सर्विस कार्यक्रम के बारे में

- इसके तहत अगले **दो वर्षों में सरकारी विभागों में 5,000 ई-कारों का उपयोग शुरू करने का लक्ष्य** रखा गया है।
- यह कार्यक्रम **2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन** के भारत के **महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद** करेगा।

5.9.9. गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व (Guru Ghasidas-Tamor Pingla Tiger Reserve)

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को भारत के 56वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया।

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की सलाह पर, **छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व** के रूप में अधिसूचित किया।

मुख्य तथ्यों पर एक नज़र

- गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को अधिसूचित किए जाने के बाद अब **छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिज़र्व** हैं। अन्य तीन टाइगर रिजर्व हैं- **इंद्रावती टाइगर रिज़र्व, उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व और अचानकमार टाइगर रिज़र्व।**
  - **राज्य सरकार, NTCA की सलाह पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन टाइगर रिजर्व को अधिसूचित** करती है।
- यह **नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व (आंध्र प्रदेश) और मानस टाइगर रिज़र्व (असम) के बाद तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व** है।
- **एक टाइगर रिज़र्व में शामिल होते हैं:**
  - **कोर/ क्रिटिकल क्षेत्र: वन अधिकार अधिनियम, 2006** के अनुसार अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य **वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना,** इन्हें अक्षुण्ण रखा जाना आवश्यक है।
  - **बफर/ परिधीय क्षेत्र:** टाइगर रिजर्व के इस हैबिटेट क्षेत्र में कम सुरक्षा वाले उपायों की जरूरत पड़ती है। यह मानव-वन्यजीव सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। यह **ग्राम सभा** के माध्यम से निर्धारित **स्थानीय लोगों के अधिकारों को मान्यता** देता है।

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व की अवस्थिति एवं भू-परिदृश्य:

- **भूगोल:** यह **छोटा नागपुर पठार और आंशिक रूप से बघेलखंड पठार** पर स्थित है।
- **जीव:** तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, भालू आदि।
- **नदियां:** हसदेव गोपद, बरंगा आदि।
- **संरक्षण के लिए लैंडस्केप दृष्टिकोण अपनाया गया है:** यह दृष्टिकोण **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31)** में परिकल्पित है। यह टाइगर रिज़र्व **संजय दुबरी वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश)** से सटा हुआ है। साथ ही, यह **बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश) और पलामू वन्यजीव अभयारण्य (झारखंड)** के साथ भी जुड़ा हुआ है।

टाइगर रिज़र्व के लिए लैंडस्केप दृष्टिकोण के बारे में

- इसमें बाघों की व्यवहार्य आबादी को आश्रय देने के लिए **संरक्षित क्षेत्रों को गलियारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई आबादी के नेटवर्क** के रूप में देखा जाता है।
  - **परस्पर जुड़ी आबादी को मेटा-आबादी** कहा जाता है।
- **महत्त्व:** अलग-अलग पर्यावासों के बीच कनेक्टिविटी, जीन प्रवाह, अंतः प्रजनन अवसाद को कम करना, स्थानांतरण से बचना आदि।

5.9.10. कोरल ट्रायंगल (Coral Triangle)

एक **नवीन रिपोर्ट में जीवाश्म ईंधन से कोरल ट्रायंगल के समक्ष उत्पन्न संभावित खतरों** का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट जैव विविधता कन्वेंशन (CBD) के पक्षकारों की 16वीं कॉन्फ्रेंस (COP16) में जारी की गई है।

रिपोर्ट के बारे में

- अर्थ इनसाइट और स्काईट्रुथ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कोरल ट्रायंगल के लिए जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न संभावित खतरों पर प्रकाश डालती है।
- विशिष्ट पारिस्थितिकी-तंत्र से समृद्ध इस क्षेत्र का विस्तार **दक्षिण-पूर्व एशिया और मेलानेशिया के सात देशों में है:** इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सिंगापुर, तिमोर-लेस्ते और सोलोमन आइलैंड्स।
  - यह **विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता समुद्री क्षेत्रों में से एक** है।

- **कोरल ट्रायंगल का महत्त्व:**
    - इस क्षेत्र में **दुनिया की 76% कोरल प्रजातियां, 2,000 से अधिक कोरल फिश प्रजातियां और सात समुद्री कछुओं (टर्टल) की प्रजातियों में से छह** पाई जाती हैं।
    - **120 मिलियन लोग खाद्य और आय** के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। यह जगह समुद्री विविधता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहीं कारण है कि इसे **"समुद्र का अमेजन"** भी कहा जाता है।

- **कोरल ट्रायंगल के समक्ष उत्पन्न खतरे:**
    - **तेल और गैस अन्वेषण:** वर्तमान में **100 से अधिक अपतटीय तेल और गैस ब्लॉक्स कोरल ट्रायंगल** में कार्यरत हैं।
        - ये गतिविधियां **प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव और समुद्री घास** सहित ट्रायंगल के नाजुक पारिस्थितिकी-तंत्र को खतरे में डालती हैं।
    - **ध्वनि प्रदूषण:** शिपिंग और अन्वेषण गतिविधियों से **समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता** है। उदाहरण के लिए- अन्वेषण गतिविधियों से उत्पन्न शोर समुद्री जीवों की सुनने की क्षमता को हानि पहुंचाता है। इसके कारण जीवों के संचार, शिकार पैटर्न, व्यवहार आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं।
- **रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर एक नज़र:**
    - जीवाश्म ईंधन के मौजूदा परिचालनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए **कोरल ट्रायंगल में तेल और गैस के अन्वेषण पर रोक लगानी चाहिए।**
    - विशेषज्ञों का सुझाव है कि कोरल ट्रायंगल को हानिकारक समुद्री क्षेत्रक संबंधी गतिविधियों से विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे **विशेष रूप से संवेदनशील समुद्री क्षेत्र** के रूप में वर्गीकृत किया किया जाना चाहिए।

5.9.11. 'सुनामी रेडी' गांव ('Tsunami Ready' Villages)

यूनेस्को के **अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (यूनेस्को-IOC)** ने ओडिशा के गांवों को 'सुनामी रेडी अर्थात् सुनामी के लिए तैयार' गांव के रूप में मान्यता प्रदान की।

- यूनेस्को-IOC ने **इंडोनेशिया में दूसरी वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान ओडिशा के 24 तटीय गांवों को "सुनामी के लिए तैयार"** के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता **राष्ट्रीय सुनामी तैयारी मान्यता बोर्ड (NTRB) द्वारा सत्यापन** के आधार पर दी गई है।
- NTRB **सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम** (TRRP) लागू करता है। इस निकाय में **भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के वैज्ञानिक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** के अधिकारी शामिल हैं।

यूनेस्को-IOC सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम (TRRP) के बारे में

- TRRP एक **स्वैच्छिक व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय-आधारित प्रयास** है। यह **वैश्विक तटीय क्षेत्रों में जोखिम की रोकथाम और शमन को बढ़ावा** देने का कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** सुनामी जैसी आपदा से जीवन, आजीविका और संपत्ति की रक्षा करना। इसके लिए, TRRP जागरूकता और तैयारी संबंधी रणनीतियों के माध्यम से सुनामी के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ावा देता है।
- **कार्य-प्रणाली:** इसमें लगातार मूल्यांकन के लिए **12 तैयारी संकेतक** शामिल हैं, तथा एक बार मान्यता मिलने के बाद, इसे **हर चार साल में नवीनीकृत** किया जाता है।

सुनामी के बारे में

- **परिभाषा:** भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन या तटीय चट्टानों के गिरने की वजह से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल होती है। इसके कारण जल का विस्थापन होता है। इसके परिणामस्वरूप, ऊर्ध्वाधर विशाल लहरों की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है, जिसे सुनामी कहा जाता है।
- **उत्पत्ति:** शब्द **"सुनामी"** में जापानी शब्द **"त्सू" का अर्थ बंदरगाह** और **"नामी" का अर्थ लहर** होता है।

- **विशेषताएं:**
  - **गति:** इन लहरों की गति **500 मील प्रति घंटे (mph) से अधिक** हो सकती है। यद्यपि, जैसे ही ये लहरें **उथले जल** में प्रवेश करती हैं, तो इनकी गति **20 से 30 मील प्रति घंटे तक धीमी** हो जाती है। इस दौरान इनकी **तरंगदैर्ध्यता घट** जाती है, जबकि **ऊंचाई बढ़** जाती है।
  - सुनामी लहर की गति लहर के स्रोत की दूरी पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह **समुद्र की गहराई पर निर्भर** करती है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC):** यह लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए **हिंद महासागर के 25 तटीय देशों को सुनामी संबंधी सलाह** प्रदान करता है।
  - इसमें **सुनामी बोय सिस्टम** का एक नेटवर्क है, जो **रियल टाइम डेटा संचारित** करता है।
  - INCOIS ने भारतीय तट पर **ज्वार गेज स्टेशनों का एक रियल टाइम नेटवर्क** स्थापित किया है।
- भारत में **सुनामी के प्रबंधन पर NDMA दिशा-निर्देश** लागू हैं।
- **सुनामी की मॉडलिंग और मानचित्रण:** इसे भारतीय तट के साथ-साथ **प्रारंभिक सुनामी और तूफान महोर्मि चेतावनी प्रणाली** के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है।

5.9.12. डिप्रेशन ऐस्लाडा एन निवेल्स अल्टोस (DANA/ डाना) {Depresión Aislada En Niveles Altos (DANA)}

हाल ही में, **स्पेन में डिप्रेशन ऐस्लाडा एन निवेल्स अल्टोस (DANA/ डाना) के कारण विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ आई है।**

डाना (DANA) के बारे में

- डाना एक ऐसी परिघटना है, जिसमें **बहुत ठंडी ध्रुवीय पवन राशि ध्रुवीय जेट धारा** से अलग हो जाती है और बहुत अधिक ऊंचाई (5-9 किमी) पर **चक्रीय परिसंचरण** करने लगती है।
  - ऐसे तूफान सामान्य तूफानों के विपरीत **ध्रुवीय या उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराओं से अलग निर्मित** होते हैं।
- जब यह **भूमध्य सागर में गर्म व अधिक आर्द्र पवन से टकराता है, तो इसके परिणामस्वरूप शक्तिशाली तूफान उत्पन्न** होते है। यह परिघटना मुख्य रूप से **ग्रीष्म ऋतु के अंत और शरद ऋतु के आरंभ** में घटित होती है।
- पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते सामान्य तूफान के विपरीत, **DANA एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है या पश्चिम दिशा की ओर भी बढ़** सकता है।

5.9.13. बम साइक्लोन (Bomb Cyclone)

हाल ही में, **उत्तर-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी कनाडा में बम साइक्लोन** ने दस्तक दी है।

बम साइक्लोन के बारे में

- इसे **बमजेनेसिस** भी कहा जाता है। यह **मध्य अक्षांशीय चक्रवात और कम दबाव वाला क्षेत्र** है। यह 24 घंटे की अवधि में तेज़ी से प्रबल हो जाता है।
  - 24 घंटे में इसके केंद्र में वायुदाब में **कम-से-कम 24 मिलीबार तक की गिरावट दर्ज** की जाती है।
- इनमें से **अधिकतर चक्रवात समुद्र के ऊपर** उत्पन्न होते हैं। ये **उष्णकटिबंधीय या गैर-उष्णकटिबंधीय चक्रवात** हो सकते हैं।
- ये चक्रवात आमतौर पर **ब्लिजार्ड से लेकर प्रबल झंझावात और भारी वर्षा** के साथ आगे बढ़ते हैं।

5.9.14. करीबा झील (Lake Kariba)

सूखे के कारण करीबा झील का **जलस्तर रिकॉर्ड निचले स्तर** पर पहुंच गया है। इससे क्षेत्र में बिजली की कमी हो गई है।

करीबा झील के बारे में

- आयतन की दृष्टि से यह **विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील एवं जलाशय है।**
- यह **ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे** के बीच स्थित है। 1955 में **जेम्बेजी नदी** पर बांध बनाने से इस झील का निर्माण हुआ था।
- इसका निर्माण 1950 के दशक में शुरू हुआ था जब **उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया (अब जाम्बिया व जिम्बाब्वे) पर ब्रिटिश शासन था।**
- करीबा बांध **जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों को बिजली की आपूर्ति** करता है। साथ ही, **अफ्रीका में फलते-फूलते वाणिज्यिक मत्स्यन उद्योग को सहायता** भी प्रदान करता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

SANDHAN

VisionIAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

(UPSC प्रीलिम्स के लिए
स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज)

- **प्रश्नों का विशाल संग्रहः**
  UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक प्रश्न।
- **करेंट अफेयर्सः**
  करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस कीजिए।
- **पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधाः**
  विषयों और टॉपिक्स का चयन करके टेस्ट को कस्टमाइज़ कीजिए।
- **समयबद्ध मूल्यांकनः**
  समयबद्ध टेस्ट के साथ टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कीजिए।
- **प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषणः**
  समग्र तैयारी के साथ–साथ विषय और टॉपिक के स्तर पर प्रगति को ट्रैक कीजिए।
- **टार्गेटेड रेकमेंडेशनः**
  सुधार योग्य पक्षों के लिए पर्सनलाइज्ड रेकमेंडेशन प्राप्त कीजिए।

एडमिशन प्रारंभ

और अधिक जानकारी के लिए स्कैन कीजिए

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. वर्क फ्रॉम होम (Work From Home)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, CII और दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (FMS) ने **"वर्क फ्रॉम होम: लाभ और लागत; भारतीय संदर्भ में एक अन्वेषणात्मक अध्ययन"** शीर्षक से अपनी तरह का पहला अध्ययन प्रकाशित किया है।

इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **वर्क फ्रॉम होम (WFH) का जारी रहना: 68 प्रतिशत** कंपनियों ने **कोविड-19 महामारी के बाद भी वर्क फ्रॉम होम (WFH) कार्य पद्धतियों** को जारी रखा है।
- **कार्य का हाइब्रिड मॉडल:** अध्ययन में शामिल की गई लगभग **आधी कंपनियों** ने हाइब्रिड कार्य पद्धतियों को बढ़ावा दिया है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों से **सप्ताह में सीमित अवधि के लिए ऑफिस** आने की अपेक्षा की जाती है।
- **अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक हानि:** वर्क-फ्रॉम-होम अल्पावधि में नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को **वास्तविक लाभ** प्रदान करता है। हालांकि, यह **दीर्घकालिक** रूप से **सामाजिक, भावनात्मक और मानव संसाधन पूंजी के निर्माण एवं सततता से संबंधित कुछ हानियों** का कारण भी बन सकता है।
- **रिमोट वर्किंग की प्रभावशीलता:** रिमोट वर्किंग पारंपरिक कार्यालयी कार्य शैली की तुलना में सहयोग पर आधारित कार्य संस्कृति, संवाद, और टीमवर्क जैसे कौशल को विकसित करने में कम प्रभावी हो सकती है।

कार्य का बदलता स्वरूप: वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) की शुरुआत

- **कोविड-19 महामारी:** महामारी के कारण आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों ने **रिमोट वर्क** की आवश्यकता को बढ़ा दिया था।
- **प्रौद्योगिकी का विकास: व्यक्तिगत तौर पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों व प्रणालियों और डिजिटल कनेक्टिविटी** में हुई प्रगति ने रिमोट वर्क की संभावनाओं को साकार करने में सहायता की है।
- **कहीं से भी काम करना: डिजिटल कनेक्टिविटी** और संबंधित अवसंरचना के विकास के कारण, कई कामगार अपने **गांव, ट्रैवल डेस्टिनेशन** आदि जगहों से कार्य कर रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए- इससे **डिजिटल नोमेड्स (स्थान विशेष से स्वतंत्र जीवन शैली)** जैसी अवधारणाओं को बढ़ावा मिला है।
- **वर्क फ्रॉम होम का समापन:** हालांकि, महामारी के बाद कई नियोक्ता वैश्विक स्तर पर वर्क फ्रॉम होम व्यवस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए- **स्टारबक्स, गूगल और अमेजन** जैसी कंपनियों ने **रिटर्न-टू-ऑफिस शेड्यूल** के साथ वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर दिया है।

वर्क फ्रॉम होम (WFH) से जुड़े लाभ

विवरण	वर्क फ्रॉम होम से जुड़े लाभ
कर्मचारी	• **कम लागत: आने-जाने और कार्यस्थल के पास किराये के आवास** पर होने वाले खर्च में कमी आती है। • **बढ़ती कार्य उत्पादकता:** वर्क फ्रॉम होम आने-जाने की **परेशानी** को समाप्त करता है तथा **काम एवं आराम का अनुकूल समय-निर्धारण** संभव बनाता है।

 ©Vision IAS

नियोक्ता/ कॉर्पोरेट	• **कम लागत: कार्यालय के किराए, कर्मचारी प्रतिपूर्ति पैकेज आदि में कमी** आती है। • **भर्ती में लचीलापन: भौगोलिक बाधाओं के समाप्त** होने से नियोक्ताओं को दुनिया भर से **सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान लोगों की भर्ती** करने का विकल्प मिलता है। • **कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि: स्टैनफोर्ड के एक अध्ययन** के अनुसार, हाइब्रिड शेड्यूल में काम करने वाले कर्मचारियों के **इस्तीफे में 33% की कमी** आई है।	
मैक्रो एनवायरनमेंट	• **संधारणीय कार्य पद्धतियां:** परिवहन और विद्युत के उपयोग में कमी से **कार्बन फुटप्रिंट** में कमी आती है। साथ ही, इससे संगठनों को उनके **पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG)**[77] संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। • **श्रमिकों के बीच कार्य संतुष्टि:** वर्क-लाइफ संतुलन के कारण कार्य संबंधी संतुष्टि बढ़ती है। • **समतापूर्ण विकास:** रिमोट वर्क **औद्योगिक विकास** के केवल कुछ **महानगरों में केंद्रित होने से रोकता** है। यह **विकेंद्रीकृत विकास** में सहायता कर सकता है और **प्रवासन से संबंधित समस्याओं में कमी** ला सकता है।	
पारिवारिक संबंध	• **कार्य और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन:** वर्क फ्रॉम होम के तहत ऑफिस के टाइम शेड्यूल पर ऑफिस जाकर कार्य करने की बाध्यता नहीं होती है। इसे घर पर रहते हुए दिन में कभी भी पूरा किया जा सकता है। जाहिर है इस सुविधा से कर्मचारियों को पारिवारिक जरूरतों और ऑफिस कार्य के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलती है। ○ उदाहरण के लिए, नवजात शिशु वाले माता-पिता के लिए वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा विकल्प है। • **काम के तनाव को कम करना:** परिवार के साथ अधिक समय बिताने से काम संबंधी तनाव को प्रबंधित करने में आसानी होती है। • **लैंगिक समानता:** वर्क फ्रॉम होम करने वाले पुरुष **पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं** के विपरीत **घरेलू कामों** में बेहतर योगदान दे सकते हैं। वे **विवाहित महिलाओं की कार्य उत्पादकता** पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।	
महिलाएं	• **कर्तव्यों का निर्वहन:** वर्क फ्रॉम होम का लचीलापन महिलाओं को बच्चों की देखभाल या माता-पिता की देखभाल जैसे व्यक्तिगत कर्तव्यों का बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में सहायता करता है। • **श्रम बल भागीदारी:** वर्क फ्रॉम होम **महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों और प्रदर्शन में सुधार** कर सकता है और **मातृत्व अवकाश के कारण जो वेतन हानि होती है, उसकी पूर्ती** कर सकता है। साथ ही, यह **विवाहित महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को बढ़ा** सकता है।	

वर्क फ्रॉम होम से उत्पन्न चुनौतियां

कर्मचारियों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां

- **घर पर कार्यालय जैसा परिवेश निर्मित होना:** वर्क फ्रॉम होम के कारण घर में भी ऑफिस जैसा माहौल बन जाता है। इससे घर भी ऑफिस का रूप ले लेता है तथा घर के कार्य और ऑफिस के कार्य के बीच समय का निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। इससे तनाव तो बढ़ता ही है, कार्य की क्षमता और गुणवत्ता भी कम हो जाती है।
  - एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम से जीवन शैली के कई पहलू नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं, जैसे कि **दैनिक शारीरिक गतिविधि में 33% की कमी** आई है।
- **कार्यस्थल की कमी:** घर पर **फोकस तरीके से काम करने के लिए अलग से जगह न होने से** काम पर असर पड़ता है और **को-वर्किंग स्पेस में काम करने** से संबंधित लागत बढ़ सकती है।
- **विश्राम और अवकाश की कमी:** वर्क फ्रॉम होम **हर समय काम करने का एक अस्वास्थ्यकर चक्र** बना सकता है या 24/7 उपलब्ध रहने का दबाव बना सकता है। यह ऐसा महसूस करा सकता है कि आपको **लगातार काम करने की ज़रूरत** है।

नियोक्ताओं के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां

- **संगठन के भीतर संचार: सहकर्मियों के बीच अच्छे संबंध, टीमवर्क और सामूहिक समस्या-समाधान** के लिए महत्वपूर्ण हैं। वर्चुअल इंटरैक्शन टीम बॉन्डिंग, कार्य संस्कृति और संगठन की सफलता पर प्रभाव डाल सकता है।
- **प्रबंधन संबंधी पद्धतियां:** जब कर्मचारी साइट/ कार्यस्थल पर काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उनका **प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन तथा नवाचार** प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, **उपस्थिति की निगरानी जैसी पारंपरिक पर्यवेक्षण विधियां** कम प्रभावी हो जाती हैं।

---

[77] Environmental, Social and Governance

- **व्यावसायिक अलगाव:** संगठनों के लिए यह सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है कि कर्मचारी **कार्य परिवेश से अलग-थलग या अजनबी महसूस** न करें। यह कर्मचारी के काम की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।
- **गोपनीयता संबंधी मुद्दे:** वर्क फ्रॉम होम के कारण **संगठनात्मक और क्लाइंट डेटा की सुरक्षा** चुनौतीपूर्ण हो जाती है।
  - उदाहरण के लिए, भारत में **साइबर सुरक्षा पर एक समर्पित कानून** का अभाव है।
- **नैतिकता संबंधी प्रश्न: एलन मस्क** ने इस बात पर नैतिकता से जुड़ा सवाल उठाया है कि कुछ कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जाती है, जबकि फैक्ट्री वर्कर्स जैसे अन्य कर्मचारी ऑन-साइट काम जारी रखते हैं।

"घर से काम करने वाले वास्तविकता से दूर रहते हैं।"

– एलन मस्क

पारिवारिक रिश्तों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां

- **पारिवारिक तनाव: तनावपूर्ण कार्य परिवेश और तनावपूर्ण पारिवारिक संबंधों के मिश्रण से गंभीर तनावपूर्ण स्थिति** उत्पन्न हो जाती है। **लंबे समय तक घर के अंदर रहने** से पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोविड **महामारी** के दौरान **घरेलू हिंसा** के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई थी।
- **पारिवारिक जिम्मेदारियां:** काम करते समय **बच्चों की देखभाल या बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित जिम्मेदारियां बढ़ने** से कार्य बोझ बढ़ता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य: सामाजिक संपर्कों की कमी** और काम एवं घर के तनाव के कारण **मानसिक दबाव व चिंता** बढ़ती है। इससे **परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार** पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए- काम संबंधी खराब दिन के कारण **बच्चे पर जल्दी** गुस्सा होना।

महिलाओं के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां

- **व्यावसायिक सफलता में बाधा:** रिमोट वर्क करने वाली महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में **कम आय अर्जित** कर पाती हैं। साथ ही, अपना अधिकांश समय कार्यालय में बिताने वाले पुरुषों की तुलना में महिलाएं किसी प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण कार्य का **श्रेय नहीं ले पाती** हैं।
- **दोहरा बोझ:** महिलाओं को **काम और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं** के दोहरे बोझ का सामना करना पड़ता है, जो वर्क फ्रॉम होम के कारण और भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, औपचारिक रूप से काम करने के बावजूद खाना बनाना एवं बच्चों की देखभाल करना **महिलाओं का ही काम** माना जाता है।
- **पितृसत्तात्मक विचारों को मजबूत करना: लोचशील कामकाजी व्यवस्था** संबंधी विकल्पों का चयन करने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज़्यादा **समस्याओं का सामना करना पड़ता** है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जाती है कि वे **काम से ज़्यादा परिवार को प्राथमिकता** दें।

आगे की राह

- **कार्य व्यवस्था में सुधार:** कार्य के बदलते स्वरूप के कारण **प्रबंधन पद्धतियों, प्रणालियों और धारणाओं में परिवर्तन** की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, प्रदर्शन निगरानी तंत्र।
- **हाइब्रिड इकोसिस्टम:** यह पारंपरिक और रिमोट वर्क की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को अपनाते हुए एक **संतुलित दृष्टिकोण** प्रदान करता है।
- **नीतिगत विचार:** सरकारों और संगठनों को कार्य के बदलते स्वभाव के अनुरूप **स्पष्ट नीतियां विकसित** करनी चाहिए। इन नीतियों में **जवाबदेही व गोपनीयता** जैसे पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- **अवसंरचना संबंधी विकास:** रिमोट वर्क के लिए सभी स्थानों पर **विश्वसनीय कनेक्टिविटी** का होना आवश्यक है। दूरस्थ क्षेत्रों में **इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर** को मजबूत करने की आवश्यकता है। **उदाहरण के लिए- 'स्मार्ट विलेज', भारतनेट आदि।**

फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #99: फ्यूचर ऑफ वर्क

6.2. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना (One Nation One Subscription Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन (ONOS)' योजना** को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक संस्थानों की वैज्ञानिक पत्रिकाओं/ जर्नल्स तक **समान पहुंच** प्रदान करना है।

वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM)[78] तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रकों में प्रकाशित ई-जर्नल्स एवं डेटाबेस सब्स्क्रिप्शन्स के लिए राष्ट्रीय लाइसेंस प्राप्त करना।
- **मुख्य विशेषताएं**
    - **डिजिटल पहुंच:** ONOS को एक्सेस करने का प्रबंधन **इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET)** द्वारा किया जाएगा। यह **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र** है। यह सभी संस्थानों के लिए **पूर्ण डिजिटल प्रक्रिया** प्रदान करता है।
    - **निगरानी: अनुसंधान नेशनल अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF)** समय-समय पर ONOS के उपयोग और **भारतीय लेखकों द्वारा प्रकाशित आलेखों की समीक्षा** करेगा।
    - **अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स:** यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लैंसेट सहित एल्सेवियर साइंस डायरेक्ट आदि 30 प्रमुख प्रकाशकों के 13,000 जर्नल्स को शामिल करेगा।
    - **वित्तीय आवंटन:** सरकार ने केंद्रीय क्षेत्रक की एक नई योजना के तहत **2025-2027** तक ONOS के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
    - **कार्यान्वयन रणनीति:** उच्चतर शिक्षा विभाग एक एकीकृत पोर्टल प्रदान करेगा तथा सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगा।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की आवश्यकता क्यों है?

- **सार्वजनिक निधियों से लाभ:** अकादमिक प्रकाशन एक अत्यधिक लाभदायक उद्योग है, जो 19 बिलियन अमरीकी डॉलर का राजस्व उत्पन्न करता है। इसमें मुनाफे का मार्जिन **40% तक** है।
    - हालांकि, यह लाभ मुख्यतः सार्वजनिक निधियों से प्राप्त होता है, लेकिन कुछ निजी कंपनियों तक ही सीमित रहता है।
- **शोषणकारी प्रकाशन का सामना करना:** कई निम्न-गुणवत्ता वाले जर्नल्स भारतीय शोधकर्ताओं से प्रकाशन शुल्क लेकर बिना उचित समीक्षा के उनके शोध को प्रकाशित करते हैं, जिससे शोध की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- **पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करना:** महंगे सब्सक्रिप्शन मॉडल के कारण लघु संस्थाओं के शोधकर्ता वैश्विक सहयोग हासिल करने में पीछे रह जाते हैं। इससे लघु संस्थाओं के शोधकर्ताओं की वैश्विक स्तर पर सहयोग करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
    - **उदाहरण के लिए-** नेचर कम्युनिकेशंस प्रति शोध-पत्र 6,790 डॉलर का शुल्क लेता है।
- **प्रकाशकों के पक्ष में समझौता:** भारतीय संस्थान ऐसे अनुबंध करते हैं, जो प्रकाशकों के पक्ष में होते हैं, जैसे- प्रतिबंधात्मक कॉपीराइट हस्तांतरण। यह भारतीय शोधकर्ताओं के अपने कार्य पर नियंत्रण को सीमित करता है।
- **वित्तीय बोझ को कम करना:** 2021 में, भारतीय लेखकों ने गोल्ड ओपन एक्सेस जर्नल्स के लिए आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज (APCs) के रूप में 380 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। यह शोधकर्ताओं पर वित्तीय दबाव को दर्शाता है।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से जुड़ी समस्याएं

- **ओपन एक्सेस (OA) की ओर रुझान:** 50% से अधिक शोध सामग्री अब निःशुल्क उपलब्ध है, जिसके कारण ONOS अप्रासंगिक हो सकता है।
    - उदाहरण के लिए- अमेरिका को 2026 तक सभी सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित शोधों को निःशुल्क उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। इसके कारण 2025 के बाद ONOS के भविष्य को लेकर संदेह पैदा हो सकता है।
- **राष्ट्रव्यापी सब्सक्रिप्शन की सीमाएं:** ONOS केवल लोकप्रिय जर्नल्स को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे लघु प्रकाशनों की उपेक्षा होने की आशंका है। इससे छोटे समुदायों के लिए पहुंच सीमित हो सकती है और शोध विविधता में कमी आ सकती है।

---

[78] Science, Technology, Engineering, and Mathematics

- **वाणिज्यिक प्रकाशकों का प्रभुत्व:** ONOS पश्चिमी प्रकाशकों को लाभ पहुंचा सकता है, जिनके लाभ मार्जिन 40% तक होते हैं। यह सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित शोध के मूल उद्देश्य को कमजोर कर सकता है।
- **कॉपीराइट संबंधी मुद्दे:** शोधकर्ता अक्सर प्रकाशन के दौरान कॉपीराइट का दावा छोड़ देते हैं। इससे प्रकाशक बिना अनुमति के शोधकर्ताओं की मेहनत का उपयोग कर सकते हैं।
    - **उदाहरण के लिए-** टेलर एंड फ्रांसिस ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने जर्नल्स का AI प्रशिक्षण के लिए उपयोग करने की अनुमति दी थी। इससे लेखक अपने कॉपीराइट से वंचित हो गए थे। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।
- **डिजिटल कंटेंट संरक्षण:** कंटेंट के संरक्षण के लिए प्रकाशकों पर निर्भर रहना जोखिम भरा होता है। 2023 में जापान इंस्टीट्यूट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक केमेस्ट्री द्वारा प्रकाशित जर्नल "हेटेरोसाइकिल्स" बंद हो गया था। इसके कारण 17,000 लेख अनुपलब्ध हो गए थे।
- **अन्य समस्याएं:** भारतीय जर्नल्स के लिए समर्थन की कमी; ONOS के तहत चयन, निगरानी आदि की प्रक्रिया में पारदर्शिता की समस्या; टियर-2 और टियर-3 शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट की कम उपलब्धता आदि।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय लाइसेंस पर वार्ता:** सब्सक्रिप्शन की लागत में 90-95% की कमी के लिए वार्ता करनी चाहिए। साथ ही, भारतीय शोधकर्ताओं के लिए आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज (APC) पर छूट सहित अनुकूल शर्तें सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **समझौता संबंधी शर्तें:** संस्थाओं के हितों की रक्षा और बौद्धिक संपदा (IP), मूल्य निर्धारण एवं नवीकरण पर उचित शर्तें सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य मॉडल लाइसेंस समझौता तैयार करना चाहिए।
- **नवोन्मेषी सेवाएं:** संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने, पहुंच सुनिश्चित करने, प्रवृत्तियों की निगरानी करने और स्थिरता के लिए प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करने हेतु अवसंरचना का निर्माण करना चाहिए।
- **ओपन एक्सेस को बढ़ावा देना:** ओपन एक्सेस और कॉपीराइट सामग्री के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करना, ओपन एक्सेस जर्नल्स का समर्थन करना तथा युवा शोधकर्ताओं के लिए आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज (APC) हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)

- **उत्पत्ति:** इसे **ANRF अधिनियम, 2023** के तहत स्थापित किया गया है। यह **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग** के तहत संचालित होता है। इसकी स्थापना के साथ ही **विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का ANRF में विलय** कर दिया गया है।
- **मंत्रालय:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और शोध एवं विकास (R&D) प्रयोगशालाओं में अनुसंधान व नवाचार की संस्कृति की शुरुआत करना तथा उसे विकसित करना और बढ़ावा** देना है।

कार्य:

- **शीर्ष निकाय के रूप में कार्य:** ANRF **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)** की सिफारिशों के अनुरूप भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
- यह फाउंडेशन उद्योगों, शिक्षाविदों, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। इससे उद्योग और राज्य सरकारों के वैज्ञानिक मंत्रालयों के साथ काम करने के लिए एक मंच तैयार होगा।

प्रमुख पहल: PAIR कार्यक्रम

'त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी' (PAIR)[79] पहल की शुरुआत **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप** की गई है। इसे **हब और स्पोक मॉडल के जरिए भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं नवाचार की प्रकृति में बदलाव लाने के लिए डिज़ाइन** किया गया है।

- **हब:** पहले चरण के लिए हब संस्थानों में **उच्च NIRF रैंकिंग** वाले संस्थान शामिल किए जाएंगे। ये हब संस्थान अनुसंधान गतिविधियों में उभरते संस्थानों (स्पोक्स) का मार्गदर्शन करेंगे तथा उनके **संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए पहुंच प्रदान** करेंगे।
- **स्पोक:** स्पोक संस्थानों में केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय तथा चुनिंदा NITs व IIITs शामिल होंगे। बाद के चरणों में अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों को शामिल करने के लिए पात्रता शर्तों का विस्तार किया जाएगा।

संगठनात्मक संरचना:

- **गवर्निंग बोर्ड: प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।**
- बोर्ड का अध्यक्ष एक **कार्यकारी परिषद** का गठन करेगा, जिसका नेतृत्व **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार** करेगा। साथ ही, यह फाउंडेशन के लक्ष्यों को लागू करने का कार्य करेगा।

नोट: *भारत के R&D इकोसिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, सितंबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.5. देखें।*

6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.3.1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पी.एम.-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी (Union Cabinet Approved PM-Vidyalaxmi Scheme)

यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक नई योजना है। इसका लक्ष्य **उच्चतर शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान** करना है।

- ज्ञातव्य है कि **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** में सरकारी और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:

- **उद्देश्य:** गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान (QHEI) में प्रवेश लेने वाले किसी भी विद्यार्थी को **ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को वहन** करने हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से **जमानत मुक्त व गारंटर मुक्त ऋण** प्राप्त कराना।
- **पात्रता:** कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान (QHEI) में प्रवेश लेता है।
- **कवरेज: राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के आधार पर 860 योग्य QHEIs** तथा 22 लाख से अधिक छात्रों को कवर किया जाएगा।
- **लाभ: 7.5 लाख रुपये** तक की ऋण राशि पर **भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी** प्रदान की जाएगी।

---

[79] Partnerships For Accelerated Innovation And Research

- इसके अलावा, जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय **8 लाख रुपये** तक है और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें **10 लाख रुपये** तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान **3 प्रतिशत की ब्याज छूट** भी प्रदान की जाएगी।

- **पूरी तरह डिजिटल प्रणाली:** छात्रों के लिए एक **एकीकृत पोर्टल "पी.एम.-विद्यालक्ष्मी"** उपलब्ध होगा। इस पर विद्यार्थी सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।
  - ब्याज छूट का भुगतान **ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट** के माध्यम से किया जाएगा।
- यह योजना **प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PMUSP)** योजना की पूरक होगी।

प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PMUSP) योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **पात्रता:** उच्चतर माध्यमिक/ 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर।
  - प्रति वर्ष अधिकतम **82,000 नई छात्रवृत्तियां** दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- **घटक:** केंद्रीय क्षेत्रक ब्याज सब्सिडी (CSIS) और शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (CGFSEL)।

6.3.2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो/ POCSO) अधिनियम, 2012 {Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012}

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि POCSO के तहत आने वाले यौन उत्पीड़न मामले को आपसी समझौते के आधार पर ख़ारिज नहीं किया जा सकता

- **रामजी लाल बैरवा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो/ POCSO) अधिनियम, 2012 (बॉक्स देखें) के अंतर्गत आने वाले यौन उत्पीड़न के मामले को संबंधित पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर ख़ारिज नहीं किया जा सकता।
- सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम के तहत आने वाले 'यौन उत्पीड़न' के एक मामले को ख़ारिज करने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करते हुए यह बात कही है।
- इस मामले की सुनवाई **विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition)** के तहत की गई है।
  - संविधान का **अनुच्छेद 136** सुप्रीम कोर्ट को किसी कोर्ट/ अधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय/ आदेश/ डिक्री के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति (Special Leave) देने की विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है।

POCSO अधिनियम, 2012 के बारे में

- **उद्देश्यः** यह एक **जेंडर न्यूट्रल** कानून है। यह बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, अपराध की गंभीरता के आधार पर अपराधियों को दंडित करता है तथा **बाल यौन शोषण का समग्र रूप से निवारण** करता है।
- **बच्चे की परिभाषाः 18 वर्ष से कम आयु का** कोई भी व्यक्ति।
- **दंडनीय यौन अपराधों की तीन व्यापक श्रेणियांः** यौन हमला, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का उपयोग करना।
- **2019 के संशोधन में** बच्चों के साथ यौन अपराध करने पर मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सजा का प्रावधान शामिल किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अवलोकन

- **अपराध के आधार पर समझौते की अस्वीकृति: कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण (2019) मामले** का संदर्भ देते हुए कहा कि **समाज के खिलाफ अपराध** के संबंध में समझौता नहीं किया जा सकता है।
  - इसके अलावा, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले (सुनील रायकवार बनाम राज्य) का समर्थन किया गया, जिसमें कहा गया था कि **POCSO अपराध के मामले में आपस में निपटारा नहीं** किया जा सकता।
- **अपराध की गैर-निजी प्रकृति:** कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों को **निजी मामलों के रूप में नहीं माना जा सकता,** जिन्हें समझौते के आधार पर ख़ारिज करने योग्य माना जा सके।
  - साथ ही, **गंभीर सामाजिक निहितार्थ वाले मामलों को केवल समझौते के आधार पर खारिज नहीं** किया जाना चाहिए।

बाल अधिकारों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए **वीकली फोकस #70:** बाल अधिकारों का संरक्षणः एक अधूरा एजेंडा?	

6.3.3. भारत में पोलियो उन्मूलन के 10 वर्ष पूरे हुए (10 Years of Polio Eradication in India)

मार्च 2014 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के आधार पर पोलियो मुक्त घोषित किया था:

- तीन वर्ष तक वाइल्ड पोलियो वायरस के संक्रमण का कोई भी मामला न होना,
- मजबूत निगरानी प्रणाली, तथा
- पोलियो वायरस के शेष स्टॉक को नष्ट करना।
  - यह दशकों के समर्पित प्रयासों का परिणाम था। यह भारत की **वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI) में भागीदारी और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत राष्ट्रीय टीकाकरण प्रयासों** से ही संभव हुआ है।

पोलियोमाइलाइटिस (पोलियो) के बारे में

वायरल रोगः यह अत्यधिक संक्रामक **वायरल रोग** है, जो मुख्यतः **5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित** करता है।

संचरणः यह व्यक्ति–से–व्यक्ति में मुख्यतः **फेकल–ओरल–रूट** से फैलता है। कभी–कभी यह किसी सामान्य माध्यम (जैसे, दूषित जल या भोजन) द्वारा भी फैलता है। आंत में पहुंचने के बाद इसकी संख्या में वृद्धि होने लगती है। तत्पश्चात यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है, जिससे पक्षाघात हो सकता है।

दुनिया भर में वाइल्ड पोलियोवायरस स्ट्रेन की मौजूदा स्थिति पर एक नजरः
टाइप–1: 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एंडेमिक बना हुआ है।
टाइप–2: इसका **1999 में उन्मूलन** हो गया था।
टाइप–3: इसका **2020 में उन्मूलन** हो गया था।

टीका–जनित पोलियो तब होता है, जब ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) में अटैंयूएटेड स्ट्रेन उत्परिवर्तित हो जाता है। अतः इस उत्परिवर्तन के चलते यह वायरस निम्न टीकाकरण कवरेज वाली आबादी में पक्षाघात करने की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकता है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के बारे में

- यह विश्व के सबसे बड़े लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। इसके तहत **टीके से रोके जा सकने वाले 12 रोगों के लिए निःशुल्क टीके** लगाए जाते हैं।
- **1985 में 'विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम' का नाम बदलकर UIP** कर दिया गया था। साथ ही, इसकी पहुंच शहरी क्षेत्रों से आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों तक भी कर दी गई।

भारत में पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए किए गए निवारक उपाय

- **वार्षिक पोलियो अभियान: राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (NID) और उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (SNID) प्रतिवर्ष आयोजित** किए जाते हैं। इनका उद्देश्य बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली के स्तर को उच्च बनाए रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रह जाए।
- **निगरानी और सीमाओं पर टीकाकरण:** अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर टीकाकरण से **पोलियो प्रभावित क्षेत्रों से भारत में फिर से पोलियो वायरस के प्रवेश के जोखिम को कम करने** में मदद मिलती है।
- **इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन (IPV):** इसे 2015 में अपनाया गया था। यह वैक्सीन पोलियो, विशेषकर **टाइप-2 पोलियोवायरस के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा** प्रदान करती है।

* **मिशन इंद्रधनुष:** इसे **2014** में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य **टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना** है। इसके तहत **टीकाकरण की निम्न दर वाले दुर्गम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान** दिया जाता है।

6.3.4. बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की कमी (Children Lacking Minimum Dietary Diversity)

एक अध्ययन के अनुसार भारत में 6-23 महीने की आयु के 77% बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की कमी है।

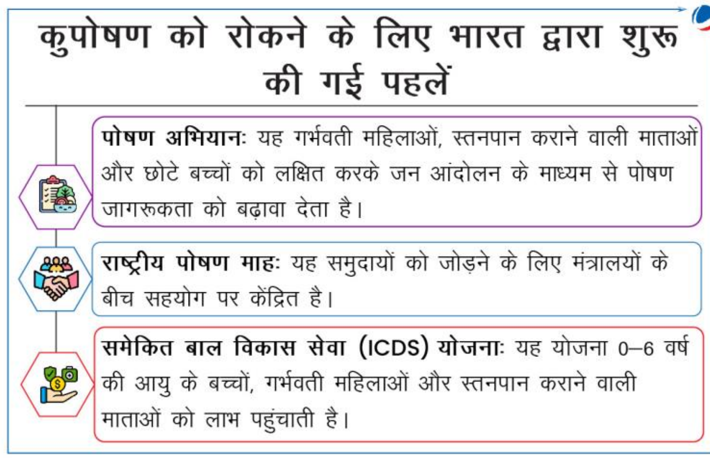

न्यूनतम आहार विविधता (MDD) के बारे में

* WHO के अनुसार, **न्यूनतम आहार विविधता (Minimum Dietary Diversity: MDD)** तब मौजूद होती है, जब आहार में निम्नलिखित **8 खाद्य समूहों में से 5 या उससे अधिक** शामिल होते हैं-
    * **माता का दूध; अनाज; फलियां; डेयरी उत्पाद; मांस खाद्य पदार्थ; अंडे; फल और सब्जियां तथा विटामिन A से भरपूर फल और सब्जियां।**
    * **5 से कम** खाद्य समूहों से आहार का सेवन **न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF)** माना जाता है।

भारत में न्यूनतम आहार विविधता (MDD) से संबंधित अध्ययन (2019-21) के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

* **क्षेत्रीय असमानताएं:** भारत के मध्य क्षेत्र, विशेष रूप से **उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 80% से अधिक बच्चे न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF) से पीड़ित** हैं।
* **MDDF पर आयु का प्रभाव: 87% कम आयु वर्ग यानी 6-11 महीने** के बच्चों में उच्च आयु समूहों की तुलना में MDDF की व्यापकता सबसे अधिक है।
* **कमजोर वर्ग: OBC समुदाय** के बच्चों में **सबसे ज़्यादा MDDF (79%)** है। उसके बाद **अनुसूचित जाति (77%) और अनुसूचित जनजाति (76%)** का स्थान है।
* **अन्य निष्कर्ष: अशिक्षित, युवा और ग्रामीण इलाकों** में रहने वाली माताओं (जो मास मीडिया के संपर्क में नहीं हैं) के बच्चों में आहार विविधता की कमी होने की संभावना ज्यादा थी।

आहार विविधता सुनिश्चित करने में समस्याएं:

* **पोषण संरचना:** फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों का बहुत कम सेवन किया जाता है।
* **शिक्षा की कमी:** अशिक्षित माताओं में MDDF 81% है, जबकि शिक्षित माताओं में यह 75% है।

अध्ययन में की गई सिफारिशें:

* **लक्षित आउटरीच** यानी गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं पर लक्षित प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
* पोषण संबंधी गतिविधियों के लिए स्थानीय शासन का उपयोग करके **समुदायों को शामिल** किया जाना चाहिए।

6.3.5. यूनेस्को ने 'ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, 2024' जारी की (UNESCO released 'Global Education Monitoring Report 2024')

यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO/ यूनेस्को)** द्वारा आयोजित **वैश्विक शिक्षा बैठक** में जारी की गई। इस बैठक की मेजबानी **ब्राजील (वर्तमान G20 अध्यक्ष) द्वारा फोर्टालेजा** में की गई थी।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

* **परिवर्तन के एजेंट के रूप में लीडर:** शिक्षा में नेतृत्व को सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया माना जाता है। इसका उद्देश्य एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त प्रयासों को अधिकतम करना होता है। **शैक्षिक क्षेत्र के एक लीडर के निम्नलिखित कार्य होते हैं:**
    * **अपने उद्देश्य को परिभाषित करना** और यह योजना बनाना कि वे परिवर्तन को कैसे प्रभावित करेंगे।

- समानता, गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा लक्ष्यों के साथ अ**धिगम संबंधी परिणामों (Learning outcomes) को संतुलित** करना।
- **वित्त-पोषण की कमी:** 10 में से 4 देश शिक्षा पर GDP का 4% से भी कम खर्च करते हैं।
- **स्कूल न जाने वाले बच्चे:** वैश्विक स्तर पर स्कूल न जाने वाले बच्चों और युवाओं की संख्या 251 मिलियन से अधिक है। गौरतलब है कि 2015 के बाद से इस संख्या में केवल 1% की कमी आई है।
- **शिक्षा तक पहुंच:** मध्य और दक्षिणी एशिया के देशों ने शिक्षा तक पहुंच में तीव्र प्रगति की है।
    - हालांकि, दुनिया में स्कूल न जाने वाली सबसे अधिक आबादी **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान** में है।

स्कूल लीडरशिप विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020:** स्कूल के प्रधानाध्यापकों को अपनी नेतृत्व और प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं में भाग लेने की आवश्यकता है।
- **स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा/ NISHTHA):** लर्निंग आउटकम्स, स्कूल–आधारित मूल्यांकन और विद्यार्थियों पर केंद्रित लर्निंग हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें

- **नेतृत्व का विकास:** प्रधानाध्यापकों को अपने स्कूलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- **सिस्टम लीडर:** शिक्षा अधिकारियों में सिस्टम लीडर के रूप में सेवा करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।
- प्रारंभिक कक्षाओं में **जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों** को पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, इस विषय को विज्ञान के छात्रों के अलावा अन्य विषय के विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

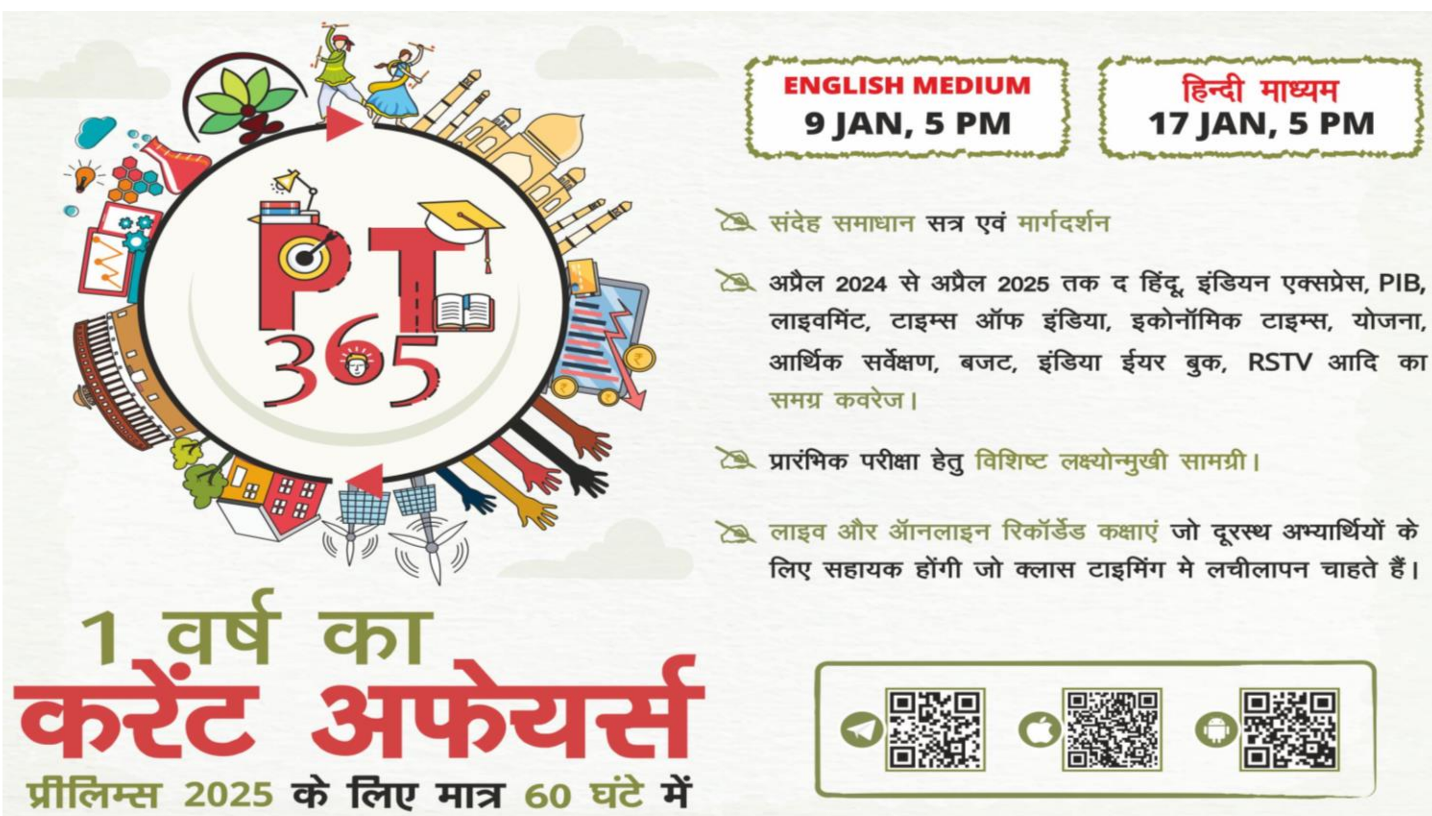

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. वन डे वन जीनोम (One Day One Genome)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)** और **जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (BRIC)**[80] ने BRIC के प्रथम स्थापना दिवस पर **"वन डे वन जीनोम"** पहल की शुरुआत की।

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (BRIC) के बारे में

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के **जैव प्रौद्योगिकी विभाग** ने देश के **14 स्वायत्त जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों** को एक साथ लाकर BRIC नामक एक शीर्ष **स्वायत्त सोसाइटी** का गठन किया है।
- **उद्देश्य:**
  - राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में **अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना,**
  - संस्थागत सीमाओं से परे **नवाचार** और उसके उपयोग को बढ़ावा देना, तथा
  - **स्वदेशी प्रौद्योगिकियों** और क्षमताओं का विकास करना।
- BRIC का लक्ष्य **इंट्रा-मुरल कोर अनुदान** के माध्यम से **अपने अनुसंधान संस्थानों के लिए एक केंद्रीकृत और एकीकृत गवर्नेंस व्यवस्था स्थापित करना है।**
- यह अलग-अलग **संस्थानों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वन डे वन जीनोम पहल के बारे में

- **उद्देश्य:** शोधकर्ताओं के लिए माइक्रोबियल जीनोमिक्स डेटा को अधिक सुलभ बनाने के लिए **प्रतिदिन** एक एनोटेटेड माइक्रोबियल जीनोम सार्वजनिक रूप से जारी करना।
- यह हमारे देश में पाई जाने वाली **जीवाणुओं की विशिष्ट प्रजातियों** एवं पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करेगी।
- **इस पहल का महत्त्व:**
  - **जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र** में रोजगार सृजन और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना।
  - **अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए भारत की जैव प्रौद्योगिकी (BioE3)**[81] नीति को लागू करने में सहायता करना।
  - भारत के **माइक्रोबियल** संभावनाओं को साकार करना, जिससे **अज्ञात सूक्ष्मजीवों** की खोज होगी।
  - **माइक्रोबियल जीनोमिक्स** में नवाचार को प्रेरित करना।

***नोट:** जीनोम और जीनोम अनुक्रमण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मार्च 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.4. देखें।*

माइक्रोबियल जीनोमिक्स के बारे में

- इसके तहत सूक्ष्मजीवों की संपूर्ण आनुवंशिक सामग्री का अध्ययन किया जाता है, ताकि उनकी **संरचना, कार्य, विकास** और **अन्य जीवों के साथ परस्पर क्रिया** को समझा जा सके।
- सूक्ष्मजीवों को माइक्रोब भी कहा जाता है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के बिना ठीक से नहीं देखा जा सकता है। **उदाहरण के लिए-** जीवाणु, आर्किया, शैवाल, प्रोटोजोआ और डस्ट माइट जैसे सूक्ष्म जीव।

---

80 Biotechnology Research and Innovation Council

81 Biotechnology for Economy, Environment, and Employment

 ©Vision IAS

सूक्ष्मजीवों के अध्ययन का महत्त्व

- **मानव स्वास्थ्य के लिए:**
    - **रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु और उनकी आनुवंशिक संरचना** के बीच संबंध को समझकर शोधकर्ता उभरते रोगजनकों की निगरानी कर सकते हैं।
- **जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना:** लाभकारी गुणों वाले **सूक्ष्मजीवों के उपभेदों (स्ट्रेंस) की पहचान करने से जैव ईंधन उत्पादन, बायो-मैन्युफैक्चरिंग, बायो-फार्मास्युटिकल्स** के विकास आदि में मदद मिल सकती है।
- **सूक्ष्मजीवों की विविधता को समझना:** यह शोधकर्ताओं को सूक्ष्मजीव प्रजातियों **के भीतर और उनके बीच** विविधता के **आनुवंशिक आधार** को समझने में मदद करता है।
- **पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए:**
    - **जैव-उपचार (Bioremediation): सूक्ष्मजीव सभी जैव-भू-रासायनिक चक्रों, मृदा निर्माण, मिनरल प्युरिफिकेशन, जैविक अपशिष्टों** और **विषैले प्रदूषकों के विघटन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
        - उदाहरण के लिए- **जीनोमिक्स के माध्यम से आइडियोनेला साकाइनेसिस** की पहचान की गई है। ये ऐसे एंजाइम का उत्पादन करते हैं, जो **PET प्लास्टिक को पुनः उपयोग योग्य मोनोमर्स में विघटित** कर देते हैं।
- **मानव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन:** जीनोमिक्स का अध्ययन **मानव स्वास्थ्य में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का पता लगाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए-**
    - आंतों के माइक्रोबायोटा (Gut microbiota) में बदलाव करना दीर्घकालिक जठरांत्रीय रोगों (Gastrointestinal diseases) के इलाज के लिए एक संभावित उपचार का विकल्प हो सकता है।
    - माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जीनोम अनुक्रमण से **दवा प्रतिरोधी स्ट्रेंस का पता लगाने में मदद मिलती है।**
- **कृषि:** यह पोषक चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मृदा उर्वरता बनाए रखने, कीट और खरपतवारों पर नियंत्रण तथा पर्यावरणीय तनाव को सहने में मदद करता है।
    - उदाहरण के लिए- **राइजोबियम जुवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने** के लिए फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध में रहता बनाता है, **जिससे उर्वरक की आवश्यकता कम हो जाती है।**

भारत की जैव अर्थव्यवस्था के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #127: भारत की जैव अर्थव्यवस्था: नवाचार और संधारणीयता के माध्यम से संवृद्धि को बढ़ावा

7.1.1. हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग (Heritable Human Genome Editing: HHGE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग (HHGE) को अनुमति देने वाला दुनिया का पहला पहला देश बन गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- दक्षिण अफ्रीका ने **स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में नैतिकता** के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें **हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग (HHGE)** की अनुमति दी गई है। इसका अर्थ है कि इस तकनीक का उपयोग करके **आनुवंशिक रूप से संशोधित संतान** उत्पन्न की जा सकती है।
- दक्षिण अफ्रीका के दिशा-निर्देश WHO जैसे संगठनों द्वारा प्रस्तावित फ्रेमवर्क की तुलना में कम कठोर हैं। उल्लेखनीय है कि WHO के फ्रेमवर्क **सामाजिक सहमति पर बल** देते हैं।

हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग (HHGE) के बारे में

- सोमैटिक सेल एडिटिंग केवल संबंधित व्यक्ति को प्रभावित करती है। HHGE के तहत **जर्मलाइन कोशिकाओं (शुक्राणु, अण्डाणु या भ्रूण) में परिवर्तन किया जाता है,** जिससे ये परिवर्तन आगे की पीढ़ी में आनुवंशिक रूप से शामिल हो जाते हैं।

- यह जिंक-फिंगर न्यूक्लिऐसिस (ZFNs), ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर-लाइक इफ़ेक्टर न्यूक्लिऐसिस (TALENs), CRISPR/ Cas9 और मेगन्यूक्लिऐसिस जैसी तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है।

हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग (HHGE) के संभावित उपयोग

- **रोग की रोकथाम:** इससे आनुवंशिक रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन रोग और सिकल सेल एनीमिया जैसे रोगों की रोकथाम की जा सकती है।
- **आनुवंशिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति:** इससे मानव संबंधी जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और रोग तंत्र के बारे में हमारी समझ को बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
- **असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक:** इससे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) जैसी तकनीकों में सुधार किया जा सकता है।

हेरिटेबल जीनोम एडिटिंग से जुड़ी चिंताएं

- **अप्रत्याशित परिणाम:** जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग के प्रभाव वंशानुगत हो सकते हैं, जिससे ये प्रभाव कई पीढ़ियों तक देखने को मिल सकते हैं।
- **नैतिक मुद्दे:** यह मानव गरिमा और मानव विविधता के सम्मान के खिलाफ है। यह धार्मिक और नैतिक मान्यताओं को चुनौती भी दे सकता है।
- **सामाजिक प्रभाव:** इससे "डिजाइनर बेबी" बनाना संभव हो सकता है, जहां बुद्धिमत्ता, रूप-रंग, एथलेटिक क्षमताएं जैसी विशेषताएं अनुवांशिक रूप से शामिल की जा सकती हैं। इससे सामाजिक असमानता के बढ़ने का खतरा है।

7.2. सत्येंद्र नाथ बोस (Satyendra Nath Bose)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने **'बोस-आइंस्टीन (B-E)' सांख्यिकी** के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यरत **एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र** सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में सत्येंद्र नाथ बोस के अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए उनकी शताब्दी वर्ष मना रहा है।
- गौरतलब है कि 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने **क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कणों या फोटॉन्स के व्यवहार को समझने के लिए** एक नया दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था।
    - **अल्बर्ट आइंस्टीन** के साथ उनके सहयोग से अंततः **B-E सांख्यिकी परिकल्पना** का प्रतिपादन हुआ था।

सत्येंद्र नाथ बोस (1894-1974) के बारे में

- सत्येंद्र नाथ बोस एक **भारतीय भौतिक विज्ञानी** थे, जिन्होंने **बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी** और **बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट** की अवधारणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
- वे **पश्चिम बंगाल के नादिया जिले** के रहने वाले थे।
- बोस ने अपनी शिक्षा **कोलकाता** के **प्रेसीडेंसी कॉलेज** में प्राप्त की, जहां उन्हें **प्रफुल्ल चंद्र रे** और **जगदीश चंद्र बोस** जैसे चर्चित शिक्षकों के मार्गदर्शन में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।
- उन्होंने **कलकत्ता विश्वविद्यालय** और **ढाका विश्वविद्यालय** दोनों के भौतिकी विभाग में काम भी किया।

एस.एन. बोस के वैज्ञानिक योगदान

- **बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी:** यह वर्णन करती है कि **गैर-परस्पर क्रियाशील और अविभाज्य कणों का संग्रह** थर्मोडायनेमिक संतुलन में उपलब्ध विविध पृथक ऊर्जा अवस्थाओं (discrete energy states) को किस प्रकार ग्रहण करती है।
  - सरल शब्दों में कहें तो यह इस बात को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है कि ये कण विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर विशेष रूप से कम तापमान पर उपलब्ध क्वांटम अवस्थाओं के बीच खुद को कैसे वितरित करते हैं।
  - इस सांख्यिकी को आइंस्टीन द्वारा **गैस अणुओं** तक बढ़ाया गया था। कण जो **B-E सांख्यिकी** सिद्धांत का पालन करते हैं उन्हें **"बोसॉन"** कहा जाता है, जिसका नाम एस.एन. बोस के नाम पर रखा गया है।
    - बोसॉन मूलभूत कण हैं जिनके स्पिन का मान पूर्णांक (0, 1, 2, आदि) संख्या होती है। फोटॉन, ग्लूऑन, आदि बोसॉन कण के कुछ उदाहरण हैं।

  - **बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी निम्नलिखित परिघटनाओं की भविष्यवाणी करती है:**
    - **बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट्स (BEC):** अत्यंत निम्न तापमान पर, बोसॉन का एक बड़ा हिस्सा सबसे कम ऊर्जा वाली एक ही क्वांटम अवस्था ग्रहण कर सकता है। इससे पदार्थ की एक अनूठी अवस्था बनती है (उदाहरण के लिए- सुपरफ्लुइड हीलियम या अल्ट्राकोल्ड परमाणु गैसें)।
    - इसने 20वीं सदी में **पहली क्वांटम क्रांति को संभव बनाया।** इसके चलते लेजर, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और अर्धचालक जैसी तकनीकों के विकास में मदद मिली।
      - ✓ **दूसरी क्वांटम क्रांति** को **क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग** जैसी प्रौद्योगिकियों के विकास द्वारा परिभाषित किया जाता है।
    - **फोटॉन व्यवहार:** इस सांख्यिकी के नियम ब्लैकबॉडी रेडिएशन और प्लैंक ऊर्जा के वितरण की व्याख्या करते हैं, जिससे क्वांटम यांत्रिकी के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- **बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट्स (BEC):** यह एक **क्वांटम परिघटना** है, जिसकी भविष्यवाणी **सत्येन्द्रनाथ बोस** और **अल्बर्ट आइंस्टीन** ने **1925** में की थी।
  - यह पदार्थ की वह अवस्था है जो तब बनती है **जब कणों को परम शून्य तापमान (-273.15 डिग्री सेल्सियस/0 केल्विन) के करीब ठंडा किया जाता है।**
  - इस बिंदु पर सभी परमाणु एक ही सामूहिक इकाई बन जाते हैं और वे क्वांटम गुण हासिल कर लेते हैं। अब प्रत्येक कण एक साथ पदार्थ की एक तरंग के रूप में कार्य करता है।
  - इसे **'पदार्थ की पाँचवीं अवस्था'** कहा जाता है।
  - **BEC के गुणों में शामिल हैं:**
    - **सुपर फ्लुइडिटी (अति तरलता):** BEC में शून्य श्यानता (Viscosity) होती है और यह बिना किसी प्रतिरोध के प्रवाहित हो सकता है।
    - **सुपर कंडक्टिविटी:** इसमें शून्य प्रतिरोध के कारण इष्टतम चालकता संभव होती है।
    - **कोहेरेंस (Coherence):** BEC में सभी कण एक ही क्वांटम अवस्था में होते हैं और एकल इकाई के रूप में व्यवहार करते हैं।

- **मैक्रोस्कोपिक ऑक्यूपेशन:** BEC में कई कण एक ही क्वांटम अवस्था में होते हैं, जिससे वे मैक्रोस्कोपिक स्तर पर एक तरंग के रूप में कार्य करने लगते है।

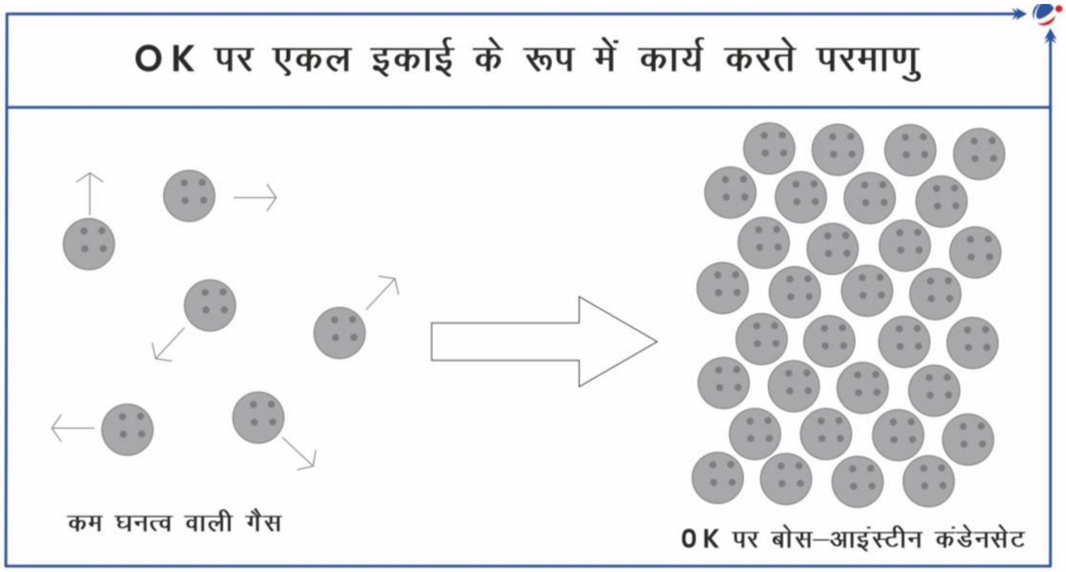

- **सुपर सॉलिड:** वैज्ञानिकों ने पाया है कि BEC उच्च घनत्व वाले 'ड्रॉपलेट्स' का निर्माण करता है, जो एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब इन्हें कुछ विशेष नियंत्रित परिस्थितियों (जैसे- मैग्नेटिक ट्रैप आदि) में रखा जाता है, तो ये ड्रॉपलेट्स व्यवस्थित संरचना बन जाते हैं।
- बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट (BEC) उच्च तापमान पर भी उन पदार्थों में पाया जा सकता है जिनमें बोसोनिक क्वासीपार्टिकल्स (जैसे- मैग्नॉन्स, एक्साइटॉन्स, और पॉलरिटॉन्स) मौजूद होते हैं।

- **ऑर्गेनिक केमिस्ट्री:** सामान्य मिट्टी के खनिजों की परमाणु संरचना को समझने के लिए **एक्स-रे विवर्तन (X-ray diffraction)** और डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस का उपयोग किया गया।
- **थर्मोल्यूमिनेसेंस:** उन्होंने एक **तेज़ स्कैनिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर** (जो प्रकाश को मापने का यंत्र होता है) डिज़ाइन किया, जिसकी **संवेदनशीलता (ensitivity)** बहुत अधिक थी। इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रयोग करने वाले वैज्ञानिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना था।
- **गॉड पार्टिकल की खोज: हिग्स बोसॉन** (जिसे **गॉड पार्टिकल** के रूप में भी जाना जाता है) की खोज बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी और BEC की अवधारणा में निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके की गई थी।
  - **गॉड पार्टिकल एक अदृश्य क्षेत्र (हिग्स फील्ड) से उत्पन्न होता है** जो संपूर्ण अंतरिक्ष में फैला होता है और कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। भले ही ब्रह्मांड खाली दिखाई दे लेकिन या यह क्षेत्र हमेशा मौजूद रहता है।

7.3. ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी (Oral Rehydration Therapy: ORT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वैश्विक स्तर पर विख्यात चिकित्सक व विद्वान **रिचर्ड कैश** का निधन हो गया। उन्होंने **ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी (ORT)** के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में

- **ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी (ORT)** के तहत डिहाइड्रेशन को रोकने या इस स्थिति को ठीक करने के लिए मुंह के माध्यम से **उपयुक्त सॉल्यूशन्स दिए जाते** हैं। इन सॉल्यूशन्स में **ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड या साइट्रेट** आदि शामिल होते हैं।
- **ORT में शामिल हैं:**
  - **रिहाइड्रेशन:** पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की आपूर्ति करके शरीर में इसकी कमी को पूरा किया जाता है।
  - **मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी:** डिहाइड्रेशन दोबारा न हो, इसके लिए लगातार तरल और पोषक तत्व की आपूर्ति की जाती है।
- रिचर्ड कैश ने 1960 के दशक के अंत में बांग्लादेश में हैजा के रोगियों पर **ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी (ORT)** का पहला नैदानिक परीक्षण (Clinical trials) किया था।
  - इससे प्रदर्शित किया कि **कम लागत वाला यह उपाय** प्रभावी और सुरक्षित रूप से **इंट्रावेनस फ्लूइड (ड्रिप) की आवश्यकता को कम कर सकता है।**

- दिलीप महालनोबिस एक भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे। उन्होंने दस्त रोगों के इलाज के लिए **ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS)** के उपयोग को बढ़ावा दिया और इसे लोकप्रिय बनाया।
- **डायरिया और हैजा के उपचार में प्रभावी:**
  - **डायरिया:**
    - **बाल मृत्यु दर में कमी:** ORT ने डायरिया से संबंधित बीमारियों से होने वाली मौतों में काफी कमी की है। 1990 के बाद से बाल मृत्यु दर में दो-तिहाई की कमी आई है।
    - **पोषण संबंधी प्रभाव:** ORT बच्चों में डायरिया के चलते होने वाले पोषण संबंधी दुष्प्रभावों को कम करता है। यह बच्चों के विकास और वृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है।
  - **हैजा:** ORT हैजा के रोगियों के इलाज में काफी प्रभावी है। इसने हैजा से होने वाली मृत्यु दर को 50% से घटाकर 0.2% से भी कम कर दिया है।
- **वयस्कों पर प्रभावशीलता:** ओरल सॉल्यूशन लेने वाले रोगियों को अन्य तकनीकों की तुलना में इलाज के लिए **80% कम ड्रिप लगाने की आवश्यकता पड़ती है।**

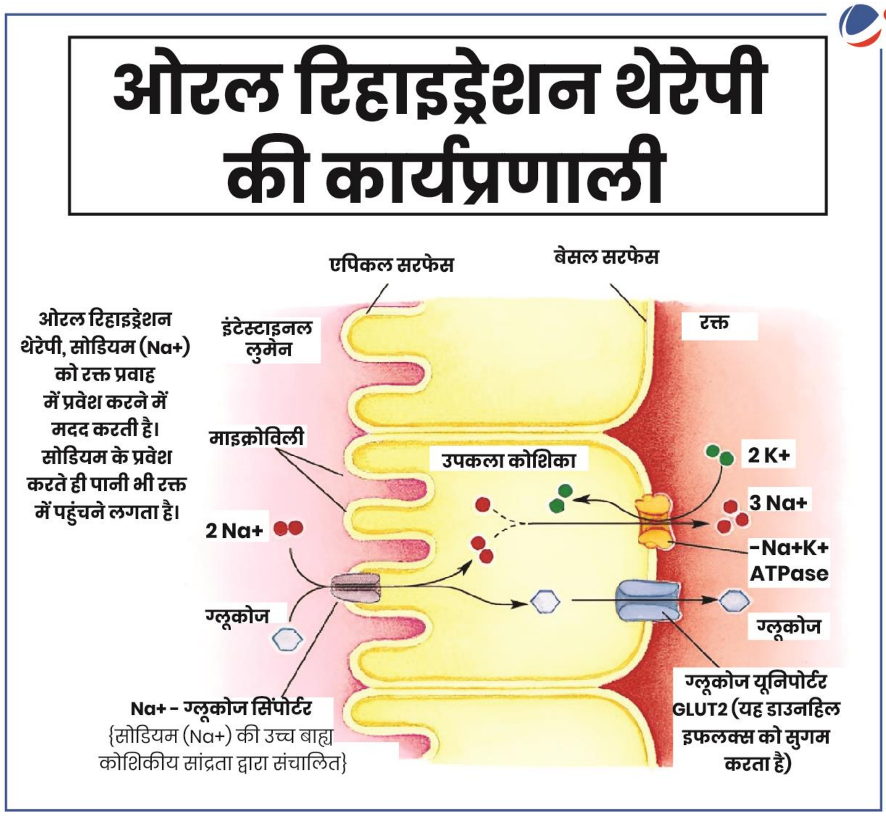

ORT कैसे काम करता है?

- ORT आंत के अंदर शर्करा और सोडियम के अवशोषण को नियंत्रित करने वाले आणविक (मॉलिक्यूलर) तंत्र के कारण प्रभावी होता है।
- **आंत की परत बनाने वाली कोशिकाओं** की सतह पर विशेष रिसेप्टर्स होते हैं जो शर्करा अणुओं को सक्रिय रूप से अवशोषित करने में सहायक होते हैं।
- कोशिकाओं के भीतर शर्करा और सोडियम की वृद्धि से जल एवं क्लोराइड आयनों का अवशोषण भी बढ़ जाता है।

इस संबंध में भारतीय पहलें

- **नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम (1985):**
  - इसे डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ORT के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु इसे शुरू किया गया था।
  - ORT को प्रभावी ढंग से देने के लिए जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):** ORT राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रमों के तहत डायरिया और डिहाइड्रेशन जैसी बाल्यकालीन बीमारियों के इलाज में एक महत्वपूर्ण घटक है।
- **डायरिया रोको अभियान।**

वैश्विक पहलें

- **WHO और यूनिसेफ** ने डायरिया का प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) और जिंक का एक साथ उपयोग करने की सलाह दी है।
- **वैश्विक हैजा नियंत्रण कार्य बल (Global Task Force on Cholera Control: GTFCC):** इसने 2030 तक हैजा को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप जारी किया है।
- **वैक्सीन एलायंस GAVI:** GAVI के तहत ORT को बढ़ावा देने सहित डायरिया से संबंधित बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए पहलों को समर्थन प्रदान किया जाता है।

7.4. RNA एडिटिंग (RNA Editing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मनुष्यों में RNA एडिटिंग का पहला सफल नैदानिक प्रदर्शन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी वेव लाइफ साइंसेज ने **अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी** (AATD, एक वंशानुगत विकार) के इलाज के लिए सफलतापूर्वक RNA एडिटिंग की है।
- AATD में, **प्रोटीन α-1 एंटीट्रिप्सिन का स्तर बढ़ जाता है** और यह **यकृत व फेफड़ों को प्रभावित करता है।**

RNA (राइबोन्यूक्लिक एसिड) एडिटिंग के बारे में

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें **RNA अनुक्रमों पर आनुवंशिक जानकारी को** संशोधित किया जाता है। यह कार्य **न्यूक्लियोटाइड्स** को शामिल करके, उसे हटाकर या बदलकर किया जाता है।
- वैज्ञानिकों ने इस कार्य में गाइड RNA (gRNA) के साथ **'एडिनोसिन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन RNA (ADAR)' नामक तकनीक का उपयोग किया है।** (इंफोग्राफिक्स देखें)
  - gRNA छोटे RNA अणु होते हैं। ये **संशोधन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में mRNA के साथ क्षार-युग्मन करके एडिटिंग मशीनरी को निर्देशित** करते हैं।
- **प्रक्रिया:**
  - RNA के चार बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं: **A (एडेनिन), G (गुआनिन), U (यूरेसिल),** और **C (साइटोसिन)।**
  - ADAR तकनीक **mRNA में एडिनोसिन को इनोसिन** में परिवर्तित करती है। यह इनोसिन **ग्वानोसिन के कार्य की नकल** करता है। **एडिनोसिन और ग्वानोसिन** क्रमशः A एवं G को राइबोज के साथ संयोजित करने वाले **न्यूक्लियोसाइड्स** हैं।
  - कोशिका **एडिनोसिन की जगह पर इनोसिन** को डिटेक्ट करती है। इस असंगत मेल को ठीक करने के लिए **कोशिकीय प्रतिक्रिया** शुरू हो जाती है।
  - इस प्रकार यह प्रक्रिया **mRNA के मूल कार्य को पुनर्स्थापित** करती है और कोशिका **सामान्य प्रोटीन बनाना** शुरु कर देती है।
- **RNA एडिटिंग में चुनौतियां:** विशिष्टता का अभाव और क्षणिक प्रकृति, **विकास प्रक्रिया का शुरुआती चरण,** आदि।

RNA और DNA एडिटिंग के बीच तुलना

- **परिवर्तन का स्वरूप:** DNA एडिटिंग स्थायी परिवर्तन करती है, जबकि RNA एडिटिंग अस्थायी परिवर्तन करती है, जो समय के साथ लुप्त हो सकता है।
  - इस प्रकार, RNA एडिटिंग, DNA एडिटिंग की तुलना में अधिक सुरक्षित और लचीली होती है। ज्ञातव्य है कि DNA एडिटिंग के परिणामस्वरूप अपरिवर्तनीय त्रुटियां हो सकती हैं।
- **एलर्जी और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं:** RNA एडिटिंग की तुलना में DNA एडिटिंग में अवांछनीय प्रतिक्रियाओं का जोखिम अधिक होता है।
  - DNA एडिटिंग टूल, **कटिंग फंक्शन** के लिए **जीवाणु** से **प्राप्त प्रोटीन का उपयोग करते हैं।** वहीं RNA एडिटिंग **ADAR एंजाइम पर निर्भर करती है, जो पहले से ही मानव शरीर में ही पाए** जाते हैं।

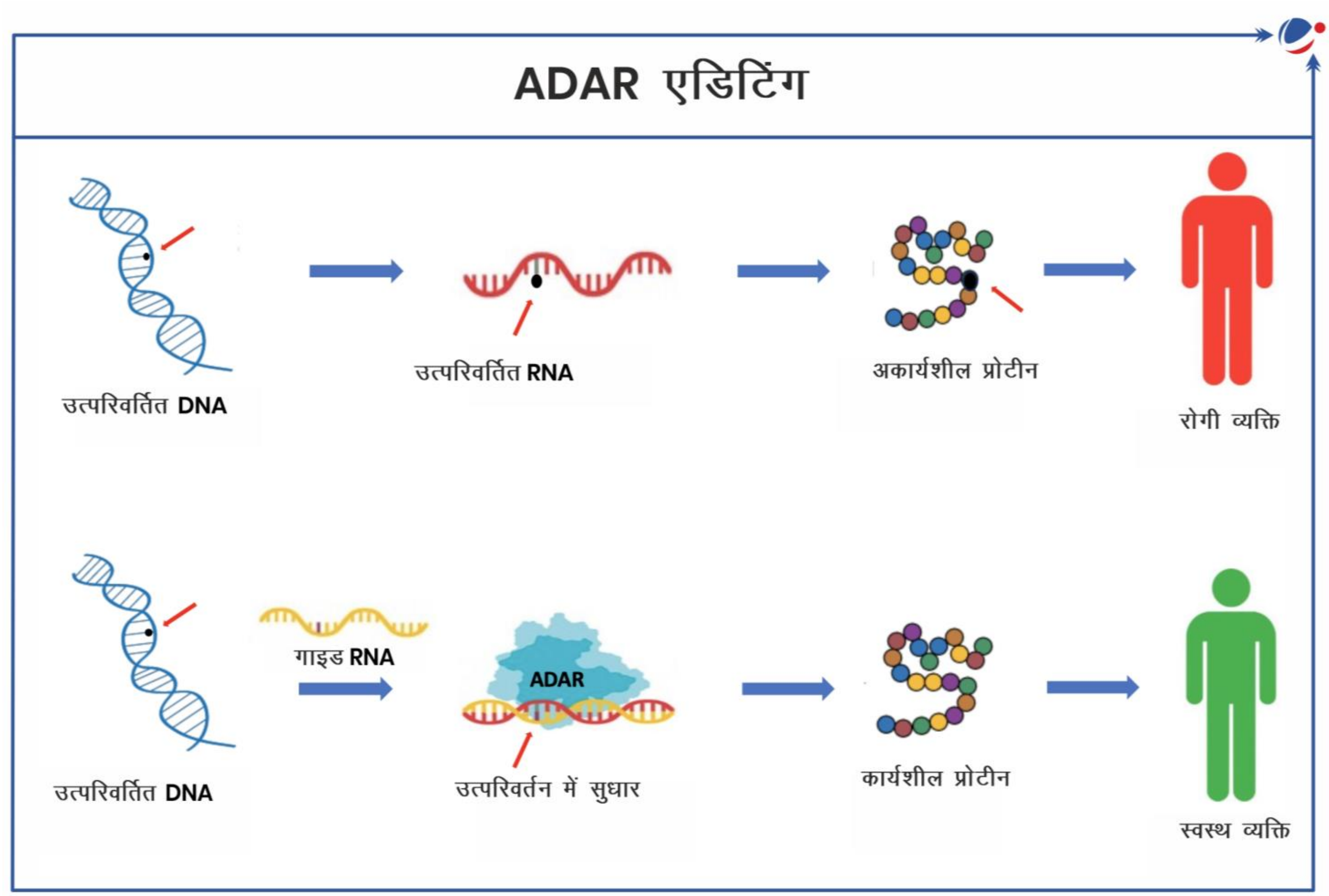

__नोट:__ RNA के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, अक्टूबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.2. देखें।

7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.5.1. अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी (Space Biotechnology)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) मिलकर अंतरिक्ष में जैविक प्रक्रियाओं और जीवों पर अध्ययन करने के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं।

- अंतरिक्ष मिशनों के दौरान प्रमुख चुनौतियां, जैसे- **पोषक तत्वों की निरंतर उपलब्धता की कमी, अपशिष्ट प्रबंधन, भोजन का संरक्षण, माइक्रोग्रैविटी, विकिरण, कैंसर, मोतियाबिंद, हड्डी की मांसपेशियों की क्षति जैसे कई स्वास्थ्य खतरों** का सामना करना पड़ता है।
- इस संबंध में, अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी के तहत यह स्टडी की जाएगी कि कैसे जीवित जीव माइक्रोग्रैविटी स्थितियों में अनुकूलन, कार्य और विकास करते हैं। इस तरह की स्टडी से अंतरिक्ष अन्वेषण और मानव अस्तित्व को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और उनका महत्त्व:

- **माइक्रोग्रैविटी अनुसंधान:** अंतरिक्ष की माइक्रोग्रैविटी स्थिति में **प्रोटीन क्रिस्टल्स पृथ्वी की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित और स्पष्टता से बढ़ते** हैं। इससे दवाओं के सटीक विकास के लिए **प्रोटीन क्रिस्टल्स संरचनाओं** से संबंधित समझ बढ़ती है।
- **विकिरण अनुसंधान:** उदाहरण के लिए- **नासा के बायोसेंटिनल प्रोग्राम** के तहत यह अनुमान लगाया जाएगा कि अंतरिक्ष में **आयनकारी विकिरण** के कारण मानव कोशिकाएं **डबल-स्ट्रैंड टूटने की मरम्मत** कैसे करेंगी।
  - **बायोसेंटिनल प्रोग्राम** को 2022 में नासा के **आर्टेमिस-I मिशन** के साथ लॉन्च किया गया था।
- **पर्यावरण निगरानी:** मंगल और चंद्रमा के रेगोलिथ को पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त मृदा में परिवर्तित करना एक बड़ी चुनौती है। इस उद्देश्य के लिए **जैवोपचार (Bioremediation) हेतु रोगाणुओं** का अध्ययन किया जा सकता है।

©Vision IAS

- **रोग मॉडलिंग:** अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान दीर्घावधि के अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए बीमारियों का मॉडल तैयार करने में मदद कर सकता है।
- **बायोरिजनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम:** इस प्रणाली का उद्देश्य अपशिष्ट पुनर्चक्रण के माध्यम से दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसके अलावा, यह पृथ्वी पर भी संधारणीयता और संसाधन प्रबंधन में सहायक हो सकती है।

अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

- **भारत:** AXIOM-4 मिशन और गगनयान मिशन
- **वैश्विक पहलें:**
  - अंतरिक्ष जीवविज्ञान कार्यक्रम (नासा);
  - **बायोलैब** (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी);
  - **स्पेस ब्रीडिंग प्रोग्राम** (चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन: CNSA)

स्पेसटेक इंडस्ट्री के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #112: स्पेसटेक इंडस्ट्री: जिज्ञासा से वास्तविकता तक

7.5.2. एनालॉग अंतरिक्ष मिशन (Analog Space Mission)

इसरो ने चंद्र मिशन प्रयोगों की योजना बनाने के लिए लेह (लद्दाख) में भारत का **पहला** एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है।

- इसे इसरो के **मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, AAKA अंतरिक्ष स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे** के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है।

एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में:

- एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ऐसे स्थानों पर किए जाने वाले फील्ड टेस्ट हैं**,** जिनकी भौतिक विशेषताएं अंतरिक्ष के चरम वातावरण की भौतिक विशेषताओं के समान होती हैं।
- इसमें **नई प्रौद्योगिकियों, रोबोटिक उपकरणों, वाहनों का परीक्षण, व्यवहारिक प्रभावों (आइसोलेशन और कन्फ़ाइनमेंट) का अध्ययन** आदि शामिल हैं।
- **लेह (लद्दाख) को चुनने के पीछे कारण**
  - **भौगोलिक विशेषताएं-** शुष्क और ठंडी जलवायु, बंजर भूमि, उच्च ऊंचाई वाले इलाके और अत्यधिक एकांत आदि विशेषताएं मंगल एवं चंद्रमा के परिदृश्य से काफी समानता रखती हैं।
- **अन्य एनालॉग मिशन:** NEEMO (नासा), SIRIUS कार्यक्रम (UAE) आदि।

7.5.3. GSAT-N2

हाल ही में, **स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट ने भारत के GSAT-N2 सैटेलाइट** को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

GSAT-N2 (जियोस्टेशनरी सैटेलाइट-20) के बारे में

- यह **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का एक संचार** उपग्रह है।
  - NSIL **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** की व्यावसायिक शाखा है।
- **विशेषताएं: भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा**; उपयोग अवधि- 14 वर्ष; **द्रव्यमान** लगभग 4,700 किलोग्राम।
  - भारत का **प्रमुख प्रक्षेपण यान, LVM-3, 4,000 किलोग्राम तक का पेलोड** ले जा सकता है। इस कारण यह GSAT को ले जाने में असमर्थ था। इसलिए स्पेसएक्स के फाल्कन-9 का उपयोग किया गया।
- **महत्त्व:** यह पूरे भारतीय क्षेत्र में **ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी** को बढ़ाएगा। यह **अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह सहित पूरे भारत** में कवरेज प्रदान करेगा।

7.5.4. लिग्नोसैट (LignoSat)

जापान ने लकड़ी से बना विश्व का पहला उपग्रह 'लिग्नोसैट' लॉन्च किया।

- इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि **अंतरिक्ष की विषम परिस्थितियों का लकड़ी पर क्या प्रभाव** पड़ता है।

लिग्नोसैट के बारे में

- यह एक छोटा, हथेली के आकार का उपग्रह है। यह **होनोकी वृक्ष** की लकड़ी से बना है। यह वृक्ष जापान के स्थानिक **मैगनोलिया** वृक्ष का एक प्रकार है।
- इसके निर्माण में **पारंपरिक एल्यूमीनियम संरचनाएं और इलेक्ट्रॉनिक घटक** भी शामिल हैं।
- **महत्त्व:**
    - यह उपग्रह अंतरिक्ष संबंधी संरचनाओं के लिए **नवीकरणीय सामग्रियों** का उपयोग करने की योजना का हिस्सा है।
    - धातु की तुलना में लकड़ी **अंतरिक्ष की स्थितियों को बेहतर ढंग से सहन** कर सकती है। ऐसा इस कारण, क्योंकि इसमें अपघटन पैदा करने के लिए अंतरिक्ष में जल और ऑक्सीजन नहीं होता है।
    - निष्क्रिय होने पर, धातु के उपग्रहों के विपरीत **लकड़ी के उपग्रह हानिकारक प्रदूषक कण मुक्त किए बिना जल** जाते हैं।

7.5.5. ऑपरेशन द्रोणागिरी (Operation Dronagiri)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने **'ऑपरेशन द्रोणागिरी' तथा 'एकीकृत भू-स्थानिक डेटा शेयरिंग इंटरफ़ेस (GDI)' को लॉन्च** किया

- इन दोनों पहलों की शुरुआत **भू-स्थानिक डेटा को उदार बनाने और भू-स्थानिक अवसंरचना एवं भू-स्थानिक कौशल व ज्ञान विकसित** करने के लिए की गई है।
- **भू-स्थानिक डेटा** वह जानकारी है, जो **पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट स्थित ऑब्जेक्ट्स, घटनाओं या अन्य विशेषताओं** का वर्णन करती है।
    - इसके अंतर्गत **सैटेलाइट इमेजरी, जनगणना डेटा, सोशल मीडिया डेटा** आदि शामिल हैं।
    - भू-स्थानिक डेटा को एक **महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना और सूचना संसाधन** के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।

ऑपरेशन द्रोणागिरी के बारे में

- यह **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022** के तहत एक पायलट परियोजना है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के **भू-स्थानिक नवाचार प्रकोष्ठ** द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और व्यवसाय करने में सुगमता के लिए **भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों एवं नवाचारों के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित** करना।
- **प्रथम चरण का कार्यान्वयन: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र** में किया जाएगा। इन राज्यों में पायलट परियोजनाएं संचालित की जाएंगी।
    - **कृषि, आजीविका, लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन** जैसे तीन क्षेत्रकों में **भू-स्थानिक डेटा व प्रौद्योगिकी के एकीकरण के संभावित अनुप्रयोगों** को प्रदर्शित करने के लिए अनुप्रयोगों के मामलों का प्रदर्शन किया जाएगा।

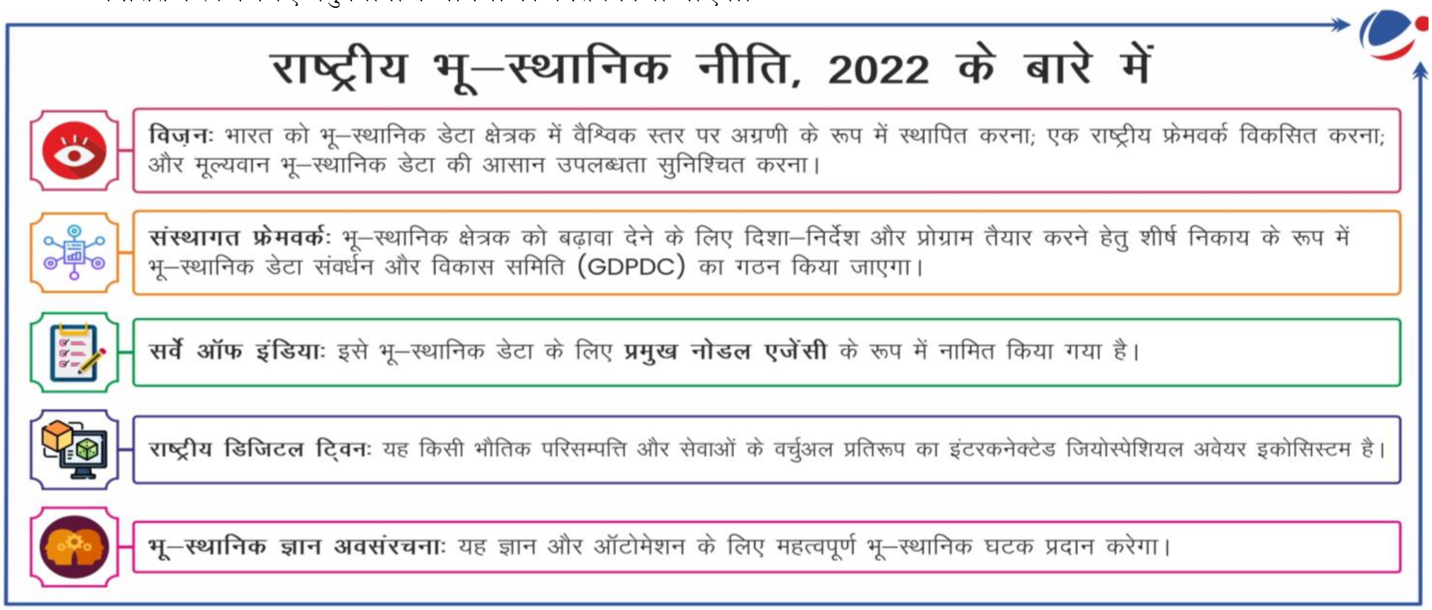

एकीकृत भू-स्थानिक डेटा शेयरिंग इंटरफ़ेस (GDI) के बारे में

- **उन्नत डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल और गोपनीयता-संरक्षण सुविधाओं के साथ स्थानिक डेटा को सुलभ** बनाने के लिए इंटरफ़ेस बनाया जा रहा है।
- **इसका निम्नलिखित महत्त्व है:**
  - यह निर्बाध डेटा साझाकरण को सक्षम करेगा;
  - जनता के कल्याण के लिए डेटा-संचालित निर्णयों को सक्षम करेगा; और
  - भू-स्थानिक डेटा के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देगा।

7.5.6. डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी {Direct-to-Device (D2D) Satellite connectivity}

BSNL ने भारत की पहली 'डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट कनेक्टिविटी' लॉन्च की।

- यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सामान्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन केवल आपातकालीन सेवाओं और सैन्य उपयोग तक ही सीमित था।
- कुछ वैश्विक पहलें भी D2D प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही हैं, जैसे- **AST स्पेस मोबाइल, लिंक ग्लोबल, कांस्टेलेशन ग्लोबल, स्पेसएक्स-स्टारलिंक।**

डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट के कार्य:

- **सिद्धांत:** अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स धरती पर मौजूद सेल टावर्स की तरह काम करती हैं। इससे पारंपरिक मोबाइलों में कनेक्टिविटी के लिए जरूरी सेल टावर्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
  - यह प्रौद्योगिकी जमीन पर स्थित संचार उपकरणों तक सीधे संकेत भेजने के लिए कक्षा में स्थित सैटेलाइट्स का उपयोग करती है।
- **गैर-स्थलीय नेटवर्क (NTN) प्रौद्योगिकी:** यह उपकरणों और सैटेलाइट्स के बीच निर्बाध तरीके से दो-तरफा संचार को सक्षम बनाती है।
  - BSNL 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित **वायसैट के जियोस्टेशनरी एल-बैंड सैटेलाइट्स** का उपयोग करेगा। इससे जमीन पर स्थित सेल टावर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस कारण से यह दुर्गम क्षेत्रों में कवरेज के लिए संचार का एक आदर्श तरीका बन जाएगा।

इस कदम का महत्त्व:

- **विश्वसनीय कनेक्टिविटी:** हर मौसम में निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, चाहे मौसम कितना भी ख़राब हो।
- **हाई-स्पीड इंटरनेट और व्यापक कवरेज:** यहां तक कि सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी जहां सेलुलर या वाई-फाई नेटवर्क उपलब्ध नहीं हैं, वहां भी हाई-स्पीड इंटरनेट और व्यापक कवरेज मिलेगा।
- **UPI भुगतान को सपोर्ट करता है:** ग्रामीण क्षेत्रों या जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम है, उन क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल लेन-देन करने के लिए सशक्त बनाएगा।
- **आपातकालीन कॉल्स और SOS संदेश:** यह ऐसी आपातकालीन स्थितियों में संचार का एक विश्वसनीय स्रोत होगा, जहां सेलुलर या वाई-फाई नेटवर्क काम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए- जोखिम भरी या साहसिक यात्रा करने वाले लोगों के लिए उपयोगी।

चुनौतियां

- **विलंबता:** वॉयस कॉल और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी रियल टाइम सुविधाओं में कुछ न्यूनतम समय के लिए विलंब हो सकता है।
- **विनियामक चुनौतियां:** चूँकि D2D सेवा भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकती है। इस कारण से दूरसंचार संबंधी विनियमों के अनुपालन में लापरवाही देखने को मिल सकती है
- **स्पेक्ट्रम आवंटन:** निर्बाध सैटेलाइट-से-भूमि पर संचार के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ प्राप्त करना भी एक प्रमुख चुनौती है।
- **डिवाइस संगतता (compatibility):** यह सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है कि प्रौद्योगिकी अलग-अलग स्मार्टफोन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बेहतर तरीके से काम करेगी या नहीं।
- **प्रसार संबंधी चुनौतियां:** अलग-अलग परिवेशों में सिग्नल लॉस और व्यवधान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

7.5.7. ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज {Gravity Energy Storage (GES)}

GES प्रणाली **सौर और पवन ऊर्जा के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण के विकल्प** के रूप में सामने आई है।

ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज (GES) के बारे में:

- यह एक प्रकार की **यांत्रिक ऊर्जा भंडारण प्रणाली** है, जो **विद्युत भंडारण और उत्पादन के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का उपयोग** करती है।
  - इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि जब अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध होती है (जैसे कि सौर या पवन ऊर्जा से), तब उस ऊर्जा का उपयोग एक भारी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। अतः जब ऊर्जा की मांग बढ़ती है या सौर/ पवन ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है, तब उस भारी वस्तु को नीचे छोड़ा जाता है। इसके गिरने से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है, जिसे फिर से उपयोग में लाया जा सकता है।
    - वजन के रूप में अक्सर **पानी, कंक्रीट ब्लॉक या संपीडित मिट्टी के ब्लॉक** का इस्तेमाल किया जाता है।
- **लाभ:** उच्च दक्षता, विशाल भंडारण क्षमता, कम पर्यावरणीय प्रभाव, लंबे समय तक उपयोगी आदि।
- **सीमाएं:** उच्च प्रारंभिक लागत और स्थान की आवश्यकता, जटिलता आदि।
- **उपयोग:** नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, ग्रिड स्थिरीकरण आदि।

7.5.8. ब्रिक- राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव-विनिर्माण संस्थान {BRIC-National Agri-Food Bio-Manufacturing Institute (BRIC-NABI)}

ब्रिक- राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव-विनिर्माण संस्थान (BRIC-NABI) नामक संस्थान का उद्घाटन **मोहाली (पंजाब)** में किया गया है।

ब्रिक- राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव-विनिर्माण संस्थान (BRIC-NABI) के बारे में

- इसे **राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NABI) और सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग (CIAB)** के रणनीतिक विलय के माध्यम से गठित किया गया है।
- **वित्त-पोषण:** इसे **जैव प्रौद्योगिकी विभाग** वित्त-पोषित करेगा।
- **उद्देश्य:**
  - **आनुवंशिक हेरफेर, चयापचय पथ** आदि में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
  - बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधाएं बनाकर और स्टार्ट-अप्स का पोषण करके भारत के जैव-विनिर्माण में मौजूदा कमियों को दूर करना।

7.5.9. पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक (First Indigenous Antibiotic)

हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक **"नेफिथ्रोमाइसिन"** लॉन्च किया।

एंटीबायोटिक्स के बारे में

- ये वे **रासायनिक पदार्थ** हैं, जो कृत्रिम रूप से और कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित होते हैं। इनका **रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने** के लिए दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है।
- **मनुष्यों और पशुओं के लिए इनकी विषाक्तता कम** होती है। पशुओं में सूक्ष्मजीवी संक्रमण की जांच के लिए इसे पशुओं के चारे के साथ मिलाया जाता है।
- वे **बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के विरुद्ध काम करते हैं, न कि वायरल संक्रमण** (जैसे सामान्य सर्दी, फ्लू) के खिलाफ।
  - **वायरस में वह कोशिका भित्ति नहीं** होती, जिस पर एंटीबायोटिक्स द्वारा हमला किया जाता है। इस कारण एंटीबायोटिक्स का वायरस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- **कुछ एंटीबायोटिक्स के उदाहरण:** स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि।

7.5.10. जेद्दाह प्रतिबद्धताएं अपनाई (Adoption of Jeddah Commitments)

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर चौथे वैश्विक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में जेद्दाह प्रतिबद्धताएं अपनाई गईं।

- यह **वन हेल्थ एप्रोच** के माध्यम से **AMR से निपटने के लिए** वैश्विक कार्रवाई हेतु एक **व्यापक फ्रेमवर्क है।**
- इन प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य **AMR पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की उच्च-स्तरीय बैठक के राजनीतिक घोषणा-पत्र** को व्यावहारिक कार्रवाइयों में परिवर्तित करना है।
    - **AMR** तब होता है, जब बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीव उन **दवाओं के प्रभाव से बचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, जो उन्हें नष्ट करने के लिए बनाई** गई हैं।

जेद्दाह प्रतिबद्धताओं की मुख्य विशेषताएं

- ये **कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी** प्रकृति की हैं।
- **वन हेल्थ AMR लर्निंग हब:** AMR पर बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और क्षमता निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
    - **वन हेल्थ अप्रोच** एक इंटीग्रेटेड व यूनिफाइड दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य **लोगों, जंतुओं और पारिस्थितिकी-तंत्र के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से संतुलित और अनुकूलित** करना है।

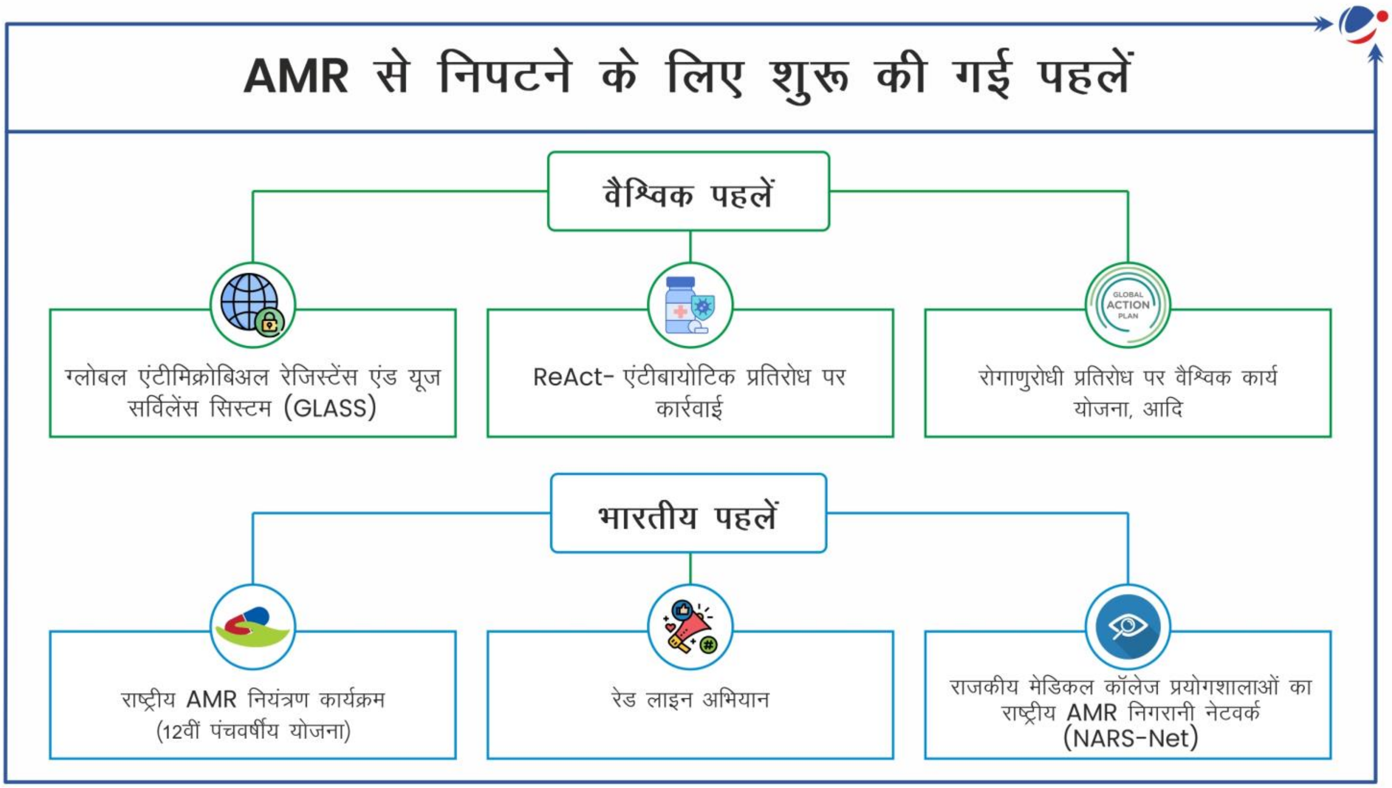

- **2025 तक AMR के खिलाफ कार्रवाई पर साक्ष्य हेतु स्वतंत्र पैनल:** इसे वर्तमान में जारी प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय AMR समन्वय तंत्र:** यह राष्ट्रीय कार्य योजनाओं (NAP) के सतत वित्त-पोषण और निगरानी को लागू एवं सुनिश्चित करेगा।
- ये GLASS AMR/ AMC, ANIMUSE और INFARM जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से **वैश्विक डेटा साझाकरण को बढ़ावा** देंगी।
- **कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना:** रोगाणुरोधी दवाओं का विवेकपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

- **चतुर्पक्षीय संगठनों (FAO, WHO, WOAH और UNEP) का समर्थन करती हैं:** यह समर्थन AMR पर UNGA राजनीतिक घोषणा-पत्र के 2030 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

7.5.11. महामारी निधि परियोजना शुरू (Pandemic Fund Project Launched)

- यह निधि **"महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण"** पर केंद्रित है।
- इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पशु रोगों से निपटने हेतु **पशु चिकित्सा उपचार पर मानक दिशा-निर्देश (SVTGs) और संकट प्रबंधन योजना (CMP)** पर डाक्यूमेंट्स भी जारी किए।

'महामारी निधि परियोजना' के बारे में

- यह **G-20 महामारी निधि** (G20 Pandemic Fund) द्वारा वित्त-पोषित 25 मिलियन डॉलर की निधि है। भारत के पशुपालन मंत्रालय ने G-20 महामारी निधि के समक्ष इस परियोजना के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
- **उद्देश्य:** इस निधि से **निम्न और मध्यम आय वाले देशों को** वित्त-पोषण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे **पशु स्वास्थ्य खतरों और महामारी से निपटने की क्षमता** विकसित कर सके।
- **कार्यान्वयन करने वाली संस्थाएं:** एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व बैंक तथा खाद्य और कृषि संगठन (FAO)।

पशु रोग के प्रकोप को गंभीरता से लेने की आवश्यकता क्यों है?

- **जूनोटिक रोगों के संक्रमण को रोका जा सकेगा:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अब तक **6 लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियां** घोषित की हैं। इनमें से **पांच बीमारियां जानवरों से फैली** थीं।
- **सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करना:** एक अनुमान के अनुसार **सार्स (SARS) और एवियन फ्लू** के प्रकोप की वजह से विश्व को क्रमशः **50 बिलियन डॉलर और 30 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान** पहुंचा है।

'महामारी निधि परियोजना' के अंतर्गत प्रमुख पहलें-

- पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और वैक्सीन निर्माण केंद्रों को अपग्रेड व उनका विस्तार किया जाएगा।
- बीमारी के प्रकोप का पता लगाने और समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी एवं निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
- डेटा प्रबंधन और एनालिटिक व्यवस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इससे बीमारियों के खतरों का बेहतर तरीके से आकलन किया जा सकेगा।
- पशुधन क्षेत्रक के लिए आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सभी संस्थाओं की क्षमता में निहित कमियों को दूर किया जाएगा।

7.5.12. ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स (Global Health Emergency Corps: GHEC)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और साझेदारों ने हाल ही में एमपॉक्स के प्रकोप के चलते **पहली बार GHEC को सक्रिय** किया।

©Vision IAS

GHEC के बारे में

- **उत्पत्ति:** WHO ने 2023 में GHEC की स्थापना की थी। इसकी स्थापना **कोविड-19 महामारी के दौरान देशों को बेहतर-समन्वित समर्थन सुनिश्चित** करने के लिए की गई थी।
- **उद्देश्य: स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के खिलाफ प्रतिक्रिया** को मजबूत करना, तथा देशों और स्वास्थ्य आपातकालीन नेटवर्क के लिए एक **सहयोग मंच** के रूप में कार्य करना।
- **भूमिका:** यह देशों को उनके स्वास्थ्य आपातकालीन कार्यबल, विशेषज्ञों की बढ़ती तैनाती और तकनीकी लीडर्स की नेटवर्किंग पर समर्थन देता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

8. संस्कृति (Culture)

8.1. बिरसा मुंडा (Birsa Munda)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में **15 नवंबर** को **जनजातीय गौरव दिवस** मनाया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत सरकार ने 2021 में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रत्येक वर्ष **15 नवंबर** को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
- यह दिवस, **भगवान बिरसा मुंडा** की जयंती की स्मृति तथा **भारत के स्वतंत्रता संग्राम** में **आदिवासी समुदायों के योगदान के प्रति सम्मान** प्रकट करने के लिए मनाया जाता है।
- **समारोह के दौरान प्रमुख घटनाक्रम:**
  - इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में **"माई भारत यूथ वॉलंटियर्स"** के साथ **"माटी के वीर पदयात्रा"** नाम से विशेष कार्यक्रम, समारोह आदि का आयोजन किया गया।
  - **भगवान बिरसा मुंडा** के सम्मान में **स्मारक सिक्का और डाक टिकट** जारी करके उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
  - **प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पी.एम.-जनमन),** वन धन विकास केंद्र (VDVKs) आदि योजनाओं के तहत आदिवासी समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से **6,640 करोड़ रुपये** से अधिक की **विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास** किया गया।

प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पी.एम.-जनमन) के बारे में

- यह योजना **'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs)[82]'** के घरों और बस्तियों को स्वच्छ पेयजल एवं सुरक्षित आवास जैसी **बुनियादी सुविधाएं** प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह अभियान **3 वर्षों (2023-24 से 2025-26)** के लिए शुरू किया गया है।
- इसका लक्ष्य 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले **75 PVTG समुदायों** को कवर करना है।
- इस महाअभियान हेतु **कुल 24,104 करोड़ रुपये का बजट** निर्धारित किया गया है।
- इस अभियान में **9 मंत्रालयों** द्वारा चलाई जा रही **11 महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया** है, जैसे- ग्रामीण विकास मंत्रालय की पक्के घर और सड़क निर्माण योजनाएं, आदि।

बिरसा मुंडा के बारे में

- **प्रारंभिक जीवन:**
  - उनका जन्म **1875** में वर्तमान झारखंड के **खूंटी जिले** के **उलिहातू गांव** में हुआ था। उनके बचपन का नाम **दाउद मुंडा** था।
  - वे **छोटानागपुर पठार क्षेत्र** की **मुंडा जनजाति** से संबंधित थे। यह क्षेत्र वर्तमान में झारखंड में है।
  - उन्होंने अपना कुछ समय **प्रमुख वैष्णव उपदेशक आनंद पांड** के साथ बिताया।
- **उनका योगदान:**
  - उन्होंने **बिरसाइत (Birsait)** नामक एक **नए धर्म की स्थापना** की।
    - यह संप्रदाय **एक ईश्वर** में विश्वास करता था और आदिवासी समाज में सुधार के लिए **आचार संहिता** का पालन करने पर जोर देता था।
  - **बिरसा मुंडा ने शराब, तंत्र-मंत्र और जादू-टोने के खिलाफ अभियान चलाया** और लोगों को **स्वच्छ रहने के बारे जागरूक** किया।
  - बिरसा ने आदिवासियों को **ब्रिटिश शासन और ज़मींदारी व्यवस्था के अत्याचारों के खिलाफ जागरूक किया।** उन्होंने आदिवासी लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और **सामुदायिक भूमि स्वामित्व से जुड़े अधिकारों** से अवगत कराया।

[82] Particularly Vulnerable Tribal Groups

    ○ **उन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया।** इस विद्रोह को **"उलगुलान (महान विप्लव)"** भी कहा जाता है।

- मुंडा जनजाति में बिरसा के योगदान के कारण उन्हें **भगवान** का दर्जा दिया गया है। उन्हें **धरती आबा (पृथ्वी का पिता)** के रूप में पूजा जाता है।

मुंडा विद्रोह के बारे में

- बिरसा ने 1895 में **छोटानागपुर, बंगाल और ओडिशा** के आदिवासियों को एकजुट करके इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का लक्ष्य **दिकू लोगों** (बाहरी लोगों) और यूरोपीय लोगों (जिन्हें **रावण** कहा जाता था) को अपने क्षेत्र से निकाल कर **स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना** करना था।

> **क्या आप जानते हैं?**
>
> लोगों का कहना था कि **बिरसा मुंडा के पास करिश्माई शक्तियां** थीं और वे सभी बीमारियों का इलाज कर सकते थे और अनाज की मात्रा बढ़ा सकते थे। उन्होंने स्वयं यह घोषणा की थी कि भगवान ने उन्हें अपने लोगों को मुसीबतों से बचाने और दिकुओं (बाहरी लोगों) की गुलामी से उन्हें मुक्त कराने के लिए भेजा है।

- **विद्रोह के प्रमुख कारण:**
    - **जमींदारी व्यवस्था की शुरूआत:** औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने मुंडा समुदाय की **मुंडारी खुंटकट्टी यानी सामुदायिक भू-स्वामित्व** जैसी पारंपरिक प्रथाओं को समाप्त कर दिया। जो **आदिवासी पहले भूस्वामी थे,** वे जमींदारी व्यवस्था के चलते **भूमिहीन मजदूर बन गए।**
        - ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते आदिवासी समुदायों में **वेथ बेगारी (जबरन मजदूरी)** और **बंधुआ मजदूर (बंधुआ मजदूरी)** जैसी कुरीतियां पैदा हो गईं।
    - **दिकुओं द्वारा शोषण:** औपनिवेशिक सरकार की भू-राजस्व प्रणाली ने बाहरी लोगों यानी **बिचौलियों (ठेकेदारों)** को राजस्व संग्रह प्रणाली में शामिल किया। इसके चलते अधिक कर वसूला जाने लगा, **करों को नकदी में भुगतान करना अनिवार्य हो गया, उत्पाद शुल्क जैसे कई अन्य कर** लगाए गए। इस तरह **आदिवासी समुदायों का कई तरह से शोषण** किए जाने लगा।
    - **मिशनरियों ने आदिवासियों की पारंपरिक संस्कृति, धर्म और रीति-रिवाजों की आलोचना की।**
- **विद्रोह की रणनीति:**
    - **गुरिल्ला युद्ध तकनीक:** इस नीति का इस्तेमाल ब्रिटिश सत्ता से जुड़ी संस्थानों, जैसे- पुलिस स्टेशन, सरकारी इमारत तथा **दिकू और ब्रिटिश अधिकारियों** द्वारा प्रशासित अन्य संरचनाओं पर हमला करने के लिए किया गया।
    - **प्रतीकों का उपयोग:** आंदोलन के दौरान आदिवासी समुदायों को प्रोत्साहित करने तथा एकजुट करने के लिए पारंपरिक प्रतीकों और देशज भाषा का उपयोग किया गया। इनमें शामिल थे-
        - **बिरसा मुंडा का नारा:** "अबुआ राज सेतेर जना, महारानी राज टुंडू जना" (हमारा राज्य स्थापित हो, महारानी का राज्य समाप्त हो)।
        - स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में **सफेद झंडे** का उपयोग किया गया।
- **विद्रोह की प्रमुख घटनाएं:**
    - **1895:** बिरसा मुंडा को दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार करके 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।
    - **1897:** जेल से रिहा होने के बाद भी बिरसा ने अपनी गतिविधियां जारी रखी। वह गांव-गांव जाकर **खुद के नेतृत्व में एक मुंडा राज्य की स्थापना करने के लिए** समर्थन जुटाने लगे।
    - **1900:** उपर्युक्त गतिविधियों के चलते बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जंगल में एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। कैद के दौरान ही हैजा बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई।
- **विद्रोह के परिणाम:**
    - **छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908:** इसके तहत आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई।
    - सरकार ने **"वेथ बेगारी"** नामक जबरन श्रम प्रणाली को समाप्त कर दिया।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय समुदायों की भूमिका

- औपनिवेशिक प्रभावों से भावी पीढ़ियों के लिए **पैतृक भूमि, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की।**
- राष्ट्रीय स्तर पर **लोगों को लामबंद किया** और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में योगदान दिया।
- **शोषणकारी ब्रिटिश नीतियों को उजागर किया** और ब्रिटिश दमन को चुनौती दी।
- सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण और स्कूलों की स्थापना जैसे **विकास कार्य किए।**
- अंधविश्वास और मद्यपान के खिलाफ **सामाजिक अभियान का नेतृत्व किया।**

जनजातीय नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन

बिहार
- **मांझी विद्रोह, 1785**
  - **नेतृत्वकर्ता:** तिलका मांझी

छतीसगढ़
- **बस्तर के कांगेर वन का धुरवा विद्रोह,** 1910
  - **नेतृत्वकर्ता: गुंडा धुर**
- **छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम,** 1856–1857
  - **नेतृत्वकर्ता:** नारायण सिंह (गोंड आदिवासी समूह से)

अरुणाचल प्रदेश
- **आंग्ल–अबोर युद्ध, 1911**
  - **नेतृत्वकर्ता: मातमुर जमोह**

असम
- **चाय बागानों में अफीम विरोधी अभियान,** 1921
  - **नेतृत्वकर्ता:** मालती मेम (मंगरी ओरांग से)

मेघालय
- **खासी विद्रोह,** 1833
  - **नेतृत्वकर्ता:** तिरत सिंह
- **ब्रिटिश कब्जे के विरुद्ध गारो आक्रमण,** 1872
  - **नेतृत्वकर्ता:** पा तोगन संगमा

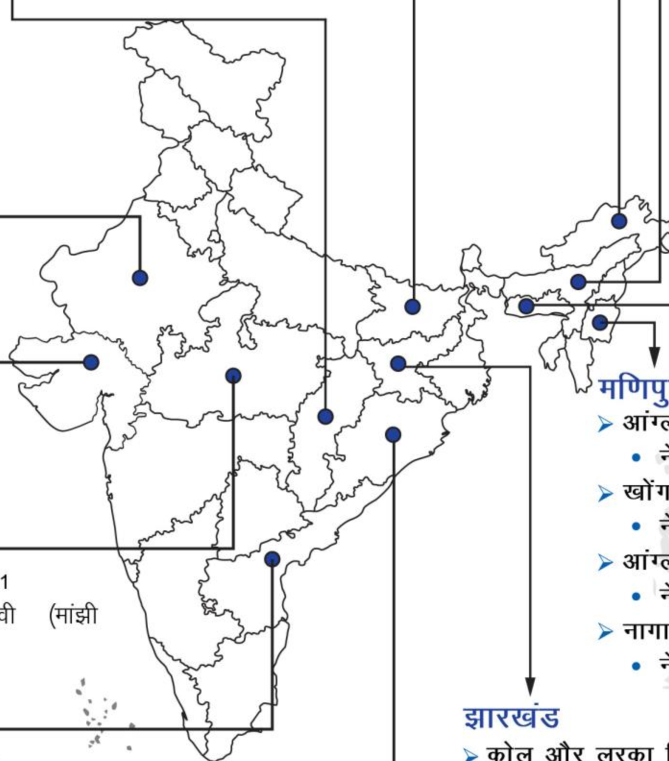

राजस्थान
- **भगत आंदोलन,** 1883
  - **नेतृत्वकर्ता:** गोविंद गुरु

गुजरात
- **वेडची आंदोलन,** 1885–1947
  - **गुजरात** के आदिवासियों के नेतृत्व में

मध्य प्रदेश
- **राजमोहिनी देवी आंदोलन,** 1951
  - नेतृत्वकर्ता: राजमोहिनी देवी (मांझी जनजाति से)

मणिपुर
- **आंग्ल–मणिपुर युद्ध,** 1891
  - **नेतृत्वकर्ता:** थंगल जनरल
- **खोंगजोम युद्ध,** 1891
  - **नेतृत्वकर्ता:** पाओना बरजवासी
- **आंग्ल–कुकी युद्ध,** 1917–1919
  - **नेतृत्वकर्ता:** खोतिनथांग सीतलहौ
- **नागा राष्ट्रवादी आंदोलन,** 1930 का दशक
  - **नेतृत्वकर्ता:** हैपौ जादोनांग

आंध्र प्रदेश
- **कोया विद्रोह,** 1862 और 1922–1924
  - **नेतृत्वकर्ता:** थम्मन–डोरा और अल्लूरी सीतारमा राजू

ओडिशा
- **संबलपुर विद्रोह,** 1857
  - **नेतृत्वकर्ता:** वीर सुरेन्द्र साय
- **कोरापुट विद्रोह,** 1942
  - **नेतृत्वकर्ता:** लक्ष्मण नाइक (भूमिया जनजाति)

झारखंड
- **कोल और लरका विद्रोह,** 1832
  - **नेतृत्वकर्ता:** बुधो भगत
- **तेलंगा खड़िया विद्रोह,** 1850–1880
  - **नेतृत्वकर्ता:** तेलंगा खड़िया
- **संथाल हुल (विद्रोह),** 1855–57
  - **नेतृत्वकर्ता: सिद्धू और कान्हू मुर्मू**
- **1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह, पलामू**
  - **नेतृत्वकर्ता:** नीलांबर और पीतांबर
- **कोल विद्रोह,** 1857
  - **नेतृत्वकर्ता: पोरहट के राजा अर्जुन सिंह**
- **सोरेन विद्रोह,** 1872
  - **नेतृत्वकर्ता:** दिवा–किशुन सोरेन
- **ताना भगत आंदोलन,** 1920–1921
  - **नेतृत्वकर्ता:** जतरा भगत

भारत में जनजातियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए
वीकली फोकस #77: भारत में जनजातियां: एक विकास पथ का निर्माण

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.2.1. सोहराई पेंटिंग (Sohrai painting)

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने **रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार** में दी।

सोहराई पेंटिंग के बारे में

- यह मुख्य रूप से **भित्ति चित्रकला** का रूप है। यह कला **झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रचलित** है।
- सोहराई पेंटिंग मुख्य रूप से **सोहराई त्यौहार** के दौरान बनाई जाती है। इस अवसर पर स्थानीय आदिवासी महिलाएं अपने **मिट्टी के घरों की दीवारों पर सुंदर चित्र** बनाती हैं।
- **विशेषताएं:**
  - चित्र बनाने में **प्राकृतिक रंगद्रव्य और सरल उपकरणों का उपयोग** किया जाता है।
  - कलाकार जटिल डिजाइन बनाने के लिए **ब्रश के रूप में अक्सर टहनियों, चावल की भूसी या अपनी उंगलियों** का इस्तेमाल करते हैं।
  - सोहराई पेंटिंग में **जानवरों, पक्षियों, और प्रकृति** का चित्रण होता है। ये चित्र जनजातीय संस्कृति में **कृषि जीवन शैली और वन्य जीवन के प्रति श्रद्धा का प्रतिनिधित्व** करते हैं।
- सोहराई-खोवर पेंटिंग्स को **भौगोलिक संकेतक (जी.आई.) टैग** भी मिल चुका है।

ऑप्शनल सब्जेक्ट
टेस्ट सीरीज़

- ✓ भूगोल
- ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र
- ✓ हिंदी साहित्य
- ✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रारंभ: 22 दिसंबर

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

7 in Top 10 | 79 in Top 100 Selections in CSE 2023

from various programs of VISIONIAS

हिन्दी माध्यम में 35+ चयन

53 AIR मोहन लाल
136 AIR अर्पित कुमार
238 AIR विपिन दुबे
257 AIR मनीषा धार्वे
313 AIR मयंक दुबे
517 AIR देवेश पाराशर
541 AIR शिवम अग्रवाल
551 AIR मोहन मंगवा
555 AIR ईश्वर लाल गुर्जर
556 AIR शुभम रघुवंशी
563 AIR अजित सिंह खद्दा
596 AIR के परीक्षित
616 AIR रवि गंगवार
619 AIR भानु प्रताप सिंह
633 AIR मैत्रेय कुमार शुक्ला
642 AIR शशांक चौहान
697 AIR प्रीतेश सिंह राजपूत
747 AIR नीरज धाकड़
758 AIR सोफिया सिद्दीकी
776 AIR पटेल दीप राजेशकुमार
793 AIR अशोक सोनी
798 AIR विनोद कुमार मीणा
816 AIR पवन कुमार
850 AIR भारती साहू
854 AIR सचिन गुर्जर
856 AIR रजनीश पटेल
885 AIR पूरन प्रकाश
913 AIR पायल ग्वालवंशी
916 AIR नीलेश
929 AIR प्रेम सिंह मीणा
941 AIR प्रद्युमन कुमार
952 AIR संदीप कुमार मीणा
954 AIR कर्मवीर नरवदिया
961 AIR अभिषेक मीणा
962 AIR सचिन कुमार
964 AIR नीरज सोंगारा

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. तुरंत न्याय (Instant Justice)

प्रस्तावना

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **निजी संपत्तियों के डेमोलिशन या विध्वंस** के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने माना कि **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** और **विधि की सम्यक् प्रक्रिया** का पालन किए बिना निजी इमारतों को गिराना या ध्वस्त करना अराजकता की स्थिति के समान है। यह शक्ति या ताकत के बल पर किया गया अत्याचार है। न्यायालय ने यह भी कहा कि तुरंत न्याय के उदाहरण **अक्सर कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से किए जाने वाले दुस्साहस पूर्ण कृत्य** को प्रकट करते हैं। साथ ही, ये कृत्य **संवैधानिक लोकाचार और मूल्यों का भी उल्लंघन करते** हैं।

न्यायालय द्वारा जारी प्रमुख दिशा-निर्देश

- **पूर्व सूचना:** संपत्ति के मालिक को **कारण बताओ नोटिस** दिए बिना विध्वंस की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
- **सुनवाई का अवसर:** संबंधित व्यक्ति को उचित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।
- **विध्वंस की प्रक्रिया: कार्रवाई की वीडियोग्राफी** अनिवार्य है तथा वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग को उचित तरीके से सुरक्षित रखना आवश्यक है।
- **दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई:** निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ **मुकदमा चलाने** के साथ-साथ **अवमानना की कार्यवाही** शुरू की जा सकती है।
- **ये दिशा-निर्देश किस पर लागू नहीं होंगे:** ये दिशा-निर्देश **अनधिकृत निर्माण** या **अदालती आदेश के तहत डेमोलिशन** के मामलों में लागू नहीं होंगे।

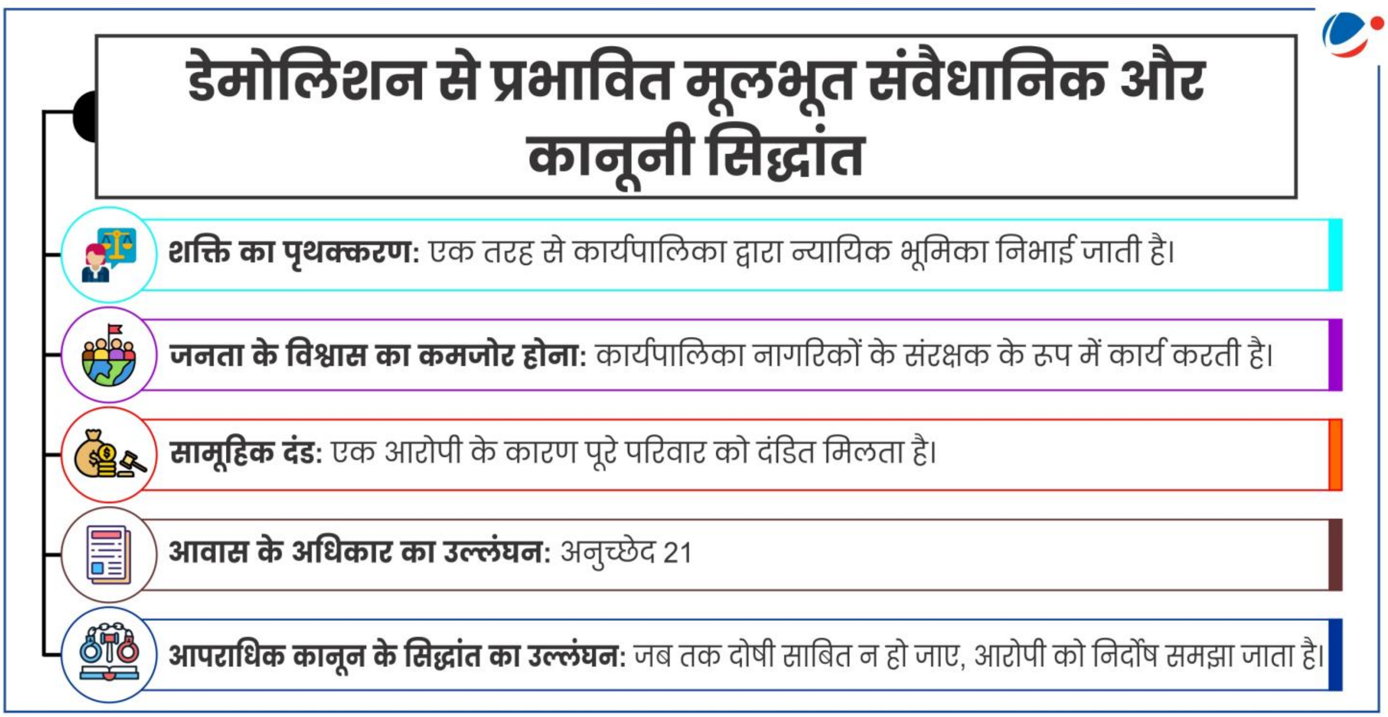

प्रमुख हितधारक और तुरंत न्याय से संबंधित उनके हित

हितधारक	हित
पीड़ित और उनके परिवार	न्याय तक पहुंच, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, मानव अधिकारों का संरक्षण, सम्मान, अपराधी द्वारा सुधार की प्रक्रिया।
कानून प्रवर्तन एजेंसियां और न्यायपालिका	विधि का शासन, आपराधिक न्याय प्रणाली, अपराध के अनुपात में सजा, उचित और निष्पक्ष तरीके से दंड देना।

बड़े पैमाने पर समाज	त्वरित न्याय, न्याय व्यवस्था में विश्वास, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा।
अपराधी (आरोपी या दोषी)	त्वरित न्याय, कमजोर लोगों की सुरक्षा, अपराध पर लोकप्रिय सार्वजनिक विमर्श।
सरकार	निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली, सामूहिक सुरक्षा के साथ व्यक्तिगत अधिकारों का संतुलन, जन भावनाएं और आक्रोश।

न्याय की अवधारणा

न्याय एक नैतिक व दार्शनिक विचार है, जिसमें यह माना जाता है कि **कानून द्वारा सभी के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार किया जाना** चाहिए। **न्याय एक स्थिर अवधारणा नहीं है,** बल्कि एक ऐसी अवधारणा है, जो लगातार विकसित हो रही है।

न्याय से जुड़े प्रमुख सिद्धांत

- **उपयोगितावादी सिद्धांत: जेरेमी बेंथम** द्वारा दिए गए इस सिद्धांत के अनुसार, न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जहां व्यक्तिगत हितों के बजाय समाज के समग्र कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है (अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी)।
- **रॉल्स का न्याय का सिद्धांत:** उन्होंने **न्याय के दो सिद्धांत** प्रस्तावित किए, अर्थात् समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत[83] और विभेद सिद्धांत[84]।
    - पहला सिद्धांत समाज में **सभी के लिए समान अधिकार और स्वतंत्रता की मांग करता** है। वहीं, दूसरा सिद्धांत समाज में **असमानताओं को तब तक अनुमति देता** है जब **तक ये समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों को लाभ पहुंचाती** हैं।
- **अमर्त्य सेन का न्याय सिद्धांत (क्षमता आधारित दृष्टिकोण):** इस सिद्धांत के अनुसार, **एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज** द्वारा लोगों को अपनी कार्य पद्धति को बेहतर बनाने हेतु स्वस्थ जीवनशैली या शिक्षा तक पहुंच जैसी क्षमताओं को **विकसित करने की स्वतंत्रता** प्रदान की जाती है।

न्याय के प्रकार

न्याय के प्रकार	अवधारणा	शामिल नैतिक मुद्दे
वितरणात्मक न्याय (Distributive justice)	• इसे **आर्थिक न्याय** के रूप में भी जाना जाता है। यह समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध लाभों और संसाधनों का **"उचित हिस्सा"** देने से संबंधित है।	• क्या वितरण के मानदंडों में **समता, न्याय और आवश्यकता के सिद्धांतों** का पालन किया जाता है?
प्रक्रियात्मक न्याय (Procedural justice)	• निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेने के लिए **नियमों का निष्पक्षता से पालन किया जाना चाहिए** एवं उन्हें लगातार लागू किया जाना चाहिए।	• विशेषकर संवेदनशील या गोपनीय जानकारी से निपटने के दौरान **निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होनी चाहिए**?
प्रतिशोधात्मक न्याय (Retributive justice)	• इस विचार के अनुसार, **लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा वे दूसरों के साथ करते हैं।** • यह एक **पूर्वव्यापी दृष्टिकोण** है जो अतीत में हुए अन्याय या गलत कार्य हेतु प्रतिक्रिया के रूप में दंड को उचित ठहराता है।	• हम यह कैसे **सुनिश्चित कर सकते हैं कि दंड अपराध के अनुरूप हो** और कौन तय यह करता है कि यह अपराध के अनुपात में है? न्याय का उद्देश्य अपराधी को सजा देने पर होना चाहिए या क़ैद में रहने के बाद सामान्य जीवन बिताने हेतु उनके पुनर्वास पर होना चाहिए?
पुनर्स्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice)	• न्याय के इस प्रकार का उद्देश्य आरोप लगाने वाले और आरोपी दोनों को एक साथ लाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना और उनके बीच संवाद स्थापित करना है। इससे **भविष्य में होने वाले किसी तरह के नुकसान से**	• क्या हत्या, यौन उत्पीड़न या घरेलू हिंसा जैसे **गंभीर या हिंसक अपराधों के लिए पुनर्स्थापनात्मक न्याय एक उचित प्रतिक्रिया है?**

[83] Principle of Equal Basic Liberties

[84] Difference Principle

	बचाव और रोकथाम संभव है।	
पुनर्वासात्मक न्याय (Rehabilitative Justice)	• सजा से **अपराधी के व्यवहार में सुधार लाकर** भविष्य में अपराध को रोका जा सकता है। • इसमें **शिक्षा और व्यावसायिक कार्यक्रम, परामर्श या कौशल प्रशिक्षण** शामिल हैं।	• **उदारता पर आधारित अवधारणा, पुनर्वास और लोक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना,** आपराधिक व्यवहार को माफ करना, इत्यादि।

तुरंत न्याय के बढ़ते मामलों के पीछे कारण

- **न्याय वितरण प्रणाली में घटता विश्वास:** विधि आयोग ने **अपनी 239वीं रिपोर्ट** में इस बात पर प्रकाश डाला कि न्याय मिलने में अत्यधिक देरी ने लोगों में कानून के प्रति भय और विश्वास को खत्म कर दिया है। इसके चलते लोगों की यह भावना मजबूत हुई है कि **"न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है"।**
    - न्याय वितरण प्रणाली में बढ़ता अविश्वास **लोगों को तत्काल एवं न्यायेतर समाधान की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है।**
- **व्यक्तिगत नैतिकता और कानूनी ज्ञान का अभाव:** बहुत से लोग कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायशास्त्र से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में, उन्हें लगता है कि भीड़ द्वारा तुरंत दंड देना ही न्याय करने का एकमात्र तरीका है।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी:** बलात्कार, हत्या या बाल उत्पीड़न से जुड़े मामलों में लोगों की भावनाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं, जिसके कारण अक्सर समुदाय में बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है।
- **भ्रामक सूचना का प्रसार:** सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना या वायरल कंटेंट अक्सर लोगों को तथ्यों की सही जानकारी के बिना भीड़ के रूप में इकट्ठा कर सकती है। इससे भीड़ सतर्कता न्याय (Vigilante Justice) करने की दिशा में अग्रसर होती है। सतर्कता न्याय में लोग स्वयं ही न्याय का पालन करने का दावा करते हैं।
- **नैतिक पत्रकारिता से समझौता:** अपराध की कहानियों को सनसनीखेज बनाने में मीडिया की भूमिका अक्सर जनता में आक्रोश पैदा करती है। इसके परिणामस्वरूप भीड़ द्वारा बिना सोचे-समझे कार्रवाई की जाती है।
    - **ख़बरों को सनसनीखेज बनाने से नैतिक पत्रकारिता कमज़ोर होती** है। पत्रकारिता द्वारा भीड़ की मानसिकता को बढ़ावा दिए जाने के बजाय निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **लोक धारणा:** विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के मामलों में पुलिस द्वारा किए जाने वाले एनकाउंटर की घटनाओं को लोगों द्वारा सकारात्मक माना जाता है। लोगों का मानना होता है कि इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य के लिए मजबूत निवारक के रूप में काम करती है।

तुरंत न्याय में शामिल नैतिक मुद्दे

- **विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन:** विधि का शासन कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, जबकि विधि द्वारा शासन तब होता है जब शक्तिशाली लोग दूसरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानूनों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार तुरंत न्याय **विधि के शासन के विचार को चोट पहुंचाता है और मनमाने या पक्षपातपूर्ण निर्णयों को बढ़ावा देता है।**
- **विधि की सम्यक् प्रक्रिया बनाम त्वरित न्याय:** तुरंत न्याय के मामले में व्यक्ति को प्राप्त कानूनी सुरक्षा से जुड़े उपायों को शामिल नहीं किया जाता है। इससे अभियुक्त को **संविधान के अनुच्छेद 21** के अंतर्गत प्राप्त निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है। इस प्रकार, यह **'दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाने[85]'** के सिद्धांत के खिलाफ है।
    - सम्यक् या उचित प्रक्रिया का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि निष्पक्ष प्रक्रिया के बिना किसी को भी जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति की हानि नहीं होनी चाहिए।
- **प्रतिशोधात्मक बनाम सुधारात्मक न्याय: तुरंत न्याय** अक्सर प्रतिशोधात्मक न्याय के सबसे खराब पहलुओं में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें दंड का आनुपातिक होना या न्यायसंगत होना जरूरी नहीं होता है।

---

[85] Deemed To Be Innocent Until Proven Guilty

- **प्राकृतिक न्याय बनाम स्वेच्छाचारी न्याय का सिद्धांत:** किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। यह प्राकृतिक न्याय (ऑडी अल्टरम पार्टेम) की आवश्यकताओं का आधार है।
    - तुरंत न्याय क्रोध या बदले जैसी भावनाओं से प्रेरित होता है। इससे निर्णय पर असर पड़ता है और अनुचित परिणाम सामने आते हैं।
- **साधन बनाम साध्य की बहस:** यह सवाल उठता है कि क्या वांछनीय या न्यायसंगत परिणाम (जैसे- आपराधिक मामलों में त्वरित न्याय) प्राप्त करने के लिए हम उन तरीकों का उपयोग कर सकते है जो मूल नैतिक सिद्धांतों या कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हैं।
    - तुरंत न्याय, **न्यायिक संस्थाओं को कमजोर** करता है और **नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता** है। यह समाज में अराजकता फैला सकता है और सामाजिक व्यवस्था के टूटने का कारण बन सकता है।

आगे की राह

- **प्रतिशोधात्मक न्याय को पुनर्स्थापनात्मक न्याय के साथ संतुलित करना:** यह संतुलित नज़रिया केवल दंडात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, अपराधियों को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है।
    - इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि **'न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि यह दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है।'** इसका तात्पर्य यह है कि "ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे यह संदेह भी उत्पन्न हो कि न्याय की प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप हुआ है।"
- **संवेदनशीलता:** व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया, उनके अधिकारों और सतर्कता कार्रवाइयों के परिणामों के बारे में शिक्षित किया जा सके।
- **न्यायिक सुधार:** तुरंत न्याय के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए न्यायिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इससे कानूनी प्रणाली के भीतर **पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा** मिलेगा। साथ ही, इससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
    - इसके अतिरिक्त, **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996)** तथा **PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014)** आदि मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत न्याय की समस्या के समाधान हेतु जारी महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को सही से लागू किया जाना चाहिए।
- **संस्थाओं की जवाबदेहिता को बढ़ावा देना:** पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय में अपनी बेगुनाही साबित करने का अभियुक्त का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे।

"भले ही सौ दोषियों को बरी कर दिया जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए"

-ब्रिटिश न्यायविद सर विलियम ब्लैकस्टोन

निष्कर्ष

त्वरित, निष्पक्ष और किफायती न्याय का अधिकार एक सार्वभौमिक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21 ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता** दी है तथा राज्य पर **प्रत्येक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा** करने का दायित्व सौंपा है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना इस बहुमूल्य अधिकार से **वंचित करना या उसका उल्लंघन करना स्वीकार्य** नहीं है। एक सुव्यवस्थित समाज का संपूर्ण अस्तित्व आपराधिक न्याय प्रणाली के सुदृढ़ और कुशल कामकाज पर निर्भर करता है।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

आपको एक ऐसे शहर में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जहाँ पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बड़ी वृद्धि हुई है। आप एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर भीड़ एकत्रित है, जो एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग कर रही है। आपके

विभाग के अधिकारी "तुरंत न्याय" के रूप में आरोपी को सरेआम पीटते नज़र आते हैं। हालांकि, इस कृत्य को लोगों से वाहवाही मिल रही है, लेकिन यह विधि की सम्यक् प्रक्रिया और विधि के शासन के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। जब आप स्थिति का आकलन करते हैं, तो आप अपने विभाग के भीतर एक विभाजन देखते हैं: कुछ अधिकारी इन कार्रवाइयों को जनता के आक्रोश के लिए एक आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में उचित ठहरा रहे हैं, जबकि अन्य नैतिक निहितार्थों और संभावित कानूनी परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इस स्थिति में शामिल प्रमुख हितधारकों की पहचान कीजिए और उनके सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिए।
- अपने विभाग में होने वाली न्यायेतर कार्रवाइयों से निपटने और नैतिक मानकों के पालन को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए?

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana: PMMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत मुद्रा ऋण लेने की ऊपरी सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>मुख्य विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>

- **सूक्ष्म उद्यमों को बिना गिरवी (कोलेटरल फ्री) और बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्ध कराना।**
- बैंक जैसी औपचारिक संस्थाओं से MSMEs को कम ब्याज दर पर ऋण दिलाकर **उनका वित्त-पोषण सुनिश्चित** करना।
- सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित एवं वंचित वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करके **वित्तीय समावेशन** सुनिश्चित करना।

</td><td>

- **मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय**
- **शुरुआत:** 2015
- **अन्य उद्देश्य:** यह योजना **गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि गतिविधियों वाले लघु और सूक्ष्म उद्यमों को** मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
- **मुद्रा/ MUDRA: माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा)** एक पुनर्वित्त एजेंसी है। यह खुद MSMEs को ऋण प्रदान नहीं करती है।
    - यह बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) जैसे संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करती है। फिर ये संस्थान मुद्रा लोन प्रदान करते हैं।

- **ऋण के लिए पात्र क्षेत्रक:**
    - **विनिर्माण क्षेत्रक;**
    - **व्यापार और सेवा क्षेत्रक;**
    - **कृषि से संबद्ध गतिविधियां।**
- **मुद्रा ऋण प्राप्त करने का तरीका:** बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) में आवेदन के द्वारा या **उद्यमी मित्र पोर्टल** के द्वारा।
- **वित्तीय सहायता के प्रकार:**
    - टर्म लोन (Term Loan)
    - ओवरड्राफ्ट सीमा (Overdraft Limit)
    - कार्यशील पूंजी (Working Capital)
    - पूंजीगत सामानों की खरीद के लिए संयुक्त ऋण (Composite Loan for Acquiring Capital)
- **गिरवी (कोलेटरल) रखने की आवश्यकता नहीं: क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU)** बिना गारंटी वाले सूक्ष्म ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करता है।
- **ब्याज दर निर्धारित नहीं है:** हालांकि, PMMY के तहत सभी पात्र आवेदकों को शिशु सेगमेंट ऋण का त्वरित भुगतान करने पर 12 महीने की अवधि के लिए 2% की ब्याज छूट दी जाती है।
    - इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमियों को मुद्रा ऋण प्रदान करने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs)/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को मुद्रा बैंक द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त पर ब्याज दरों को 25 बेसिस प्वाइंट्स (bps) कम कर दिया जाता है।
- **मुद्रा कार्ड:** यह ऋण लेने वालों को ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में कार्यशील पूंजी जुटाने की सुविधा प्रदान करता है।

</td></tr>
</table>

	• **मुद्रा मित्र:** यह मोबाइल फोन एप्लिकेशन है। यह ऋण के आवेदक को PMMY के तहत मुद्रा ऋण प्राप्त करने हेतु किसी बैंक से संपर्क करने के लिए मार्गदर्शन करता है।

10.2. अटल नवाचार मिशन 2.0 (ATAL Innovation Mission 2.0)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी प्रमुख पहल **अटल नवाचार मिशन (AIM 2.0) को 2,750 करोड़ रुपये के आवंटित बजट** के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। साथ ही, इसके **कार्यक्षेत्र का विस्तार** किया गया है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• **नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम** को विकसित व प्रोत्साहित करना।
• अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रकों में **नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां तैयार** करना।
• संबंधित हितधारकों की सहायता के लिए एक **प्लेटफॉर्म के तौर पर कार्य करना और आवश्यक सहयोग करना।**
• देश के नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम पर नज़र रखने के लिए **एक अम्ब्रेला व्यवस्था का निर्माण करना।**
• **विश्व में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।**
	• **कार्यान्वयन एजेंसी:** नीति आयोग
	• **योजना की अवधि:** 31 मार्च, 2028 तक
	• AIM 2.0 से वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
	  ○ AIM 1.0 के तहत उन कार्यक्रमों को लागू किया गया था, जो भारत में उस समय के **शुरुआती नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नवाचार अवसंरचना का सृजन** कर सके।
	    ▪ इसे 2016 में शुरू किया गया था।
	    ▪ AIM 1.0 **के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चार कार्यक्रम शुरू किए गए:** अटल टिंकरिंग लैब्स; अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स; अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रैंड चैलेंज; तथा मेंटर इंडिया।
	  ○ AIM 2.0 का लक्ष्य नवाचार इकोसिस्टम की कमियों को दूर करना है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग जगत, शैक्षिक संस्थानों, और समुदाय के साथ मिलकर सफलता को गति देने के लिए नई पहलें डिजाइन की गई हैं।
	योजना के तहत उद्यमिता इकोसिस्टम में सुधार करने के तरीके
	• **इनपुट बढ़ाना:** इसके तहत अधिक इनोवेटर्स और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित पहलें शामिल हैं:
	  ○ **भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम (LIPI)**[86]**:** इसके तहत **भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं** में नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य अंग्रेजी नहीं बोलने या समझने वाले इनोवेटर्स, उद्यमियों और निवेशकों की शुरुआती बाधाओं को दूर करना है।
	    ▪ मौजूदा इनक्यूबेटरों में 30 वर्नाक्युलर इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
	  ○ **फ्रंटियर प्रोग्राम:** इसके तहत जम्मू और कश्मीर (J&K), लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों, आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों के नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम के लिए कस्टमाइज़्ड यानी अनुकूलित टेम्पलेट बनाया जाएगा।
	    ▪ टेम्पलेट बनाने के लिए 2,500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स (ATLs) स्थापित किए जाएंगे।
	• **सफलता दर या 'थ्रूपुट' में सुधार करना:** इसमें स्टार्ट-अप्स को अधिक सफल बनाने में सहायता के लिए निम्नलिखित पहलें शामिल हैं:
	  ○ **मानव पूंजी विकास कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य भारत के नवाचार इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए प्रबंधकों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों जैसे पेशेवरों को तैयार करना है।
	  ○ **डीप टेक रिएक्टर:** इसके तहत एक एक **रिसर्च सैंडबॉक्स** बनाया जाएगा। यह शोध-आधारित डीप टेक स्टार्ट-अप्स के उत्पादों को व्यावसायिक बनाने के तरीकों का परीक्षण करेगा। यह उन स्टार्ट-अप्स की मदद करेगा जिन्हें अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में अधिक समय और अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है।

[86] Language Inclusive Program of Innovation

	○ **राज्य नवाचार मिशन (State Innovation Mission - SIM):** इसका उद्देश्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी विशेषज्ञता या मजबूत क्षेत्रों पर केंद्रित एक जीवंत और विकसित नवाचार एवं उद्यमिता इकोसिस्टम बनाने में सहायता करना है। ▪ SIM, नीति आयोग के राज्य समर्थन मिशन (State Support Mission) का एक घटक होगा। ○ **अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग कार्यक्रम (International Innovation Collaborations Program):** इसका उद्देश्य भारत के नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना है। इसके तहत कार्रवाई के चार क्षेत्रों की पहचान की गई है: ▪ वार्षिक ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड द्वारा नवाचार को प्रोत्साहन देना। ▪ उन्नत देशों के साथ 10 द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी करना। ▪ AIM और इसके कार्यक्रमों (अटल टिंकरिंग लैब्स; अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स) के मॉडल को ग्लोबल साउथ के देशों में विस्तार करने हेतु ज्ञान भागीदार के रूप में संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) की मदद करना, और ▪ भारत के लिए G20 के स्टार्टअप20 एंगेजमेंट ग्रुप का नेतृत्व करना। • **'आउटपुट' की गुणवत्ता सुधारना:** रोजगार के बेहतर अवसर, बेहतर उत्पाद और बेहतर सेवाओं का सृजन करना। ○ **इंडस्ट्रियल एक्सेलेरेटर प्रोग्राम:** उन्नत स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाना। ▪ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 10 से अधिक इंडस्ट्रियल एक्सेलेरेटर सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल के तहत बनाए जाएंगे। ○ **अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्चपैड (ASIL) प्रोग्राम:** इसका उद्देश्य प्रमुख उद्योग क्षेत्रों के स्टार्ट-अप्स को एकीकृत करने और उनके उत्पादों/सेवाओं को खरीदने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में इनोवेशंस फॉर डिफेन्स एक्सीलेंस (iDEX) जैसे प्लेटफॉर्म्स विकसित करना है। ▪ कम-से-कम 10 लॉन्चपैड प्रमुख मंत्रालयों में तैयार किए जाएंगे।

10.3. प्रधान मंत्री वनबंधु कल्याण योजना (Pradhan Mantri Vanbandhu Kalyan Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री वनबंधु कल्याण योजना (PMVKY) के 10 वर्ष पूरे हुए।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **आदिवासी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता** में सुधार करना। • **आदिवासी लोगों की शिक्षा की गुणवत्ता** में सुधार करना। • आदिवासी परिवारों को **बेहतर एवं स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना।** • आदिवासी क्षेत्रों में **अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करते हुए,** गुणवत्ता युक्त बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देना। • **आदिवासी संस्कृति और विरासत** का संरक्षण करना।	• **मंत्रालय:** केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय • **शुरुआत:** 2014 ○ सरकार ने **26135.46 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय** के साथ 2025-26 तक योजना को जारी रखने को **मंजूरी** दी है। • इसमें देशभर के **सभी जनजातीय लोगों और जनजातीय आबादी** वाले सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। **PMVKY एक अम्ब्रेला योजना है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:** • **प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना:** इसके तहत अधिक जनजातीय आबादी वाले 36,428 गांवों के समन्वित ग्राम विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ○ यह **पहल सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवा और स्वच्छता जैसे**

	महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।
	• **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs)[87] का विकास:** इसके तहत सबसे कमजोर जनजातीय समूहों की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
	  ○ यह पहल राज्य सरकारों को आदिवासियों के लिए **आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में** विकास संबंधी विशेष गतिविधियां चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
	• **जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRI)[88] को सहायता देना:** इसका उद्देश्य जनजातीय संस्कृतियों और चुनौतियों से संबंधित ज्ञान के आधार को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
	• **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं:** केंद्र प्रायोजित इन योजनाओं के तहत कक्षा IX और X के छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है।
	  ○ **पात्रता:** माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
	• **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति 10वीं कक्षा से आगे पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों को प्रदान की जाती है।
	• **परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करना:** PMVKY राज्य सरकारों के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना के लिए फंड भी आवंटित करती है। इस कदम का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करना है।

87 Particularly Vulnerable Tribal Groups

88 Tribal Research Institute

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इसकी मदद से न्यूज-पेपर पढ़ना काफी आसान हो जाता है और अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं।

- न्यूज़ पेपर रीडिंग को आसान बनाने के लिए रोजाना 4 पेज की बुलेटिन
- खंड: दिन की मुख्य सुर्ख़ियां, संक्षिप्त सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व/स्थल पर विशेष ध्यान
- द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे कई स्रोतों से कवरेज
- हालिया घटनाक्रमों की कवरेज और सुर्ख़ियों में रहे जटिल टर्म्स, घटनाक्रमों को समझने में मदद

देखिए
रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे PDF को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को **स्कैन कीजिए**

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

सुर्ख़ियों में रहे स्थल: भारत

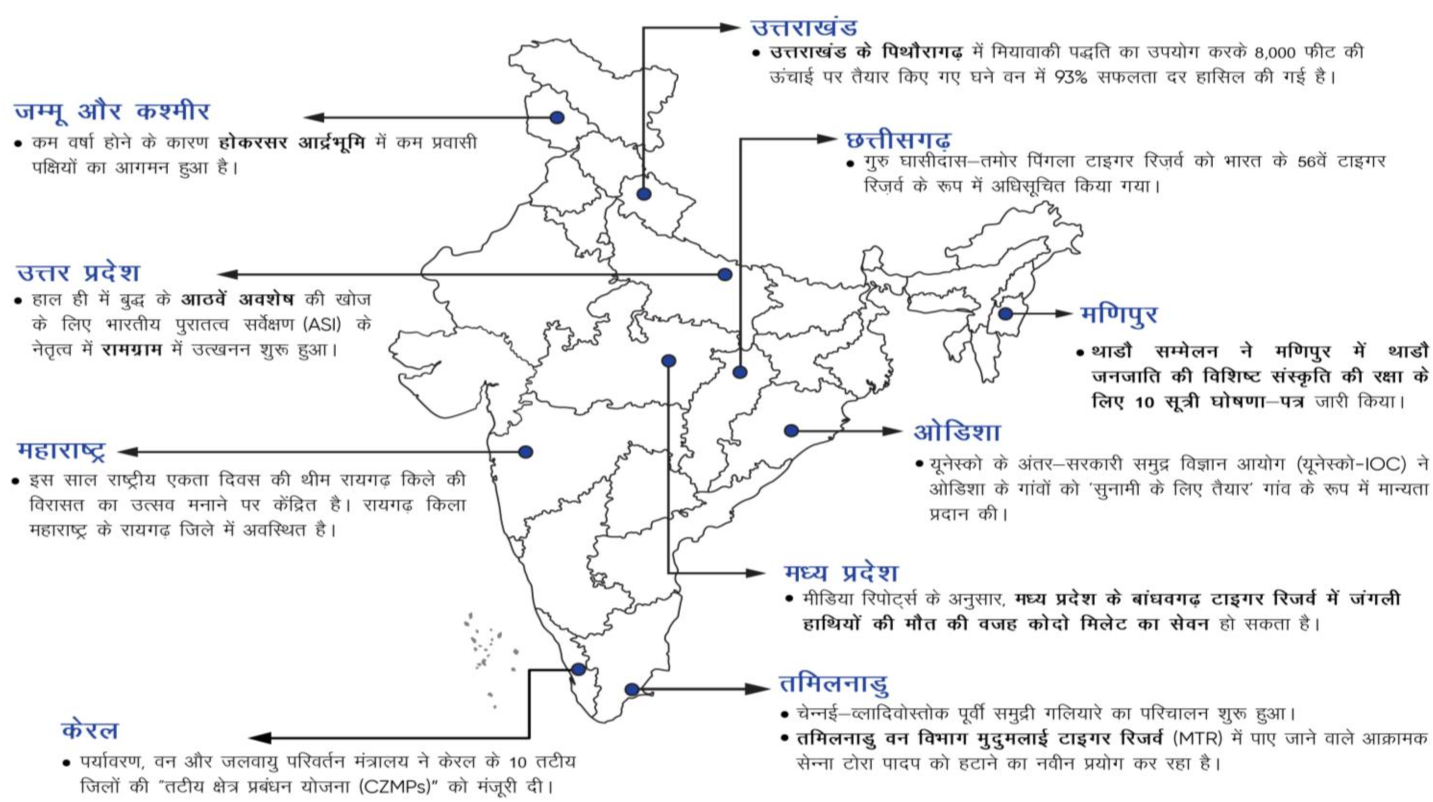

सुर्ख़ियों में रहे स्थल: विश्व

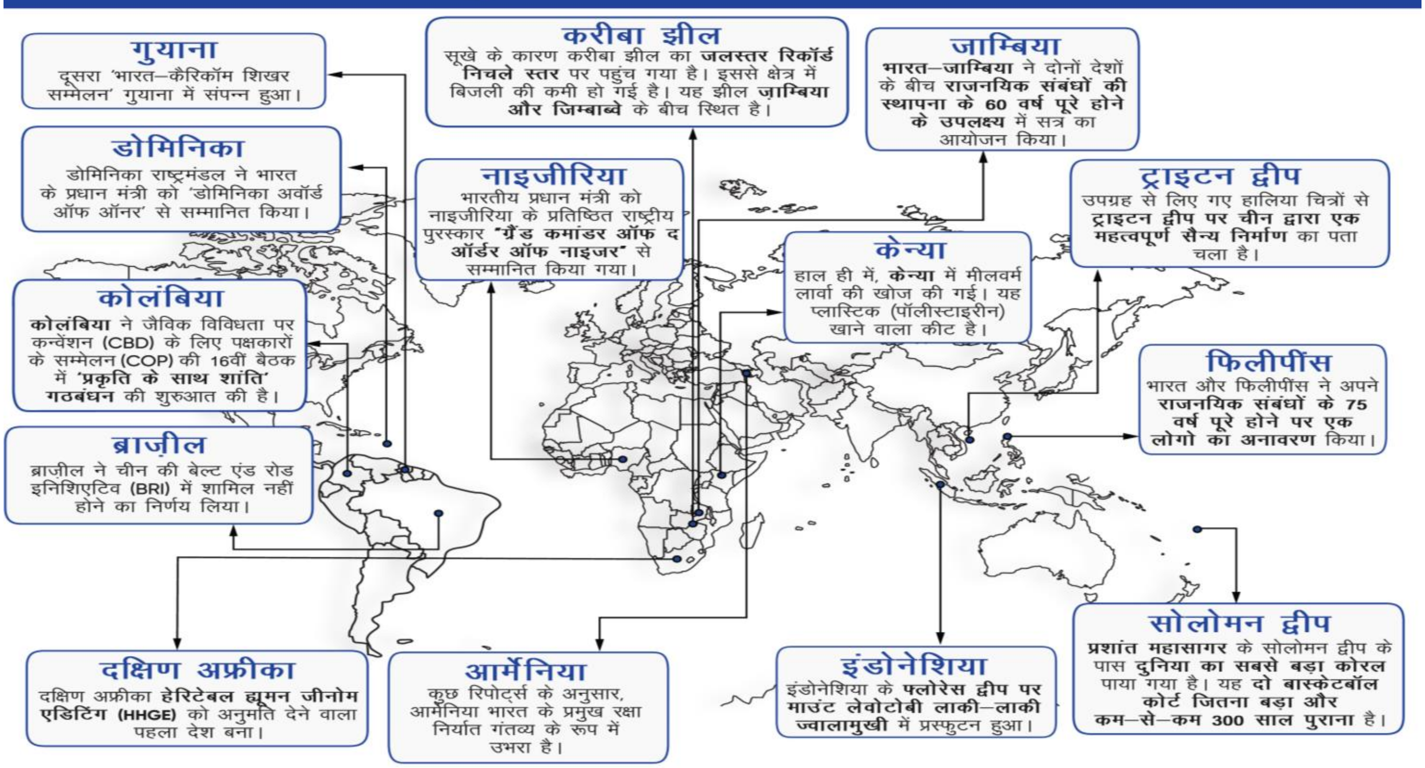

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)

व्यक्तित्व	के बारे में	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 गुरु नानक देव जी (1469–1539)	पूरे भारत में गुरु नानक जयंती मनाई गई। गुरु नानक जयंती **प्रथम सिख गुरु, गुरु नानक देव जी के जन्म का प्रतीक** है। उन्होंने ही सिख धर्म की नींव रखी थी। **उनके जीवन के बारे में** • उनका जन्म **तलवंडी (पाकिस्तान में ननकाना साहिब)** में हुआ था। • उन्होंने **करतारपुर (रावी नदी पर डेरा बाबा नानक)** में एक केंद्र की स्थापना की थी। • **मोक्ष का उनका विचार** निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता की मजबूत भावना के साथ सक्रिय जीवन की खोज थी। • अपनी मृत्यु से पहले, गुरु नानक ने अपने अनुयायियों में से एक **'लेहणा'** को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ▪ लेहणा को **गुरु अंगद** के नाम से जाना गया था। उन्होंने **गुरु नानक की रचनाओं** को संकलित किया था। **गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं** • **'इक ओंकार'**: इसका अर्थ है 'एक ईश्वर' जो अपनी प्रत्येक रचना में निवास करता है और परम सत्य का सृजन करता है। • **सत्यवादिता**: सत्यनिष्ठापूर्ण जीवन पर जोर दिया और **सत्य को जीवन का सर्वोच्च मूल्य** बताया। • **सामाजिक असमानता**: सामाजिक असमानता का निरंतर विरोध किया और **जाति व्यवस्था की आलोचना की।** • **धन के साधन के रूप में धर्म**: उन्होंने लोगों को सचेत किया कि वे **भौतिक संपत्ति को एकत्र करने के लिए धर्म का उपयोग न करें।**	**सार्वभौमिक भाईचारा और करुणा** • उन्होंने मानवता की एकता की वकालत की तथा इस बात पर बल दिया कि ईश्वर की नजर में जाति, पंथ और धर्म से परे सभी समान हैं। • अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर, उन्होंने समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा दिया।
 बिपिन चंद्र पाल (1858–1932)	हाल ही में, **बिपिन चंद्र पाल** की जयंती मनाई गई। **बिपिन चंद्र पाल के बारे में** **प्रमुख योगदान**: • उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए **स्वदेशी आंदोलन (1905)** में भाग लिया था। • वे राष्ट्रवाद के **उग्रवादी स्वरूप या गरम दल** के पक्षधर थे। • उन्होंने असहयोग आंदोलन (1920) के दौरान गांधी जी का विरोध किया था, क्योंकि इसमें स्वशासन की बात नहीं की गई थी। • बंदे मातरम राजद्रोह मामले में **अरबिंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने के कारण** उन्हें जेल में डाल दिया गया था।	**देशभक्ति और साहस** • उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। ब्रिटिश दमनकारी प्रथाओं का विरोध किया और कारावास सहित प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़तापूर्वक व्यवहार किया।

	• शुरू में वह **ब्रह्म समाज** में शामिल हुए, इसके बाद **वेदांत** की ओर रुख किया और अंततः **वैष्णव दर्शन (श्री चैतन्य) के समर्थक बन** गए। • **साहित्यिक कृतियां:** ▸ न्यू इंडिया (साप्ताहिक पत्रिका), हिंदू रिव्यू (मासिक पत्रिका), द न्यू इकोनॉमिक मेनास ऑफ इंडिया (पुस्तक) आदि। • **मूल्य:** देशभक्ति, साहस, बलिदान आदि।	
 लाला लाजपत राय (28 जनवरी 1865 – 17 नवंबर 1928)	देश ने 17 नवंबर को **पंजाब केसरी के नाम से मशहूर श्री लाला लाजपत राय को उनकी 96वीं पुण्यतिथि** पर याद किया। **प्रारंभिक जीवन** • इनका जन्म **पंजाब के धुडिके** में हुआ था। उन्होंने **पेशे के रूप में वकालत** को चुना था। वे **हिसार बार काउंसिल के सह–संस्थापक** भी थे। **योगदान** • उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुप्रसिद्ध रही **लाल बाल पाल (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल)** की तिकड़ी में शामिल किया जाता है। • उन्होंने **'द पीपल'** पत्रिका का प्रकाशन किया था और **'द ट्रिब्यून' समाचार–पत्र** के प्रकाशन में अपना योगदान दिया था। • उन्होंने **मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और स्वामी दयानंद की जीवनियों** सहित कई पुस्तकें लिखी थीं। • उन्होंने **महात्मा हंसराज की राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो–वैदिक स्कूल, लाहौर** की स्थापना में मदद की थी। • उन्होंने '**सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी (1921) और इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका** की स्थापना की थी। • **1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष** चुना गया था। • जब 30 अक्टूबर, 1928 को **साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया,** तो उन्होंने **इसके विरोध में एक अहिंसक मार्च का नेतृत्व** किया था। • पुलिस लाठीचार्ज के कारण **सिर में गंभीर चोट आने की वजह से उनकी मृत्यु** हो गई थी। • **मूल्य:** ईमानदारी, स्वतंत्रता की भावना, दान, भक्ति के गुण आदि।	**त्याग और दान** • साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया, इस प्रकार, उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने परम समर्पण को प्रदर्शित किया। • सामाजिक विकास का समर्थन करने के लिए सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी जैसी कल्याणकारी संस्थाओं की स्थापना की।

 देशबंधु चितरंजन दास (1870–1925)	संसद सदस्यों ने चितरंजन दास को उनकी **जयंती पर श्रद्धांजलि** अर्पित की। • **देशबंधु चितरंजन दास के बारे में** ▸ उनका जन्म **कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता)** में हुआ था। उन्होंने **प्रेसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में पढ़ाई** की थी और **लंदन से लॉ** की डिग्री प्राप्त की थी। **प्रमुख योगदानः** • उन्होंने **1909 में अलीपुर बम कांड में अरबिंदो घोष** का सफलतापूर्वक बचाव किया था। • उन्होंने **1920 में असहयोग आंदोलन** में भाग लिया था। • उन्होंने कांग्रेस के **गया अधिवेशन (1922)** की अध्यक्षता की थी। • उन्होंने **1923 में मोतीलाल नेहरू** के साथ कांग्रेस के भीतर **स्वराज दल** की स्थापना की थी। • इसके अलावा, वे **कलकत्ता नगर निगम (1924) के पहले निर्वाचित मेयर** भी थे। • उन्होंने **ढाका में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय** की स्थापना (1921) की थी। **साहित्यिक कृतियांः** • उन्होंने समाचार–पत्र **'फॉरवर्ड'** का प्रकाशन किया था। इसका बाद में नाम बदलकर '**लिबर्टी' कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस इसके संपादक थे।** • **पुस्तकें**– भारतीयों के लिए भारत, अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता। • **मूल्यः** नेतृत्व, साहस, आदि।	**नेतृत्व और निःस्वार्थता** • उन्होंने स्वराज पार्टी का मार्गदर्शन करने और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। • स्वतंत्रता सेनानियों की रक्षा करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया।
 बिरसा मुंडा (1875–1900)	डाक विभाग ने **जनजातीय गौरव दिवस** के उपलक्ष्य में **बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती** पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया। • गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष **15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस** मनाया जाता है। **बिरसा मुंडा के बारे में** • उनका जन्म **1875 में वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू** गांव में हुआ था। • उन्हें **'धरती आबा' यानी 'धरती पिता'** के नाम से भी जाना जाता है **मुख्य योगदानः** • उन्होंने पारंपरिक **आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित** किया। • उन्होंने **बिरसाइत धर्म** की नींव रखी। उनके अनुयायी बिरसा को **"भगवान"** कहते थे। ▸ उन्होंने **प्रार्थना करने, शराब से दूर रहने और ईश्वर में आस्था रखने** के महत्त्व पर जोर दिया। • उन्होंने ब्रिटिश राज की भूमि अतिक्रमण और जबरन श्रम कराने की नीति के खिलाफ **'उलगुलान'** यानी महान क्रांति या महान विद्रोह का नेतृत्व किया था। • **मूल्यः** जुनून, बलिदान, साहस, न्याय, नेतृत्व कौशल, आदि।	**दृढ़ता और दूरदर्शिता** • वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समुदाय की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। • वह एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों और शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ अपने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करके असाधारण साहस का प्रदर्शन किया।

 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (1888–1958)	देश में 2008 से हर साल **11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस** मनाया जाता है। **मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में** • इनका जन्म **सऊदी अरब के मक्का** में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं बहुत सी भाषाओं के विद्वान थे। • उन्होंने **1947–1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य** किया था। **मुख्य योगदान** • अबुल कलाम आजाद ने **1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन** की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा, उन्होंने **1940 के रामगढ़ अधिवेशन** में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के **अध्यक्ष** के रूप में कार्य किया था। • उन्होंने **खिलाफत आंदोलन (1920–24)** के दौरान **अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष** के रूप में कार्य किया था। • उन्होंने **दांडी मार्च (1930) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942)** में भाग लिया था। • वे **संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के सदस्य** थे। • उन्होंने **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** जैसी संस्थाओं की स्थापना में भूमिका निभाई थी। • **पुरस्कार और सम्मानः** मरणोपरांत भारत रत्न (1992) से सम्मानित किया गया था। • **नैतिक–मूल्यः** देशभक्ति, ईमानदारी, सहिष्णुता, आदि।	**सहिष्णुता और अखंडता** • विविध समुदायों के बीच सद्भाव और आपसी समझ को बढ़ावा दिया। • भारत की शैक्षिक और सांस्कृतिक नीतियों को आकार देते हुए अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता को बनाए रखा।
 चन्द्रशेखर वेंकट (सी.वी.) रमन (1888–1970)	हाल ही में देश भर में **सी.वी. रमन की जयंती** मनाई गई। **सी.वी. रमन के बारे में** • उनका जन्म **तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली** में हुआ था। उन्होंने निम्नलिखित की स्थापना की थीः ▸ **इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स;** और ▸ **भारतीय विज्ञान अकादमी, 1934** यह संस्था **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसायटी** के रूप में पंजीकृत है। • **पुरस्कारः** उन्हें **1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था। **1954 में भारत रत्न से सम्मानित** किया गया था। • **1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज** की थी। इसकी याद में हर साल **राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (28 फरवरी)** मनाया जाता है। ▸ रमन इफेक्ट परिघटना के तहत **जब प्रकाश की एक किरण किसी तरल पदार्थ से होकर गुजरती है,** तो उस किरण का कुछ हिस्सा प्रकीर्णित (Scattered) होकर अलग दिशा में चला जाता है। इस प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश अलग रंग का होता है। • **मूल्यः** वैज्ञानिक दृढ़ता, साहस, उत्कृष्टता, जिज्ञासा, आदि।	**वैज्ञानिक योग्यता और ज्ञान** • एक प्रख्यात वैज्ञानिक के रूप में, उन्होंने प्रकृति के भौतिक नियमों को समझने में अनुकरणीय रुचि दिखाई। • प्रकाश की प्रकृति पर उनके अग्रणी अन्वेषण कार्यों को वैज्ञानिक मील का पत्थर मानते हैं।

 डॉ. हरेकृष्ण महताब **(1899—1987)**	डॉ. हरेकृष्ण महताब की **125वीं जयंती** मनाई गई। इन्हें **उत्कल केशरी** के नाम से भी जाना जाता है। • ये एक **स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, लेखक, समाज सुधारक और पत्रकार** थे। **योगदान** • इन्होंने **असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह** आदि में सक्रिय रूप से भाग लिया था। • इन्होंने **ओडिशा को भारत संघ में शामिल करने में** महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। • ये **स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी** जैसी हस्तियों से प्रभावित थे। • 1946 से 1950 तक **ओडिशा के मुख्यमंत्री** रहे थे। • **मूल्यः** दृढ़ संकल्प, नेतृत्व आदि।	**दृढ़ संकल्प और सामाजिक जिम्मेदारी** • भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया और अनुकूलनशीलता दिखाई। • सुधारों और ओडिशा के भारतीय संघ में एकीकरण के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए कार्य किया। • डॉ. हरेकृष्ण महताब ने सुधारों के माध्यम से ओडिशा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने ओडिशा को भारतीय संघ में शामिल करके राज्य के विकास के नए द्वार खोले।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
भारत की सांस्कृतिक विरासतः अतीत का संरक्षण, भविष्य के लिए प्रेरणा	भारत के समृद्ध इतिहास, विविध परंपराओं और गहन कलात्मक अभिव्यक्तियों ने एक अनूठी सांस्कृतिक विरासत को आकार दिया है। यह भारत के लोगों की पहचान और मूल्यों को परिभाषित करती है। यह डॉक्यूमेंट भारत की सांस्कृतिक विरासत के सार, राष्ट्रीय विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस विरासत को संरक्षित करने के लिए आवश्यक उपायों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।	
समावेशी संपदाः आर्थिक विकास का एक मापक	विकास के लिए एक संधारणीय दृष्टिकोण पारंपरिक आर्थिक मीट्रिक से परे है, जो प्राकृतिक संसाधनों, मानव क्षमताओं और उत्पादित परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक मूल्य पर केंद्रित है। यह डॉक्यूमेंट समावेशी संपत्ति की अवधारणा और आर्थिक विकास को मापने के लिए इस दृष्टिकोण को अपनाने में सामना की जाने वाली चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।	
भारत के वाटर गवर्नेंस में सुधारः उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अनिवार्य	जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए समुदायों, पारिस्थितिकी प्रणालियों और भावी पीढ़ियों की जरूरतों को संतुलित करना तथा बढ़ती चुनौतियों का सामना करते हुए संधारणीयता सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह डॉक्यूमेंट भारत में वाटर गवर्नेंस में सुधार की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर चर्चा करता है तथा प्रभावी और संधारणीय वाटर गवर्नेंस के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है।	
नीति निर्माण में नजिंग	स्वतंत्रता को सीमित किए बिना विकल्पों का मार्गदर्शन करने वाले सूक्ष्म हस्तक्षेप नीति निर्माण में शक्तिशाली साधन के रूप में उभरे हैं, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता को संरक्षित करते हुए निर्णयों को आकार देते हैं। यह डॉक्यूमेंट सार्वजनिक नीति में एक व्यवहारिक साधन के रूप में नाजिंग की अवधारणा, इसकी सीमाओं और निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए प्रभावी नज तैयार करने की रणनीतियों की गहन पड़ताल करता है।	
भारत की जैव–अर्थव्यवस्थाः नवाचार और संधारणीयता के माध्यम से संवृद्धि को बढ़ावा	जैविक संसाधनों के सतत उपयोग में निहित, जैव अर्थव्यवस्था में नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अपार क्षमता है। यह डॉक्यूमेंट जैव अर्थव्यवस्था की बहुमुखी अवधारणा का विस्तृत विश्लेषण करता है और सतत विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। साथ ही, इस डॉक्यूमेंट में जैव–अर्थव्यवस्था के विकास में अंतर्निहित चुनौतियों की भी पड़ताल की गई है।	

ऑफलाइन क्लासरूम, मेंटरिंग

SUPPORT SYSTEM & FACILITIES

VISIONIAS MUKHERJEE NAGAR (GTB NAGAR CENTRE)

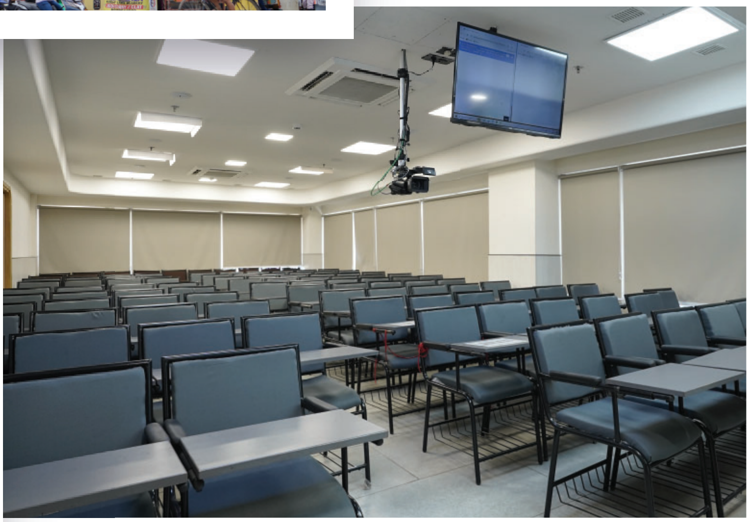

MAIN BUILDING WITH ENTRY/EXIT MARK

RECEPTION AREA

COUNSELING/MENTORING

FIRE EXIT PLAN

CLASSROOMS (CHAIRS/ENTRY/EXIT)

क्लासरूम प्रोग्राम : Vision IAS तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12–14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- CSAT क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज– मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, PT365, Mains365
- निबंध लेखन
- एथिक्स (Ethics)– एथिक्स क्रैश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- GS मेंस एडवांस कोर्स

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। **VisionIAS** पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए **Vision IAS** के **Innovative Assessment System™** द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (**GS Mains**) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया **GS** प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- **CSAT** टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (**Open Test**)
- **Abhyaas**– **Abhyaas Prelims & Mains**

मेंटरिंग कार्यक्रम – **UPSC** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडेमिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए **Vision IAS** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (**Daksha**): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (**Lakshya**): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए **Vision IAS** द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- **PT** 365
- **Mains** 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए **Vision IAS** द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- **PT** 365 एवं **Mains** 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (**PYQs**) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर **Vision IAS** द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन

ASHOK DUBEY SIR

MRITYUNJAY SIR

RAJEEV RANJAN SIR

SUNIL KUMAR SINGH SIR

हिंदी माध्यम टॉपर

Aditya Srivastava

मोहन लाल

अर्पित कुमार

Shubham Kumar
UPSC CSE 2020

Bajarang Prasad
UPSC CSE 2022

Vikas Gupta
UPSC CSE 2022

Jatin Parashar
UPSC CSE 2022

HEAD OFFICE
DELHI
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN | /VISION_IAS | /C/VISIONIASDELHI | VISION_IAS | /VISIONIAS_UPSC

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | JAIPUR | JODHPUR | GUWAHATI | HYDERABAD | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
अपनी तैयारी से जुड़े रहिए
सोशल मीडिया पर फॉलो करें
http://bit.ly/3ueP7T7
VisionIASHindi
/VisionIAS_UPSC
vision_ias_hindi
/Vision_IAS
/visionias.upsc
www.visionias.in

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली

13 दिसंबर, 8 AM | 6 जनवरी, 11 AM

अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधिः 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधिः 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

1 AIR

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**
from various programs of **Vision IAS**

2 AIR Animesh Pradhan

5 AIR Ruhani

6 AIR Srishti Dabas

7 AIR Anmol Rathore

9 AIR Nausheen

10 AIR Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

हिंदी माध्यम टॉपर

53 AIR मोहन लाल

136 AIR अर्पित कुमार

238 AIR विपिन दुबे

257 AIR मनीषा धार्वे

313 AIR मयंक दुबे

517 AIR देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

53 AIR मोहन लाल

TOPPERS' TALK

UPSC CSE 2026 सामान्य अध्ययन

UPSC Prelims 2025 10 years PYQ

Master Classes Series करेंट अफेयर्स

DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visioniashindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची